बुधवार, 6 अगस्त 1980

15 श्रावण 1902 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद
# का
# हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र

सत्यमेव जयते

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद विवाद का हिन्दी संस्करण
बुधवार 6 अगस्त, 1980/ 15 श्रावण 1902 (शक)

## का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 16, पंक्ति 14 में "श्री वृद्धि चन्द जैना" के स्थान पर "श्री वृद्धि चन्द्र जैन" पढ़िये ।

पृष्ठ 18, पंक्ति 9 में "श्री दवाराम शाक्य" के स्थान पर "श्री दयाराम शाक्य " पढ़िये ।

पृष्ठ 62, पंक्ति 4 में "श्री बी0आर0 आहटा" के स्थान पर "श्री बी0आर0 नहाटा"पढ़िये ।

पृष्ठ 80, पंक्ति 17 में "श्री नवीन खापी " के स्थान पर "श्री नवीन रवाणी" पढ़िये ।

पृष्ठ 131, नीचे से पंक्ति 5 में "श्री चिन्तामणि जना" के स्थान पर "श्री चिन्तामणि जेना" पढ़िये ।

पृष्ठ 23 से पृष्ठ 124 तक पृष्ठ शीर्ष में "मौखिक उत्तर" के स्थान पर "लिखित उत्तर " पढ़िये ।

---

# विषय सूची

अंक 44. बुधवार, 6 अगस्त, 1980/15 श्रावण, 1902 (शक)


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर :** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या : 859, 861 से 866, 868, 869 और 872 | 1—23 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर :** | |
| तारांकित प्रश्न संख्या 858, 860, 867, 870, 871, 873 से 875 875 क, 876 और 877 | 23—29 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 6947 से 6966, 6968, 6969, 6972 से 6983 6985 से 6996, 6998 से 7137, 7139 से 7146 और 7146 क | 29—172 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | 172—175 |
| सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में | 175—180 |
| अविलम्बनीय लोक महत्त्व के मामले की ओर ध्यान दिलाना | 180 |
| पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन के मूल्यों में गिरावट | 180—200 |
| प्रो० रूप चन्द पाल | 180 |
| श्री प्रणव मुखर्जी | 184 |
| श्री निरेन घोष | 185 |
| श्री विजय कुमार यादव | 194 |
| श्री चित्त वसु | 196 |
| सदस्य की गिरफ्तारी (श्री रघुनाथ सिंह वर्मा) | 201 |
| 24 जुलाई, 1980 को विजय नगर इस्पात संयंत्र के लिये प्रावधान के बारे में दी गई जानकारी को शुद्ध करने वाला वक्तव्य | 201—202 |
| श्री आर० वेंकटरामन | 201 |
| श्री के० लकप्पा | 201 |
| नियम 377 के अधीन मामले— | 202—206 |
| (एक) श्री राजनारायण द्वारा अनशन (श्री मनी राम बागड़ी) | 202 |
| (दो) पाराद्वीप में मत्स्य पत्तन का निर्माण (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) | 202 |
| (तीन) उत्तर रेलवे के दिल्ली जाने में सामान की ढुलाई में कठिनाइयां (श्री चतुर्भुज) | 203 |
| (चार) बंगलौर में भारतीय स्टेट बैंक का एक अलग सर्किल मुख्यालय स्थापित करने की माँग (श्री जनार्दन पुजारी) | 203 |


*किसी नाम पर अंकित यह चिह्न * इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| (पांच) इलायची बागानों को धनकर से मुक्त करना<br>(श्री कुमवुम एन० नट राजन) | 204 |
| (छः) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कीट नियन्त्रण उपाय तुरन्त किये जाने की आवश्यकता।<br>(श्री मनोरंजन भक्त) | 205 |
| (सात) पटना में बिजली संकट का समाचार<br>(श्री रामावतार शास्त्री) | 205 |
| (आठ) 5 अगतस्त, 1980 को बागपत में सत्याग्रहियों द्वारा पुलिस पर पथराव करने और गोली चलाये जाने का समाचार।<br>(श्री राजेश पाइलट) | 206 |
| ब्रह्मपुत्र बोर्ड विधेयक | |
| विचार करने का प्रस्ताव | 206—214 |
| श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा | 207 |
| श्री शिवराज वी० पाटिल | 209 |
| श्रीमती गीता मुखर्जी | 213 |
| कृषि आदानों, विशेषकर उर्वरकों के निरन्तर बढ़ रहे मूल्यों में उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा | 215—241 |
| श्री धनिक लाल मण्डल | 215 |
| श्री जैनुल बशर | 220 |
| श्री मुकुन्द मण्डल | 222 |
| श्री एम० रामगोपाल रेड्डी | 225 |
| श्री चतुर्भुज | 226 |
| श्री कृष्ण दत्त | 228 |
| श्री टी० आर० शमन्ना | 229 |
| श्री गिरधारी लाल व्यास | 230 |
| श्री श्री रामावतार शास्त्री | 233 |
| श्री हरिकेश बहादुर | 235 |
| श्री वीरेन्द्र सिंह राव | 236 |
| आधे घंटे की चर्चा | 241—256 |
| अनुसूचित जातियों के लिये पृथक मंत्रालय | 241 |
| श्री भीखाभाई | 241 |
| श्री योगेन्द्र मकवाना | 245 |
| श्री रामावतार शास्त्री | 248 |
| श्री जनार्दन पुजारी | 249 |
| श्री राम विलास पासवान | 249 |
| श्री दलवीर सिंह | 251 |
| सदस्यों की गिरफ्तारी आदि के बारे में सूचना | 257 |

# लोक सभा

बुधवार, 6 अगस्त, 1980/15 श्रावण, 1902 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैडिकल और इन्जीनियरी के स्थानों का आवंटन।**

*859. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ शासित क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मेडिकल और इंजीनियरी के स्थानों के आवंटन को लेकर व्यापक असंतोष फैला हुआ है;

(ख) यदि हां, तो स्थायी निवासियों को इन स्थानों के आवंटन के लिए क्या मानदंड अपनाया गया है;

(ग) क्या ये स्थान आदिवासियों और 1942 से पहले आकर वहां बसने वाले पुराने निवासियों तथा सरकार की योजना के अंतर्गत वहां बसने वाले नये निवासियों के लिए आरक्षित हैं;

(घ) क्या ये स्थान उन्हें तदनुसार आवंटित किये जाते हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान किये गये आवंटन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को इस बारे में संतुष्ट करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) से (ग) और (ङ):- विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायगी।

### विवरण

मैडिकल और इंजीनियरी पाठ्यक्रमों के स्थानों के आवंटन के लिए 1978 से अपनाया जा रहा मानदंड इस प्रकार है :—

(1) स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 40 प्रतिशत स्थान ।

(2) द्वीप समूह की अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए 20 प्रतिशत स्थान ।

(3) (क) प्रशासन में प्रतिनियुक्ति पर सेवा कर रहे केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 20 प्रतिशत स्थान ।

(ख) शेष 20 प्रतिशत स्थान प्रशासन के सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए ।

2. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह प्रसंग में शब्द "स्थानीय" की परिभाषा इस प्रकार की गई है :—

(1) कोई व्यक्ति जिसने द्वीपसमूह में कम से कम 5 वर्ष निरन्तर शिक्षा प्राप्त की है और पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त कर ली हैं :

(2) कोई व्यक्ति, जिसकी माता अथवा पिता का जन्म द्वीपसमूह में हुआ :

(3) (क) पुनर्वास अथवा नई बस्ती बसाने की किसी योजना के अन्तर्गत द्वीप-समूह में बसा कोई व्यक्ति :

(ख) किसी ऐसे व्यक्ति का पति, पत्नी/बच्चा ।

"स्थानीय" की उपर्युक्त परिभाषा मुख्य भूमि पर मैडिकल तथा इंजीनियरिंग संस्थाओं में द्वीपवासियों के लिए आरक्षित स्थानों में नामांकन के लिए लागू होती है ।

3. प्रशासन को मैडिकल और इंजीनियरिंग स्थानों के आवंटन के लिए मानदंड के बारे में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हैं, जो विचाराधीन हैं ।

**श्री मनोरंजन भक्त** : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह एक दूर-दराज का इलाका है; यह न केवल पिछड़ा हुआ है अपितु अलग-थलग भी बसा हुआ है । इस क्षेत्र में केवल एक डिग्री कालेज है और वहां पर उच्च शिक्षा की और गुंजाइश नहीं है ।

भारत सरकार अंडमान और निकोबर द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र के छात्रों के लिये मैडिकल और इंजीनियरी के छः, सात या आठ स्थान आवंटित करती थी । 1978 से पूर्व एक निर्धारित प्रणाली थी । परन्तु, 1978 के दौरान उस प्रणाली को सरकार द्वारा बदलने की क्या आवश्यकता थी ?

दूसरे, ऐसा किसने किया और;

तीसरे, मानदण्ड को बदलाने से पूर्व क्या जन प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की गई थी या नहीं ?

यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है ।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : महोदय, इन स्थानों का आवंटन मुदालियार समिति के प्रतिवेदन के अनुसार निर्धारित किये गये मानदण्ड के अनुसार किया जाता है । उसके अनुसार, 55,000 की जनसंख्या के पीछे एक मैडिकल स्थान आवंटित किया जाता है । इसी तरह इस मानदण्ड के आधार पर अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र केवल चार स्थानों का हकदार है । परन्तु इस क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय इस क्षेत्र को प्रति वर्ष 7 से 10 स्थान आवंटित करता रहा है ।

**श्री मनोरंजन भक्त** : मेरा प्रश्न यह था । यह मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या यह आप का पहला अनुपूरक प्रश्न है ?

**श्री मनोरंजन भक्त** : जी हां । 1978 से पूर्व एक मानदण्ड था । इसे बदलकर वर्तमान मानदण्ड क्यों बनाया गया है ? इसे किसने बदला और क्या इसे बदलने से पूर्व जन प्रतिनिधियों से चर्चा की गई थी या नहीं ? यही मेरा प्रश्न है ।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : मानदण्ड अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र से सम्बन्धित गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के साथ परामर्श करके निर्धारित किया जाता है ।

**श्री मनोरंजन भक्त** : यह सही नहीं है, क्योंकि मैं यह जानता हूँ क्योंकि मैं भी उस समिति का एक सदस्य हूँ । खैर, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है । यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्थान केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटित किये जाते हैं, जिससे हमने देखा है कि वहां पर प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले अधिकारियों के पुत्रों तथा पुत्रियों को ये स्थान मिलते हैं और वास्तविक निवासियों को नहीं, उस क्षेत्र में स्थायी तौर पर रहने वाले व्यक्तियों को इन स्थानों से वंचित रखा जा रहा है । मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है : क्या मंत्री जी हमें आश्वासन देंगे कि भविष्य में वह ऐसा मानदण्ड निर्धारित करेंगे कि मडिकल और इंजीनियरी कालेजों में स्थान उस क्षेत्र के स्थायी निवासियों को ही मिलें ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि मामले पर पुनर्विचार किया जायेगा ।

**श्री एम. सत्यनारायण राव** : अध्यक्ष जी, अंडमान और निकोबार में मुझे जाने का मौका मिला है और श्री मनोरंजन भक्त जी मुझे वहाँ ले गये थे और मैंने वहाँ की हालत को देखा है । आप जानते ही हैं कि ब्रिटिश शासकों के जमाने में बड़े-बड़े नेताओं को पकड़ कर वहां रखा जाता था और मैंने वहाँ की हालत को देखा है । थोड़ा सा बैकग्राऊण्ड में जाना पड़ता है और उसके बाद मैं प्रश्न कर रहा हूं । वहाँ के जितने लोग हैं, वे हिन्दी में बात करते हैं, आन्ध्र वाले, मल्यालम बोलने वाले, तमिल और बंगाली बोलने वाले, सब हिन्दी में बात करते हैं और इन्टर-कास्ट और इन्टर-रिलिजन मैरिज करते हैं । ऐसी हालत में वहाँ के जो लोग हैं, उनकी ग्रिवेन्सेज नहीं रहनी चाहिए । उन को जो निगलैक्ट कर रहे हैं, यह नहीं होना चाहिए और यह होम मिनिस्टर साहब की जिम्मेवारी है । दुनिया

में कहीं भी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, और वहाँ के लोग सेकूलरइज्म को पूरी तरह से दिखा रहे हैं। जब ऐसी बात है, तो वहाँ पर मैडिकल और इजीनियरिंग सीट्स डबल करने की कोशिश आप करते, तो अच्छा होता। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि वे इस बारे में क्या करने वाले हैं ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : मैंने पहले ही बताया है कि मुदालियार कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वहां पर 4 सीटें होनी चाहिए लेकिन हमने वहां पर 7 सीटें दी हैं। जो बात आप ने बताई है, वह सही है और वहां के लोगों की जो हालत है, उस सब को ध्यान में रख कर अभी मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि समूचे मामले पर पुन-विचार किया जायेगा।

**सी० एस०एस० के ग्रेड एक के अधिकारियों को चयन ग्रेड के लिए चयन सूची में शामिल करना**

*861. **श्री एच०एन० नन्जे गौडा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमों के अन्तर्गत बनाये गये सी०एस०एस० (ग्रेड-एक में पदोन्नति तथा चयन ग्रेड) विनिमय, 1964 के विनिमय संख्या 2 (क) के साथ पठित सी०एस०एस०, नियमावली, 1962 के नियम 12 के अन्तर्गत सी०एस०एस० के चयन ग्रेड के लिए चयन सूची में शामिल किये जाने के लिए केवल सी०एस०एस० के ग्रेड एक के वे स्थायी अधिकारी पात्र हैं जिनकी उस ग्रेड में पांच वर्ष की स्वीकृत सेवा हो चुकी है ;

(ख) क्या ग्रेड-एक के कुछ ऐसे अधिकारियों को जो ग्रेड में उस समय स्थायी नहीं थे, पिछली सरकार द्वारा दिसम्बर, 1979 में जारी की गई सी०एस०एस० के चयन ग्रेड के लिये चयन सूची में शामिल किया गया था;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ;

(घ) क्या सरकार का विचार उक्त चयन सूची से उन व्यक्तियों के नाम हटाते हुए जिन्हें सांविधिक नियमों और विनिमयमों का उल्लंघन करते हुए उसमें शामिल किया गया था, उक्त चयन सूची में आवश्यक संशोधन जारी करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति को टालने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचर है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** (क) जी हां, श्रीमान्। किन्तु, विनियम वर्ष 1964 के हैं।

(ख) से (ङ) तक : एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

**विवरण**

केन्द्रीय सचिवालय सेवा को चयन ग्रेड की वर्ष 1979 की प्रवर सूची को दो भागों में जारी किया गया था—एक को 7 दिसम्बर, 1979 को तथा दूसरी 5 जून, 1980 को। कुछ ऐसे अधिकारी थे जो पहली जुलाई, 1979 अर्थात् उस तारीख से जिसके संदर्भ में चयन ग्रेड में शामिल करने के विचारार्थ पात्रता को गिना जाना था, पहले की तारीखों से स्थायीकरण के लिए पात्र थे। ग्रेड-I में इनके भूतलक्षी प्रभाव से स्थायीकरण के आदेश 14 जनवरी, 1980 को जारी किए गए थे। ऐसे अधिकारियों के हितों को सुरक्षा प्रदान करने की दृष्टि से उनके मामलों पर भी, उनके स्थायीकरण के आदेशों के जारी होने तक, विचार कर लिया गया था, जैसी कि पहले की परिपाटी रही है। किन्तु, ऐसे अधिकारियों की केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति, जिनके नाम उक्त प्रवर सूची में सम्मिलित थे, ग्रेड-I में भूतलक्षी प्रभाव से उनके स्थायीकरण के आदेशों के जारी होने तक, नहीं की गई थी।

**प्रश्न का भाग** : (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**प्रश्न का भाग** : (घ) चूंकि सम्बन्धित अधिकारियों की पहली जुलाई, 1979 से पहले की तारीखों से ग्रेड-I में स्थायीकरण के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं, इसलिए प्रवर सूची में कोई संशोधन किए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

**प्रश्न का भाग** : (ङ) यथासम्भव यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ग्रेड-I में पात्र अधिकारियों के स्थायीकरण के आदेश, भविष्य में उक्त सेवा के चयन ग्रेड में नियुक्ति के लिए प्रवर सूची जारी किए जाने से पहले, जारी किए जाते हैं।

**श्री एच. एन. नन्जे. गौडा** : मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि नियमों के अन्तर्गत केवल स्थायी अवर सचिवों को उप-सचिव के पदों के लिये प्रवर सूची में शामिल किया जाता है। यह विशिष्ट प्रश्न पूछा गया है कि क्या किसी अस्थायी अधिकारी को सूची में शामिल किया गया है, इसका सीधा उत्तर नहीं दिया गया है। क्या यह सच नहीं है कि कुछ अस्थायी अधिकारियों, जो नियमानुसार सूची में शामिल किये जाने के योग्य नहीं थे, को शामिल किया गया था, क्योंकि इन्दिरा गांधी से सम्बन्धित फाइलें उनके विचाराधीन थीं। जनता और लोकदल की सरकारें उन फाइलों पर विचार करने में उन अधिकारियों द्वारा दिखाये गये उत्साह के लिये उन्हें इनाम देना चाहती थीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस सूची को पुनरीक्षित करने के लिये गम्भीरतापूर्वक विचार कर रही है, क्योंकि इसमें अस्थायी अधिकारी शामिल हैं जो नियमों के विरुद्ध है।

**श्री पी. वेंकटसुब्बया** : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए खेद है कि माननीय सदस्य को पूरी जानकारी नहीं है। ये अस्थायी अधिकारी नहीं हैं। उनका स्थायीकरण विचाराधीन था। जिन अधिकारियों को प्रवर सूची में शामिल किया गया है, उन्हें स्थायी बनाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था और कतिपय प्रशासनिक कारणों से इसमें विलम्ब हुआ था। यह सच नहीं है कि वे अस्थायी अधिकारी थे और मंत्री जी ने उन्हें स्थायी करने में नियमों के विरुद्ध कार्यवाही की है। वे उस दिन स्थायी बनाये जाने के

पात्र थे। इसी कारण उन्हें प्रवर सूची में शामिल किया गया था। उनके कुछ तदर्थ आधार पर काम कर रहे थे। उनका स्थायीकरण भूतलक्षी प्रभाव से किया गया है। इस सम्बन्ध में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है। ऐसा नियमानुसार और वर्षों से चली आ रही परम्परा के अनुसार किया गया है। मेरे विचार में इन अधिकारियों के प्रति कोई पक्षपात नहीं किया गया है। उन्हें वही मिला है जिसके वे पात्र थे।

**श्री एच. एन. नन्जे गौडा** : मेरा दूसरा प्रश्न यह है : क्या यह सच नहीं है कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्री ने मंत्रिमंडल सचिव का ध्यान लिखित रूप से दो वरिष्ठ तथा स्थायी और अधिक अर्हताप्राप्त अधिकारियों, जिन्हें सरकारी खर्चे पर विदेश भेजा गया है, के प्रति हुए अन्याय की ओर दिलाया है ? मैं यह प्रश्न इसलिये पूछ रहा हूँ, क्योंकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा प्रशासन की रीढ़ की हड्डी है। उन्हें हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिये। मैं सरकार से यह इसलिये पूछ रहा हूँ, क्योंकि यहां पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के एक दर्जन से अधिक अर्हताप्राप्त उम्मीदवार हैं। उन्हें उस सूची में शामिल नहीं किया गया था। इन बातों को ध्यान में रखते हुए मैं मंत्री जी अनुरोध करता हूँ कि वह मामले में जल्दी न करें, बल्कि की गई गलतियों को सुधारने के लिये इस पर पुनर्विचार करें। इस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि कुछ अन्याय किया गया है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी सूची में संशोधन किये जाने के प्रश्न पर विचार करेंगे।

**श्री पी. वेंकटसुब्बया** : दुर्भाग्यवश वर्ष 1978 में प्रवर सूची में कुछ लोगों के नाम रखने के मामले में कुछ अतिक्रमण किया गया था। प्रवर सूची में रखे जाने योग्य लोगों के लिये एक विशेष मानदण्ड निर्धारित किया गया है। उसमें कुछ मनमाने निर्णय लिये गये हैं। कर्मचारी एसोसिएशन के प्रतिनिधि, जो इस बात से दुःखी थे, मुझसे मिले थे और मैंने कहा था कि न्याय किया जायेगा। मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि हम प्रवर सूची में 13 अधिकारियों के नाम शामिल करवाने में समर्थ हुए हैं। ऐसा अन्याय उस समय हुआ जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में थी। हम किये गये अतिक्रमण को सुधार रहे हैं। हम मामले में कार्यवाही कर रहे हैं। इसकी सतत समीक्षा की जायेगी।

**श्री एम० अरुणाचलम** : मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच नहीं है कि 55 अधिकारियों की प्रवर सूची में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कोई अधिकारी शामिल नहीं किया गया था और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पाँच अधिकारियों का अतिक्रमण किया गया था, हालाँकि उनके मामले विचार करने योग्य थे ? मेरा दूसरा प्रश्न यह है : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या मंत्री जी कम से कम भविष्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शामिल करेंगे ?

**श्री पी० वेंकटसुब्बया** : अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों की कभी भी अवहेलना नहीं की गई और श्रीमती इन्दिरा गाँधी के प्रधान मंत्रित्वकाल में इनकी कभी भी अवहेलना नहीं की जायेगी। इस मामले में किसी भी न्यायोचित मामले

की अवहेलना नहीं की गई है। हम सतत निगरानी रखते हैं। प्रवर सूची में अधिकारियों के नाम रखने के मामले में हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के मामले की समीक्षा की मामले में अधिक उदार रुख अपनाया जाता है। ऐसा ही किया गया है। किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं किया गया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूँ कि इस मामले में भी ऐसा नहीं किया गया है।

**जियोवानोला बिन्नी लिमिटेड, कोचीन का सरकारीकरण**

*862. **श्री ए० ए० रहीम : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जियोवानोला बिन्नी लिमिटेड, कोचीन को सरकारी अधिकार में लेने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन था;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उद्योग विकास और विनियम अधिनियम 9 के अधीन इस बारे में कोई जाँच की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले और कम्पनी को सरकारी अधिकार में कब तक लिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या यह सच है कि कम्पनी गत दो वर्षों से बन्द पड़ी है और कनारा बैंक सहित सरकारी वित्तीय संस्थाओं को, जिन्होंने कम्पनी में तीन-चार करोड़ रु० तक की पूंजी लगा रखी है, धोखा देने के लिए इसकी आस्तियों का निपटान किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) :** (क) जी, हाँ।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 15 के अधीन नियुक्त की गई समिति ने जाँच पहले ही पूरी कर दी है और रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) समिति की रिपोर्ट पर अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की जा सकी क्योंकि सरकार की जानकारी में यह बात लाई गई थी कि कम्पनी के कुछ ऋणदाताओं ने अपनी राशियों की वसूली के लिए केरल उच्च न्यायालय में परिसमापन की कार्यवाही शुरू कर दी है।

(घ) कम्पनी में 5 मार्च, 1979 से आज तक तालाबन्दी है।

(ङ) केरल सरकार के परामर्श से अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

**श्री ए० ए० रहीम :** क्या माननीय मंत्री महोदय आस्तियों तथा ऋणों से संबंधी गड़बड़ी के बारे में तथा मशीनरी की वर्तमान हालत के बारे में कम से कम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बतायेंगे ?

**श्री चरणजीत चानना :** कम्पनी तथा उसके प्रबंध को नियंत्रण में लिए जाने को देखते हुए रिपोर्ट की कार्यवाही प्रकट नहीं की जानी चाहिये।

**श्री ए० ए० रहीम :** क्योंकि यह कारखाना देश में उत्तम मशीन टूल कारखानों में से एक है जहाँ अत्याधुनिक मशीनरी लगी है और इसके अलावा यहाँ पर रोजगार की भी बड़ी संभावनाएँ हैं, इसलिए क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या सरकार इसको नियंत्रण में लेने के मामले में शीघ्रता से काम करेगी ताकि मशीनों को बर्बाद होने से बचाया जा सके और साथ ही इसमें लगे बहुत सारे परिवारों को भी बचाया जा सके।

**श्री चरणजीत चानना :** माननीय सदस्य ने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला उठाया है। इन मामलों के उचित महत्व को ध्यान में रखते हुए हमने इस विषय में केरल सरकार से बातचीत की है। इस मामले में आगे कार्यवाही करने हेतु हमें बस उनके उत्तर का इन्तजार है।

**श्री जैवियर अराकल :** यद्यपि प्रश्न (ग) और (ङ) में उल्लिखित बातों में स्पष्ट अन्तर्विरोध है, परन्तु मैं उसके बारे में चर्चा करने नहीं जा रहा हूं। मैं केवल यह जानना चाहूँगा कि रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी, माननीय मंत्री महोदय केरल सरकार से क्या परामर्श कर रहे हैं, और उस पर आगे कार्यवाही करने में कितना समय लगेगा।

**श्री चरणजीत चानना :** रिपोर्ट अगस्त, 1979 में प्रस्तुत की गई थी और उसके बाद हमने केरल सरकार के साथ बातचीत की। अभी तक उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है और हम इस मामले में उनके साथ अनुवर्ती कार्यवाही करेंगे।

## उड़ीसा में सीमेंट संयंत्र की स्थापना

***863 : श्री अर्जुन सेठी** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में सीमेंट संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या पिछली सरकार द्वारा तीन वर्ष के शासन काल में इसके लिए कोई योजना तैयार की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) :** (क) उड़ीसा में दो वर्तमान सीमेंट संयंत्रों के अलावा क्रमशः राउरकेला तथा कुल किरिंगसेरा में मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड तथा उड़ीसा के मैसर्स इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन को नए सीमेंट संयंत्रों की स्थापना करने के लिए दो आशयपत्र पहले दिये जा चुके हैं। मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता में वृद्धि करने के प्रस्ताव की भी जांच की जा रही है।

(ख) केवल उड़ीसा में सीमेंट उद्योग का विकास करने की कोई योजना नहीं बताई गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री अर्जुन सेठी :** माननीय मंत्री महोदय के उत्तर से यह पता चलता है कि उड़ीसा में नये सीमेंट कारखाने स्थापित करने के लिए दो आशय पत्र जारी किये गये हैं। इस संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि इन दो नये संयत्रों की उत्पादन क्षमता क्या होगी, ये कब तक उत्पादन शुरू कर देंगे तथा क्या इस उत्पादन से राज्य की जरूरतें पूरी की जायेंगी ?

**श्री चरणजीत चानना :** प्रारंभिक अवस्था में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, राउलकेला की लाइसेंसशुदा क्षमता 11.55 लाख मीटरी टन थी, परन्तु जैसा कि मैंने अपने मुख्य उत्तर में कहा है, अब उन्होंने आवेदन किया है कि उनकी लाइसेंसशुदा क्षमता बढ़ाकर 21.00 लाख मीटरी टन कर दी जाये। जहाँ तक दूसरे संयंत्र का संबंध है, इसकी लाइसेंसशुदा क्षमता 65,000 मीटरी टन है। मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिला सकता हूँ कि इससे राज्य की सीमेंट की सप्लाई की स्थिति में निश्चय ही सुधार होगा।

**श्री अर्जुन सेठी :** उड़ीसा में इन दो सीमेंट कारखानों द्वारा उत्पादन शुरू कर दिये जाने पर कुल कितने रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे ? इसके अतिरिक्त इन दो सीमेंट कारखानों पर, जिन्हें चालू किये जाने की संभावना है, क्या अनुमानित लागत आयेगी ?

**श्री चरणजीत चानना :** इसके लिए मुझे सूचना दी जानी चाहिए। बाद में मैं इसका उत्तर दूंगा।

**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है, यह प्रश्न आंकड़ों से संबंध रखता है, बस अब और नहीं, इसके बारे में उत्तर दिया जा सकता है।

**श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या मैं यह जान सकता हूं कि देश में सीमेंट की भारी कमी को देखते हुए देश में छोटे-छोटे सीमेन्ट कारखाने लगाने की दिशा में सरकार की विचारधारा क्या है ?

**अध्यक्ष महोदय :** मुख्य प्रश्न उड़ीसा में नये संयंत्र लगाने से ही संबंधित है।

**श्री नवल किशोर शर्मा :** यह मुख्य प्रश्न के साथ जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं।

**श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि दो आशय पत्र जारी किये गये हैं और प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के बारे में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा जो प्रस्ताव किया गया है, वह विचाराधीन है। मैं जानना चाहता हूँ कि वस्तुतः वे कब काम करना शुरू करेंगे और इन परियोजनाओं को पूर्ण करने में वे कितना समय लेंगे ?

**श्री चरणजीत चानना :** पहला आशय पत्र 23.3.1979 को हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को तथा दूसरा 18.4.1980 को जारी किया गया था। हिन्दुस्तान स्टील लिमि-

टेड ने लाइसेंसशुदा क्षमता को बढ़ाने के लिए आवेदन किया है। एक सीमेन्ट कारखाना स्थापित करने में सामान्यतया लगभग 3 वर्ष लगते हैं। अतः इसको उस दिन से लेना होगा जिस दिन से कारखाना वस्तुतः काम करना शुरू करता है

**श्री चिन्तामणि जेना** : क्या यह सही है कि वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने 1974 में पाराद्वीप में एक सीमेन्ट कारखाने की आधारशिला रखी थी और यह कि उस राज्य में जब हाल ही में बनी जनता सरकार न समारुढ थी तो उसने वह आधारशिला उखाड़ फेंकी। क्या उड़ीसा की वर्तमान राज्य सरकार ने पाराद्वीप में एक सीमेन्ट कारखाने लगाने हेतु अनेक वार अभ्यावेदन किया है ? यदि हाँ, तो उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**श्री चरणजीत चानना** : इस आधारशिला के रखे जाने तथा उखाड़ फेंके जाने तथा दूसरे प्रश्न के वारे में भी मेरे पास कोई विवरण नहीं है।

**श्री नवल किशोर शर्मा** : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके वारे में जानकारी एकत्र करके उसको देना मंत्री जी का काम है।

**विद्युत संरक्षण (रिलेज) का विनिर्माण करने वाली फर्में**

864. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्वा **उद्योग मन्त्री** यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विद्युत उत्पादन तथा वितरण प्रतिष्ठानों के लिए विद्युत संरक्षण यंत्रों (रिलेज) तथा उपकरणों का विनिर्माण करने वाली कुल कितनी फर्में हैं; और

(ख) मांग को पूरा करने के लिए उनका उत्पादन किस हद तक पर्याप्त है;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) इस समय चार प्रतिष्ठान विद्युत संरक्षण यन्त्रों रिलेज तथा उपकरणों का निर्माण करने में लगे हुए हैं। तीन और एककों द्वारा वर्ष 1980 में उत्पादन शुरू करने की आशा है।

(ख) इस समय इन वस्तुओं की थोड़ी कमी है जिसे आयात के जरिए पूरा किया जा रहा है। आशा है कि इस वर्ष तीन अन्य एककों में उत्पादन शुरू हो जाने से देश का उत्पादन मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो जाएगा।

**श्री त्रिदिव चौधरी** : अभी कल ही विद्युत मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में यह कहा था कि लगभग 10 फर्में हैं और उनमें से 4 उत्पादन कर रहीं हैं जिनकी अधिष्ठापित क्षमता क्रमशः 49,200, 12,500, 30,000 तथा 5,040 है। मुझे पता चला है कि 27,000, 22,000, 32,000, 18,000 और 10,000 की अधिष्ठापित क्षमता की 5 और फर्में स्थापित की गई हैं यद्यपि उन्होंने अभी उत्पादन शुरू नहीं किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इन विद्युत संरक्षण रिलेज और उपकरण की अच्छी खासी मांग है। मैं जानना चाहूँगा कि सरकार किस आधार पर यह कहती है कि इसकी मांग छुट-पुट ही है जवकि उन्होंने इस हेतु काफी क्षमता के लाइसेंस दे रखे हैं।

**श्री चरणजीत चानना** : माननीय सदस्य को मैंने यह उत्तर दिया था कि इस दिशा में जो थोड़ी कमी है उसको आयात द्वारा पूरा किया जा रहा है । जो चार एकक

कार्य कर रहे हैं, जिनके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है, और सही कहा है, उनके अतिरिक्त केवल भावी मांग को पूरा करने के लिए 6 लायसेंस और दिये गए हैं। इस प्रकार मैंने माननीय सदस्य और सभा से यह निवेदन किया है कि हमारा तात्पर्य आज तथा आने वाले कल दोनों की मांग पूरा करने से है।

**एच० एम० टी० द्वारा निर्मित ट्रैक्टर**

*865. **श्री चतुर्भुज** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के ट्रैक्टर यूनिट ने, 1 जनवरी, 1979 से 30 जून, 1980 की अवधि के दौरान कुल कितने ट्रैक्टरों का निर्माण किया है;

(ख) इस समय इस ट्रैक्टर यूनिट पर कितना व्यय किया जा रहा है; और

(ग) क्या छोटे और सीमान्त किसानों के प्रयोग के लिए छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण करने की कोई योजना है ?

**उद्योग मन्त्रालत में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) एच० एम० टी० ने। जनवरी, 1979 से 30 जून 1980 तक 12,605 ट्रैक्टरों का निर्माण किया था।

(ख) एच० एम० टी० के पिंजौर एकक में ट्रैक्टर फाऊंड्री को पूरा करने के लिए 1980-81 में 16 लाख रु० के व्यय का प्रावधान किया गया है। मोहाली में ट्रैक्टर असेम्बली प्लांट के लिए और 80 लाख रु० का प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान एच० एम० टी० के आन्तरिक संसाधनों से किये गये हैं।

(ग) जी, नहीं।

**श्री चतुर्भुज** : अध्यक्ष महोदय, इस समय हमारे देश में नेशनल कौंसिल आफ एकोनामिक सर्वे के अनुसार 90 हजार ट्रैक्टर्स की मांग है और एच० एम० टी० के अन्दर 12,605 ट्रैक्टर्स बन रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : माँग नहीं होगी, सारे ट्रेक्टर्स का नम्बर होगा।

**श्री चतुर्भुज** : सर्वे के अनुसार 90 हजार ट्रैक्ट्र्स की डिमाण्ड है। मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूँ कि इस डिमाण्ड को पूरा करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं ? आप अपनी यूनिट्स में कितने ट्रैक्टर बनाकर इस मांग को पूरा करेंगे और कब तक पूरा करेंगे ?

**श्री चरणजीत चानना** : 12 हजार यूनिट की डिमाण्ड की बात माननीय सदस्य ने कही है और यहाँ पर जो कैपेसिटी है वह 12 हजार यूनिट की है। हमारा 1980-81 का जो इसका प्रोजेक्टेड प्रोडक्शन है वह एच०एम०टी० में 10,500 यूनिट होगा वस्तुतः अब समूची स्थिति ठीक कर दी गई है। एच० एम० टी० यूनिट ने अपने ट्रैक्टर डिवीजन में पहली बार लाभ देना शुरू किया है।

**श्री चतुर्भुज** : अध्यक्ष महोदय, यह कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं है। कुल कितनी मांग है और उसको कब पूरा करेंगे—इसका कोई उत्तर नहीं है। इसका उत्तर आने के बाद में दूसरा सप्लीमेन्टरी करूंगा।

**श्री चरणजीत चानना** : आनरेबल मेम्बर ने पूछा है कि कुल डिमाण्ड एच० एम० टी० में कितनी है तो उसके लिए मैंने कहा है व्यवधान देश की कुल मांग 12,000 इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि यदि मैं आपको उत्पादन आंकड़े प्रस्तुत करूँ तो·····

**अध्यक्ष महोदय** : उनका कहना है कि यह 90,000 है।

**श्री चरणजीत चानना** : आप बैठिये, मैं जवाब देता हूँ। जो 12,000 की डिमाण्ड एच० एम० टी० की है वह 1982-83 तक पूरी हो जायेगी।

**अध्यक्ष महोदय** : वह इसको समझे नहीं हैं। वह प्रश्न को ही नहीं समझ पाये। प्रश्न यह है कि क्या देश में 90,000 ट्रैक्टरों की मांग है और कब तक हमारा उत्पादन उस स्तर तक पहुँच जायेगा ?

**श्री चरणजीत चानना** : मांग के आंकड़े मेरे पास नहीं हैं। उसके लिए मुझे नोटिस दीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न में उसका भी उल्लेख नहीं किया गया है।

**श्री चतुर्भुज** : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रश्न के (ग) खण्ड में जानना चाहा था कि अभी सारे बड़े ट्रैक्टर्स बन रहे हैं लेकिन गरीब किसान, जिनको बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत लिया जा रहा है, उनके उपयोग के लिए छोटे ट्रैक्टर्स बनाने की कोई योजना अभी तक नहीं है तो गरीब किसानों के हित को पूरा करने के लिए आप यह योजना कब तक बनायेंगे और एकोनामिक सर्वे के अनुसार जो ट्रैक्टर्स की डिमाण्ड है उसको कब तक पूरा करेंगे ?

**श्री चरणजीत चानना** : छोटे ट्रैक्टर्स बनाने वाली यूनिट्स को भी हम प्रमोट कर रहे हैं। जो आपने पूछा है कि किस साल तक, तो प्लान में हम कसिड्रेशन कर रहे हैं, यह फीगर्स कुछ समय के बाद आउट कर दी जायेंगी।

**डा० कर्ण सिंह** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न अपेक्षाकृत छोटे ट्रैक्टर बनाने के संबंध में था, ताकि अपेक्षाकृत छोटे खेतों के मालिक उसका फायदा उठा सकें। भूमि सुधारों तथा बड़े खेतों के छोटे खेतों में विभाजित होते जाने के परिणामस्वरूप यह भारी-भरकम ट्रैक्टर जो हमारे यहां बन रहे हैं निर्यात के लिए बहुत अच्छे हैं; एच० एम० टी० तथा एसकार्ट सब ही बड़े ट्रैक्टर बना रहे हैं। किन्तु हमारे देश में वे लाभदायक नहीं हैं, क्योंकि वे बड़े मंहगे हैं। क्या माननीय मंत्री महोदय इस सभा को यह बतायेंगे कि कम मूल्य वाले ट्रैक्टर तैयार करने के बारे में क्या योजना है, ताकि छोटे-छोटे खेतों के मालिक भी ट्रैक्टर खरीद सकें। उन्होंने अभी-अभी कहा है इस संबंध में कुछ योजनाएँ हैं। उन्होंने छोटा जो कहा उसका क्या मतलब है—कितना छोटा ? उसका मूल्य क्या होगा ? उदाहरण के लिए एक बड़ा ट्रैक्टर अब 65,000 रुपए, 75,000 रुपए, 80,000 रुपए के

बीच बैठता है। क्या वह 10,000 रुपए अथवा 15,000 रुपए का कोई ट्रैक्टर या "पावर टिलर" बनाने जा रहे हैं जिसका अपेक्षाकृत छोटे किसान भी इस्तेमाल कर सकें। मैं यही जानना चाहता हूँ, क्या माननीय मंत्री महोदय इस विषय पर कुछ प्रकाश डालेंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : श्री चानना, आपको अपनी योजना के बारे में क्या कहना है ?

**श्री चरणजीत चानना** : मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूँ कि योजनाएँ बनाई जा रही हैं और जब वे तैयार हो जायेंगी तो उनको सभा के समक्ष रख दिया जायेगा।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : माननीय मंत्री महोदय इसकी आड़ ले रहे हैं कि योजना बनाई जा रही है। आज जो स्थिति है उसमें हर देश एक दीर्घकालिक योजना भी बनाता है। इस प्रकार अधिकांश देश शताब्दी के अंत 2000 तक की योजनाएँ बना रहे हैं। हमारा देश मूल रूप से एक कृषि प्रधान देश है। हर एक आदमी जानता है कि छोटे ट्रैक्टरों की बड़ी मांग है। क्या सरकार को इसकी मांग के बारे में कोई अंदाजा नहीं है। क्या इस दिशा में कोई कार्य नहीं किया गया है ? अगले दस वर्षों में देश की जरूरत क्या होगी, क्या कोई अध्ययन नहीं किया गया है ? इस जरूरत को पूरा करने की दिशा में क्या किया गया है ? मैं मंत्री महोदय की यह बात तो समझ सकता हूँ कि छठी योजना बनाई जा रही है। लेकिन इसके बारे में उनके पास कोई आंकड़े हैं ?

**श्री चरणजीत चानना** : मैं पहले ही सभा को सूचित कर चुका हूं। माननीय सदस्य को सामान्य सदस्यों से ज्यादा ही जानकारी होगी। (**व्यवधान**)

**श्री माननीय सदस्य** : एक सामान्य सदस्य की क्या परिभाषा है ?

**श्री चरणजीत चानना** : पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है और विभिन्न आकार के ट्रैक्टरों की मांग का जायजा लिया जा रहा है और अभी उसको अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। अभी मेरे पास विवरण नहीं है। जब भी वह पूरा हो जायेगा उसको सभा को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

**श्री पी० राजगोपाल नायडू** : अब जो ट्रैक्टर बना रहा है, उसकी क्या कीमत है ?

**श्री चरणजीत चानना** : हर ट्रैक्टर की कीमत अलग-अलग है जो उसके आकार पर निर्भर करती है।

## बिहार में औद्योगिक विकास

*866 : **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **उद्योग मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या बिहार सरकार से बिहार में औद्योगिक विकास के बारे में उन्हें कोई ज्ञापन भेजा है;

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**श्री रामावतार शास्त्री** : अध्यक्ष जी, बड़ा आश्चर्यजनक जवाब है। बिहार सरकार के रेजिडेन्ट कमिश्नर ने तमाम सदस्यों के पास ये कागजात भेजे हैं। जब उद्योग विभाग की मांगों पर बहस हो रही थी, उस समय ये कागजात भेजे गये थे। लेकिन अब ये अपने जवाब में कह रहे हैं कि कोई कागजात, ज्ञापन, किसी तरह की चीज, बिहार के औद्योगीकरण के बारे में इनको नहीं मिली है जबकि मेरे पास यह मौजूद है। अब ये कागजात सही हैं या इन का उत्तर सही है ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह आप के प्रति प्रिफरेंशल ट्रीटमेन्ट है।

**श्री रामावतार शास्त्री** : अब मैं इन के जवाब से उत्पन्न सवाल को पूछ रहा हूं। किशनगंज में जूट मिल बनाने की बात है, लटेहार में एलुमिना प्लांट लगाने की बात है, पटना में टाउन-गैस प्लांट लगाने की बात है, बरौनी में पैट्रो-कैमिकल काम्प्लैक्स बनाने के लिये बहुत दफा यहां बहस हुई है। वहां थर्मल पावर स्टेशन बनाने के बारे में भी कई दफा चर्चा हुई है और हमारे पास जो कागजात आये हैं उन में अन्य कई कारखानों का भी जिक्र है। इनके बारे में जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है, क्या सरकार ने कोई विचार-विमर्श किया है ? यदि किया है तो वह किस नतीजे पर पहुंची है ?

**श्री चरणजीत चानना** : माननीय सदस्य ने मुझसे यह प्रश्न पूछा था कि क्या बिहार सरकार ने बिहार में औद्योगिक विकास के बारे में उन्हें कोई ज्ञापन भेजा है या नहीं। मेरा उत्तर था : जी, नहीं। उन्होंने मुझसे यह नहीं पूछा था कि क्या सदस्यों को उक्त मामले के बारे में कोई अभिसूचना प्राप्त हुई थी और मुझे उसका कोई ख्याल भी नहीं था। माननीय सदस्य ने परियोजनाओं का उल्लेख किया है; इन परियोजनाओं पर बिहार की राज्य सरकार द्वारा विचार किया जा सकता है। प्रश्न उन कुछ विवरणों से सम्बन्धित है, जो हमें भेजे जाते हैं। और माननीय सदस्य ने उन परियोजनाओं का उल्लेख किया है, जिनका संचालन बिहार राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, तो मैं उन्हें सिर्फ यही बता सकता हूँ कि जो सूचना हमने एकत्रित की है, वह इस प्रकार है। बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम का सरकारी क्षेत्र में निम्नलिखित बड़ी और मध्यम स्तर की अतिरिक्त परियोजनाओं का निर्माण करने का प्रस्ताव है : (1) कास्टिक सोडा और अमोनियम क्लोराइड संयंत्र (2) भागलपुर में कताई मिल (3) हाई टेन्शन इन्सुलेटर फैक्टरी का विस्तार आदि-आदि। 18 ऐसी परियोजनायें हैं, जिनको प्रारम्भ करने की उनकी योजना है। अन्य जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

**श्री रामावतार शास्त्री** : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा सवाल यह है कि फर्ज कीजिए कि किसी राज्य की सरकार ने आप के पास कोई औद्योगिकरण के बारे में योजना नहीं भेजी है, तो क्या यह भारत सरकार का कर्तव्य नहीं हो जाता कि इस तरह के राज्य की वह स्वयं मदद करे और—बताए कि इस तरह के कारखाने हम लगाना चाहते हैं। तो इस

बारे में भारत सरकार ने बिहार के बारे में स्वयं कुछ सोचा है कि वहां की स्थिति को देखते हुए कौन कौन से कारखाने लगाए जाएं ?

**श्री चरणजीत चानना** : जब कभी केन्द्रीय सहायता की मांग की जाएगी, हम उन्हें सहायता देंगे । जब वे मांगते हैं, तभी हम उन्हें सहायता प्रदान करते हैं ।

**श्री भागवत झा आजाद** : मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने, एक महत्वपूर्ण पत्र के माध्यम से, न कि एक ज्ञापन के माध्यम से जिसके बारे में मन्त्री महोदय ने इन्कार किया है उद्योग मंत्रालय का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया है कि बिहार में उद्योगों के विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा वित्त की कमी है और क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की बैंकों, जीवन बीमा निगम आदि जैसी वित्तीय संस्थाओं ने राज्य में उस अनुपात में पूंजी निवेश नहीं किया है, जिस अनुपात में राज्य में से उन्होंने धन राशि जमा की है ? उन बाधाओं को किस प्रकार दूर करने का आपका प्रस्ताव है ?

**श्री चरणजीत चानना** : माननीय सदस्य ने वित्तीय बाधाओं का उल्लेख किया है, यह एक ऐसा विषय है जो वित्त मन्त्रालय से सम्बन्धित है और मेरे पास वे आँकड़े नहीं हैं ।

**श्री भागवत झा आजाद** : कतई नहीं । क्या वह नोटिस मन्त्री हैं ? हर वक्त वह नोटिस की माँग करते रहते हैं । मैं एक बहुत साधारण बात जानना चाहता हूँ । मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या उद्योग मन्त्रालय बिहार सरकार की सहायता करेगा और क्या वह केन्द्रीय सरकार के अन्य मन्त्रालयों से औद्योगिक विकास के मार्ग में प्रमुख बाधा अर्थात् वित्त के बारे सिफारिश करेगा । यह अन्य मन्त्रालय से कैसे सम्बन्धित है ? क्या वह इसमें सहायता नहीं कर सकते ?

**श्री चरणजीत चानना** : जी, हां । हम निश्चित रूप से उनके प्रयासों का समर्थन करेंगे ।

**श्रीमती कृष्णा शाही** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया कि उनको कोई ऐसा ज्ञापन नहीं मिला । मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि दो दिन पहले क्या बिहार के उद्योग मंत्री ने इन के साथ बिहार के औद्योगिक विकास के बारे में विचार-विमर्श किया था या नहीं ? और बिहार के औद्योगिक विकास में जो कठिनाइयां हैं, उन से इन को अवगत कराया था या नहीं ?

**श्री चरणजीत चानना** : आनेरेबिल मेम्बर ने यह ठीक बताया है कि बिहार के उद्योग मंत्री से हमारी बातचीत हुई है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि बिहार के बारे में वे प्लान्स बनवा कर भेजें और जो हैल्प की उन को जरूरत हो, वह हम को बताएं । हम उन की हैल्प जरूर करेंगे ।

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष महोदय, हम को लगता है कि जब तक किसी चीज के ऊपर मेमोरेण्डम शब्द न लिखा जाए, तब तक मंत्री जी उस को मेमोरेण्डम

या ज्ञापन नहीं मानते। बिना मेमोरेण्डम या ज्ञापन लिखे वह मेमोरेण्डम नहीं होता है। मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं कि क्या बिहार सरकार ने इन के पास 471 करोड़ रुपये की योजना बना कर भेजी है और इस के पहले 425 करोड़ रुपये की योजना बना कर औद्योगिक विकास के लिए इन के पास भेजी थी ? मंत्री महोदय कहते हैं कि इन के पास कोई योजना इस तरह की नहीं भेजी गई है। खैर यह मामला तो बाद में निकलेगा, लेकिन मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि इन के पास 471 करोड़ रुपये की योजना भेजी गई है या नहीं और बिहार एक पिछड़ा हुआ राज्य है और पिछड़े हुए राज्य के विकास की जवाबदेही केन्द्रीय सरकार के ऊपर है। तो छठी योजना में आप उस राज्य के औद्योगिक विकास के लिए क्या करने जा रहे हैं ?

**श्री चरणजीत चानना** : उद्योग मंत्रालय के पास ऐसी 471 करोड़ रुपये की कोई योजना नहीं आई है। जहां तक छठी योजना का सवाल है, उस के बारे में आप मंत्रालय के पास भेजें। अगर कोई प्रश्न उस के बारे में पूछना है, तो उन के पास आप भेजें।

**राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत नये उद्योगों की स्थापना**

*868. **श्री वृद्धि चन्द्र जैना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 1980 81 के दौरान राजस्थान में सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत नये उद्योग स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कौन से उद्योग स्थापित किये जाने की संभावन है; और

(ग) इन्हें किन क्षेत्रों में स्थापना किया जायेगा'.

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री वृद्धि चन्द्र जैना** : क्या यह सही है कि रास्थान में पिछले तेरह साल से कोई भी पब्लिक सैक्टर में इंडस्ट्रीज स्थापित नहीं की गई हैं ?

क्या यह भी सही है कि दूसरे प्रान्तों के मुकाबले में राजस्थान में उद्योग स्थापित होने का अधिक स्कोप होने के बावजूद भी पब्लिक सैक्टर में केवल 1.98 परसेंट की राशि इनवेस्ट की गई है ?

**श्री चरणजीत चानना** : माननीय सदस्य यह जानना चाहेंगे कि वे कौन-कौन से सरकारी उपक्रम हैं, जो राजस्थान में चल रहे हैं।

**श्री सतीश अग्रवाल** : नहीं, यह उनका प्रश्न नहीं है।

**श्री चरणजीत चानना** : वह कालक्रम कि वे कब स्थापित किये गये थे, मेरे पास उससे सम्बन्धित जानकारी नहीं है और उसके बारे में पूछा भी नहीं गया है।

अगर माननीय सदस्य कारखाने की स्थापना सम्बन्धी जानकारी चाहते हैं, तो

उसके लिए तो नोटिस दिया जाना चाहिए, क्योंकि मुख्य प्रश्न में स्थापना की तारीख नहीं पूछी गई है।

**श्री सतीश अग्रवाल** : क्या यह सच है कि दस वर्ष से अधिक समय से कोई भी पूंजी निवेश नहीं किया गया है ?

**श्री चरणजीत चानना** : यह सही नहीं है। राजस्थान राज्य में सरकारी क्षेत्र की आठ परियोजनायें हैं—हिन्दुस्तान कायर लि० ...(व्यवधान)

**श्री सतीश अग्रवाल** : माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र का केवल 2 प्रतिशत पूंजी निवेश ही राजस्थान में किया गया है ?

**श्री चरणजीत चानना** : प्रश्न में यह पूछा गया है कि क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1980-81 में राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में नए उद्योगों की स्थापना करने का निर्णय किया है ? माननीय सदस्य ऐतिहासिक आँकड़ों के बारे में जानकारी चाहते हैं। मूल प्रश्न में ऐतिहासिक आँकड़ों के बारे में नहीं पूछा गया था।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, प्रश्न ऐसा नहीं है। हमें कम से कम यह बात ध्यान में रखनी चाहिए—क्या हम राजस्थान में सरकारी क्षेत्र में नये उद्योगों की स्थापना करना चाहते हैं ? क्या कुछ नये उपक्रमों को प्रारम्भ करने का विचार है ?

**श्री नवल किशोर शर्मा** : प्रश्न संयुक्त है।

**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं, यह संयुक्त प्रश्न नहीं है। आपको इसमें.....

**श्री नवल किशोर शर्मा** : ठीक है। हमें यह जानकारी दे दीजिए। धन्यवाद।

**श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या यह सही है कि पब्लिक सैक्टर में सवाई माधोपुर, चित्तौड़ और उदयपुर में फर्टिलाइजर प्लांट्स की और कोटा में डिफेंस इंडस्ट्रीज के खोले जाने का बहुत बड़ा स्कोप है ? क्या उद्योग मंत्रालय इसके सम्बन्ध में कुछ सोच रहा है और कोई निर्णय लेने जा रहा है ?

**श्री चरणजीत चानना** : जिस-जिस इंडस्ट्री का स्कोप है उसके बारे में हमने राजस्थान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि टैक्ननो-इकोनोमिक सर्वे कर के बताए। किस-किस इंडस्ट्री का किस-किस इलाके में स्कोप है इसके बारे में हमने उन से कहा है ताकि जवाब आने पर उस के ऊपर एक्शन लिया जा सके।

**श्री सतीश अग्रवाल** : क्या यह सच है कि राजस्थान के औद्योगिकरण के बारे में राजस्थान सरकार ने पहले ही प्रस्ताव प्रेषित कर दिये हैं और सरकार उन प्रस्तावों पर विचार कर रही है और भूतपूर्व वित्त मन्त्री ने इस बारे में संसद सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की थी और सरकार द्वारा अभी भी निर्णय किया जाना है ?

प्रश्न प्रस्तावों के बारे में नहीं है। प्रस्ताव तो पहले से ही वहां हैं।

**श्री चरणजीत चानना** : यह प्रश्न वर्ष 1980-81 से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य अपने स्वयं के कार्यकाल के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं।

**श्री गिरधारी लाल व्यास** : क्या यह सही है कि भीलवाड़ा के आंगुचा ग्राम में जिंक का बहुत बड़ा भंडार मिला है ? क्या सरकार सोच रही है कि वहां जिंक स्मैलटर की स्थापना की जाए ?

**श्री चरणजीत चानना** : हमने सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है।

**नये कर्मचारी संघों/महासंघों को मान्यता देने के लिए नियम और विनियम**

*869 **श्री दर्गा राम शाक्य** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या कर्मचारियों के महासंघों/संघों को मान्यता देने के लिए नियम और विनियम बनाने केलिए कोई समिति गठित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं तथा इसके निर्देश-पद क्या हैं और यह अपना प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करेगी; और

(ग) क्या उसमें सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

**गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकट सुब्बय्या)** :

(क) इस संबंध में भारत सरकार ने ऐसी कोई समिति गठित नहीं की है। किन्तु, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के महासंघों/संघों/एसोसिएशनों को मान्यता देने के प्रयोजन के लिए मार्गनिर्देशनों की जांच करने तथा परिषद् के संविधान के कतिपय पहलुओं की पुनरीक्षा करने के लिए, संयुक्त परामर्श तंत्र (जे० सी० एम०) की राष्ट्रीय परिषद के तत्वावधान में एक समिति गठित की गई है।

(ख) उक्त समिति के गठन और उसके बिचारार्थ विषयों को निर्दिष्ट करने वाला एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है। समिति अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय परिषद् को प्रस्तुत करेगी।

(ग) इसके संविधान के अनुसार राष्ट्रीय परिषद् अपने उन सदस्यों में से एक समिति नियुक्त कर सकती है जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मान्यता प्राप्त महासंघों/संघों/एसोसिएशनों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इस प्रकार राष्ट्रीय परिषद् की ऐसी किसी समिति में केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को शासिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

**विवरण**

संयुक्त परामर्श तंत्र (जे० सी० एम०) की राष्ट्रीय परिषद् में उत्पन्न विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के

सचिव की अध्यक्षता में हुई स्थायी समिति, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिष
एम०) की बैठक में यह सहमति हुई कि यूनियनों/महासंघों/एसोसिएशनों
देने के प्रयोजन के लिए मार्ग-निर्देशनों की जांच करने तथा राष्ट्रीय परिषद्
के कतिपय पहलुओं की पुनरीक्षा करने के लिए परिषद की एक समिति गठि
मंत्रिमंडल सचिव तथा राष्ट्रीय परिषद् के अध्यक्ष के अनुमोदन से बनी सम
निम्न प्रकार है :—

| सरकारी पक्ष | कर्मचा |
|---|---|
| 1. श्री ए० सी० बन्दोपाध्याय, सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग | 1. श्री टी०वी |
| 2. श्री ए० बी० मलिक, सचिव, रक्षा उत्पादन विभाग | 2. श्री यू० ए |
| 3. श्री एस० के० घोष, सचिव, संचार मंत्रालय | 3. श्री एस० |
| 4. श्री टी० रंगाचारी, उप नियंत्रक तथा महालेखाकार, कार्यालय । | 4. श्री एम०. |
| 5. श्री ए० जौहरी, सलाहकार (आई० आर०) रेल मंत्रालय | 5. श्री एन० |
| 6. श्री पी० के० कार्था, संयुक्त सचिव तथा विधि सलाहकार, विधि मंत्रालय । | 6. श्री जे० पी |
| 7. कुमारी मीरा सेठ, संयुक्त सचिव, श्रम मंत्रालय । | 7. श्री आर० |
| 8. श्री टी० वी० रंगाराजन, संयुक्त सचिव (स० क०) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग । | 8. श्री पी० ए |
| 9. श्री बाटा के० डे, उप सचिव, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग | 9. श्री शशि भू |
| | 10. श्री एस० |
| | 11. श्री ओ० |
| | 12. श्री विमल |
| | 13. श्री ए० वी० |
| | 14. श्री के० रा |

**श्री दया राम शाक्य:** श्रीमान्, क्या कुछ फैडेरेशन्ज ऐसे हैं जिन्होंने
चारिकतायें पूरी करने के पश्चात् मान्यता के लिए आवेदन किया है और उन
सम्बन्धी कागजात सम्बन्धित विभागों और मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय को भे
हैं, यदि हां, तो उनपर कब तक निर्णय हो जायेगा और वे कागजात किन-कि
के हैं ?

**श्री पी० वेंकट सुब्बया :** प्रश्न पूर्णत: भिन्न है। यह इस सदस्य के स
संगठनों कों अम्बद्ध करने के बारे में है। माननीय सदस्य यूनियनों की मान्यत
निर्धारित मानदण्डों और पात्रता के बारे में मुझसे प्रश्न पूछ रहे है। इस सं
ओर तो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी हैं और दूसरी ओर सरकारी प्रतिनिधि हैं।
उन्हीं तक सीमित है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ नियमों को रद्द कर दिया

परिषद में भाग लेने के लिए तदर्थ आधार पर कुछ सिद्धान्त बनाये गये हैं यूनियनों को मान्यता देने के लिए नियम बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की संयुक्त परिषद ने एक समिति नियुक्त की है और वह समिति इस मामले की जांच करेगी। इस समिति में वे सदस्य हैं, जिनके नाम सदन में प्रस्तुत विवरण पत्र में दिये गये हैं। यह समिति मामले की जांच करेगी और सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा और मानदण्ड निर्धारित किये जायेंगे। उसके बाद सरकार सामने आती है। जब यह समिति सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी और जब प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया जायेगा, उसके बाद सरकार सारे मामले पर विचार करेगी।

**श्री दया राम शाक्य** : श्रीमान् जे०सी०एम० के बारे में जिस निर्णय की ओर मंत्री महोदय ने संकेत किया है, वह आज से अनेक वर्ष पूर्व लिया गया था। अनेक वर्ष पूर्व जो स्थिति थी, उसमें बहुत परिवर्तन आ गया है। अनेक महासंघ ऐसे हैं, जो सारी औपचारिकतायें पूरी करते है और बहुमत का प्रतिनिधित्व करते है, किन्तु फिर भी उस कौंसिल में उनका कोई प्रतिनिधि नहीं लिया जा रहा है, उस प्रतिबन्ध के कारण, जो अनेक वर्ष पूर्व लगाया गया था। इसलिए क्या मंत्री महोदय उस समिति में उनका समावेश करने पर विचार करेंगे ?

**श्री पी० वेंकट सुब्बया** : यूनियनों को मान्यता देने के बारे में कुछ नियम बनाये गये थे। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए, मैं उन्हें पढ़ देता हूँ।

भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 309 और 148 के अन्तर्गत तथा केन्द्रीय विभिन्न सेवा (आचरण) नियम, 1955 के नियम 4-ख के सन्दर्भ में, केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवा संगठन मान्यता) नियम' 1959 का तैयार किया था। चार, कथित नियम 4-च को उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 1962 में रद्द कर दिया गया था, क्योंकि यूनियन और एसोसियेशन बनाने के मौलिक अधिकार का इससे उल्लंघन होता था। हालांकि नये मान्यता नियमों को बनाने के बारे में कर्मचारियों से परामर्श करने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, इसमें कुछ समय लग गया, क्योंकि कर्मचारी पद के साथ कुछ जटिल मामलों का निपटाया जाना था। इस बीच, संयुक्त परामर्श दाता तन्त्र की स्थापना के लिए कर्मचारी-प्रतिनिधियों के साथ लम्बे समय से चली आ रही बातचीत पूरी होने वाली थी, इसमें प्रस्तावित तन्त्र के प्रयोजन के लिए मान्यता देने का प्रश्न शामिल नहीं था। इसके बाद, संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र योजना को शीघ्र क्रियान्वित करने के कार्य को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय किया गया था कि नये मान्यता नियमों के बनने तक संयुक्त परामर्शदाता तन्त्र के प्रयोजनों के लिए मान्यता देने के लिए एक तदर्थ नीति अपनाई जाय।

अतः अब एक तदर्थ नियम विद्यमान है। राष्ट्रीय परिषद ने एक समिति गठित की है। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया उनका उस पर इस समिति द्वारा निश्चित ही विचार किया जायेगा। ऐसे सभी मामलों पर विचार करने के लिये गठित की गयी समिति द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानदण्ड पर अन्तिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जायेगा।

**डा० सुब्रह्मनणियम स्वामी** : सामूहिक समति लोकतंत्र का मूल सिद्धान्त है। इसलिये मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह सच है कि सरकार ने अपने कर्मचारी संघों से कहा है कि वे आगे से अपने संघों में बाहरी किसी व्यक्ति को पदाधिकारी नहीं बना सकते और ऐसा मूलतः इसलिए किया जा रहा है कि बहुत से पदाधिकारियों के राजनैतिक विचार जो कि बाहरी व्यक्ति हैं, सरकार के विचारों से मेल नहीं खाते हैं ? क्या यह सच है कि इसे बातचीत करने के उद्देश्य से मान्यता प्रदान के लिये एक आधार बनाया गया है ?

**श्री पी० वेंकट सुब्बया** : मुझे आश्चर्य है कि डा० सुब्रह्मनणियम स्वामी जैसा विद्वान व्यक्ति यह अनुपूरक प्रश्न पूछ रहा है। मुख्य प्रश्न सरकारी कर्मचारियों तक तो सिमित है। प्रश्न यह था कि क्या केन्द्रीय संघ संगठनों को भी इस समिति से सम्बद्ध किया जायेगा। इसके लिए मैं विस्तृत उत्तर दे चुका हूँ। मैंने कहा है कि यह प्रश्न सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित है।

**डा० सुब्रह्मनणियम स्वामी** : श्रीमान् मुझे आपका संरक्षण चाहिये मंत्री महोदय का नहीं। मंत्री महोदय इस प्रश्न का उत्तर देने से क्यों डर रहे है ? इसका उत्तर है हाँ। वह स्वीकार क्यों नहीं करते ?

**श्री पी० वेंकट सुब्बया** : मुझे इसमें कोई डर नहीं है। परन्तु यदि माननीय सदस्य कोई काल्पनिक प्रश्न पूछते है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ ?

**डा० सुब्रह्मनणियम स्वामी** : महोदय, आप सदन में किसी से भी पूछ लीजिए। मान्यता के बारे में यह बहुत ही सम्बद्ध प्रश्न है।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री आप जैसा चाहते हैं उनसे ऐसे ही उत्तर की अपेक्षा नहीं कर सकते। (व्यवधान)

**प्रो० मधुदण्डवते** : पहले उत्तर देते समय मंत्री महोदय ने संविधान के कुछ उपबन्धों के उद्धरण दिये थें। उन्होंने कहा था कि संविधान के उपबन्धों के अनुसार, संघ बनाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हो सकता। प्रश्न संघों के बनाये जाने के बारे में नहीं है, प्रश्न यह है कि कौन सी विशेष यूनियन अथवा फैडरेशन को समझौता वार्ता एजेन्सी के रूप में स्वीकार किया जायेगा। इसके बारे में मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ क्या यह समझौता वार्ता के लिये किसी यूनियन की मान्यता का निश्चय करने के गुप्त मतदान का आधार स्वीकार करेंगे, जो कि सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रणाली है ?

**श्री पी० वेंकटसुब्बया** : यह प्रश्न के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यह इसके लिये वह पृथक् प्रश्न का नोटिस देंगे तो मैं उसका उत्तर दूँगा।

**प्रो० मधु दंडवते** : मैंने एक संगत प्रश्न पूछा है और उन्होंने कहा है कि यह प्रश्न के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। महोदय, क्या आपके विचार से यह प्रश्न के क्षेत्राधिकार के बाहर है ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप इस प्रश्न को फिर से पूछ सकते हैं।

**प्रो० मधु दंडवते** : श्रीमान, क्षमा करें। इसका निश्चय मंत्री महोदय नहीं कर सकते कि कोई अनुपूरक प्रश्न मूल प्रश्न के क्षेत्राधिकार से बाहर है। इसका निश्चय कल अध्यक्ष महोदय करेंगे। कृपया आप अपनी व्यवस्था दें।

**अध्यक्ष महोदय** : यह उनका विचार है। यह कोई निष्कर्ष नहीं है।

**प्रो० मधु दंडवते** : उन्हें आपका काम तो नहीं करना चाहिये।

**श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर** : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि यूनियन्स और फैडरेशन्स की मान्यता के लिये यह समिति कुछ नियमों से निर्देशित होगी। मैं जानना चाहता हूं कि नियम क्या हैं जिनसे यह समिति निर्देशित होगी ?

**श्री पी० वेंकटसुब्बया** : मान्यता देने के लिए फैडरेशन यूनियन्स/ऐसोसियेशन्स की सदस्यता की जाँच के प्रश्न पर नवम्बर, 1975 में हुई राष्ट्रीय परिषद् की बैठक में विचार किया गया था। श्रम मंत्रालय ने इस उद्देश्य से जो कुछ प्रक्रियायें बनाई थीं, उन्हें राष्ट्रीय परिषद् के समक्ष रखा गया था। इस बात पर सहमति हुई थी कि इस विषय पर कर्मचारियों की ओर से उनके विचार/प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे और इसके पश्चात् परिषद् की एक समिति मामले पर विस्तार से विचार करेगी। यूनियन्स को मान्यता देने के प्रश्न पर सदस्यता की जाँच के बारे में प्रक्रिया पूरी हो जाने पर ही लागू होगी।

पुनरीक्षित मान्यता नियम बनाने का प्रश्न फरवरी, 1979 में राष्ट्रीय परिषद् की बठक के सामने आया था। इस पर चर्चा के बाद, सभापति ने सुझाव दिया कि मामले पर कर्मचारियों की स्थायी समिति के सदस्यों के साथ बात-चीत की जाये और नये पुनरीक्षित मान्यता नियम बनाये जायें। तदनुसार, इस प्रश्न पर विचार करने के लिये सचिव, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग की अध्यक्षता में एक समिति बनायी गयी। इस समिति के गठन और निदेशपद आदि का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

**अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति के बारे में राज्यों को निदेश**

*872. **श्री डी० एल० बैठा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार के विभागों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण करने की नीति अपनाई है;

(ख) क्या यह सच है कि यह नीति सभी राज्य सरकारों द्वारा नहीं अपनाई गई है और जिन राज्य सरकारों ने पहले यह नीति अपनाई थी उन्होंने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को यह सुविधा देना अब बन्द कर दिया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार भारत के संविधान के अनुच्छेद 257 (1) के अंतर्गत राज्य सरकारों को कोई निर्देश जारी करने का है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** :—(क) संघ सरकार ने केन्द्र सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षणों की व्यवस्था की है।

(ख) राज्य सेवाओं में पदोन्नतियों के बारे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को रियायतें देना अलग-अलग राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। राज्यों में व्याप्त सही स्थिति का पता किया जा रहा है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) राज्य सरकारों से सही स्थिति प्राप्त होने के बाद ही निर्देश देने का प्रश्न उठ सकता है।

**श्री डी० एल० बैठा** : क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार से अनुदेश दिये जाने के बावजूद भी, सरकार के बहुत से विभाग उनका पालन नहीं करते हैं ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : जब तक माननीय सदस्य नियमों का पालन न करने वाले विशिष्ट विभाग का नाम नहीं बताते तब तक मैं कुछ नहीं बता सकूंगा।

**श्री डी० एल० बैठा** : क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि अनुसूचित जाति का अनुसूचितजनजाति आयुक्त ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि सरकार के आदेशों का पालन केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के बहुत से विभागों द्वारा नहीं किया जाता है ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : जब यह बात हमारे ध्यान में लायी जाती है, हम उस पर ध्यान देते हैं।

**श्री राम बिलास पासवान** : सभापति महोदय, यह शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो मामला है वह केन्द्रीय सरकार से सम्बन्ध रखता है और इसके लिए केन्द्रीय सरकार भी जिम्मेदार है। जब सभी राज्यों में आपकी सरकार है और केन्द्र में भी आपकी सरकार है और राज्य सरकारें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण में प्रमोशन की बात नहीं करती हैं या आपके पास रिपोर्ट नहीं भेजी गई है तो क्या इस सम्बन्ध में आप राज्य सरकारों को निर्देश देंगे ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : सभी राज्यों में हमारी सरकार नहीं है लेकिन हम जरूर निर्देश देंगे।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### पटसन मिलों के लिये मशीनरी बनाने वाला संयंत्र

*858. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि पटसन मिलों के लिये मशीनों का निमार्ण करने वाले संयंत्रों में से एक संयंत्र समुचित प्रबंध के बिना खराब हो रहा है और इसमें श्रमिक अशांति है जिसके कारण यह पटसन उद्योग के द्वारा आपेक्षित मशीनों की मांग पूरी नहीं कर रहा है,

(ख) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि इस संयंत्र को कठोर व्यवसायिक प्रबंध के अन्तर्गत सहकारिता क्षेत्र में चलाया जाये; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सुझाव को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) : मैसर्स लगन जूट मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता जो जूट मशीनों का निर्माण करने वाले औद्योगिक उपक्रमों में से एक उपक्रम है, ने अशांत औद्योगिक संबंधों के कारण 27-2-80 से 25-5-80 तक तालाबन्दी घोषित की थी। इससे इसके उत्पादन कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।

(ख) और (ग) :—मैसर्स लगन जूट कम्पनी एक सरकारी उपक्रम है जिसे सूक्ष्म तकनीकी कर्मचारियों द्वारा लिया जा रहा है। जिसका प्रबंध दक्ष में बदलने हेतु सरकार के विचार में कोई ठोस प्रस्ताव प्राप्त नही हुआ है।

**अशोक ले-लैण्ड कम्पनी द्वारा अलवर (राजस्थान) में ट्रक-इंजन यूनिट की स्थापना**

*860. **श्री राम सिंह यादव** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या यह सच है कि भारत की अशोक ले-लैण्ड कम्पनी ने ट्रकों के इन्जन बनाने के लिए अपने एक यूनिट की स्थापना करने हेतु मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र, अलवर (राजस्थान) में 250 एकड़ भूमि का कब्जा ले लिया है,

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार और अशोक ले-लैण्ड कम्पनी ने अलवर (राजस्थान में उपर्युक्त यूनिट की स्थापना करने के बारे में एक करार किया है,

(ग) क्या यह भी सच है कि आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न कराए जाने और विद्युत, जल, कोयला और सीमेन्ट जैसी आवश्यक सामग्री सप्लाई न किए जाने के कारण उक्त यूनिट लगाए जाने के काम में विलंब हो रहा है; और

(घ) सरकार का विचार उक्त यूनिट की निर्धारित समय में शीघ्र स्थापना के लिये क्या कदम उठाने का है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) से (घ) : मैसर्स अशोक ले लेंड लि० को तमिलनाडु, महाराष्ट्र तथा राजस्थान में स्थापित की जाने वाली यूनिटोंके माध्यम भार वाली वाणिज्यिक गाड़ियों की अपनी क्षमता में 12,500 नग प्रति वर्ष से पर्याप्त विस्तार करके 40,000 नग प्रतिवर्ष करने के लिये 11-7-80 को एक आशय पत्र जारी किया गया है। कम्पनी ने बताया है कि राजस्थान में अलवर को अस्थायी स्थल के रूप में चुना गया है तथा एकक को लगाने के लिए आवश्यक सुविधाओं के बारे में राज्य सरकार से यह कम्पनी बातचीत कर रही है।

**जनकपुरी, नई दिल्ली में डकैती**

*867. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार का ध्यान हिन्दुस्तान टाइम्स में दिनांक 13 जुलाई, 1980 को प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि जनकपुरी, नई दिल्ली में सशस्त्र डाकुओं ने 12 जुलाई, 1980 को तीन व्यक्तियों को गंभीर रूप से घायल करके उनका फ्लैट लूट लिया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : (क) जी हां, म

(ख) जनकपुरी के निवासी श्री कैलासम नामक एक व्यक्ति ने F 11-7-1980 को प्रातः लगभग 1.30 बजे जब वह सो रहा था, किसी ने उस बायें कंधे पर लाठी मारी। उसने यह भी देखा कि उसकी पत्नी और साला खू फर्श पर पड़े हुए हैं और घर की चीजें बिखरी पड़ी हैं अपराधी कुछ मूल्यवान भाग गये। उसने शोर मचाया। पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने के 15 मिनट के अ स्थल पर पहुंच गई।

भा० दं० सं० की धारा 458/380 के अधीन एक मामला दर्ज किया कई संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई है। आगे जांच हो रही है।

**अंडमान द्वीप समूह में एक नया द्वीप बनना**

*970. **श्री अमर सिंह वी. राठवा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा (क) क्या हाल ही में अंडमान द्वीप समूह में एक नया द्वीप बन गया है

(ख) इसके बनने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या इस द्वीप का दौरा करने के लिये एक सर्वेक्षण दल भेजा गय

(घ) इस सर्वेक्षण दल द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है; औ

(ङ) इस द्वीप का लगभग कितना क्षेत्र है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ङ) : 1980 को द्वीपसमूह के अंडमान ग्रुप के उत्तर में स्थित पूर्वी द्वीप से दक्षिण पू लगभग 4000 मीटर दूर पानी में एक विस्फोट हुआ था। 1 जून, 1980 का भाटा पर दूरबीन से लगभग 30 मीटर लम्बा एक द्वीप देखा गया था।

पुलिस महानिरीक्षक एक दल लेकर इस क्षेत्र का निरीक्षण करने के लि रास्ते गये हैं। उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

इस द्वीप के बनने के कारण पूरा निरीक्षण किये जाने के बाद ही सकते हैं।

**बहादुर शाह जफर-II के परिवार के सदस्यों को पेंशन मंजूर करना**

*871. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या उन्हें पता है कि दिल्ली के अन्तिम मुगल बादशाह (बहाद जफर-ii) के पड़पोते राजकुमार मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त बहादुर की 29 को कलकत्ता में मृत्यु हुई ;

(ख) क्या यह सच है कि वह मीर जाफर के कुछ जीवित वंशजों की बल्कि अत्यधिक गरीबी की हालत में रह रहे थे; और

(ग) क्या सरकार का विचार उनके परिवार के दुखी सदस्यों को पेंशन मंजूर करने का है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) :—सरकार के ध्यान में यह लाया गया है कि मिर्जा मुहम्मद वेदार बख्त की 29-5-80 को कलकत्ता में मृत्यु हुई थी। उनको जीवन पर्यन्त प्रतिमाह 400 रु० मासिक पैंशन मानवीय आधार पर स्वीकृत की गई थी। सरकार उनके परिवार के सदस्य के अनुरोध पर गुणदोष के आधार पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी।

## राज्यों के बीच सीमा विवाद

*873. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या राज्यों के बीच कोई सीमा विवाद चल रहा है;

(ख) इनमें से कितनों का निपटारा कर दिया गया है; और

(ग) कितने अभी तक बकाया हैं और उनके निपटारे के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) :—निम्नलिखित राज्यों के बीच सीमा विवाद है जिनमें सीमावर्ती दावे/जबावी दावे अनिर्णीत है।

1. महाराष्ट्र— कर्नाटक
2. कर्नाटक— केरल
3. असम और नागालैंड
4. पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश

इन विवादों का समाधान संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से ही किया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को सभी प्रकार की सहायता देने में प्रसन्नता होगी।

## परमाणु ऊर्जा की उत्पादन लागत

*874. **श्री रतनसिंह राजदा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) परमाणु ऊर्जा के उत्पादन की अन्तर्राष्ट्रीय दर लागत क्या है;

(ख) भारत में इसकी उत्पादन लागत कितनी न्यूनाधिक है;

(ग) भारत में उत्पादन लागत के बहुत अधिक होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इसको कम करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) से (घ) तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, भविष्य की परियोजनाओं को पूरा करने की अनुमानित अवधि को कम करने के लिए उनके डिनाइनों का मानकीकरण करके और निर्माणाधीन तथा भविष्य की परियोजनाओं की क्षमता को बढ़ाने के लिए डिजाइनों में परिवर्तन करके बिजली की उत्पादन-लागत को कम करने का प्रयास निरन्तर किया जा रहा है।

**कारों के मूल्य में वृद्धि**

*875 **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या एम्बेसेडर और फिएट कारों तथा मेटाडोर के मूल्यों में गत वर्ष से 25 प्रतिशत वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके मूल्यों में हुई भारी वृद्धि के क्या कारण है,

(ग) क्या निर्माताओं ने इनके मूल्यों में वृद्धि के बाद वाहनों में कोई सुधार किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) अगस्त, 1979 से अम्बेसेडर तथा प्रीमियर कारों के कारखाने से निलते समय के शुद्ध विक्रेता मूल्यों में लगभग क्रमशः 25% तथा 16% की वृद्धि हुई है। मेटाडोर गाड़ियां यात्री कारों की श्रेणी में नहीं आती हैं फिर भी, इसी अवधि में इसके कारखाने से निकलते समय के शुद्ध विक्रेता मूल्य में लगभग 4% की वृद्धि हुई है।

(ख) से (घ) :—निर्माताओं ने बताया है कि यात्री कारों तथा मेटाडोर गाड़ियों के मूल्यों में वृद्धि विभिन्न अंतर्वस्तुओं तथा केन्द्रीय तथा राज्य लेवियों में वृद्धि के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि को पूरा करने के लिये की गई है। इस समय देश में निर्माण की जाने वाली कारें पुराने डिजाइनों की हैं। यह बताया गया है कि यद्यपि सस्पेंशन सुदृढ़ीकरण जंग-निरोधी सुधार जैसे सुधार समय-समय पर किये गये हैं, समय-समय पर मूल्यों में की गई वृद्धि से इन सुधारों का संबंध स्थापित करना कठिन होगा।

**ऊर्जा की कमी को दूर करने के लिए महाराष्ट्र के द्रुत कार्यक्रम हेतु राशि**

*875-क, **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने "ऊर्जा की कमी को" दूर करने हेतु एक द्रुत कार्यक्रम शुरू करने के लिग राशि देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो उरवान तथा चन्द्रापुर (चरण 2) में गैस-आधारित तथा तापीय बिजली केन्द्रों के लिए कितनी राशि का अनुरोध किया गया है;

(ग) क्या उक्त निधियों को मंजूरी देने में लंबी अवधि का विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (ग) : महाराष्ट्र सरकार से ऊर्जा की कमी को दूर करने हेतु, एक द्रुत कार्यक्रम शुरू करने के लिए धनराशि के लिए कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि राज्य की वार्षिक योजनाओं में उरान गैस टर्बाइन परियोजना के लिए 1978-79, 1979-80 और 1980-81 में तथा चन्द्रापुर तापीय बिजली केन्द्र चरण-2 के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई है।

(घ) : प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**परमाणु संयंत्रों द्वारा रिलीज किये विकिरण से होने वाली हानि के बारे में अध्ययन**

*876. **श्री शतीस अग्रवाल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने यू० एन० एस० सी० ई० ए० आर० तथा आई० ए० ई० ए० की सहायता से अथवा स्वयं इस बात की सन्तुष्टि करने के लिए कोई अध्ययन किया है कि भारत में परमाणु संयंत्रों द्वारा रिलीज किये गये विकिरण से उसके आस-पास की जनसंख्या अथवा पशुओं के स्वास्थ्य को हानि न पहुंचे;

(ख) यदि हां, तो ऐसा अध्ययन कब किया गया; और

(ग) उसके क्या निष्कर्ष निकले ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) और (ख) परमाणु ऊर्जा विभाग अपने साधनों से परमाणु बिजलीघरों के पर्यावरण और उनके आस-पास के क्षेत्रों की आबादी का अध्ययन करता है। इस प्रकार के अध्ययन परमाणु बिजलीघर के चालू होने से कई वर्ष पहले आरम्भ किए जाते हैं और उसके बाद लगातार जारी रहते हैं।

(ग) ऐसे अध्ययनों का निष्कर्ष यह निकला है कि भारत के परमाणु बिजलीघरों से निकलने वाले विकिरण से उन बिजलीघरों के आस-पास के क्षेत्रों की आबादी के स्वास्थ्य के लिए कोई संकट पैदा नहीं होता है।

**छठी योजना में रोजगारोन्मुख शिक्षा की स्कीमों को शामिल करना**

*877. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कुछ विशेष स्कीमों को शामिल किया जा रहा है ; और

(ख) क्या छठी योजना के बारे में अंतिम निर्णय लेने से पहले सरकार का इस संबंध में देश के शिक्षाविदों और युवानेताओं से विचार-विमर्श करने का विचा है ?

**योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** (क) और (ख) : 1980-85 की नई योजना तैयार हो रही है। सरकार ने 1980-85 की पंचवर्षीय योजना के लिए प्रस्ताव और कार्य-

क्रम तैयार करने के लिए 'शिक्षा और संस्कृति-1980-85 की योजना' से कार्यकारी दल स्थापित किया है। यह कार्यकारी दल शिक्षा पद्धति में व्यावस के स्थान और इस प्रयोजन के लिए बनाए जाने वाले कार्यक्रमों और नी विचार करेगा। इस कार्यकारी दल के सदस्यों में शिक्षाविद् शामिल हैं।

**स्कूटर और मोटर साईकिल से सम्बद्ध सड़क दुर्घटनायें**

6947. **श्री आर०के० महालगी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा क

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों संघ क्षेत्र में दो पहियों वाले स्कूटरों और मोटर साइकिलों से सम्बद्ध दुर्घटनाओं कितनी है;

(ख) वाहन को चलाने वाले और पीछे बैठने वाले व्यक्ति के लि कितनी दुर्घटनायें घातक थी; और

(ग) इनमें से कितनी दुर्घटनायें शहरों में और कितनी शहरों से बाहर ह

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) से (ग) :—सू की जा रही है और प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रखा जाएगा।

**महाराष्ट्र द्वारा सीमेंट की मांग**

6948 : **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने करेंगेकि :—

(क) गत चार वर्षों की प्रत्येक तिमाही के दौरान सीमेंट के लिए मह मांग क्या है; प्रत्येक तिमाही में कितनी मात्रा आवंटित की गई और वास्तव मात्र भेजी गई;

(ख) आवंटित मात्रा कम भेजने के क्या कारण हैं?

(ग) क्या राज्य सरकार ने सीमेंट के स्टाक को सड़क परिवहन से ले पेशकश की है; और

(घ) उस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) राज्य सर मांगें तिमाही आधार पर इकट्ठी नहीं की जाती हैं। गत चार वर्षों में महाराष्ट्र के आवंटन तथा उसे भेजी सीमेंट का एक विवरण संलग्न है।

(ख) नियत मात्रा से कम सीमेंट भेजने के मुख्य कारण सीमेंट का उत्पादन का न होना, रेल वैगनों की अपर्याप्त सप्लाई तथा सड़क मार्ग से सीमें के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने में भेजने वालों की ओर से ढील का होना है।

(ग) और (घ) : हाल ही में राज्य सरकार ने सड़क मार्ग से सीमेंट ले

प्रस्ताव किया है तथा तदनुसार राज्य सरकार को जनवरी, जून, 1980 में सड़क मार्ग से ले जाने के लिग 82,000 मी० टन अतिरिक्त सीमेंट का आवंटन किया गया है।

**विवरण**

महाराष्ट्र राज्य को सीमेंट के तिमाही आवंटनो/सीमेंट भेजे जाने का ब्यौरा।

| तिमाही | आबंटन (मी. टन में) | भेजी गयी सीमेंट |
|---|---|---|
| i-76 (जन.-मार्च) | 500000 | 451100 |
| ii-76 अप्रै.-जून) | 500000 | 461600 |
| iii-76 (जुलाई-सितम्बर) | 500000 | 377800 |
| iv-76 (अक्टू.-दिस.) | 450000 | 437000 |
| i-77 (जन. मार्च | 500000 | 473400 |
| ii 77 (अप्रै.-जून) | 499000 | 404300 |
| iii-77 (जुलाई-सित.) | 527400 | 483300 |
| iv-77 (अक्टू.-दिस.) | 514250 | 461400 |
| i-78 (जन.-मार्च) | 696500 | 561700 |
| ii-78 (अप्रैल-जून.) | 648000 | 573000 |
| iii-78 (जुलाई-सित.) | 622400 | 546400 |
| iv-78 (अक्टू.-दिस.) | 445500 | 405800 |
| i-79 (जन.-मार्च) | 550000 | 454100 |
| ii-79 (अप्रैल-जून) | 554500 | 507000 |
| iii-79 (जुलाई-सित.) | 564500 | 426400 |
| iv-69 (अक्टू.-दिस.) | 544500 | 390100 |

**हरिजन और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें**

6949. **श्री राम बिलास पासवान** : क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) हरिजन और आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार की कितनी घटनायें गत एक महीने के दौरान प्रकाश में आई हैं और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहाँ ये घटनायें हुई हैं तथा प्रत्येक मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) उनमें से कितनी घटनायें ऐसी हैं जिनमें पुलिस के खिलाफ आरोप लगाये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) :—राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

**श्रेणी ii और श्रेणी iii के कर्मचारियों द्वारा फाइलें घर ले जाया जाना**

6950. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या उनके मंत्रालय के ऐसे कोई आदेश हैं जिनके अन्तर्गत मंत्रियों के श्रेणी ii तथा श्रेणी iii कर्मचारियों को सरकारी फाइलें तथा अन्य ऐसे दस्तावेज, जो "सार्वजनिक" नहीं हैं, पढ़ने के लिये घर ले जाने की अनुमति है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को पता है कि वाणिज्य, उद्योग, पेट्रोलियम तथा रसायन, वित्त तथा अन्य बड़े औद्योगिक गृहों से सम्बद्ध संवेदनशील मंत्रालयों के अवर श्रेणी लिपिक, सहायक तथा अनुभाग अधिकारी प्रायः फाइलें घरों को ले जाते हैं और तब व्यापारिक गृहों के सम्पर्क अधिकारियों और कार्यकारी अधिकारियों को दिखाते हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार अनुभाग अधिकारियों के ओहदे तक के अधिकारियों द्वारा ऐसे दस्तावेज घर ले जाने पर रोक लगाने के आदेश जारी करने का है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (घ) :—ऐसे अनुदेश पहले ही से विद्यमान हैं कि अनुभाग अधिकारी के पद का और उससे नीचे का कोई व्यक्ति कार्यालय से कोई वर्गीकृत दस्तावेज ले जाने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

(ग) संबद्ध मंत्रालयों/विभागों से स्थिति की पड़ताल करने के लिए अनुरोध किया गया है।

**उद्योगों की स्थापना के बारे में उड़ीसा से परियोजना प्रतिवेदन**

6951 : **श्री गिरधर गोमांगो** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा राज्य में सहकारी एवं गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना के लिये राज्य सरकार से परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे;

(ख) यदि हाँ, तो उद्योगों के नाम क्या हैं और उनकी स्थापना के लिये कौन से स्थान चुने गये हैं;

(ग) अब तक कितने आशय पत्र जारी किए गए हैं और निकट भविष्य में कितने जारी किए जायेंगे तथा अब तक दिये गये लाइसेंसों के नाम क्या हैं; और

(घ) मंजूरी दी चुकी परियोजनाओं की गति देने के लिये उड़ीसा सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और राज्य में उद्योगों की स्थापना के लिये अधिक गैर-सरकारी उद्यमियों को आकर्षित करने की दृष्टि से क्या कदम उठाये गये हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) उद्योग मंत्रालय का औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी उद्यमियों दोनों से ही आवेदन प्राप्त करता है। ये प्रस्ताव सामान्यतया राज्य के उद्योग विभाग द्वारा समर्थित होते हैं परियोजना रिपोर्टें आमतौर पर उद्योग मंत्रालय को नहीं भेजी जाती हैं। औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय में उड़ीसा के सरकारी और निजी दोनों ही क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) सरकार जब कभी आशय-पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस स्वीकृत करती है तो उसका ब्यौरा "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसिंग, एक्पोर्ट लाइसेंसिज एंड इन्डस्ट्रियल लाइसेंसिंग" तथा भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका "मंथली बुलेटिन" में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियाँ संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) उड़ीसा राज्य को गत तीन वर्षों में स्वीकृत किये गए आशय-पत्रों का विवरण निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | औद्योगिक लाइसेंस | आशय पत्र |
|---|---|---|
| 1977 | 2 | 9 |
| 1978 | 2 | 9 |
| 1979 | 6 | 5 |

इनका ब्यौरा भाग (ख) में दिए गए प्रकाशनों में उपलब्ध है।

(घ) इस मामले का सम्बन्ध राज्य सरकार से है।

**मिजोरम में कृषि-वन आधारित उद्योग और कागज मिल की स्थापना करना**

6952 : **डा० ए० रोयुआमा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या मिजोरम सरकार ने राज्य में कृपि-वन आधारित उद्योगों की स्थापना के लिये केन्द्र को कोई प्रस्ताव भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या केन्द्र का विचार मिजोरम में होरटानी स्थान पर चिर-प्रतीक्षित कागज मिल को स्थापित करने के लिए शीघ्रता करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री। (श्री चरनजीत चानना)** (क) और (ख) : जी, हां। सरकार ने मिजोरम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के द्रुतगामी आर्थिक विकाश के लिये एक मंत्रिवर्गीय समिति गठित की है। इस उच्च-अधिकार प्राप्त समिति द्वारा मिजोरम में कृषि और वनों पर आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए मिजोरम सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आधुनिकीकरण की समस्याओं की जांच की जायेगी।

(ग) और (घ) जहां तक मिजोरम में एक कागज मिल स्थापित करने का सम्बन्ध है, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं का तुलनात्मक तकनीकी-आर्थिक अध्ययन हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। मिजोरम में कागज मिल की संभाव्यता के बारे में इस अध्ययन के पूरा हो जाने पर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है।

लोक सभा

**स्वतंत्रता सेनानी एसोसिएशन से अभ्यावेदन**

6953. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्वतंत्रता सेनानी एसोसियेशन से ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं जिनमें उनको पैंशन का भुगतान न किये जाने की शिकायत की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार के पास निपटान हेतु कितने दावे विचाराधीन हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) इस योजना के अधीन 30-6-80 तक 93507 मामले नामंजूर किये गये, 37133 विचाराधीन थे और पैंशन की पात्रता के लिए स्वीकार्य सबूत न मिलने के कारण 5442 और 1058 मामलों में पहले स्वीकृत की गई पैंशन क्रमशः स्थगित/रद्द कर दी गई थी।

**औद्योगिक लाइसेंसों हेतु, विचाराधीन आवेदन-पत्रों को निपटाने के लिए उप-समिति की नियुक्ति**

6954. : **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लाइसेंसों के लिये पुराने और विचाराधीन आवेदन-पत्रों की जांच करने और उन्हें निपटाने हेतु सरकार का एक उप-समिति नियुक्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त उप-समिति में किन-किन व्यक्तियों को सदस्य बनाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) विचाराधीन आवेदन-पत्र कितने हैं और उन सब का निपटान करने में कितना समय लगेगा ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चनना)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 1. 7. 80 को विचार के विभिन्न स्तरों पर औद्योगिक लाइसेंस के समयावधि से अधिक निलम्बित 455 आवेदन पत्र थे, तब से 384 पर आगे कार्यवाही की गई है जिनमें 259 को अंतिम रूप से निपटा दिया गया है केवल 71 आवेदन पत्र ही आगे निपटाने के लिए शेष हैं ।

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसंधान प्रशिक्षण और विकास संस्थान केरल में भाषाई सैल**

6955. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा विकास अध्ययन संस्थान केरल में एक भाषाई सैल बनाने के सम्बन्ध में केरल राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एक भाषा विज्ञानी, एक अनुसंधान सहायक और एक अन्वेषक को लेकर भाषाई एकक बनाने के लिए प्रस्ताव था और उसका कार्य इस प्रकार होगा :—

(1.) विभिन्न अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं का भाषाई तथा मूलभूत लक्षणों को स्पष्ट करना।

(2.) जनजाति/हरिजन समुदायों की बोली में भाषायी व्यवहार को स्पष्ट करने और उसे नियन्त्रित करने वाले सामाजिक संस्कारों और सिद्धान्तों का पता लगाना।

(3.) अलग-अलग प्रकार की बोलियों के भाषाई प्रभाव का पता लगाना।

(4) इस बात का निर्धारण करना कि जनजातीय तथा हरिजन वक्ताओं के प्रस्तार कार्यों में समृद्धि और परस्पर व्यवहार में हुआ परिवर्तन किस प्रकार शाब्दिक कोश में परिवर्तन करता है।

(ग) इस प्रस्ताव पर चालू वित्त वर्ष के दौरान कार्रवाई की जाएगी क्योंकि अनुसंधान तथा प्रशिक्षण योजना के अधीन केन्द्र तथा राज्य द्वारा 50:50 के आधार पर इस योजना का खर्च वहन किया जाना है।

**पैसेंजर कारों पर कराधान ढाचे की जांच करने के लिये उच्च स्तरीय समिति**

6956. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पैसेंजर कारों पर कराधान ढांचे की जांच करने के लिये उद्योग मंत्रालय द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति नियुक्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसको अपने प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह समिति वाणिज्यिक मोटर गाड़ियों के सम्बन्ध में जांच नहीं करेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 'टेलको' और अशोक ले-लैण्ड का ब्यौरेवार लागत मूल्य अध्ययन करने हेतु उसी प्रयोजन के लिये एक पृथक समिति नियुक्त करने का है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) से (घ) :— मोटर-गाड़ी विकास परिषद् को फरवरी, 1980 में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मोटर-गाड़ी उद्योग पर लागू होने वाले उत्पादन शुल्क और लेवियों के प्रभाव के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे ऐसे शुल्कों और करों का पता लगाया जा सके जो उद्योग के लिए असाधारण हैं और उद्योग तथा अंतिम-उपयोक्ताओं के व्यापक हित में जिनके युक्तिकरण पर विचार किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आंकड़े इकट्ठे करने और इसके साथ-साथ उत्पादन शुल्क और अन्य लेवियों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भारी उद्योग-विभाग में एक छोटी-सी समिति गठित की गई है। यात्री कार उद्योग के बारे में इस समय अध्ययन किए जा रहे हैं। विभिन्न मोटर गाड़ी और सहायक उद्योगों से आंकड़े इकट्ठे किए जा रहे हैं और अध्ययन प्रारम्भिक अवस्था में हैं। इन अध्ययनों को पूरा करने के लिए कोई विशिष्ट समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

**संयंत्रों और उपकरणों की डिलीवरी में विलम्ब करने वाले उद्योगों की सूची**

6957. **श्री के० प्रधानी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे बड़े तथा मध्यम उद्योगों की एक सूची बनाने का है जो अनेक परियोजनाओं के लिए संयंत्रों और उपकरणों की सप्लाई करने का कार्य हाथ में लेते हैं लेकिन उनकी डिलीवरी में विलम्ब करते हैं जिससे सीमेंट जैसी प्राथमिकता क्षेत्र वाली परियोजनाओं के चालू करने के निर्धारित कार्यक्रम में व्यवधान पैदा हो जाता हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार अनेक परियोजनाओं के देरी से चालू होने के लिए उत्तरदायी दोषी कम्पनियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) तथा (ख) :— इस प्रकार की सूची तैयार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उपकरणों की डिलीवरी का कार्यक्रम आमतौर पर परियोजना और मशीनों के सम्भरणकर्त्ता के बीच ठेके के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार के ठेके में विलंबित सम्भरणों के लिए सामान्यत: जुर्माने की धाराएं सम्मिलित होती हैं। जब कभी संयंत्र तथा उपकरण की डिलीवरी में विलम्ब के बारे में शिकायतें मिलती हैं तो डिलीवरी शीघ्रता से कराने की दृष्टि से मामले को संबंधित सम्भरणकर्ताओं के साथ उठाया जाता है।

**पुनालुर पेपर मिल्स लि०, कोचीन को सरकारी अधिकार में लेना**

6958 : **श्री ए० यू० आजमी** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पुनालुर मिल्स लि०, कोचीन, केरल की लाइसेंसशुदा क्षमता क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि कागज के उत्पादन में तेजी से गिरावट आ रही है यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या यह मांग की गई है कि इस कम्पनी को जिसमें बहुत सी सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं ने निवेश किया हुआ है और धन दाव पर लगाया हुआ, शीघ्र सरकारी अधिकार में ले लिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) और (ख) : पुनालूर पेपर मिल्स लिमिटेड, केरल की लाइसेंस प्राप्त क्षमता 33,000 मी० टन प्रतिवर्ष है तथा उसका गत तीन वर्ष का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

| वर्ष | उत्पादन (मी० टनों में) | क्षमता उपयोग का प्रतिशत |
|---|---|---|
| 1977 | 14,567 | 44.1 प्रतिशत |
| 1978 | 14,628 | 44.32 प्रतिशत |
| 1979 | 12,242 | 37.0 प्रतिशत |

यह सूचना मिली है कि पर्याप्त कच्चा माल न मिलने से तथा कारखाने में अचानक आग लग जाने से जिससे उपकरण क्षतिग्रस्त हो गए थे, उत्पादन कम हुआ है।

(ग) और (घ) : इस समय कंपनी के प्रबन्ध को हाथ में लेने का कोई विचार नहीं है।

**बंगलादेश से अवैध प्रवेश**

6959 **श्री एस० बी० सिदनाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी 1980 से अब तक कितने व्यक्तियों ने अवैध रूप से सीमा पार करके बंगलादेश से भारत में प्रवेश किया है;

(ख) बंगलादेश में रह रहे कितने पाकिस्तानी राष्ट्रिकों ने उपर्युक्त अवधि में भारत में प्रवेश किया है;

(ग) क्या सीमा सुरक्षा बल द्वारा निरंतर गश्त लगाने और निगरानी के बावजूद इन व्यक्तियों का भारत में प्रवेश करना जारी है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस मामले में किन विशेष प्रयासों पर विचार किया जा रहा है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** , (क) से (घ) : —सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**दिल्ली नगर निगम में अप्रेंटिस/क्लर्कों को नियमित किया जाना**

6960. **श्री के० लकप्पा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 1978 और 1979 में कुछ अप्रेंटिस/क्लर्क भर्ती किये थे और उनका प्रशिक्षण पूरा होने पर इनमें से कुछ कर्मचारियों को नियमित कर दिया गया था और भारी संख्या में कर्मचारियों को निकाल दिया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि इससे पूर्व दिल्ली नगर निगम द्वारा प्रायः सभी अप्रेंटिस/क्लर्क, इनके प्रशिक्षण की समाप्ति पर, नियमित किये गये थे;

(ग) यदि हां,तो वर्ष 1978-79 का बैच पूरी तरह से न खपाने के क्या कारण हैं विशेष रूप से उन्हें नियुक्त तब किया गया था जब उन्होंने दिल्ली नगर निगम द्वारा आयोजित परीक्षा पास कर ली थी; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) से (घ) : दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान और दिल्ली जल-आपूर्ति एवं मल निकास संस्थान जो स्वायत्त निकाय हैं को छोड़ कर दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार स्थिति इस प्रकार है :—

अप्रेंटिसशिप सलाहकार ने 1975 में दिल्ली नगर निगम से बुक कीपिंग तथा एकाउन्टेंसी, स्टोर कीपर, क्लर्क जनरल तथा कैशियर के निर्धारित ट्रेडों में 163 अप्रेंटिशों को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण देने के लिए कहा था।

इसके अनुसरण में दिल्ली नगर निगम ने 1976 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए उपर्युक्त ट्रेडों में 163 अप्रेंटिशों में भर्ती करने का अनुमोदन कर दिया। वे अप्रेंटिश जिनको 1978-79 में भर्ती किया गया था उनको प्रशिक्षण पूरा होने पर मुक्त किया गया और जिनको 1979-80 में भर्ती किया गया था वे अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

किन्तु नवम्बर, 1976 से जनवरी, 1978 की अवधि में जिन अप्रेंटिशों को निगम ने काम पर रखा है उन्होंने अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती के लिए निगम द्वारा जुलाई, 1975 में ली गई प्रतियोगी परीक्षा पास की थी। इन्हीं अप्रेंटिशों को निगम में रिक्तियां होने पर रखा गया था।

1978-79 में भर्ती किए गए अप्रेंटिशों को नहीं रखा गया है अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के अधीन मालिकों के लिए अप्रेंटिशों को रखना अनिवार्य नहीं है।

यह सही नहीं है कि 1978-79 में भर्ती किए गए अप्रेंटिशों ने अवर श्रेणी लिपिकों की परीक्षा पास की थी क्योंकि निगम अवर श्रेणी लिपिकों की सीधी भर्ती अब कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की गई क्लर्क ग्रेड परीक्षा के माध्यम से की जाती है और दिल्ली नगर निगम द्वारा अवर श्रेणी लिपिकों की भर्ती की पूर्व पद्धति को समाप्त किया गया है।

**बिहार में 1978 के उप-चुनाव में मतदान केन्द्र पर कब्जा करने के संबंध में गिरफ्तार किये गये व्यक्ति**

6961. **आचार्य भगवान देव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समस्तीपुर (बिहार) के नवम्बर, 1978 के लोक सभा उप-चुनाव में मतदान केन्द्रों पर कब्जा करने तथा दूसरी अनियमितताएं करने के आरोप में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में केन्द्रीय मंत्री, राज्यों के मंत्री, संसद सदस्य तथा विधान सभा सदस्य भी सम्मिलित थे;

(ग) क्या गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के विरूद्ध अब तक कोई कार्यवाही कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) से (ङ) : बिहार सरकार ने उनके पास उपलब्ध निम्नलिखित सूचना भेजी है :—

1978 में समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र में हुए उप-चुनाव के दौरान राज्य और अन्य पुलिस बलों द्वारा 54 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए थे। केवल के० रि० पु० बल द्वारा गिरफ्तार किए गये व्यक्तियों की संख्या के बारे में अलग से कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों में तत्कालीन राज्य पर्यटन मंत्री, एक संसद सदस्य और एक विधायक शामिल था। गिरफ्तारी के तुरन्त बाद उनको जमानत पर छोड़ दिया गया था। जाँच के दौरान राज्य मंत्री और संसद सदस्य के विरूद्ध दर्ज किया गया मामला समाप्त कर दिया गया था क्योंकि इसमें तथ्य की गलती पाई गई थी।

विधायक के विरूद्ध मामले के संबंध में सूचना की बिहार सरकार द्वारा प्रतीक्षा की जा रही है जो जिला मजिस्ट्रेट से आनी है।

**अनुसूचित जातियों की कल्याण योजनाओं पर व्यय**

6962. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) भारत में विभिन्न राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न कल्याण योजनाओं पर पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितना व्यय किया गया है और प्रत्येक राज्य तथा संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की योजनाओं के कार्यान्वयन पर इसका कितना भाग विनियुक्त किया गया है;

(ख) प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की तुलना में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए जितने भी संशोधन उपलब्ध किये गये थे उन सभी का अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए उपयोग किया गया है जिससे अनुसूचित जनजातियों के लोग अपने अधिकार से वंचित रह गये हैं; और

(घ) क्या अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए एक अलग योजना तैयार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) 1977-78, 1978-79, और 1979-80 के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विकास योजनाओं पर किया गया राज्यवार खर्च का विवरण अनुलग्नक "क" पर है। ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०-1227/80)

(ख) सूचना अनुलग्नक "ख" पर दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०-1227/80)

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) 16 राज्यों और 2 संघ शासित क्षेत्रों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, हिमालय प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, दमन और दीव के लिए जनजातीय उपयोजना पांचवी पंच वर्षीय योजना से चालू है। जनजातीय उपयोजना की संकल्पना लचीली है और प्रत्येक जन जातीय क्षेत्र की स्थानीय आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसे अपनाया गया है। जन जातीय उपयोजना क्षेत्र को 178 आपरेशन यूनिटों में बांटा गया है जिन्हें एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहा जाता है। प्रत्येक एकीकृत जन जाति विकास परियोजना के लिए परियोजना रिपोर्ट और प्रत्येक राज्य के लिए जन जाति उप योजना तैयार की जाती है। वित्त उपलब्ध कराने के मुख्य साधन (i) राज्य योजना से उपलब्ध कराना, (ii) विशेष केन्द्रीय सहायता, (iii), केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों के क्षेत्रीय कार्यक्रमों से उपलब्ध कराना, (iv) संस्थागित वित्त, हैं।

**दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका का रद्द हो जाना।**

6963. **श्री चन्द्रपाल शैलानी :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम द्वारा, दीवान दौलत राय कपूर आदि बनाम नई दिल्ली नगर पालिका तथा अन्य, सम्बन्धी दीवानी अपील संख्या 1143-44173 और 10001/(एन)/1973 में उच्चतम न्यायालय द्वारा 20 दिसम्बर, 1979 को दिये गये निर्णय के विरुद्ध दायर की गई पुनर्विचार याचिका रद्द कर दी गई है;

(ख) क्या वर्ष 1980-81 के लिये मूल्यांकन सूची अन्तिम रूप से तैयार तथा प्रमाणित हो गई है; और यदि हां, तो किस तारीख को हुई;

(ग) यदि हां, तो मकान का दर लगाने योग्य मूल्य निश्चित करने के लिये निगम द्वारा अनुसरित किया जा रहा फार्मूला क्या है; और

(घ) क्या निगम को उपरोक्त निर्णय के कारण, सम्पत्ति के सम्बन्ध में होने

वाली राजस्व की हानि से बचाने के लिये दिल्ली नगर निगम अधिनियम अथवा दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम में कोई संशोधन करने का विचार किया जा रहा है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि वर्ष 1980-81 के लिए मूल्यांकन सूची 9।7।80 को प्रमाणित की गई है।

(ग) दिल्ली नगर निगम के अनुसार दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम के अधीन निर्धारणीय मानक किराये के आधार पर उसने मूल्यांकन का कार्य पहले ही शुरू कर दिया है।

(घ) दिल्ली नगर निगम का दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जो विचाराधीन है।

**माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन में हानि**

6964. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माईनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कार्पोशन, दुर्गापुर घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हाँ, तो नवीनतम बैलेन्स-शीट के अनुसार घाटा कितना है;

(ग) इसे लाभ में चलने वाली कम्पनी बनाने तथा इसके बेकार खर्च में कटौती करने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं;

(घ) माइनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कार्पोरेशन द्वारा नई दिल्ली में अपने अतिथि-गृह के रख-रखाव, किराए, संस्थापन, जल और विद्युत प्रभार, भवन के दिन-प्रतिदिन के रख-रखाव, स्टाफ कार, इसके 'पी० ओ० एल०' और अन्य मिश्रित तथा आकस्मिक खर्चों पर प्रति-वर्ष कुल कितनी धनराशि खर्च की जाती है; और

(ङ) अपने संस्थापन के रख-रखाव पर लाखों रुपया खर्च करने की बजाय उनके मंत्रालय के अधीन किसी अन्य अतिथि-गृह में जगह-शेयर करने के लिए इस घाटे में चल रही कम्पनी के रास्ते में क्या कठिनाईयां पेश आ रही हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना) :** (क) जी, हां।

(ख) पिछली बैलेन्स शीट (वर्ष 1978-79 के लिए) के अनुसार 31. 3. 1979 तक कम्पनी को 70. 13 करोड़ रु० का संचित घाटा हुआ था।

(ग) उत्पादन, उत्पादकता में सुधार लाने और खर्च में कमी करने के लिए प्रबंधकों ने एक पुनरुज्जीवन योजना तैयार की है। जिन क्षेत्रों में कार्य-भार कम रहा उनका पता लगा लिया गया है और इन क्षेत्रों के लिए उपयुक्त क्रय-विक्रय के लिए कार्यवाही की जा रही है। अनुशासन और उत्तरदेयता में सुधार किया गया है और उत्पादन में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहन योजना में संशोधन किया गया है। इनके अलावा, निदेशक (वित्त) और निदेशक (वाणिज्यिक) की नियुक्ति करके इसके प्रबंध ढांचे को मजबूत किया जा

रहा है और ये नियुक्तियां शीघ्र ही होने वाली हैं। कम्पनी के कार्य की निदेशक मंडल द्वारा और सरकार द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। कम्पनी द्वारा अपेक्षित हर प्रकार की सहायता इसे दी जा रही है।

(घ) एक **विवरण** संलग्न है।

(ङ) एम० ए० एम० सी० एक बड़े आकार-प्रकार वाला एकक है जिसके लिए दिल्ली में विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों के साथ पर्याप्त परस्पर-कार्यवाही की आवश्यकता होती है और इस प्रकार इसके अधिकारियों को काफी दौरे करने पड़ते हैं। एम० ए० एम० सी० का पिछला अनुभव यह बताता है कि अन्य अतिथि गृहों में आवश्यकता के समय पर अक्सर जगह नहीं मिलती है क्योंकि सम्बन्धित कम्पनी के अधिकारियों को प्राथमिकता दी जाती है। स्थानीय होटलों में वैकल्पिक प्रबंध अधिक मंहगा होगा और दूसरा तथ्य यह है कि अल्प सूचना जिसकी स्थिति ऐसी है कि अचानक दौरे की आकस्मिकताओं के कारण उससे बचा नहीं जा सकता है, पर होटल में जगह नहीं मिलती है।

**विवरण**

(आंकड़े रु० में)

| व्यय का ब्यौरा | 1978-79 | 1979-80 |
|---|---|---|
| 1. किराया | 22, 200 | 30, 000 |
| 2. संस्थापन | 18, 100 | 26, 616 |
| 3. पानी और बिजली प्रभार | 6, 200 | 6, 343 |
| 4. भवन का दैनिक रख रखाव | 3, 600 | 2, 400 |
| 5. स्टाफ कार—अतिथि गृह में कोई कार नहीं है। | | |
| 6. अन्य विविध और आकस्मिक व्यय | 3, 000 | 2, 256 |
| योग | रु० 53, 100 | रु० 67, 615 |

**पश्चिम बंगाल में असम से आये शरणार्थी**

6965. **श्री सुबोध सेन : श्री आनन्द पाठक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि पश्चिम बंगाल सरकार को असम से आये शरणार्थियों को जगह, खाना तथा चिकित्सा सुविधा देने के लिए जिला जलपाईगुड़ी में शिविर खोलने पड़े;

(ख) यदि हां, तो खोले गये शिविरों की संख्या कितनी है तथा उनमें कितने व्यक्तियों को जगह दी गई है;

(ग) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस प्रकार किये गये खर्च को चुकाने के लिए केन्द्रीय सहायता की मांग की; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना :** (क) और (ख) :— पश्चिम बंगाल सरकार की सूचना के अनुसार दो शिविर एक डोंगी में और दूसरा जलपाईगुड़ी जिले के अलीपुरद्वार उप-मंडल में जसोडांगा में असम छोड़ कर आने वाले और इस राज्य में शरण मांगने वाले व्यक्तियों के लिए स्थापित किए गए हैं। 31 जुलाई, 1980 को 2407 परिवारों के 8881 व्यक्ति शिविरों में रह रहे थे। 322 परिवारों के 1358 अन्य व्यक्ति उसी तारीख को अलीपुरद्वार रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर उक्त शिविरों में अपने स्थानान्तरण की प्रतीक्षा कर रहे थे।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) मामला विचाराधीन है।

**सीमेंट की (एक्स फैक्टरी) कीमतों में वृद्धि करने के लिए अभ्यावेदन**

6966 : **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या उद्योग मन्त्री** सीमेंट के धारण मूल्य के बारे में 16 जुलाई, 1980 के तारांकित प्रश्न संख्या 554 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्पादन में अन्तर्निहत अधिक लागत को देखते हुए सीमेंट की एक्स-फैक्टरी कीमत में वृद्धि करने के बारे में सीमेंट निर्माता संघ द्वारा दिये गये अभ्यावेदन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)**—मामले पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

**लद्दाख के जिलों को योजना-बजट का वितरण**

6968, **श्री पी० नामग्याल : क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विभिन्न राज्यों की योजना बजट वितरण के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में विभिन्न जिलों को योजना बजट का वितरण केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो क्षेत्र की विशालता, अधिक भाड़ा प्रभार, अधिक ऊँचाई, अधिक जीवन-निर्वाह लागत, लोगों के पिछड़ेपन तथा अन्य खराब आर्थिक स्थिति जैसे अन्य मानदण्डों पर विचार न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या वित्तीय वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 के लिए लेह तथा कार्गिल जिले के लिए अलग-अलग वर्ष-वार किए गए आवंटन को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा; और

(ङ) भारत सरकार का विचार लेह जिले के लोगों को उचित भाग दिए जाने

और योजना वजट वितरण के मानदण्ड में परिवर्तन किए जाने के बारे में दीर्घकालीन शिकायत दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का है ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) योजना आयोग भारत में विभिन्न राज्यों की योजना वजट के वितरण के लिए मापदण्ड निर्धारित नहीं करता । वह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अनुमोदित फार्मूले के अनुसार केवल केन्द्रीय सहायता का आवंटन करता है ।

(ख) और (ग) राज्य सरकार को यह लिखा गया है कि वे लद्दाख क्षेत्र के विभिन्न जिलों के बीच योजना परिव्ययों के वितरण का आधार बताएं । राज्य सरकार का उत्तर प्राप्त होने पर सूचना दी जाएगी ।

(घ) आवश्यक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है ।

(ङ) (ख) और (ग) के उत्तर की दृष्टि से प्रश्न समय पूर्व है ।

**विवरण**

**लद्दाख क्षेत्र के लिए अनुमोदित परिव्यय**

| जिला | लाख रु. अनुमोदित परिव्यय | |
|---|---|---|
| | 1979-80 | 1980-81 |
| 1. लेह | 401,12 | 450,00 |
| 2. कार्गिल | 285,88 | 290,00 |

**हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कम्पनी द्वारा फिल्मों की कीमतों में वृद्धि**

6969 : **श्री डी. एस. ए. शिवप्रकाशम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कम्पनी नेगेवा ओर्वो कलर पोजिटिव की कीमतें बढ़ा दी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो कीमतों में वृद्धि करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या साउथ इंडियन फिल्म चैम्बर ने इस बारे में सरकार को कोई अभ्यावेदन दिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो अभ्यावेदन पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री**
**(श्री चरणजीत चानना)**

(क) से (घ) हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कं. लि. (एच. पी. एफ.)

ने हाल ही में सिने कलर पाजीटिव फिल्मों के मूल्य में वृद्धि की है तथा इसके विरुद्ध साउथ इंडियन फिल्म चैम्बर से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। किन्तु, सिने कलर पाजिटिव फिल्मों के बारे में एच. पी. एफ. द्वारा की गई मूल्य वृद्धि का मामला मद्रास उच्च न्यायालय में दायर की गई समादेश याचिकाओं से संबंधित है तथा इस समय न न्यायाधीन है। अतएव, इस स्थिति में और जानकारी देना उचित नहीं होगा।

**स्कूटर के मूल्यों में वृद्धि**

6972. **श्री भीखाभाई :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त 1979 से मई 1980 तक की अवधि में दो पहिये वाले विभिन्न प्रकार के स्कूटरों के मूल्यों में वृद्धि की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन दरों से वृद्धि की गई थी;

(ग) क्या उपरोक्त वृद्धि पर कोई रोक लगाई थी; और

(घ) यदि हाँ, तो उन व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई थी जिन्होंने उपरोक्त अवधि में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम का उल्लंघन किया था ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) जी, हाँ।

(ख) जैसा कि निर्माताओं ने बताया है, मुख्य मेक के स्कूटरों का 31.7.1979 को कारखाने से निकलते समय का मूल्य नीचे दिया जाता है :—

| स्कूटर का मेक | उत्पादन शुल्क सहित कारखाने से निकलते समय का मूल्य | |
|---|---|---|
| | 31.7.79 को (रु०) | 31.5.80 को (रु०) |
| बजाज चेतक | 4664.00 | 5699.60 |
| बजाज सुपर | 4493.60 | 5523.20 |
| प्रिया | 4491.20 | 5520.80 |
| विजय सुपर | 4884.00 | 5904.00 |
| लैम्बी | 4879.80 | 5993.80 |
| एमत्विन पुष्पक | 5090.22 | 6060.00 |
| फाल्कन-150 | 5318.40 | 6192.00 |

(ग) जी, नहीं। स्कूटरों पर मूल्य नियंत्रण नहीं है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**आयल इंडिया लिमिटेड के तकनीकी प्रबंधक की हत्या**

6973. **श्री ए. के. राय :** क्या गृहमन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयल इंडिया लिमिटेड के तकनीकी प्रबंधक की हत्या के संबंध में बाद में एक बड़े गहरे षडयन्त्र का पता चला है जिसमें कुछ अधिकारी और ट्रेड यूनियन नेता शामिल हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या सरकार का विचार वास्तविक अपराधियों का पता लगाने तथा उन्हें दंडित करने हेतु इस मामले को केन्द्रीय जाँच ब्यूरो को सौंपने का है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)**

(क) जी नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । राज्य पुलिस द्वारा आयल इंडिया, दुलियाजान के तकनीकी प्रबन्धक डा. रवि मित्रा की हत्या की जाँच की जा रही है । 11 व्यक्ति गिरफ्तार किए जा चुके हैं ।

**उत्तरी बंगाल में अखबारी कागज परियोजना की स्थापना**

6974. **श्री नारायण चौबे** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बंगाल में अखबारी कागज की परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित परियोजना का सही-सही स्थान और अन्य ब्यौरा क्या है ।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री**

(क) (**श्री चरणजीत चानना**) पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम से 200 मी. टन प्रतिदिन क्षमता वाले अखबारी कागज बनाने के एक नए एकक की स्थापना हेतु एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

(ख) परियोजना का स्थापना स्थल और अन्य ब्यौरा अभी तैयार किया जाना है ।

**बेरोजगारों के लिये स्वयं रोजगार की योजना**

6975. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बड़ी संख्या में स्नातक तथा स्नातकोत्तर इंजीनियर बिना किसी रोजगार के हैं;

(ख) क्या सरकार का इन स्नातकों को वित्तीय तथा दूसरी तकनीकी सुविधाओं को देकर इनकी सेवाओं का उपयोग करने के लिए विशेष कदम उठाने का विचार है जिससे कि ये लोग स्व-नियोजित उद्योग लगा सकें और उसे औद्योगिक विकास में योगदान दे सकें; और

(ग) क्या स्वयं रोजगार-योजनाओं के लिए सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड किसी प्रकार की सहायता देती है ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी :** (क) : सरकार इंजीनियरी के ग्रेजुएटों और पोस्ट ग्रेजुएटों में बेरोजगारी की समस्या से परिचित है।

(ख) : 1980-85 की नई योजना तैयार हो रही है और रोजगार के लिए स्कीमें विचाराधीन हैं।

(ग) : केन्द्रीय इलेक्ट्रोनिक्स लि० इंजीनियरी के ग्रेजुएटों को आनुषंगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए सहायता दे रही है। इन स्कीमों में आप्टिकल लैंस, प्लास्टिक से ढाले गए भाग और मुद्रित परिपथ बोर्ड का उत्पादन शामिल है।

**मोटर गाड़ी उद्योग के लिए पूंजीगत माल**

6976. **श्री ए० ए० रहीम :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि देश में ऐसे पूंजीगत माल के संबंध में पर्याप्त क्षमता विद्यमान नहीं थी जो मोटरगाड़ी उद्योग में प्रोद्योगिकी के विस्तार और कर्जा बढ़ाने के लिये होता है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन-शुल्क की रियायती दरों के माध्यम से मोटरगाड़ी उद्योग को कुछ प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) :** (क) मोटर गाड़ी उद्योग को मशीनी औजारों, सामान चढ़ाने-उतारने के उपकरणों, फाउंड्री उपकरणों, परीक्षण तथा निरीक्षण उपकरणों आदि जैसे प्रमुख पूंजीगत सामान की आवश्यकता होती है। सामान्यतः मोटरगाड़ी उद्योग द्वारा अपेक्षित पूंजीगत सामान को 75 से 80% तक आवश्यकताएं सप्लाई के देशों स्त्रोतों से पूरी की जाती हैं। बाकी वस्तुएं जो विशेष प्रकार की हैं, अभी देश में नहीं बनाई जाती हैं और इनका आयात करना पड़ता है। देश में निर्मित की जा रही वस्तुओं के संबंध में मोटर गाड़ी उद्योग की पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर पर्याप्त क्षमता है।

(ख) : प्रश्न ही नहीं उठता।

**सीमेंट कास्टिक सोडा, कागज, संश्लिष्ट रेशा और उर्वरक कंपनियों को दिये गये आशय-पत्र**

6977. **श्री मूल चन्द डामा :** क्या **उद्योग मंत्री** निम्नलिखित जानकारी से संबंधित एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे —

(क) सीमेंट, कास्टिक सोडा, कागज, संश्लिष्ट रेशा, उर्वरकों के संबंध में गत पांच वर्षों के दौरान कितने आशय-पत्र जारी किये गये तथा संबंधित तारीख कंपनियों/पार्टियों के नाम क्या हैं;

(ख) कितने आशय-पत्रों पर औद्योगिक लाइसेंस दिए गए हैं, प्रत्येक कंपनी/पार्टी के संबंध में संबंधित तारीख क्या है;

(ग) क्षमता, परियोजनाओं की अनुमानित लागत तथा प्रोमोटर के अशदान, वित्तय संस्थाओं से ऋण, आम जनता द्वारा चंदा आदि सहित वित्त की पद्धति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएँ (एक) पूरी कर ली गई हैं, (दो) विचाराधीन है और क्या उनके पूरा होने की संभावना है, (तीन) छोड़ दी गई हैं और इसके क्या कारण हैं; और (चार) कितने लाइसेंस अनुपयुक्त हैं तथा उनका नवीकरण कब तक कराये जाने की आशा है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) **और** (ख) : जारी किये गए आशय पत्रों का उद्योगवार तथा पार्टीवार ब्यौरा समय-समय पर "वीकली बुलेटिन आफ इम्पोर्ट लाइसेंसिज एक्सपोर्ट लाइसेंसिज" तथा भारतीय विवेश केन्द्र द्वारा प्रकाशित "मंथली न्यूज लैटर नामक पत्रिका में प्रकाशित किया जाता है। इन प्रकाशनों की प्रतियाँ संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) **और** (घ) : जिन क्षमताओं के लिए आशय पत्र तथा औद्योगिक लाइसेंस जारीकिये जाते है उनका उल्लेख उपर्युक्त बुलेटिनों में किया जाता है। जहां तक माँगी गई अन्य जानकारी का सम्बन्ध है, ये आँकड़े औद्योगिक स्वीकृतियों के सचिवालय में नहीं रखे जातें हैं।

**प्रयोगशालाओं द्वारा विकसित की गई तकनीकी जानकारी**

6978. **श्री चिन्तामणि जेना : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) उन मदों के नाम क्या हैं जिनके बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन प्रयोगशालाओं ने गत दो वर्षों के दौरान तकनीकी जानकारी विकसित की है; और

(ख) क्या उस तकनीकी जानकारी को वाणिज्यि उत्पादन के लिए रिलीज कर दिया गया है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** (क) : विज्ञान और प्राद्योगिकी विभाग के अधीन ऐसी कोई प्रयोगशालाएं नहीं हैं जो तकनीकी जानकारी तैयार करती हैं। बहरहाल, विभाग दो प्रकार की स्वायत्तशासी संस्थाओं से संबंध हैं। ये संस्थाएं हैं : वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाएं तथा ऐसी वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाएं जिन्हें विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग वित्तीय समर्थन प्रदान करता है। इन संस्थाओं में तैयार की गई जानकारी नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कार्पोरेशन को सोप दी जाती है ताकि उन्हें वाणिज्यि पैमाने पर दोहन के लिए उद्यमियों को प्रदान किया जा सके। ऐसे दद्दों के नाम, जिनके लिए विज्ञान और प्रोद्योगिकी विभाग से सम्बन्ध प्रयोगशालाओं द्वारा जानकारी का विकास किया गया है तथा जो 1978-79 और 1979-80 दो वर्षों के दौरान एन० आर० डी० सी० को प्राप्त हुए हैं, **विवरण** में दिए गए हैं।

(ख) : एन० आर० डी० सी०, प्राप्त जानकारी को अपने सामान्य कार्य के एक भाग के रूप में नियमित रूप से उद्यमियों के लिए निर्मुक्त करती है। एन० आर० डी० सी० ने 1978 से 1980 तक की 2 वर्षों की अवधि में जानकारी के स्थानान्तरण के लिए 170 करार सम्पन्न किए। ये एन० आर० डी० सी० को 1978 से 1980 तक की अवधि में प्राप्त प्रक्रियाओं समेत पिछले वर्षों के दौरान प्राप्त प्रक्रियाओं पर आधारित है।

**विवरण**

**भाग क : 1978-79 के दौरान प्राप्त जानकारी/प्रक्रियाएं**

| प्रक्रिया | प्रयोगशाला |
|---|---|
| 1. वी० एच० एफ० मल्टीचैनल वेरिकैप टी० वी० ट्यूनर | सी० ई० ई० आर० आई०, पिलानी |
| 2. वोल्टेज रेगूलेटिंग पावर सप्लाई | —वही— |
| 3. 2 टोराइडल वाइंडिंग मशीन 2 सी० पी० वी० ड्रिलिंग मशीन | —वही— |
| 4. बैंड 3 टी० वी० ऐन्टेना | —वही— |
| 5. आर० एफ० इंडक्शन फरनेस 5 कि० वा० | —वही— |
| 6. निकल मैग्नीशियम ऐलाय | एन० एम० एल०, जमशेदपुर |
| 7. कापर क्लैड एलुमिनियम शीट औ स्ट्रिप | —वही— |
| 8. ऐलुमिनियम ऐलाय एन० एम० एल०-पी० एम०-53 | —वही— |
| 9. वीनाइल लेपित इस्पात और ऐलुमिनियम | —वही— |
| 10. कैठोडी रक्षण के लिए ऐलुमिनियम प्रधान उत्सर्ग ऐनोड (इंड पैट सं० 119958) | —वही— |
| 11. वैद्युत और इंजीनियरी के अन्य उपयोगों के लिए ऐलुमिना सिरौमिक्स। | सी० जी० सी० आर० आई०, कलकत्ता। |
| 12. ऐलुमिनियम के लिए सीसा रहित एवं श्वेत रंगीन इनैमल | —वही— |
| 13. सिरेमिक रंग | —वही— |
| 14. ग्लास इनैमल/ग्लास रंग | —वही— |
| 15. क्विनैपाइरैमीन सल्फेट/क्लोराइड (क्यू० एस० सी०)-पशुचिकित्सा औषध | एन० सी० एल०, पुणे |
| 16. इथिओन | —वही— |
| 17. ए न्यू स्लो रिलीज हर्बसाइड टू कंट्रोल पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस लिन (आई० पी० नं० 144674) | —वही— |
| 18. शैलो इलैक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसपैक्टिंग यूनिट | एन० जी० आर० आई०, हैदराबाद |
| 19. प्रोटोन परिशुद्धि चुम्बकत्वमापी (मैग्नेटोमीटर) | —वही— |
| 20. द्वि-आवर्ती विद्युत-चुम्बकीय एकक | —वही— |
| 21. ध्वानिक विषमदैशिकता उपकरण | एन० जी० आर० आई०, हैदराबाद |

| प्रक्रिया | प्रयोगशाला |
|---|---|
| 22. बेन्जिलामीन (आई० पी० सं० 70/कैल/79) | सी०ई०सी०आर०आई०, कराईकुडी |
| 23. बीटा- फेनिलइथाइलएम्मीन (आई० पी० सं० 70/कैल/76) | —वही— |
| 24. फ्लूओरेसैंट मार्किंग इंक | —वही— |
| 25. कैथोडी रक्षण के लिए मैग्नीशियम एलाय एनोड | —वही— |
| 26. 16 मि० मी० सिने प्रोजैक्शन लेंस | सी० एस० आई० ओ०, चण्डीगढ़ |
| 27. फोम लेवल कंट्रोलर | सी० एस० आई० ओ०, चण्डीगढ़ |
| 28. सिन्टैन एल० पाउडर | सी० एल० आर० आई०, मद्रास |
| 29. पेन्क्रिआटिन उत्पाद | —वही— |
| 30. क्रोमिक आक्साइड (आई० पी० सं० 1816/कैल/75) | आर० आर० एल०, भुवनेश्वर |
| 31. कृत्रिम अकार्बनिक वर्णक | —वही— |
| 32. नव ग्रैब विस्फारिणी | सी० डी० आर० आई०, लखनऊ |
| 33. सिलियम (इसपगील) के बीजों की भूसी से स्वादिष्ट मृदु विरेचक | —वही— |
| 34. सरफेस वाटर प्रूफिंग सिस्टम फार एस्सपोज्ड मैशनरी वर्क एण्ड लाइम कंक्रीट | सी० वी० आर० आई०, रूड़की |
| 35. ज्वार एवं तरंग दूरगामी के लिए जानकारी | एन० आई० ओ०, गोवा |
| 36. पपीते से पपैन (आई० पी०) और पपैन सांद्र | सी० एफ० टी० आर० आई०,मैसूर |
| 37. फिलामेंट वाइंडिंग मशीन (आई० पी० सं० 111958) | एन० ए० एल०, बंगलौर |
| 38. बीटा-फेनिल ऐथिलएम्मीन | आर० आर० एल०, हैदराबाद |
| 39. द्रव शोधन उपकरण | एन० पी० एल०, नई दिल्ली। |

भाग (ख) 1979-80 के दौरान प्राप्त जानकारी/प्रतिक्रियाएं

| प्रक्रिया | प्रयोगशाला |
|---|---|
| 1. शीतलन जल प्रणाली में संक्षारण को रोकने के लिए निरोधक | सी० ई० सी० आर० आई० (सी० एस० आई० आर०) कराईकुडी |
| 2. कैल्सियम ग्लूकोनेट | सी० ई० सी० आर० आई०, कराइकुडी |
| 3. कैल्सियम सिलिसाइड | —वही— |
| 4. उच्च वात-प्रवाह भट्टी | सी० बी० आर० आई०' रूड़की |
| 5. वेधित संहनन रोंआ (बोर्ड कम्पेक्शन पाइल) | —वही— |
| 6. अर्द्ध स्वचालित कार्बन एनेलाइजर | एन० एम० एल० (सी० एस० आई आर० ) जमशेदपुर |
| 7. इलैक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लोमीटर | सी० एस० आई० ओ० (सी० एस० आई० आर०), चण्डीगढ़ |
| 8. अल्प अवशेष लोहे और नर्म लोहे का उत्पादन | एन० एम० एल० ( सी० एस० आई० आर०) जमशेदपुर |

| प्रक्रिया | प्रयोगशाला |
|---|---|
| 9. फेरेस (लोह) की वस्तुओं का रासायनिक फांस्फेटी-करने के लिए ट्रोईसोडियम फास्फेट का उपयोग (आई० पी० सं० 722/डेल/78) | सी० ई० सी० आर० आई० (सी० एस० आई० आर०) कराइकुडी |
| 10. अंकीय ध्वनि स्तर मीटर के लिए प्रक्रिया | सी० ई० ई० आर० आई० सी०एस०आई०आर०), पिलानी |
| 11. अंकीय ग्रेन मायस्वर मीटर के लिए प्रक्रिया | सी० एस० आई०ओ० (सी० एस० आई० आर०), चण्डीगढ़ |
| 12. एक्रिलिक रेजिन इमल्शन के लिए प्रक्रिया | सी० एल० आर० आई० (सी० एस० आई० आर०), मद्रास |
| 13. मैंगनस क्लाराइड का उत्पादन | सी० आई० सी० आर० आई० (सी० एस०आई० आर०) कराइकुडी |
| 14. ऐलुमिनियम तथा इसकी मिश्र धातुओं के लिए अभिक्रियाशील एन० एम० एल० फिल्टरों के लिए प्रक्रिया | एन० एम० एल० (सी० एस० आई० आर०), जमशेदपुर |
| 15. मैगनस सल्फेट का उत्पादन | सी० ई० सी० आर० आई० (सी० एस० आई० आर०), कराइकुडी |
| 16. टेलीफोन कांफ्रेंस फैसिलिटी (टेलीकान्फर) के लिए प्रक्रिया | सी० ई० ई० आर० आई० (सी० एस० आई० आर०), पिलानी |
| 17. अंकीय ग्रेन मायस्वर मीटर के लिए प्रक्रिया | सी० एस० आई० ओ० (सी० एस० आई० आर०), चंडीगढ़ |
| 18. अंकीय ध्वनि स्तर मीटर के लिए प्रक्रिया | सी० ई० ई० आर० आई० (सी० एस० आई० आर०) पिलानी |
| 19. कार्बन रिफ्रैक्टीरीज | सी० जी० सी० आर० आई० (सी० एस० आई० आर०), कलकत्ता |
| 20. मानीटर डी० सी० डेफिब्रीलेटर | सी० एस० आई० ओ० (सी० एस० आई० आर०), चंडीगढ़ |
| 21. डिसगिनान पर प्रक्रिया | आर० आर० एल० (सी० एस० आई० आर०), हैदराबाद |
| 22. स्वस्थाने तापमान और लवणता मीटर | एन० आई० ओ० (सी० एस० आई० आर०), गोवा |
| 23. रोटर इंडक्शन करेंट मीटर | एन० आई० ओ० (सी० एस० आई० आर०), गोवा |
| 24. साइनाइड रहित रासायनिक स्ट्रिपिंग संरूपों का विनिर्माण | सी० ई० सी० आर० आई० (सी० एस० आई० आर०), कराइकुडी |

| प्रक्रिया | प्रयोगशाला |
|---|---|
| 25. कैपासियम समृद्धि के लिए मिर्चों का प्रभाजन | सी० एफ० टी० आर० आई० (सी० एस० आई० आर) मैसूर० |
| 26. परिशुद्ध कोको भार का उत्पादन | —वही— |
| 27. वाह्य मांग गति प्रेरक | सी० एस० आई० ओ० (सीं० एस० आई० आर ) चंडीगढ़ |
| 28. बहु परोक्षक उपकरण | —वही— |
| 29. मोनोक्रोटोफोस पर प्रक्रिया | आर० आर० एल० (सी० एस० आई० आर०) हैदराबाद |
| 30. (0-100फुट पौंड) इलैक्ट्रोनिक टोर्क रेन्व | एन० ए० एल०(सी० एस० आई० आर०) बंगलौर |
| 31. लेवूलिनिक अम्ल | सी० डी० आर० आई०(सी० एस० आई० आर०), लखनऊ |
| 32. अमोनिया-पर-सल्फेट तैयार करना | सी० ई० सी० आर० आई० (सी० एस० आई० आर०), कराईकुडी |
| 33. आंशिक नर्वसीकृत खाद्य नारियल पीसन (ग्रेटिंग) का उत्पादन | आर० आर० एल० (सी० एस० आई० आर०), त्रिवेन्द्रम |
| 34. समुद्री लवण से सोडियम क्लोराइड ए आर और वी पी | सी० एस० एम० सी० आर० आई० (सी० एस० आई० आर०), भावनगर |
| 35. जिंक-फास्फेट का उत्पादन | सी० ई० सी० आर० आई० (सी० एस० आई आर०), कराइकुडी |
| 36. कोला-फ्लेवर सम्मिश्र | सी० एफ० टी० आर० आई०(सी० एस० आई० आर०), मैसूर |
| 37. जिंक सोडियम सिलिकेट प्राइमर तैयार करना | सी० ई० सी० आर० आई० (सी० एस० आई० आर०), कराइकुडी |
| 38. डार्क रूम कैमरा आब्जैक्टिव | सी० एस० आई० ओ० (सी० एस० आई० आर०), कराइकुडी |
| 39. कार्बनिक माध्यम से जिंक युक्त प्राइमर तैयार करना | सी० ई० सी०आर०आई०(सी० एस० आई० आर०) चंडीगढ़ |
| 40. इमली पाउडर का विनिर्माण | सी० वफ० टी० आर० आई० (सी० एस० आई० आर०) मैसूर |
| 41. मत्स्यचूर्ण एवं तैल (सोरडीन) का विनिर्माण | —वही |
| 42. कृत्रिम मलाइट और मलाइट कोरंडम | सी० जी० सी० आर० आई० (सी० एस०० आई० आर०) कलकत्ता |

**श्रेणी-एक तथा श्रेणी दो की सेवाओं में आरक्षित रिक्त पदों को सेवामुक्त आपात कमीशन अधिकारियों/अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों से भरना ।**

6979. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से 1974 तक प्रति वर्ष, श्रेणी-एक तथा श्रेणी-दो की सेवाओं में, सेवामुक्त आपात कमीशन अधिकारियों।अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों के लिये कितने पद आरक्षित थे तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा के माध्यम से कितने पद भरे गये;

(ख) क्या जो पद भरे नहीं गये वे समाप्त हो गये हैं;

(ग) यदि हां, तो किन नियमों के अधीन; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार उन पदों को भरने का है ?

**गृह मन्त्रालय तथा संसदीयकार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) :** (क) 1966-1973 में हुई भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि (निर्मुक्त आपात कमीशन अधिकारी।अल्प सेवा कमीशन अधिकारी) परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर केन्द्रीय सेवाओं, श्रेणी i तथा ii में आरक्षित रिक्तियों तथा इन रिक्तियों में आवंटित उम्मीदवारों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) से (घ) निर्मुक्त आपात कमीशन अधिकारी।अल्प सेवा कमीशन अधिकारी (रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1971 के अधीन पहली नवम्बर, 1962 के बाद लेकिन 10 जनवरी, 1968 से पूर्व संघ की सशस्त्र सेनाओं में कमीशन प्राप्त, निर्मुक्त आपात कमीशन अधिकारियों।अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों में से लोगों की भर्ती 29 जनवरी, 1966 के बाद 8 वर्षों की अवधि के लिए की जानी थी । ये नियम अब 29 जनवरी, 1974 को तथा इसी तारीख से निरस्त हो चुके हैं तथा उक्त तिथि के बाद से बढ़ाए नहीं गए हैं । इसको ध्यान में रखते हुए निर्मुक्त आपात कमीशन अधिकारियों।अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए बिना भरी आरक्षित रिक्तियों को भरने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

1966-1973 में आयोजित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि (आ०क०/अ०से०क०अ०) परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर केन्द्रीय सेवाओं के समूह क आदि में आरक्षित रिक्तियों और उनमें आवंटित उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(I) केन्द्रीय सेवा समूह "क" (श्रेणी I)

| परीक्षा वर्ष | आरक्षित रिक्तियों की संख्या | | | | आवंटित उम्मीदवारों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य | अनु० जाति | अ० ज० जाति | कुल | सामान्य | अ० जाति | अ० ज० जाति | कुल |
| 1966 | 29 | 4 | 2 | 35 | 4 | — | 1 | 5 |
| 1967 | 31 | 6 | 1 | 38 | 6 | — | — | 6 |
| 1968 | 35 | 6 | 5 | 46 | 9 | — | — | 9 |
| 1969 | 41 | 7 | 5 | 53 | 8 | — | 1 | 9 |
| 1970 | 44 | 9 | 2 | 55 | 12 | 1 | — | 13 |
| 1971 | 36 | 9 | 5 | 50 | 2 | — | — | 2 |
| 1972 | 43 | 8 | 6 | 57 | 9 | — | — | 9 |
| 1973 | 48 | 10 | 8 | 66 | 8 | — | — | 8 |
| (II) केन्द्रीय सेवा समूह "ख" (श्रेणी II) | | | | | | | | |
| 1966 | 5 | 1 | — | 6 | 5 | — | — | 5 |
| 1967 | 9 | 1 | — | 10 | 9 | — | — | 9 |
| 1968 | 19 | 2 | 1 | 22 | 16 | — | — | 16 |
| 1969 | 18 | 2 | 1 | 21 | 18 | — | — | 18 |
| 1970 | 22 | 4 | 3 | 29 | 12 | 1 | — | 13 |
| 1971 | 16 | 6 | 3 | 25 | 6 | — | — | 6 |
| 1972 | 24 | 6 | 1 | 31 | 15 | — | — | 15 |
| 1973 | 26 | 6 | 2 | 34 | 5 | — | — | 5 |

(III) पुलिस सेवा समूह "ख" (श्रेणी-II)

| परीक्षा वर्ष | आरक्षित रिक्तियों की संख्या | | | | आबंटित उम्मीदवारों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | सामान्य | अनु० जाति | अ० ज० जाति | कुल | सामान्य | अ० जाति | अ० ज० जाति | कुल |
| 1966 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 1967 | 1 | 1 | — | 2 | 1 | — | — | 1 |
| 1968 | 4 | — | — | 4 | — | — | — | — |
| 1969 | 2 | — | — | 2 | 2 | — | — | 2 |
| 1970 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 |
| 1971 | 2 | 1 | — | 3 | — | — | — | — |
| 1972 | 4 | 1 | — | 5 | 1 | — | — | 1 |
| 1973 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — |

**नांगलोई दिल्ली में एक गृहणी के साथ बलात्कार**

6980. **श्री छीतूभाई गामित :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के नांगलोई क्षेत्र में 24 जून, 1980 को एक 17 वर्षीय गर्भवती गृहणी के साथ, उसके पति के साथ काम करने वाले व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया था तथा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो अब मामला किस अवस्था में विचाराधीन है तथा इस बात के क्या कारण हैं कि दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) जी, हाँ श्रीमान् ।

(ख) अभियुक्त को 11 जुलाई, 1980 को गिरफ्तार किया गया था । तथापि उसे 15 जुलाई, 1980 को न्यायालय ने जमानत पर रिहा कर दिया । मामले की जांच की जा रही है ।

**साम्प्रदायिक दंगे**

6981. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च-जुलाई, 1977 और जनवरी-मई, 1980 के दौरान हुए साम्प्रदायिक दंगों के तुलनात्मक आँकड़े क्या हैं; और

(ख) क्या जनवरी से मई, 1980 के दौरान हुए साम्प्रदायिक दंगों की संख्या मार्च-जुलाई, 1977 के दौरान हुए ऐसे ही दंगों की संख्या के मुकाबले अधिक थी ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**उत्पादकों द्वारा सीमेंट का कम उत्पादन**

6982. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सीमेंट उत्पादक अधिक लाभ कमाने के लिए सीमेंट उत्पादन कम मात्रा में कर रहे हैं ।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरनजीत चानना) :** देश में सीमेंन्ट का उत्पादन कम होने का मुख्य कारण सीमेंट उद्योग के लिए कोयले और बिजली की पर्याप्त आपूर्ति संबंधी बाहरी रुकावटें हैं ।

**"नकली ट्यूबनाइट का धंधा जोरों पर" शीर्षक समाचार**

6983. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'नकली ट्यूबलाइट का धन्धा जोरों पर' शीर्षक से दिनांक 17 जून, 1980 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (चरनजीत चानना) :** (क) जी हाँ ।

(ख) पंजाब राज्यसरकार और दिल्ली प्रशासन की जानकारी में मामला लाया गया था। प्राप्त सूचना से प्रतीत होता है कि उन्हें इस प्रकार की गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं है।

**मणिपुर में सफाया करने की कार्यवाही में हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या**

6985. **श्री नगनगोम मोहन्द्रा :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 26 अप्रैल, 1980 को तथा उसके बाद के दिनों में मणिपुर के पटसोई, लांगजिग, तौवंकाक गाँवों में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों द्वारा की गई सफाया करने की कार्यवाही के परिणामस्वरूप कितने लोग हताहत हुए, मारे गये, जख्मी हुए तथा घायल हुए;

(ख) सिविल, सेना अथवा पैरा मिल्टिरी प्राधिकारियों में से किन प्राधिकारियों ने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को यह कार्यवाही शुरू करने और चालू रखने के आदेश दिये थे;

(ग) क्या यह सच है कि सभी सफाया कार्यवाहियों में मणिपुर सिविल पुलिस अधिकारियों तथा व्यक्तियों को घटना के स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं थी; और

(घ) क्या यह भी सच है कि रिजनल मेडिकल कालेज, इम्फाल तथा जन स्वास्थ्य निर्देशालय के चिकित्सा दल को केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिकों ने उक्त गांवों में तथा उन स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी थी, जहाँ मृतक, जख्मी और घायल लोग उपेक्षित अवस्था में पड़े हुए थे ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) से (ग) रिपोर्टों के अनुसार उग्रपंथियों द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के पानी के एक ट्रक की रक्षार्थ साथ जा रहे के० रि० पु० बल के एक दल पर आक्रमण करने, के० रि० पु० बल के कार्मिकों को मारने और उनके हथियार छीनने के बाद उनके निवृत-स्थानों का पता लगाने तथा उन पर छापे मारने के दौरान 26 अप्रैल, 1980 को गाँव पटसोई में गोलीबारी में के० रि० पु० बल के 3 कार्मिक मारे गये और एक जख्मी हुआ और 4 नागरिक (उग्रपंथियों समेत) मारे गये तथा 9 जख्मी हुए। (उग्रपंथियों से हथियार और गोलोंबारूद) पुलिस से पहले छीने गये कुछ हथियारों तथा गोलाबारूद समेत) और उग्रपंथियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली एक जीप बरामद की गई। राज्य में विधि व व्यवस्था बनाये रखने में स्थानीय प्रशासन की सहायता करने के लिए मणिपुर में के. रि. पु. बल राज्य सरकार के अनुरोध पर तैनात किया गया था। मणिपुर सरकार के अनुसार वरिष्ठ सिविल तथा पुलिस अधिकारी तुरन्त स्थान पर पहुंच गये थे और किसी को रोका नहीं गया था।

(घ) जी नहीं श्रीमान्।

**झरोंदा कलां में सैनिक कार्मिकों द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों पर गोली चलाया जाना।**

6986. **श्री हरीशचन्द सिंह रावत :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सैनिक कर्मचारियों द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ग्रुप सेन्टर,

झरोदा-कलां में सोये हुए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कर्मचारियों पर 25 जून, 1979 को 4.35 बजे प्रातः गोली चलायी गयी थी;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई न्यायिक जाँच कराई है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार किसी बाहर के उच्चतर न्यायिक अधिकारी द्वारा जाँच कराने का है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) गत वर्ष के. रि. पु. बल के कार्मिकों के आन्दोलन से उत्पन्न गम्भीर स्थिति के कारण झड़ौदाकलां ग्रुप सेंटर में आन्दोलन कर रहे के. रि. पु. बल के कार्मिकों को निशस्त्र करने और स्थिति से निपटने के लिए सेना बुलाई गई थी। जब सेना ने, जिसके साथ एक मजिस्ट्रेट भी था, इस उद्देश्य के लिए 25 जून, 1979 के 5 बजे इस उद्देश्य के लिए ग्रुप सेंटर में दाखिल हुए तो उन पर के. रि. पु. बल के कार्मिकों द्वारा गोली चला दी गई। सेना को स्थिति नियंत्रण में लाने के लिए मजबूरन जवाब में गोलीबारी करनी पड़ी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) कोई ऐसी जाँच कराने पर विचार नहीं किया जाता।

**हल्दिया औद्योगिक कम्पलेक्स में आधारभूत ढांचे का निर्माण**

6987. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया औद्योगिक कम्पलेक्स में आधारभूत ढाँचे के निर्माण के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**टायर कंपनियों का मुनाफ़ा और उनकी कुल बिक्री**

6988 : **श्री के. ए. राजन** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1978-79 के दौरान चार प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने, जो कुल आटोमोटिव टायर उत्पादन का लगभग 60% उत्पादन करती है, अपनी कुल बिक्री में केवल 10 प्रतिशत की ही वृद्धि की है जबकि कर से पूर्व उनका मुनाफा 20 प्रतिशत से अधिक हो गया;

(ख) यदि हां, तो संतत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए जांच का आदेश देने का है

कि ये कंपनियाँ किस प्रकार इतना मुनाफा कमा सकी जबकि इनका उत्पादन प्राय: वहीं था।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) और (ख) : मै. डनलप इंडिया लि., मै· गुडईयर इंडिया लि. मै सीयेंट टायर्स ऑफ इंडिया लि. तथा मै. बम्बई टायर्स इन्टरनेशनल लिमिटेड )भूतपूर्व नाम—गैसर्स फायरस्टोन टायर कंपनी ऑफ इंडिया लि.) नामक प्रमुख चार विदेशी कम्पनियों ने वर्ष 1979 के दौरान हुए कुल आटोमोटिव टायर उत्पादन का 54.95 प्रतिशत उत्पादन किया है। वर्ष 1978 और 1979 का इन कंपनियों का कराधात पूर्व वार्षिक पण्यावर्त और उनके लाभ को दिखाने वाला एक विवरण, जैसा कि उनकी वार्षिक रिपोर्टों में दिखाया गया है, संलग्न है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

**विवरण**

(रु० लाखों में)

| कंपनी का नाम | उत्पादन | | लाभ (कर से पूर्व) | | कर से पूर्व लाभ-उत्पादन प्रतिशत में | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1978 | 1979 | 1978 | 1979 | 1798 | 1979 |
| 1. मै० डवलप इंडिया लि. | 19089 | 19647 | 395 | 880 | 2.07 | 4.48 |
| 2. मै० गुडईयर इंडिया लि० | 6253 | 6023 | 234 | 305 | 3.74 | 5.06 |
| 3. मै० सीएट टायर ऑफ इंडिया लि० | 8658 | 10334 | 247 | 488 | 2.08 | 4.72 |
| 4. मै० बंबई टायर्स इन्टरनेशनल लि० | 4628 | 6773 | (29) (हानि) | 15 | हानि | 0.22 |

**चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा**

6989 : **श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हरियाणा के मुख्य मंत्री का वह बयान देखा है कि संघ शासित क्षेत्र चंडीगढ़ हरियाणा का एक अंग है;

(ख) यदि हां, तो क्या हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ नगर पर अपना दावा किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) : सरकार को प्रेस में प्रकाशित हरियाणा के मुख्य मंत्री के इस आशय के बयान की, कि चण्डीगढ़ हरियाणा

का भाग है, जानकारी है। चण्डीगढ़ के भविष्य के बारे में केन्द्रीय सरकार के निर्णय की घोषणा 29 जनवरी, 1970 को जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति के द्वारा की गई थी। इस निर्णय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

**अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लिखने के कागज के मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि**

6990 : **श्री पी० एम० सईद : श्री गुलाम रसूल कोचके** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लिखने के कागज के मूल्यों में अचानक वृद्धि हो गई है और क्या इसके परिणामस्वरूप भारत में कागज के आयात की दर में कमी हो जाएगी;

(ख) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी मूल्य वृद्धि हुई है;

(ग) क्या भारत ने कागज का आयात करने संबंधी अनेक करार किए थे और क्या कागज की इस मूल्य वृद्धि से पहले से किए गए विद्यमान करार भी प्रभावित होंगे;

(घ) यदि हां, तो क्या कागज का आयात घट गया है; और

(ङ) यदि हां, तो कितना।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) और (ख) : वर्ष 1979 से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में छपाई के सफेद कागज के मूल्यों में वृद्धि होती रही है। वर्ष 1979 में छपाई के सफेद कागज के लिए भारत ने 750-760 अमेरिकी डालर प्रति मी. टन लागत भाड़ा सहित सुविधाएँ की थी, जबकि इस समय यह मूल्य 812 से 834 अमरीकी डालर प्रति मी. टन के बीच है। चालू वर्ष में आयात की सीमा समय-समय पर होने वाली घरेलू मांग के अनुमान और प्राप्त प्रस्तावों की स्वीकृति पर निर्भर करेगी.

(ग) से (ङ) : पहले किए गए निश्चित ठेकों पर कागज का बराबर आयात हो रहा है जो निर्धारित मूल्यों पर है, और इस पर बाजार मूल्य में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का असर नहीं पड़ा है।

**बिस्कुट उत्पादन में सहयोग**

991 : **श्री आरिफ मोहम्मद खां** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा चलाई जा रही लिली बिस्कुट कंपनी ने ब्रिटानिया बिस्कुट कंपनी के साथ बिस्कुट-उत्पादन में सहयोग करार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त उत्पादन-सहयोग की शर्तें क्या हैं;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) ब्रिटेनिया इण्डस्ट्रीज लि. के साथ उत्पादन सहयोग करार पर 27.2.1980 को हस्ताक्षर किए गये

(ख) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**व्यक्तियों को जेल में रखा जाना**

6992. **प्रो. निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हाल में एक सिद्धान्त निर्धारित किया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके द्वारा किये गये अपराध के लिए उसे दी जाने वाली सजा की अधिकतम अवधि के समाप्त होने के बाद यहां तक कि एक दिन के लिए भी जेल में नहीं रखा जाना चाहिए; और

(ख) क्या इसका सभी राज्यों में पालन किया गया है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : उच्चतम न्यायालय ने हुसेनारा खातून बनाम विहार सरकार की रिट याचिका सं० 79/79 में तारीख 9मार्च, 1979 को दिए गए अपने फैसले में निर्णय दिया है कि विचाराधीन कैदियों को यदि वे दोष सिद्ध है तो उन्हें दी गई सजा की अवधि से अधिक अवधि तक जेलों में रखना गैर-कानूनी है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

**महर्षि महेश योगी के स्वामित्व में भू-क्षेत्र और फैक्टरियां**

6993 **श्री सुन्दर शर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महर्षि महेश योगी के स्वामित्व में भारत में कितना भू-क्षेत्र और कितनी फैक्ट्रियां हैं;

(ख) उनकी आय के क्या स्त्रोत हैं;

(ग) जबलपुर के पास उन्होंने कितनी सम्पत्ति का अधिग्रहण किया है; और

(घ) क्या सरकार उनकी गतिविधियों पर निगरानी रख रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) : सूचना मालूम की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) सुरक्षा एजेंसियां व्यक्तियों/संगठनों की गतिविधियों पर, यदि आवश्यक हो, नजर रखती है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिये प्रथम श्रेणी के पद**

6994. **श्री सत्य नारायण जाटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार में प्रथम श्रेणी के कुल कितने अधिकारी हैं;

(ख) अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रथम श्रेणी के कुल कितने पद आरक्षित किये गये है ;

(ग) प्रथम श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति हैं;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित पद भर लिये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या कोटा भरने के लिये कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग (श्री पी० वेंकटसुब्बया)**

(क) 1.1 1979 को 46,434

(ख) केन्द्रीय सरकार में अपनाई जानेवाली प्रथा के अनुसार, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण समय-समय पर उत्पादन होने वाली रिक्तियों के संबंध में है न कि पदों के संबंध में, अतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए श्रेणी । में आरक्षित कुल पदों की संख्या को बताया जाना मुश्किल है । इसके अतिरिक्त, श्रेणी । के कतिपय ग्रेडों/प्रवर्गों को इस तरह के आरक्षण से छूट है ।

(ग) 1.1.1979 को श्रेणी 1 में, अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या 2204 और अनुसूचित जनजातियों के लोगों कि संख्या 435 है ।

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए नियत रिक्तियां 40/100 प्वाइंट रोस्टरों द्वारा संचालित होती हैं और अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की रिक्तियों को, इन्हीं दोनों समुदायों के सदस्यों से भरने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है ।

(ङ) सभी आरक्षित रिक्तियों को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा भरे जाने के लिए और उनके प्रतिनिधित्व में कमी को दूर करने के लिए सदैव हर संभव प्रयास किया जाता है । इस उद्देश्य के लिये, संगत रिक्तियों का व्यापक प्रचार किया जाता है रिक्तियां आकाशवाणी से प्रसारित की जाती हैं, समाचार पत्रों में अधिसूचित की जाती हैं तथा राज्यों के समाज कल्याण विभागों आदि के निर्देशकों तथा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के स्वैच्छिक संगठनों को परिचालित की जाती हैं ।

**अनुसूचित जातियों पर अत्याचार**

6995. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्रमशः जनता पार्टी के शासन तथा कांग्रेस (आई) के शासन की अवधि के दौरान, राज्यवार अनुसूचित जाति के कितने कितने लोग मारे गए अथवा घायल हुए, कितने लोगों के मकान लूट लिए गए अथवा जला दिए गए, अथवा कितनी महिलाओं के साथ छेड़-छाड़ की गई; और

(ख) इस प्रकार की लूट-पाट, हमलों तथा हत्याओं आदि के मूल कारण क्या हैं और ऐसे अत्याचारों के मूल कारणों को समाप्त करने के लिए क्या उपाय करने शुरू किये जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**ऊष्ण उद्योगों में हानि**

6996. श्री बी० आर० शाहटा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा अधिकार में लिए गए उद्योगों में से कौन में उद्योगों में लाभ होना आरम्भ हो गया है; यदि हाँ तो गत 5 वर्षों के दौरान कितना लाभ या हानि हुई है;

(ख) इन वर्षों के दौरान रूग्ण यूनिटों की हालत सुधारने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) क्या सरकार सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की लम्बे समय से रूग्ण चली आ रही यूनिटों के कार्यों की जांच करने तथा इन यूनिटों की हालत सुधारने के लिए उपायों और साधनों के बारे में सुझाव देने के लिए और इन यूनिटों का प्रबंध करने वाले अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी निश्चयत करने के लिए विशेषज्ञों और संसद सदस्यों की एक समिति नियुक्त करना आवश्यक समझती है;

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) : (क) : एक विवरण संलग्न है।

(ख) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत औद्योगिक उपक्रमों का प्रबंध कर रहे प्राधिकृत व्यक्तियों को वित्तीय संस्थानों तथा अन्य सम्बन्ध अधिकरणों के परामर्श से उपक्रमों के कार्यों की समय-समय पर समीक्षा करने तथा पुर्नस्थापना संबंधी योजनाओं को तैयार करने एवं उन्हें कार्यान्वित करने की सलाह दी जाती है।

(ग) ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

विवरण

| उपक्रम का नाम | उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत प्रबंध को अधिग्रहण करने की तारीख | अधिग्रहण की तारीख से पिछले 5 वर्षों का लाभ (लाख रु० में) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
| 1. गणेश फ्लौर मिल्स, लि०, दिल्ली | 3.11.72 | 26.05 | 58.19 | 103.96 | 94.00 | 60.00 |
| 2. अमृतसर आयल वर्क्स, छहराता, अमृतसर | 13.9.74 | 11.08 | 17.04 | 138.07 | 125.00 | उपलब्ध नहीं है |
| 3. ईस्टर्न डिस्टिलरीज (प्रा०) लि०, कलकत्ता | 11.10.74 | 4.41 | 13.61 | 11.16 | 7.50 | 8.50 |
| 4. पुलगाँव काटन मिल्स, बंबई | 25.11.76 | | | | 51.68 | 103 73 |
| 5. वैस्टर्न इंडिया स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कं०, लि०, बंबई | 11.3.77 | | | | 12.04 | 46.94 |
| 6. प्रिय लक्ष्मी मिल्स प्रा० लि०, बड़ौदा | 23.7.77 | | | | 22.01 | 10.00 |
| 7. सोम सुन्दरम सुपर स्पिनिंग मिल्स लि०, रामनाथपुरम | 4.11.77 | | | | | 9.08 |
| 8. श्रीराम सुगर मिल्स लि०, (बोबीली) आ० प्रा० | 4.2.78 | | | | 2.88 (अनुमानित) | 9.30 |
| 9. मालाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, कालीकट | 9.2.78 | | | | | 8.64 (8.3.78 से 31.1.79 तक) |
| 10. स्वदेशी काटन मिल्स लि०, कानपुर | 13.4.78 | | | | | 158.56 (अप्रैल से दिसम्बर 1978 तक) |

**सीमेन्ट संबंधी उच्चस्तरीय कार्यकारी दल**

6998. **श्री रामजीभाई मावणि** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट उद्योग के संदर्भ में मूल्य, वितरण, माल-भाड़ा और स्थान आदि के संबंध में अध्ययन करने हेतु नियुक्त उच्चस्तरीय कार्यकारी दल/समिति की सिफारिशों के बारे में सरकार को प्रतिवेदन/अन्तरिम प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है यदि नहीं, तो उक्त प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की संभावना है;

(ग) उन्होंने किन-किन स्थानों और संगठनों, संस्थाओं आदि का दौरा किया है और उसका क्या परिणाम निकला;

(घ) उक्त समिति पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त सिफारिश क्रियान्वित करने के लिए कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) और (ख) कार्यकारी दल की रिपोर्ट के शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

(ग) कार्यकारी दल ने कोई दौरा नहीं किया है।

(घ) कार्यकारी दल पर कोई व्यय नहीं किया गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**नेपा मिल के आधुनिकीकरण के लिए सोवियत सहायता**

6999. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ कागज के क्षेत्र में नेपा मिल के आधुनिकीकरण के लिए भारत को सहायता देने के लिए सहमत हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सहायता प्रस्ताव और सोवियत संघ के उद्योग उप-मंत्री श्री जी० एफ० फ्रोनिन के नेतृत्व वाले कागज विशेषज्ञों के प्रतिनिधिमण्डल की यात्रा के दौरान किये गये द्विपक्षीय अधिकृत समझौतों का ब्यौरा क्या है;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) और (ख) सोवियत संघ और भारत के बीच लुग्दी तथा कागज उद्योग के क्षेत्र में एक कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम तैयार किया गया है। कार्यक्रम में कागज और लुग्दी कारखानों के निर्माण और आधुनिकीकरण वैज्ञानिक और अनुसंधान कार्य तथा तीसरे देशों में लुग्दी और कागज संयंत्रों की स्थापना करने में सहभागिता तथा लुग्दी और कागज के कुछ उत्पादों एवं अन्य सामग्री के विनियम की संभाव्यताओं का प्राक्कल्पना की गई है। उदाहरण के लिए भारत में विद्यमान कागज मिलों के आधुनिकीकरण और पुनर्निर्माण के लिए सहयोग के क्षेत्र में नेपा मिल्स के पुनर्निर्माण और

आधुनिकीकरण की संभाव्यताओं का अध्ययन करने पर सहमति व्यक्त की गई है।

**सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और साबुन के मूल्यों में वृद्धि**

7000. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और साबुन उत्पादक एककों ने जनवरी से मई, 1980 की अवधि के दौरान अपने उत्पादों के मूल्यों में मनमानी वृद्धि कर दी थी; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका औचित्य क्या है।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) और (ख) सौंदर्य प्रसाधनों व साबुनों पर कोई नियंत्रण नहीं है। सौंदर्य प्रसाधनों के मूल्य के बारे में किसी प्रकार के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। किन्तु, साबुनों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। यह मूल्य वृद्धि निवेश वस्तुओं की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण हुई है।

**तमिलनाडु में सर्वाधिक पिछड़े जिले**

7001. **श्री एन० डेनिस** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) तमिलनाडु में ऐसे कौन-कौन से जिले हैं, जिन्हे उद्योग की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़े हुए जिलों के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है; और

(ख) क्या सरकार कन्याकुमारी जिले को उद्योग की दृष्टि से सबसे अधिक पिछड़े हुए जिले की श्रेणी में रखने के बारे में विचार कर रही है;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) अखिल भारतीय सावधिक ऋणदायी वित्तीय संस्थानों से रियायती वित्त सुविधाओं का पात्र बनने के लिए तमिलनाडु के निम्नलिखित नौ जिले औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए पाए गए हैं :

धर्मपुरी, कन्याकुमारी, मदुराई, उत्तर अरकाट, रामनाथपुरम, दक्षिणी अरकाट, तंजौर, त्रिचुरापल्ली तथा पुड़कोट्टई जिले।

इन 9 जिलों में से निम्नलिखित 3 क्षेत्रों/प्रक्षेत्रों को जिनमें 33 तालुक शामिल हैं, केन्द्रीय निवेश राजसहायता योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र माना गया है :—

क्षेत्र-1. 12 तालुक वाला (जिसमें उप-तालुक शामिल हैं) अर्थात रामनाथपुरम मादकुलाथूर, शिवगंगा, परमाकुडी, तिरुवदनी, कराइकुडी तथा निरुपथौर तालुक (रामनाथपुरम जिले से) मैलूर तालुक (मदुराई जिले से) पुड़कोट्टई, थिरुमायाम, आलममुत्नी तथा कुलातूर तालुक (पुड़कोट्टई जिले से)।

क्षेत्र-2. जिसमें 11 तालुक शामिल हैं अर्थात् धर्मापुरी, पालाकोड, होसुर, दनकणी कोट्टा कृष्णागिरि, उथानंयरै हारूर (धर्मापुरी जिले), तिरुपत्तर, वेनियमबाड़ी, वैलूर, वालाजपेट, (उत्तरी अरकाट जिला)।

क्षेत्र-3. जिसमें 10 तालुक शामिल हैं, अर्थात् अरुप्पुदोतई, सैतूर, विरुद्धनगर, श्री विली-पुथुर,राजापालयम, रामनाथपुरम जिले के (पश्चिमी रामनाथपुरम से) तिरुमंगलम तथा वेदासन्दूर (मदुराई जिले से)।

(ख) योजना आयोग द्वारा गठित पिछड़े क्षेत्रों की विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति द्वारा इस वर्ष के अन्त तक पिछड़े क्षेत्रों की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल करने हेतु उपयुक्त नीति अथवा नीतियों पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दिए जाने की आशा है। क्षेत्रों की विद्यमान सूची व प्रोत्साहनों का स्वरूप इस समिति रिपोर्ट पर निर्भर करेगा।

**हिरासत में विचाराधीन महिलाएँ और बच्चे**

7002. **श्री एन. ई. होरो** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि जून, 1980 को 20 महिनों से अधिक की अवधि से हिरासत में चल रहे ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जिन पर मुकदमें चल रहे हैं तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में उनमें से कितने-कितने महिलाएँ और बच्चे हैं और उन्हें हिरासत में रखने के क्या आधार हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**उत्तर एवं दक्षिण राज्यों में बड़े तथा लघु उद्योग**

7003. **श्री ईरा अन्वारासु** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में लघु एवं बड़े उद्योगों की स्थापना के बारे में क्या मानदंड अपनाया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में बहुत से बड़े उद्योग केवल उत्तरी राज्यों में ही आरम्भ किये गये थे;

(ग) भारत में उत्तरी राज्यों में अब तक स्थापित किये गये (सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत) बड़े एवं लघु उद्योगों की संख्या कितनी है; और

(घ) भारत में दक्षिणी राज्यों में अब तक स्थापित किए गये (सरकारी क्षेत्र के अंतर्गत) बड़े एवं लघु उद्योगों की संख्या कितनी है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) उद्यम कर्त्ता देश में किसी भी स्थान पर बड़े और छोटे उद्योग स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं तथा सरकार विभिन्न राज्यों में उद्योग स्थापित करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित नहीं करती है। औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना के लिए उद्यमियों से प्राप्त आवेदन पत्रों पर सभी संगत तथ्यों पर विचार कर लेने के बाद गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है। किन्तु स्थापना स्थल संबंधी नीति के अनुसार, कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर 10 लाख अथवा इससे अधिक जनसंख्या वाले महानगरीय क्षेत्रों 5 लाख अथवा इससे अधिक आबादी वाले बड़े शहरों की नगरीय सीमा के भीतर नए औद्योगिक उपक्रमों की स्थापना करने तथा विद्यमान उपक्रमों का विस्तार करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) से (घ) वर्ष 1976, 1977, 1978, 1979 तथा 1980 जून, 1980 तक की अवधि में सरकारी तथा निजी क्षेत्रों को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों और आशयपत्रों की जानकारी देने वाले दो विवरण और दो संलग्न हैं।

विवरण-I

वर्ष 1976 से 1980 (जून, 1980 तक) की अवधि में निजी क्षेत्र/सरकारी क्षेत्र के एककों को जारी किए गए औद्योगिक लाइसेंसों की संख्या का राज्यवार संघ शासित क्षेत्र-वार ब्यौरा देने वाला विवरण।

| क्र० सं० | राज्य/संघशासित क्षेत्र | 1976 | | 1977 | | 1978 | | 1979 | | 1980 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निजी क्षेत्र | सरकारी क्षेत्र | निजी क्षेत्र | सरकारी क्षेत्र | निजी क्षेत्र | सरकारी क्षेत्र | निजी क्षेत्र | सरकारी क्षेत्र | निजी क्षेत्र | सरकारी क्षेत्र |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 35 | 16 | 21 | 6 | 7 | 10 | 11 | 6 | 11 | 6 |
| 2. | अंडमान और निकोबार | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 3. | असम | 4 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | 2 | — | 2 | — |
| 4. | बिहार | 13 | 4 | 11 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | — |
| 5. | चंडीगढ़ | 2 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
| 6. | दादरा और नगर हवेली | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 7. | दिल्ली | 10 | — | 5 | — | 6 | — | 6 | — | 3 | — |
| 8. | गोवा दमन और द्विव | 7 | — | — | 1 | 2 | — | — | — | — | — |
| 9. | गुजरात | 81 | 2 | 55 | 5 | 44 | 2 | 46 | 2 | 35 | 5 |
| 10. | हरियाणा | 24 | 3 | 22 | 1 | 12 | 1 | 16 | — | 6 | 1 |
| 11. | हिमाचल प्रदेश | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | जम्मू और कश्मीर | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 | — | — | — |
| 13. | कर्नाटक | 39 | 4 | 36 | 9 | 20 | 6 | 20 | 4 | 11 | 6 |
| 14. | केरल | 16 | 9 | 10 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 1 |
| 15. | मध्य प्रदेश | 13 | 5 | 8 | — | 8 | — | 7 | — | 5 | 2 |
| 16. | महाराष्ट्र | 142 | 1 | 146 | 4 | 92 | 9 | 99 | 12 | 45 | 1 |
| 17. | मणिपुर | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 18. | मेघालय | 1 | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — |
| 19. | उड़ीसा | 6 | 1 | 2 | — | 2 | — | 4 | 2 | 4 | 1 |
| 20. | पंजाब | 19 | 6 | 15 | 8 | 5 | 4 | 11 | 2 | 6 | 1 |
| 21. | राजस्थान | 15 | 1 | 16 | 1 | 9 | 1 | 8 | — | 8 | 1 |
| 22. | तमिलनाडु | 59 | 2 | 31 | 1 | 27 | 1 | 23 | 3 | 13 | 1 |
| 23. | त्रिपुरा | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 51 | 4 | 29 | 12 | 22 | 4 | 26 | 7 | 6 | 3 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 51 | 5 | 34 | 6 | 21 | 2 | 27 | 2 | 6 | 2 |
| 26. | राज्य जिसका नाम नही दिया गया है | — | — | 6 | — | 3 | — | 22 | — | — | — |
| | योग : | 595 | 67 | 449 | 69 | 300 | 48 | 319 | 46 | 165 | 30 |

## विवरण-II

वर्ष 1976 से 1980 (जून, 1980 तक) की अवधि में सरकारी/निजी क्षेत्र के एककों को जारी किए गए आशयपत्रों की संख्या का राज्यवार संघशासित क्षेत्रवार ब्यौरा देने वाले विवरण ।

| क्र. सं. | राज्य/संघशासित क्षेत्र | 1976 | | 1977 | | 1978 | | 1979 | | 1980 जून 1980 तक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निजी क्षेत्र | सरकारी क्षेत्र | निजी क्षेत्र | सरकारी क्षेत्र | निजी क्षेत्र | सरकारी क्षेत्र | निजी क्षेत्र | सरकारी क्षेत्र | निजी क्षेत्र | सरकारी क्षेत्र |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11 | 12. |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 30 | 11 | 19 | 10 | 14 | 15 | 33 | 11 | 22 | 9 |
| 2. | अंडमान और निकोबार | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — |
| 3. | असम | 4 | 5 | 2 | — | 1 | 3 | — | — | 1 | — |
| 4. | विहार | 7 | 6 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 5. | दिल्ली | 4 | — | 11 | — | 4 | — | 2 | — | 1 | — |
| 6. | गोवा, दमन और द्विव | 3 | 1 | — | — | 3 | — | 2 | — | 1 | — |
| 7. | गुजरात | 72 | 5 | 80 | 4 | 69 | 1 | 109 | 9 | 39 | 4 |
| 8. | हरियाणा | 20 | 1 | 13 | 1 | 20 | — | 23 | 3 | 24 | — |
| 9. | हिमाचल प्रदेश | 7 | — | 1 | 2 | 9 | — | 5 | 1 | 3 | — |
| 10. | जम्मू और कश्मीर | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | — | — | — | 1 |
| 11. | कर्नाटक | 41 | 8 | 33 | 9 | 11 | 4 | 23 | 11 | 21 | 3 |
| 12. | केरला | 12 | 3 | 7 | 11 | 9 | 4 | 4 | 7 | 2 | 2 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | मध्य प्रदेश | 13 | — | 18 | 6 | 21 | 3 | 28 | 6 | 17 | — |
| 14. | महाराष्ट्र | 120 | 8 | 126 | 9 | 84 | 6 | 94 | 11 | 40 | 4 |
| 15. | मेघालय | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 16. | नागालैंड | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — |
| 17. | उड़ीसा | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 18. | पांडिचेरी | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | — |
| 19. | पजाब | 12 | 10 | 8 | 7 | 10 | 5 | 21 | 5 | 13 | 1 |
| 20. | राजस्थान | 10 | 1 | 12 | 3 | 18 | 8 | 26 | 9 | 10 | — |
| 21. | तमिलनाडु | 35 | 1 | 18 | 4 | 24 | 3 | 31 | 4 | 10 | — |
| 22. | उत्तर प्रदेश | 30 | 10 | 33 | 14 | 26 | 7 | 28 | 2 | 19 | 3 |
| 23. | पश्चिम बंगाल | 33 | 5 | 35 | 6 | 29 | 2 | 21 | 7 | 14 | 3 |
| 24. | राज्य जिसका नाम नहीं दिया गया है | — | 1 | 2 | — | — | 2 | — | 2 | — | — |
| 25. | चंडीगढ़ | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| | | 459 | 88 | 435 | 98 | 369 | 71 | 457 | 93 | 244 | 33 |

**संगणकों के लिए विशेष पुर्जे और सामग्री**

7004. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : (क) क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या संगणकों के लिए विशेष पुर्जों और सामग्री का निर्माण सरकार द्वारा किया जा रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो कौन-कौन से पुर्जों और सामग्री का उत्पादन किया जाता है ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इन्दिरा गाँधी)** : (क) और (ख) जी, हाँ। इलेक्ट्रोनिक वस्तुओं के निर्माण में लगी सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ केन्द्रीय/राज्य स्तरीय कम्पनियाँ कुछ प्रकार के डायोड, ट्रांजिस्टर, प्रारम्भिक-किस्म के एकीकृत परिपथ, प्रतिरोधक रेजिस्टर, सूक्ष्म समजंक (ट्रिमर), कैपिस्टर (संधारित्र), अनुयोजक (कनेक्टर) आदि का निर्माण कर रही है। किन्तु स्वदेश में किए जा रहे इस उत्पादन के फलस्वरूप देश में इन वस्तुओं की कुल आवश्यकताओं की केवल आंशिक रूप से ही पूर्ति हो सकी है।

**भारी इंजीनियरिंग निगम, रांची को बार-बार होने वाली बिजली की कटौती के कारण हानि।**

7005. **श्री शिव प्रसाद साहू** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिला रांची में भारी इंजीनियरिंग निगम की हटिया फैक्टरी में बार-बार होने वाली बिजली की कटौती के कारण सरकार को करोड़ों रुपयों की हानि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बिजली की कटौती के कारण इस कारखाने की होने वाली हानि को बचाने के लिये इसके लिये एक रक्षित बिजलीघर बनाने का है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) और (ख) : 1979-80 में हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, राँची को 34.80 करोड़ रु० की अनुमानित हानि हुई थी। यह हानि मुख्यतया बिजली की अपर्याप्त सप्लाई तथा बार-बार लोडशेडिंग सहित अनेक कारणों से उत्पादन कम होने के कारण हुई थी।

(ग) और (घ) : जी, हाँ। कारपोरेशन का लगभग 45 करोड़ रु० की लागत से 2×20 मे० वाट क्षमता का एक केप्टिव पावर संयंत्र लगाने का प्रस्ताव है। इस संयंत्र के अधिष्ठापन तथा चालू करने में 3-4 वर्ष लगेंगे।

इस बीच 98 लाख रु0 की लागत से एक 3.5 मेगावाट का एक डीजल जनरेटिंग सेट लगाने का निर्णय किया गया है। इसके 1981-82 में अधिष्ठापित होने की संम्भावना है।

**नये सैनिक स्कूल**

7006. **श्री के० मालन्ना** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में निकट भविष्य में नये सैनिक स्कूल खोलने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री·····(श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) और (ख) सैनिक स्कूल केवल राज्य सरकारो की सिफारिश पर खोले जाते हैं। इस संबंध में किसी भी राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

**भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग को वरियता का निर्धारण**

7007 **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग से सम्बन्धित नियुक्तियों, पदोन्नतियों और वरीयता निर्धारण आदि संबंधी नियम अभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए समान रूप से लागू होते हैं?

(ख) क्या इन नियमों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस भारतीय सेवा के पदोन्नत अधिकारियों की, "सैलेक्शन ग्रेड" और "सुपर टाइम स्केलों" पर नियुक्ति के प्रयोजन से, प्रकल्पित वरीयता निर्धारित की जा सकती है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार को यह पता है कि इस प्रकार की पद्धति का कतिपय राज्य सरकारों द्वारा पालन किया जा रहा है;

(घ) ऐसा कौन सा तंत्र है, जिसके माध्यम से सरकार यह जान सके कि नियुक्तियों, पदोन्नति और वरीयता के निर्धारण आदि से सम्बन्धित निर्धारित नियमों का राज्य सरकारों द्वारा कड़ाई से पालन किया जा रहा है; और

(ङ) क्या सरकार के नोटिस में कभी ऐसे भी मामले लाए गए हैं, जहां इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, यदि हां, तो कब तथा किस प्रकार के, और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति, इन सेवाओं में पदोन्नति तथा इन सेवाओं के सदस्यों की वरिष्ठता के निर्धारण को शासित करने वाले नियमविनिमय, इन सेवाओं में भाग ले रहे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होते हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) जी हां, श्रीमान्, जहां तक उत्तर प्रदेश के भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा संवर्गों का संबंध है। अन्य राज्य सरकारों/संवर्ग प्राधिकारियों से सूचना मांगी गई है।

(घ) पीड़ित अधिकारियों के अभ्यावेदनों के जरिये अथवा किसी अन्य माध्यम से जब मामले सरकार के ध्यान में लाए जाते हैं तो सांविधिक नियमों के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संवर्ग प्राधिकारियों द्वारा कदम उठाए जाते हैं।

(ङ) जी हां, श्रीमान्, जहां तक उत्तर प्रदेश संवर्ग के कुछ पदोन्नत आई० पी० एस०/आई० ए० एस० अधिकारियों का संबंध है। एक रिट याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के आधार पर, परिकलित वरिष्ठता के अनुसार राज्य सरकार ने चयन ग्रेड/अधिसमय वेतनमान में कतिपय पदोन्नत आई० ए० एस० अधिकारियों की पदोन्नति की अनुमति दी है। उक्त मामला उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि 9 दिसम्बर, 1977 वाली यथास्थिति बनाई रखी जाए।

उत्तर प्रदेश सरकार ने यह भी सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा पदोन्नत आई० पी० एस० अधिकारियों की वरिष्ठता अभी तक निर्धारित नहीं की गई है इसलिए राज्य सरकार द्वारा ऐसे अधिकारियों की चयन ग्रेड/अधिसमय वेतनमान में पदोन्नति संवर्ग पदों पर लगातार स्थानापन्नता के संदर्भ में परिकलित प्रकल्पित वरिष्ठता के आधार पर की गई थी। राज्य सरकार ने, प्रकल्पित वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का आदेश देने की प्रथा को बन्द कर दिया है।

उक्त मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

**आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि में कठिनाईयां**

7008. **श्री बी० वी० देसाई :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारी उद्योग विभाग ने भारी उद्योग के लिए आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि में कठिनाइयां दूर करने हेतु अनेक उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उपायों से पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 1979-80 के दौरान भारी एककों के उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है,

(ग) यदि हां, तो क्या नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 1980-81 के लिए उत्पादन और भी अधिक उत्साहवर्धक है;

(घ) क्या मूल सामग्री, विशेषकर इस्पात की कमी, अपर्याप्त और अनियमित बिजली सप्लाई और श्रमिक असन्तोष से भारी उद्योग के एककों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ङ) यदि हां, तो इससे उन पर कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(च) क्या भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के 16 उपक्रमों का उत्पादन भी बढ़ा है; और

(छ) यदि हां, तो वर्ष 1978-79, 1989-80 के दौरान इनके उत्पादन में कितनी वृद्धि और वर्ष 1980-81 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**

(क) जी, नहीं। आधारभूत सुविधाएं अर्थात विद्युत जनित्रण, परिवहन और इस्पात भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत नहीं आती हैं। फिर भी सरकार को इस समस्या की जानकारी है और कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं। 1978-79 के उत्पादन की तुलना में 1979-80 में भारी उद्योगों के उत्पादन में 10 प्रतिशत की वृद्धि आधारभूत सुविधाओं की कठिनाइयों के बावजूद प्राप्त की गई थी।

(ग) सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों से 1980-81 की सम्भावना अधिक उत्साहवर्धक है।

(घ) और (ङ) : जी, हां। भिन्न-भिन्न मात्रा में।

(च) जी हां।

(छ) भारी उद्योग विभाग के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र के 16 उद्योगों का उत्पादन 1978-79 में 1077.46 करोड़ रु० से बढ़कर 1979-80 में 1179.81करोड़ रु० हो गया अर्थात उत्पादन 10% की वृद्धि हुई। वर्ष 1980-81 में इन उपक्रमों के लिए 1412.90 करोड़ रु० का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

**सी० आई० वी० (व्हीकल्स) अहमदनगर के नियंत्रक के विरुद्ध जांच**

7009. **श्री रामलाल राही** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी० आई० वी० (व्हीकल्स) अहमदनगर के विरुद्ध एक एसोसिएशन के माध्यम से दिसम्बर, 1978 में चन्दा एकत्रित करने और अपने निजी प्रयोग के लिए वाहन खरीदने आदि से सम्बन्धित लगाए गये गम्भीर आरोपों की जांच की गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम रहे और उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह : (क) और (ख)** अहमदनगर में निरीक्षण नियंत्रक (व्हीकल्स) के विरुद्ध

(1) एसोसिएशन के माध्यम से चन्दा एकत्रित करने और

(2) अपने निजी प्रयोग के लिए वाहन खरीदने आदि के बारे में लगाए गए आरोपों की जांच निरीक्षण महानिदेशक के संगठन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने की थी।

2. यद्यपि जांच से यह सिद्ध नहीं हो सका कि तत्कालीन नियंत्रक ने चन्दा एकत्र करने में अपने सरकारी पद के अधिकारों का वास्तव में दुरुपयोग किया था, फिर भी, यह देखा गया कि उन्होंने वूमैन वेलफेयर एसोसिएशन (बीमार और जरूरत मंद भूतपूर्व सैनिकों और सिविलयनों के लिए कल्याण कार्य करने वाला एक संगठन) के लिए कुछ उन फर्मों, जिनसे उनके सरकारी पद पर होने से संबंध थे, से दान एकत्र करने में उचित विवेक की कमी दिखाई थी। दान की यह राशि केवल 350/— रुपये थी। नियंत्रक को तद्नुसार यह लिखित चेतावनी दी गई थी कि "भविष्य में वे अधिक सतर्कता से काम करें।"

3. नियंत्रक के विरुद्ध दूसरा जो आरोप सिद्ध नहीं हो सका वह यह था कि मार्च-अप्रैल 1977 में जिस समय वे अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भर्ती थे उस समय उसके परिवार के सदस्यों ने पूना और अहमदनगर के बीच परीक्षण के लिए जाने वाली कारों में

कभी-कभी लिफ्ट ली थी। यद्यपि इससे सरकार को कोई अतिरिक्त व्यय नहीं करना पड़ा फिर भी इसे सरकारी अधिकारों का उल्लंघन माना गया और उक्त अफसर को भविष्य में ऐसी लापरवाही न करने की चेतावनी दी गई।

4. जहाँ तक अपने निजी प्रयोग के लिए कार प्राप्त करने का प्रश्न है, यह पाया गया कि नियंत्रक ने कार सीधे कार निर्माता मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स कलकत्ता से खरीदी थी। किन्तु उक्त कार फर्म के ड्राइवर द्वारा कलकत्ता से अहमदनगर लाई गई थी, यद्यपि उस का खच उक्त अफसर ने वहन किया था। इस संबंध में भी उक्त नियंत्रक को एक मौखिक चेतावनी दी गई थी।

5. नियंत्रक का अहमदनगर से स्थानान्तरण भी कर दिया गया था किन्तु उन्होंने सेवा से त्याग-पत्र दे दिया और वे सितम्बर 1979 में सेवा से समय-पूर्व ही सेवा-निवृत्त हो गए।

## रक्षा मंत्रालय में हिन्दी का प्रयोग

**श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय, विशेषकर जनसम्पर्क निदेशालय में हिन्दी भाषा की अपेक्षा की जाती है और हिन्दी समाचार-पत्रों की कतरनें भी तैयार नहीं की जाती जबकि क्षेत्रीय अंग्रेजी समाचार-पत्रों की कतर में प्रतिदिन तैयार की जाती हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि नौसैनिक जहाजों के साथ उनकी अन्य देशों की सद्भावना यात्राओं के समय कुछ संवाददाता भी जाते हैं परन्तु उनमें हिन्दी संवाददाताओं को कभी भी सम्मिलित नहीं किया गया;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है;

(घ) क्या यह भी सच है कि जन-सम्पर्क अधिकारी (हिन्दी) का पद काफी समय से खाली पड़ा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस पर को अब तक न भरे जाने के क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) यह सच नहीं है कि रक्षा मन्त्रालय अथवा जन-सम्पर्क निदेशालय जो इसका अधीनस्थ कार्यालय है, में हिन्दी उपेक्षा की जा रही है। इस निदेशालय में हिन्दी के समाचार-पत्रों की कतरनें पत्र सूचना कार्यालय से आती हैं। चूंकि अंग्रेजी समाचार-पत्रों की कतरनें पत्र सूचना कार्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई जाती हैं अतः ये जन-सम्पर्क निदेशालय में ही तैयार की जाती हैं।

(ख) और (ग) नौसेना के एक या दो जहाज हर वर्ष दूसरे देशों की सद्भावना यात्रायें करते हैं। ऐसे जहाजों में जगह उपलब्ध होने की स्थिति में प्रत्येक जहाज के साथ एक या दो संवाददाता भेजे जाते हैं। जब केवल एक संवाददाता के लिए ही जगह उपलब्ध होती है तो अंग्रेजी समाचार एजेन्सी से एक संवाददाता भेज दिया जाता है। दो संवाददाताओं के लिए जगह उपलब्ध होने पर एक संवाददाता अंग्रेजी समाचार एजेन्सी का तथा दूसरा भारत के समुद्र तटीय क्षेत्र से अंग्रेजी अथवा क्षेत्रीय भाषा के दैनिक पत्र का संवाददाता भेजा जाता है। यह

व्यवस्था निम्नलिखित कारणों से सुविधाजनक समझी गई है :—

(1) अंग्रेजी समाचार एजेन्सियों का क्षेत्र व्यापक है और ये हिन्दी के समाचार पत्रों की माँग भी पूरी करती हैं।

(2) अंग्रेजी समाचार से सम्बन्धित पत्र-पत्रिकायें उन समुद्र तटीय क्षेत्रों में उपलब्ध कराई जाती है जहाँ नौ-सेना की अधिकतर स्थापनाएँ हैं और जहाँ हिन्दी समाचार पत्र बहुत कम हैं।

(3) इससे अंग्रेजी एजेन्सियों/दैनिक पत्रों के संवाद-दाताओं को विदेशों से समाचार भेजने में कुछ हद तक सहायता मिलती है क्योंकि नौ-सेना की सिगनल सेवा केवल अंग्रेजी में ही है।

हिन्दी समाचार एजेन्सी अथवा हिन्दी के दैनिक पत्र का कोई संवाददाता भेजने से समाचारों का परिचालन केवल हिन्दी भाषी क्षेत्रों तक ही सीमित रहेगा और इससे समाचारों का प्रसारण केवल हिन्दी भाषी क्षेत्रों में ही हो सकेगा जहाँ नौसेना की प्रमुख स्थापनाएं नहीं हैं।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

**आसूचना ब्यूरो को पुलिस से अलग करने का प्रस्ताव**

7011. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार आसूचना ब्यूरो को पुलिस से अलग करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) आसूचना ब्यूरो कोई पुलिस संगठन नहीं है और इस प्रकार इसे पुलिस से अलग करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**अमरीका द्वारा परिष्कृत यूरेनियम की सप्लाई**

7012. **श्री चित्त बसु, श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अमरीका द्वारा तारापुर परमाणु संयंत्र के लिये परिष्कृत यूरेनियम की सप्लाई के बारे में अद्यतन स्थिति क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी)** : अमरीका के राष्ट्रपति ने 19 जून, 1980 को एक कार्यपालक आदेश जारी करके समृद्ध यूरेनियम की उन दोनों खेपों का भेजा जाना प्राधिकृत किया था, जो अब तक नहीं भेजी गई है। इस कार्यपालक आदेश पर अमरीकी कांग्रेस 60 दिन तक लगातार चलने वाले अपने सत्र में पुर्विचार कर सकती है। आशा है कि वह अवधि, जिसमें कांग्रेस पुनर्विचार कर सकती है, सितम्बर, 1980 के अंत तक समाप्त हो जाएगी। इस विषय पर अमरीकी कांग्रेस में बहस चल रही है।

**असम में रहने वाले बंगालियों का प्रतिनिधिमंडल**

7013. **श्री के० पी० सिंह देव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में रहने वाले बंगालियों का एक प्रतिनिधि मंडल 8 जुलाई, 1980 को दिल्ली आया था और उसने प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था;

(ख) यदि हाँ, तो ज्ञापन में दी गईं माँगों का ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) और (ख) असम बंगाली संघ, डाकखाना-सप्तग्राम-783337, जिला गोलपाड़ा, (असम) द्वारा प्रधान मंत्री को संबोधित तारीख 8 जुलाई, 1980 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था। ज्ञापन में मुख्य रूप में असम पुलिस के पक्षपात पूर्ण व्यवहार के संबंध में शिकायत की गयी है और माँग की गयी है कि असम पुलिस बटालियन को हटाया जाय और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए के० रि० पु० बल और सीमा सुरक्षा बल जैसे अधिक केन्द्रीय बल तैनात किये जायें।

(ग) असम सरकार से असम में अल्पसंख्यकों के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यकों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने और हिंसक गतिविधियों से सख्ती से निपटने के लिए, जिसमें शरारत करने वालों और अन्य ऐसे व्यक्तियों का शीघ्र पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिनका लोगों तथा अन्य की सम्पत्ति के विरुद्ध हिंसा में हाथ होता है।

**सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों की उप-महानिरीक्षक (डी० आई० जी०) के पद पर पदोन्नति।**

7014. **नारायण चंद पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सांविधिक नियमों के अनुसार 30 जून, 1980 तक सीमा सुरक्षा बल के कितने अधिकारी उप-महानिरीक्षक (डी० आई० जी०) के पद पर पदोन्नत होने के पात्र हो गये हैं; और

(ख) कितने अधिकारी अगले छः वर्षों में पदोन्नति प्राप्त करने के पात्र हो जायेंगे ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) 4 सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी।

(ख) 87 सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी।

**राज्यों को धन के नियतन के लिए बना गाडगिल फार्मूला**

7015. **श्री जैनुल बशर :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्यों को धन के नियतन के लिये बना गाडगिल फार्मूला पिछड़े राज्यों के हितों के विरुद्ध पाया गया है;

(ख) क्या इस फार्मूला के अन्तर्गत राज्यों की जनसंख्या, क्षेत्रफल और आर्थिक पिछड़ेपन पर विचार किया जाता है; और

(ग) क्या सरकार गाडगिल फार्मूला के स्थान पर कोई ऐसा फार्मूला बनाने पर विचार कर रही है जिसमें संतुलन विकास का विचार किया गया हो तथा जिससे राज्यों में परस्पर और राज्यों के क्षेत्रों में परस्पर असंतुलन दूर हो ?

**योजना मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी** : (क) यद्यपि सभी राज्य गाडगिल फार्मूला से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हैं, परन्तु राष्ट्रीय विकास परिषद् ने इसका समर्थन कर दिया है इस तथ्य से यह दिखाई देता है कि कोई स्वीकार्य विकल्प अभी तक तैयार नहीं किया गया है।

(ख) गाडगिल फार्मूला में जनसंख्या और आर्थिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखा जाता है परन्तु राज्यों के क्षेत्रों को ध्यान में नहीं रखा जाता।

(ग) राज्यों को केन्द्रीय सहायता इस समय गाडगिल फार्मूला और आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूला के आधार पर आवंटित की जा रही है जिससे पिछड़े राज्यों को और अधिक सहायता मिली है। वर्तमान फार्मूला में किसी परिशोधन पर 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के भाग के रूप में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा विचार किया जा सकता है।

**जमशेदपुर में चीनी साहित्य वाला गुब्बारा।**

7016. **श्री फूलचन्द वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि जमशेदपुर के सोनाडीह गांव के क्षेत्र में 3 जुलाई, 1980 को ऐसे गुब्बारे गिराये गये थे जिसमें चीनी साहित्य, बिस्कुट, टाफियाँ आदि भरी थीं;

(ख) यदि हाँ, तो चीनी साहित्य का पाठ क्या है;

(ग) क्या चीन इस साहित्य के माध्यम से भारत-विरोधी प्रचार में लग रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस बारे में पूरा ब्यौरा क्या है?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) चीनी भाषा में इश्तिहारों में के० एम० टी० समर्थक और कम्यूनिस्ट चीन विरोधी प्रचार सामग्री पाई गई हैं, इसका भारत की सुरक्षा से कोई तात्पर्य नहीं है। मूल रूप से ताइवान से मुख्य भूमि चीन को छोड़े गये ये गुब्बारे संभवतः हवा के प्रतिकूल प्रवाह और वातावरण में गड़बड़ी के कारण उड़कर भारत की ओर आ गये थे।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**पिक्चर ट्यूबों की खरीद के मामले में इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड (ई० टी० टी० डी० सी०) द्वारा उठायी गयी हानि।**

7017. : **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या इलेक्ट्रानिकी व्यापार तथा प्रौद्योगिकी विकास निगम लिमिटेड द्वारा 1975-1977 के दौरान विदेशों से टेलीविजन पिक्चर-ट्यूबों की खरीद के मामले में कोई वित्तीय हानि उठायी गयी है;

(ख) क्या उक्त ट्यूबों की खरीद के लिए विश्वव्यापी टेंडर आमंत्रित किये गये थे; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी** : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) दूरदर्शन सेट के विनिर्माण कर्त्ताओं को बगैर किसी बाधा के दूरदर्शन पिक्चर ट्यूब उपलब्ध कराने की दृष्टि से तथा साथ ही पिक्चर ट्यूबों की आयात की गई मात्रा, उनकी कीमत, गुणवता और डिलीवरी की तारीखों से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए, दूरदर्शन पिक्चर ट्यूबों को खरीदने के लिए विश्वव्यापी आधार पर टेंडर आमंत्रित करने की कार्यविधि को व्यवहारिक नहीं पाया गया। किन्तु सीमित मात्रा में टेंडर आमंत्रित करने की प्रक्रिया अपनाई गई है तथा गुणवता और शीघ्र डिलीवरी को देखते हुए इस प्रक्रिया से उपयुक्त और संतोषजनक प्रतियोगी मूल्य पर पिक्चर ट्यूब प्राप्त हो सके हैं।

**आसाम की नाकाबंदी**

7018. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मन्त्री के इस आश्वासन के बाद भी कि आसाम के विरुद्ध आर्थिक नाकाबन्दी को निरूत्साहित किया जायेगा, पश्चिम बंगाल छात्र परिषद तथा पश्चिम बंगाल की युवा कॉंग्रेस (आई०) राज्य शाखा द्वारा नाकाबन्दी करने का प्रयास जारी है; और

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी नाकाबन्दी को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) : पश्चिम बंगाल में छात्र परिषद (आई०) और युवा कॉंग्रेस (आई०) ने असम में बंगालियों के उत्पीड़न पर ध्यान संकेन्द्रित करने के उद्देश्य से राज्य में 23 मार्च और 4 अप्रैल के बीच एक आन्दोलन किया था। आन्दोलन कुल मिलाकर शान्तिपूर्ण रहा। पश्चिम बंगाल सरकार ने उपर्युक्त आन्दोलन के संबंध में कुल 3, 445 व्यक्ति गिरफ्तार किये थे।

**दिल्ली में चलते-फिरते न्यायालय**

7019. **श्री उत्तम भाई एम० पटेल** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गति सम्बन्धी नियमों व परिवहन प्राधिकारियों द्वारा बनाये गये तथा अन्य विनियमों का उलंघन करने वाले व्यक्तियों को गिरफ्तार करने और दुर्घटनाओं को रोकने के लिये दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर चलते-फिरते न्यायालय स्थापित किये गये हैं;

(ख) मई से जुलाई 1980 तक की अवधि में कितने व्यक्ति पकड़े गये और वसूल किये गये जुर्माने का ब्यौरा क्या है और कितने व्यक्ति जेल भेजे गये;

(ग) ऐसे न्यायालय स्थापित करने पर आज तक कुल कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में ऐसे स्थायी न्यायालय स्थापित करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) दिल्ली में 31-5-1980 से यातायात अपराधों के विचारण के लिए 4 चलते-फिरते न्यायालयों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है।

(ख) 15-7-1980 तक चलते फिरते न्यायालयों ने 18744 मामलों को निपटाया है जिसमें 10, 16, 156/- रुपए का जुर्माना वसूल किया गया है। चूंकि किये गये जुर्मानों की अदायगी घटनास्थल पर ही कर दी गई थी। अतः किसी व्यक्ति को जेल नहीं भेजा गया है।

(ग) चलते फिरते न्यायालयों के कार्य में लगाए गये मजिस्ट्रेट इस कार्य को अपने कार्य के अतिरिक्त कर रहे हैं और उन्हें 300 रु० मासिक मानदेय के रूप में दिया जाता है। इसी प्रकार क्लैरिकल स्टाफ को भी मानदेय दिया जाता है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकारें चलते फिरते न्यायालयों को स्थापित करने के उदाहरण का अनुसरण कर सकती है।

**एक बड़े एकक द्वारा कार्बन वांडेड ग्रेफाइट पार्टिकल्स का निर्माण किया जाना**

7020. **श्री नवीन रवाणी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से एक बड़े एकक को कार्बन वांड़ेड ग्रेफाइट पार्टिकल्स का निर्माण करने की अनुमति दी गई है हालांकि 120 से अधिक छोटे एकक 50 वर्ष से अधिक अवधि से इस मद का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल इंडस्ट्रीज आफ इंडिया ने इस प्रकार की अनुमति के खिलाफ कड़ा विरोध प्रकट किया है और लघु एककों को संरक्षण देने की मांग की है; और

(ग) यदि हां तो इस मद में लघु एककों की रक्षा के लिए क्या उपाय करने का विचार है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) एक मझौले एकक को प्रश्न में उल्लिखित कार्बन वांडेड ग्रेफाइट पार्टिकल्स का विनिर्माण करने के लिए नहीं अपितु विभिन्न किस्मों और आकारों के ग्रेफाई क्रूसिबल्स सहित विभिन्न किस्मों के ऐसे कार्बन उत्पादों का विनिर्माण करने के लिए 30.12.78 को एकआशय-पत्र जारी किया गया था जो लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है। इस मामले में सरकार ने देश में विकसित तकनीकी जानकारी के उपयोग से भारत में बनाए जाने वाले उपकरणों आदि के लिए तकनीकी उपस्थान सहित डिजाइनों व ड्राइंगों के आयात की स्वीकृति दी है। प्रक्रिया संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए विदेशी सहयोग करने का यह कोई नियमित प्रस्ताव नहीं है।

(ख) सरकार को ग्रेफाई क्रूसिबल विनिर्माताओं से अलग-अलग और फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ स्माल इन्डस्ट्रीज आफ इण्डिया (एफ० ए० एस० (II) से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं तथा ऐसा प्रतीत होता है कि अभ्यावेदन ऐसा समझकर किए गए हैं कि इस मामले में विदेशी सहयोग की अनुमति दी गई है।

(ग) लघु एककों को संरक्षण देने के एक अभ्युपाए के रूप में आशय-पत्र में यह शर्त लगी होती है कि लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित किस्मों व आकार के क्रूसिबल्स के उत्पादन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा ड्राइंगों व डिजाइनों का आयात करने संबंधी एक लघु एकक के ऐसे ही एक प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है।

**नक्सलपंथी साम्यवादी**

7021. **श्री झारखंडे राय : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्यवार कुल कितने नक्सलपंथी साम्यवादी हैं;

(ख) उनमें से राज्यवार कितने व्यक्ति नजरबंद हैं; कितने अभियुक्त हैं और कितने अपराधी ठहराये जा चुके है;

(ग) राज्यवार उनमें से कितने व्यक्तियों का जेलों में उच्च श्रेणियाँ प्रदान की गई; और

(घ) उनकी रिहाई के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) मामले की जांच की जा रही है।

**6 अगस्त, 1980 को होने वाली सदन की बैठक के लिए परमाणु ऊर्जा का उत्पादन**

7022. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग तथा परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना के पीछे जो लक्ष्य थे उनमें मुख्य लक्ष्य यह भी था कि ऐसे अनेक परमाणु बिजली केन्द्रों की स्थापना करना था जो वर्ष 1980-81 तक 8000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकें;

(ख) यदि हां, तो उनका वास्तविक कार्यकरण क्या रहा; और

(ग) उक्त लक्ष्यों के प्राप्त न होने के क्या कारण हैं ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) जी, हां। सन् 1954 में परमाणु ऊर्जा आयोग ने जो लक्ष्य सामने रखे थे, उनके अनुसार वर्ष 1980-81 तक 8000 मेगावाट परमाणु बिजली का उत्पादन करने का विचार था, परन्तु सन् 1973 में परमाणु ऊर्जा विभाग के एक अध्ययन-दल ने वह सिफारिश की थी कि वांछित परिणामों को प्राप्त करने में आई कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष 1980-81 तक 1240 मेगावाट परमाणु बिजली के उत्पादन की क्षमता प्राप्त की जाए।

(ख) आशा है कि वर्ष 1980-81 के अंत तक 860 मेगावाट बिजली के उत्पादन की क्षमता प्राप्त कर ली जाएगी।

(ग) आरम्भ में सामने रखे गए लक्ष्यों को पूरा न हो सकने के प्रमुख कारण निम्न-लिखित हैं :

(i) और ज्यादा गति से चलने वाले किसी कार्यक्रम की आवश्यकताओं को पूरा करने में देश के औद्योगिक ढांचे का असमर्थ रहना।

(ii) बड़े और भारी उपकरणों को लाने ले जाने के लिए परिवहन-व्यवस्था का अपर्याप्त होना;

(iii) रिऐक्टरों के हिस्सों को और अधिक कार्य-क्षम और सस्ता बनाने के लिए उनके डिजाइन फिर से तैयार करना और उन्हें ऐसा बनाना कि वे भारतीय निर्माताओं के सामर्थ्य के अनुरूप हों;

(iv) भारत को न्यूक्लीय उपकर देने पर कुछ देशों द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना; और

(v) कुछ उपकरणों के निर्माण और बनाने का काम देश में ही करने में सामने आई कठिनाइयां।

**दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास**

7023. **श्री भोखूराम जैन :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवीं योजनावधि में दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिये एक योजना तैयार की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसका परिव्यय कितना है और इससे किन-किन विभिन्न क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के त्वरित आर्थिक विकास के लिए कोई अलग योजना तैयार नहीं की गई थी। तथापि पांचवी योजना की अवधि में कार्यान्वित की गई अनेक योजनाओं से दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को भी लाभ पहुंचा।

**तकनीकी कालेजों और संस्थानों का दौरा करने वाले दलों के माध्यम से भर्ती**

7074. **श्री अरविन्द नेताम :** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नौसेना चयन दल निकट भविष्य में उपयुक्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार और चयन करने के लिए देशभर में तकनीकी कालेजों और संस्थानों का दौरा करेंगे;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या आधार हैं और इस तरह की भर्ती करने का अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भर्ती करने का पुराना तरीका दोषपूर्ण था; और

(घ) यदि हां, तो अब अपनाई गई प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) से (घ) नौ सेना की तकनीकी शाखाओं अर्थात् इंजीनियरिंग और इलैक्ट्रिकल शाखाओं में भर्ती की सामान्य पद्धति राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा है जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाती है। भर्ती के केवल इस माध्यम से नौ सेना के लिए तकनीकी अफसरों की मांग पूरी करना संभव नही हुआ है। भर्ती में हुई इस कमी को पूरा करने के लिए नौ सेना में दो योजनाएं शुरू की गई हैं जो सीधी भर्ती योजना और विश्व-विद्यालय भर्ती योजना के नाम से जानी जाती है।

2. विश्व-विद्यालय भर्ती योजना कोई नई योजना नहीं है और यह 1959 से चली आ रही है। इस योजना के अंतर्गत नौ सैनिक चयन दल तकनीकी महाविद्यालयों और संस्थानों में जाकर विभिन्न इंजीनियरिंग विषयों अर्थात् मैकेनिकल, इलैक्ट्रिकल, दूरसंचार या इलैक्ट्रानिक इंजीनियरी के अंतिम वर्ष से एक वर्ष से पूर्व और अंतिम वर्ष के डिग्री पाठ्यक्रमों में पढ़ रहे छात्रों में से चयन करते हैं। इसके लिए छात्रों को पाठ्क्रम शुरू होने से पूर्व वर्ष के। अक्टूबर को 19 से 24 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए। उसके बाद चुने गए उम्मीदवारों का सेवा चयन बोर्ड साक्षात्कार करता है और उनकी डाक्टरी जांच की जाती है। जिनको हर प्रकार से योग्य पाया जाता है उन्हें महा विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के अंतिम वर्ष में भारतीय नौ सेना में कमीशन प्रदान कर दिया जाता है। ग्रेजुएशन करने के बाद इन छात्रों को नौ सेना स्थापनाओं में आगे के प्रशिक्षण के लिए रिपोर्ट करनी होती है। महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने के अंतिम वर्ष के दौरान ये लोग 750.00 रुपए प्रति माह प्रति-धारण शुल्क (रिटेनिंग पी) पाने के हकदार होते हैं और नौ सैनिक अकादमी में प्रशिक्षण के लिए आने पर अपने रैंक के सामान्य वेतन और भत्ते पाने के लिए प्राधिकृत होते हैं।

3. नौ सैना की तकनीको शाखाओं के लिए अफसरों की चयन की इस प्रणाली से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से की गई भर्ती में जो कुछ कमी रह जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है।

## सहायकों की अनुभाग अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के बारे में 1978 के लिए चयन सूची

7025. **श्री डी० पी० यादव** : क्या गृह मंत्री सहायकों की अनुभाग अधिकारियों के पदों पर पदोन्नति के बारे में 1978 के लिए चयन सूची के बारे में 18 जून, 1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1197 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न कि विभागीय परिषद के सम्पूर्ण स्टाफ साइड की और से बल्कि स्टाफ के कुछ ही व्यक्तियों के कहने पर चयन सूची को 16 जून, 1980 तक रोक लिया गया था;

(ख) क्या उक्त सूची को वर्तमान नियमों तथा विनियमों के अनुसार तैयार किया गया है और वह बिल्कुल सही है; और

(ग) यदि हां, तो चयन सूची जारी करने में विलम्ब करने के क्या कारण हैं ?,

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** : (क) से (ग) विद्यमान नियमों के अनुसार उक्त प्रवर सूची (वरिष्ठता कोटा), 1978 तैयार कर ली गई है लेकिन कर्मचारी पक्ष के विशिष्ट अनुरोध पर सहायकों की सामान्य वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने तक उक्त सूची को जारी करने से रोक लिया गया था। उक्त मामले को अगले कुछ दिनों में अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

**तमिलनाडु में ग्रुप I सेवाओं को भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा पैनल में शामिल करना**

7026. **श्री के. अर्जुनन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सनकारों, विशेषकर तमिलनाडु में ग्रुप I सेवाओं में (एक) डिप्टी कलक्टरों, (दो) पुलिस उपाध्यक्षों, (तीन) सहकारी संस्थाओं के उप-पंजीयक, और (चार) संयुक्त व्यापारिक कर अधिकारियों को कुछ निर्धारित सेवा अवधि के बाद भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस पैनल में शामिल करने के बारे में विचार किया जाता है लेकिन इसमें एक श्रेणी अर्थात् पंजीकरण विभाग में जिला पंजीयक को शामिल नहीं किया जाता;

(ख) क्या सरकार का विचार पंजीकरण विभाग के जिला पंजीयक को भी भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा पैनल में शामिल करने के लिए विचार करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** (क) से (ग) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 तथा भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 में निर्धारित पात्रता की शर्तों के अनुसार क्रमशः भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में नियुक्ति के लिए किसी राज्य सिविल सेवा अथवा राज्य पूलिस सेवा के स्थायी सदस्यों के मामलों पर विचार किया जाता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1956 के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए किसी ऐसे व्यक्ति पर भी विचार किया जा सकता है जो किसी राज्य सिविल सेवा का तो नहीं है, लेकिन किसी राज्य के कार्यों के सम्बन्ध में सेवा कर रहा है और उत्कृष्ट गुण तथा योग्यता रखता है और जिसने राज्य सरकार के अधीन किसी महत्व और उत्तरदायित्व में राज्य सिविल सेवा के तुलनीय कर्त्तव्यों वाले किसी राजपत्रित पद पर कम से कम 8 वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली है तथा उस पद पर स्थायी हैसियत से कार्य कर रहा है, परन्तु शर्त यह है कि चयन समिति द्वारा विचार किए जाने के लिए ऐसे अधिकारी के नाम का प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा किया गया हो और सेवा में नियुक्ति के लिए उसके उपयुक्त होने की सिफारिश चयन समिति द्वारा की गई हो और इस सिफारिश का संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदन कर दिया जाए। तमिलनाडु सरकार अथवा किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन न केवल सहकारिता और वाणिज्यिक कराधान विभागों में, अपितु पंजीकरण विभाग आदि जैसे अन्य विभागों में भी इसी प्रकार के पदों पर कार्य करने वाले अधिकारियों पर भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया

जा सकता है, बशर्ते कि वे पात्रता की शर्तें पूरी करते हों।

**कच्छ के लिए विकास बोर्ड**

7027. **श्री महिपत राय एम० मेहता** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ के लिए, जो गुजरात राज्य के तीन यूनिटों (कच्छ, सौराष्ट्र और गुजरात) में से एक हैं, वर्ष 1976 में भारत के संविधान की धारा 371 (2) के अनुसार विकास बोर्ड की व्यवस्था की गई थी;

(ख) क्या वर्ष 1977 में यह आदेश वापिस ले लिया गया था; और

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हाँ, श्रीमान राष्ट्रपति ने कच्छ के लिए एक विकास बोर्ड की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 371 के खण्ड (2) में उल्लिखित अन्य मामलों के लिए गुजरात के राज्यराल के विशेष उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए उक्त खण्ड के अधीन 28 फरवरी, 1977 को गुजरात राज्य (कच्छ) के लिए राज्यपाल का विशेष उत्तरदायित्व) आदेश 1977 किया था।

(ख) और (ग) राष्ट्रपति का उक्त आदेश जो 28.2.1977 को जारी किया गया था राज्य सरकार के कहने पर मामले का पुनरीक्षण करने के बाद रद्द कर दिया गया।

**विदेशों में बसे भारतीयों को पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने हेतु आमन्त्रित किया जाना**

7028. **श्री तारिक अनवर** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने विदेशों में बसे भारतीयों को इस देश के पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए आमन्त्रित किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उन्हें किन स्थानों पर उद्योग स्थापित करने के लिए कहा जा रहा है; और

(ग) भारत सरकार का विचार उन उद्योगपतियों को क्या विभिन्न सुविधाएँ देने का है।

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** :

(क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) भारत में औद्योगिक एककों जिनमें पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक एकक भी शामिल हैं, में प्रवासी भारतीय द्वारा निवेश करने पर उन्हें दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी देने वाला एक टिप्पण विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

**भारत में औद्योगिक एककों में निवेश करने के लिए प्रवासी भारतीयों को दी जाने वाली सुविधाएँ**

**देश प्रत्यावर्तन का अधिकार न होना**

प्रवासी भारतीय विदेशों में जमा राशि को बैंकों के माध्यम से या अपने विदेशी खातों में पड़ी जमा राशि को किसी सरकारी।निजी।लिमिटेड कंपनी या किसी साझेदारी।स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान में इसके कार्यकलाप चाहे किसी भी प्रकार के हों, भारतीय रिजर्व बैंक को यह वचन देकर उसका निवेश कर सकता है कि वह निवेश की गई पूंजी तथा इससे होने वाली आय को देश से बाहर नहीं ले जाएगा। वह भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेकर इस शर्त पर शेयर बाजार के अंश या विद्यमान भारतीय कंपनियों के नए निर्गम भी खरीद सकता है कि वह इन शेयरों पर मिलने वाले लाभांश या जब कभी ये शेयर बेचे जाएँ तो बिक्री से वसूल की गई राशि भारत से बाहर नहीं भेजी जाएगी।

**विशेष सुविधाएँ**

भारतीय राष्ट्रीयता।मूल के प्रवासी भारतीयों को स्वदेश में स्थायी रूप से बसने के लिए वापस लौट आने पर सरकार द्वारा लागू विद्यमान औद्योगिक नीति के अनुरूप नए औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए निम्नलिखित विशेष सुविधाएँ दी जाती हैं :—

—वे अपनी विदेशी मुद्रा की बचत और विदेशी स्रोतों से 25 लाख रुपए मूल्य तक की पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। इस सुविधा के अंतर्गत प्रतिबंधित पूंजीगत वस्तुओं का आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तथापि, अपवाद स्वरूप मामलों में प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात संबंधी अनुरोधों पर भी उसके गुण व गुणों के आधार पर विचार किया जा सकता है।

—25 लाख रुपए की सीमा एक व्यक्ति पर लागु होती है जिसका तात्पर्य यह होगा कि दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कोई उद्योग स्थापित करते हैं तो वे परियोजना में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर निकाली गई मूल्य की सीमा तक पूंजीगत वस्तुओं का आयात कर सकते हैं। उपर्युक्त मामलों में सरकार किसी एक व्यक्ति के मामले में भी 25 लाख रुपए की सीमा में छूट दे सकती है।

—नई मशीनों की 25 लाख रुपए की सीमा की तुलना में प्रयोग में लाई गई (पुरानी) मशीनों के मामले में मशीनों का मूल्य 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

—इस सुविधा के अंतर्गत आयात की गई मशीनों को 5 वर्ष की अवधि तक बेचा नहीं जा सकता। इसके पश्चात मुख्य नियंत्रक आयात एवं निर्यात नई दिल्ली से अनुमति लेने पर ही इन मशीनों को बेचा जा सकता है।

—पूंजीगत वस्तुओं के आयात के अलावा प्रवासी भारतीय अपनी एक वर्ष की मांग को पूरा करने हेतु अधिकतम 5 लाख रुपये के मूल्य तक के कच्चे माल हिस्से पुर्जे उपभोग की जाने वाली वस्तुओं व भागों का आयात भी कर सकते हैं बशर्ते कि इस प्रकार के कच्चे माल

हिस्से पुर्जों व उपभोग की जाने वाली वस्तुओं तथा फालतू पुर्जों की खरीद उनके द्वारा विदेश में अर्जित विदेशी मुद्रा से की जा रही है।

—कच्चे माल, हिस्से पुर्जों उपयोग की जाने वाली वस्तुओं और फालतू पुर्जों के आयात की सुविधा उन मामलों में भी दी जाएगी जिनमें मशीनों का विदेश से आयात नहीं किया गया हो; बल्कि जिनकी देश में ही खरीद की गई हो।

—कच्चे माल, हिस्से पूर्जों उपयोग की जाने वाली वस्तुओं एवं फालतू पुर्जों के आयात संबंधी एक से अधिक आवेदन पत्रों पर विचार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी बशर्ते कि इन आयातों का कुल मूल्य 5 लाख रुपए की कुल सीमा से अधिक न हो।

—प्रवासी भारतीयों को ये सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। उन्हें विदेश के विदेशी मुद्रा को शेष राशि की रोक रखने की अनुमति लेने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित फार्म में आवेदन करना पड़ता है। भारत में वापिस लौट आने के बाद आवेदन आवेदक विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अनुसार आवेदन दे सकता है।

—भारतीय।राष्ट्रीयता मूल वाले प्रवासी भारतीय जो भारत में वापस लौटकर नहीं आना चाहते लेकिन देश प्रत्यावर्तन का अधिकार रखे बिना भारत में किसी उद्यम निवेश करना चाहते हैं वे भी पूंजी और लाभांश का देशप्रत्यावर्तन का अधिकार रहे बिना पूंजीगत वस्तुओं, कच्चे माल, हिस्से-पुर्जों, उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और फालतू पुर्जों के आयात के बारे मे दी जाने वाली उपर्युक्त सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। किन्तु उनके मामले में पुरानी (पहले उपभोग में लाई जा चुकी) पूंजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति नहीं दी जाएगी।

—उपर्युक्त सुविधाओं के अंतर्गत जो प्रवासी पूंजीगत वस्तुओं का आयात करना चाहते हैं उन्हें निर्धारित फार्म में आवेदन (लागत, बीमा भाड़ा) यदि आयात 10 लाख रुपये से अधिक न हो तो क्षेत्रीय लाइसेंस प्राधिकरण; यदि आयात 10 लाख रुपये से अधिक लेकिन 25 लाख रुपये से कम हो तो आवेदन मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात, उद्योग भवन, नई दिल्ली को यदि आयात 25 लाख रुपये के मूल्य से अधिक का हो तो आवेदन औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय (सी. जी. अनुभाग), उद्योग मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली के माध्यम से मुख्य नियंत्रक, आयात एवं निर्यात को भेजना चाहिए। यदि आवेदन औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय के माध्यम से दिया जाता है तो आवेदक को आवेदन की 10 अतिरिक्त प्रतियाँ अन्यथा 4 अतिरिक्त प्रतियाँ भेजनी चाहिए। औद्योगिक स्वीकृति सचिवालय के माध्यम से भेजे जाने वाले आवेदन-पत्रों के साथ निर्धारित फार्म आई० एल० में 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित औद्योगिक लाइसेंस लेने का आवेदन-पत्र भी संलग्न होना चाहिए।

**देश प्रत्यावर्तन के अधिकार सहित**

**1. नई कंपनियों में निवेश :**

प्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के व्यक्तियों को अनेक चुने हुए उद्योगों में लगी नई कंपनियो के नए इक्विटी निर्गमों में, निवेश की गई राशि और उससे होने वाली आय के देश प्रत्यावर्तन के पूर्णाधिकार सहित बशर्ते कि निवेश बैंकों के माध्यम से या प्रवासी (बाह्य) खातों

से किया गया हो, इक्विटी पूंजी के 20% तक निवेश करने की अनुमति दी गई है। निम्नलिखित उद्योगों को छोड़कर ये निवेश सभी उद्योगों (बड़े, मझौले व छोटे क्षेत्र) में किए जा सकते हैं :

कोयला, वस्त्र, दुग्ध-आहार, तिलहन पेरने, चमड़ा, दियासलाई, सशिलष्ट रेशों और धागों को कड़ा करने तथा अन्य प्रक्रियाएं, छीजन पर आधारित बिजली की भट्ठियों से तैयार किया गया इस्पात, इस्पात व लोहे के पाइप और ट्यूबें, चमकीली छड़ें, टीन के डिब्बे और धातुओं के डिब्बे, ड्रम और पीपे, इस्पाती तार, स्टील को पुनः लपेटने, एल्युमिनियम के अद्धों को छोड़कर अलौह धातु के अर्द्ध, ढलाई, ए० ए० सी०:ए० सी० एस० आर० कन्डक्टर, फार्मला हाइड, प्लास्टिक प्रोसेस्ड वस्तुएं औद्योगिक गैसें, अलकोहल युक्त पेयों का आसंवन या शराब बनाना तथा लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित वे वस्तुएँ जिनके संयंत्र व मशीनों का मूल्य 5 लाख रुपये से अधिक हो।

(2) **प्राथमिकता।निर्यातोन्मुख उद्योगों में निवेश।**

प्रवासी भारतीयों को किसी न्यूनतम सीमा के बिना 74% तथा निवेश करने की भी अनुमति दी गई है यदि वे;

निम्नलिखित प्राथकिमता वाले उद्योगों में से कोई उद्योग स्थापित करें, धातु कार्मिक उद्योग, वायलर व भाप जनित्रण संयंत्र, प्राइम मूवर (विद्युत चालित जनरेटरों को छोड़कर), बिजली के उपकरण (कुछ निर्दिष्ट वस्तुएँ), परिवहन उपकरण, औद्योगिक मशीनें, मशीनी औजार, कृष्टि मशीनें मिट्टी हटाने की मशीनें, औद्योगिक यंत्र, वैज्ञानिक यंत्र, नाइट्रोजन युक्त व फास्फेट युक्त उर्वरक, रसायन (कुछ विशिष्ट वस्तुएँ), भेषज व दवाइयां, कागज उत्पादन सहित कागज व लुगदी; मौटर गाड़ियों के टायर व ट्यूबें प्लेट ग्लास; चीनी मिट्टी की वस्तुएँ और सीमेंट उत्पाद। वे इस बचत के साथ किसी उद्योग में निवेश करते हैं कि उनके कुल उत्पादन का कम से कम 60 प्रतिशत अंश का निर्यात किया जाएगा। (लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों के मामले में 75 प्रतिशत)।

इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए प्रवासी भारतीयों द्वारा लाई गई विदेशी मुद्रा की सीमा तक देशी अनापत्ति लिए बिना पूंजीगत उपकरणों के आयात की अनुमति दी जाएगी।

इस योजना के अंतर्गत स्थापित उद्योगों से होने वाले लाभ को निर्बाध रूप से भेजने की अनुमति होगी। एकक द्वारा वाणिज्य उत्पादन शुरू करने और जहां कहीं लागू होता हो निर्यात दायित्व पूरा करने पर पूंजी के देश में प्रत्यावर्तन की अनुमति भी दी जाएगी।

ये सुविधाएं विद्यमान औद्योगिक उपक्रमों के विस्तार और विविधकरण सहित नए निवेश करने पर ही लागू होंगी लेकिन विद्यमान क्रियाकलापों में लगी मौजूदा कंपनियों के शेयर खरीदने के लिए नहीं दी जाएगी।

**पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गतिविधियों में मिशनरीज**

7029. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर बंगाल क्षेत्रों में कोई मिशनरी कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राजनीतिक गतिविधियों में उनके भाग लेने के समाचार मिले हैं, और

(ग) यदि हाँ, तो क्या विदेशियों के इस राजनीतिक हस्तक्षेप को समाप्त करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) 16 जुलाई, 1980 को तारांकित प्रश्न संख्या 566 के उत्तर में जैसा बताया गया था, पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार कुछ विदेशी मिशनरियों और समाज कल्याण संगठन एक पृथक झारखण्ड राज्य के लिए आंदोलन में और स्थानीय विवादों पर आदिवासियों को उकसाने के लिए संगठित करने में सहायता करते रहे हैं। अतः राज्य सरकार ने सभी ऐसे संगठनों को सलाह दी है कि मिदनापुर, पुलिया और बंकुडा जिलों की आदिवासी पट्टी में कोई नया कार्यक्रम हाथ में न लें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि राज्य सरकार जैसे ही उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को अपने हाथ में ले ले, वे इन क्षेत्रों से पूरी तरह निकलने के लिए तैयार रहें।

किसी व्यक्तिगत विदेशी मिशनरी के विरुद्ध हाल में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी विदेशी मिशनरियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है और यदि कोई प्रतिकूल बात ध्यान में आती है तो उपर्युक्त कार्रवाई की जाती है।

**पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी के उपयोग पर विचार करने के लिए गठित समिति की सिफारिश**

7030. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उस समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं, जिसका गठन पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के पानी के, जो आजकल बेकार जा रहा है, उपयोग के बारे में विचार करने हेतु किया गया था; और

(ख) उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

**योजना मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी** : (क) अरब सागर में गिरने वाली नदियों के जल संसाधनों के मूल्यांकन और उनके उपयोग के लिए समिति को अपनी रिपोर्ट अभी प्रस्तुत करनी है।

(ख) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

**वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के सिविल इंजीनियरों तथा शिल्पी कार्मिकों का वर्गीकरण।**

7031 : **श्री ए० के० मेहता** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद् के सिविल इंजीनियरों, शिल्पी कार्मिकों तथा चिकित्सकों आदि को गैर तकनीकी वर्ग के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है जबकि उद्यान कर्मचारियों, पशुशालाओं के सहायकों, संग्रहालयाध्यक्षों, सहायक सम्पादकों, सहा-

यक शिलामुद्रकों प्रूफरीडरों, मिस्त्री, बढ़ई तथा नलकार आदि का वर्गीकरण तकनीकी कार्मिकों के अन्तर्गत किया गया है ?

(ख) यदि हां, तो इसका कारण तथा औचित्य क्या है?

(ग) क्या सरकार को उपरोक्त वर्गीकरण के सम्बन्ध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** (क) से (घ) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी-सभा ने दिनांक 3.8. 1979 की हुई बैठक में मामले पर पुनः विचार किया और सिविल इंजीनियरों तथा वास्तविदों को तकनीकी कार्मिकों के रूप में वर्गीकृत किया था जिसमें साठ वर्ष की सेवानिवृति आयु भी साथ में इस शर्त के आधार पर रखी गई थी कि वे मूल्यांकन द्वारा पदोन्नति के पात्र नहीं होंगे, जैसा कि अन्य तकनीकी कर्मचारियों के लिये स्वीकृत है। शर्तो को लागू करने से संबंधित अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इनकी आग्रिम जांच की जा रही है। चिकित्सकों के वर्गीकरण से संबंधित मामले पर गौर किया जा रहा है।

**महिला संसद सदस्यों की प्रधान मंत्री के साथ बैठक**

7032. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री की महिला संसद सदस्यों तथा महिला संगठनों के साथ 18 जुलाई 1980 को बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो कितनी महिलाओं को प्रधान मंत्री से मिलने दिया गया;

(ग) क्या प्रतिनिधिमण्डल ने पुलिस द्वारा महिलाओं पर किये गये अत्याचारों के बारे में कोई ज्ञापन दिया था;

(घ) यदि हां, तो ज्ञापन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या प्रधान मंत्री ने प्रतिनिधिमण्डल को कोई अश्वासन दिया था ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) महिला संसद सदस्यों तथा महिला संगठनों के प्रतिनिधियों का एक शिष्ट मंडल 18-7-80 को प्रधान मंत्री जी से मिला था और बागपत की हाल की घटना और सामान्य रूप से महिलाओं के विरूद्ध पुलिस के व्यवहार के बारे में एक महिला संसद सदस्य तथा अन्य महिलाओं द्वारा हस्ताक्षरित तारीख 17-7-80 का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(घ) ज्ञापन की प्रतिलिपि परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०—1228/80)

(ङ) प्रधान मंत्री जी ने शिष्ट मंडल को आश्वासन दिया ज्ञापन में लिखे गये मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

**पेन्शन दिये जाने के लिये 1921 के मोप्लाह विद्रोह (केरल) को मान्यता दिया जाना**

7033. **श्री. के. बालन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1921 के तथाकथित मोप्लाह विद्रोह को हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक भाग के रूप में मान्यता दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस विद्रोह में भाग लेने वाले व्यक्तियों को भी अन्य स्वतंत्रता सैनिकों की ही तरह पेंशन देने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी नहीं श्रीमान ?

(ख) मामला समीक्षाधीन है।

**"इम्फ्लक्स आफ फारेन सेटलर्स इन असम', शीर्षक समाचार**

7034. **श्री जय राम वर्मा** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जुलाई, 1980 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "इन्फ्लक्स आफ फारेन सेटलर्स इन असम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें बतलाया गया हैं कि बंगलादेश वासियों के बहुत से परिवार, सरकारी भूमि पर कब्जा करके, नदी के दोनों ओर दो किलोमीटर की पट्टी पर बस गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) : इस संबंध में रिपोर्टों का स्पष्टीकरण करने के लिए असम सरकार द्वारा 25 जुलाई, 1980 को जारी किये गये प्रेस नोट की एक प्रति सभापटल पर रखी जाती है। (ग्रंथालय में रखी गयी, देखिये एल० टी०—1229/80)

**कोयम्बटूर नगरपालिका को निगम में परिवर्तित करने का प्रस्ताव :**

7035. **श्री ईरा मोहन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर नगरपालिका को निगम में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव राष्ट्रपति की सहमति के लिए केन्द्र के पास भेजा है; और

(ख) यदि हाँ, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** : (क) और (ख) :— तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर नगर निगम विधेयक 1979 को राज्य विधान मंडल में रखने से पूर्व इसे संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के परन्तुक के अधीन राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कोई ऐसा विधेयक नहीं भेजा है।

उपर्युक्त तमिलनाडु विधेयक को विधान मंडल में रखने के लिए संविधान के अनुच्छेद 304 (ख) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति कुछ टिप्पणियों के साथ 15 जुलाई, 1980 को भेज दी गई थी।

## तमिलनाडु में औद्योगिक विकास

7036. **श्री पी० चिन्नास्वामी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास में 1975 से तमिलनाडु का क्या रैंक है;

(ख) यदि कोई गिरावट आई है तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) तमिलनाडु में 1975 से कितना केन्द्रीय निवेश हुआ है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) पंजीयित कारखानों में हुए औद्योगिक उत्पादन के सकल मूल्य सम्बन्धी आँकड़े 1977-78 तक उपलब्ध हैं। 1975-76 में हुए औद्योगिक उत्पादन में तमिलनाडु का चौथा स्थान था किन्तु 1977-78 में उसका तीसरा स्थान हो गया था।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने तमिलनाडु में अपने एकक और प्रतिष्ठान हैं, अपने सकल उत्पादन का मूल्य 31. 3. 75 के 384. 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 31. 3. 79 तक 615.78 करोड़ रुपये तक कर लिया था।

**"एन अदर चाइनीज बैलून लेड्स" (एक और चीनी बैलून उतरा) शीर्षक से प्रकाशित समाचार।**

7037. **श्री बापूसाहिब परूलेकर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1980 के "संडे स्टैंडर्ड" में "एन अदर चाइनीज बैलून लैंडस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) 10 जुलाई, 1980 को अमरेली जिले के गाँव प्रतापगढ़ के बाहर प्लास्टिक का एक गुब्बारा गिरा था। चीनी भाषा में इश्तिहार, कुछ बिस्कुट के पैकेट, अन्डरवीयर आदि मिले थे। इस प्रकार के गुब्बारे 4 जुलाई, 1980 को गाँव रसलिया (कच्छ) में और 2 जुलाई, 1980 को हरिपुरा (जामनगर) में मिले थे। गुजरात में हर साल अनेक स्थानों पर ऐसे गुब्बारे गिरते हैं। इन सभी में इश्तिहारों में मुख्य भूमि चीन के विरुद्ध के० एम० टी० का नेमी प्रचार पाया गया। मूलतः ताइवान से मुख्य भूमि चीन की ओर छोड़े गये ये गुब्बारे संभवतः हवा के विपरीत बहाव और बातावरण में गड़बड़ी के कारण उड़कर भारत की ओर आ गये थे। इन गुब्बारों और साहित्य के गिरने का भारत को सुरक्षा से कोई वास्ता नहीं है।

## मूर्तियों की चोरी

7038. **श्री निहाल सिंह जैन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कुल कितनी मूर्तियों की चोरी हुई है और उनका मूल्य क्या है ?

(ख) क्या पुलिस ने जनवरी, 1980 में बुंदेलखण्ड झाँसी में एक करोड़ रुपये की मूर्तियों की चोरी करने वाले एक गिरोह को पकड़ा है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) 1978 और 1979 वर्षों के दौरान लगभग 51 लाख रुपये की मूल्य की 1860 मूर्तियों की चोरी सूचित की गई थी।

(ख) और (ग) जी हाँ, श्रीमान्। कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य अभिव्यक्तों को गिरफ्तार करने के भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं। मामले की उत्तर प्रदेश राज्य के खुफिया विभाग द्वारा जाँच की जा रही है।

**हैदराबाद के निजाम के फलकनुमा महल में चोरी**

7039. **श्री के० मालन्ना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद के निजाम के फलकनुमा महल की सजावट वाले लाखों रुपये के आठ पुरातन वस्तुओं की हाल ही में चोरी हो गई है;

(ख) क्या पहले भी इस महल से कुछ मूल्यवान आभूषण चोरी हुए थे; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

**पाकिस्तान से जम्मू काश्मीर राज्य में आये शरणार्थियों को नागरिकता**

7040. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि. 1947 में पाकिस्तान से जो 3 लाख से भी अधिक लोग जम्मू तथा काश्मीर राज्य में आ गए थे उन्हें नागरिकता देदी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) उन व्यक्तियों के बारे में जिन्होने 1947 में पाकिस्तान से जम्मू और काश्मीर राज्य में प्रवास किया था। विश्वसनीय आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्होने उन क्षेत्रो से जो अब पाकिस्तान में शामिल हैं प्रवास किया था संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन भारत के नागरिक माने गए थे।

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान पर खर्च की राशि**

7041. **श्री रामविलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी वर्ष के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिये कितना व्यय किया जायेगा और यह व्यय किन-किन मुदों पर किया जायेगा; और

(ख) इससे इन समुदाओं को क्या लाभ होने की संभावना है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) 1980.-81 के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान की योजनाओं पर संभावित व्यय इस प्रकार है :—

| योजना का नाम | अनु० जाति | अनुसूचित जन जाति |
|---|---|---|
| | (रु० करोड़ों में) | |
| 1. विशेष केन्द्रीय सहायता | 100.00 | 70.00 |
| 2. केन्द्रीय प्रयोजित योजनाएँ | | |
| (i) कन्या छात्रावास | 1.00 | 0.45 |
| (ii) अनुसंधान और प्रशिक्षण | शून्य | 0.45 |
| 3. मैट्रिकोत्तर छात्रवृति | 20.00 अनुसूचित जाति।जनजाति दोनों के लिए संयुक्त) | |
| 4. अनुसूचित जाति विकास निगम | 12.00 | शून्य |
| 5. पुस्तक बैंक | 0.30 | (अनुसूचित जाति।जनजाति दोनों के लिए संयुक्त) |
| 6. मैट्रिकपूर्व छात्रवृति | 0 31 | (अनु० जा०/अनु० जनजाति दोनों के लिए संयुक्त) |
| 7. शिक्षा और सम्बन्ध योजनाएँ | 0.50 | (अनु० जाति।जनजाति के लिए संयुक्त) |
| 8. स्वयं सेवी संगठन | 1.00 | 0.50 |

(ख) उपर्यक्त योजनाओं से अनुसूचित जातियों को निम्नलिखित क्षेत्रों में लाभ होगा :—

(i) कृषि
(ii) बागवानी
(iii) सिंचाई
(iv) पशुपालन
(v) सहकारिता
(vi) वन
(vii) लघु और ग्रामीण उद्योग
(viii) पेय जल आपूर्ति
(ix) स्वास्थ्य
(x) पौष्टिक आहार
(xi) शिक्षा

**कोटा में कारखाने**

7042· **श्री चतुर्भुज** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा (राजस्थान) में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में पृथक-पृथक रूप से कितने-कितने कारखाने चल रहे हैं और उनमें प्रत्येक का स्वामित्व किसका है;

(ख) इन कारखानों में गत तीन वर्षों के दौरान कितने श्रमिक मारे गये तथा कितने अपंक हुए; और

(ग) इसी अवधि में वहाँ पुलिस द्वारा गोली चलाये जाने, दुर्घटनाओं तथा वैयक्तिक द्वेष के कारण पृथक-पृथक रूप से कितनी मौतें हुईं और कारखाना मालिकों द्वारा कितना मुआवजा अदा किया गया ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरनजीत चानना)** : (क) सरकारी क्षेत्र के कारखाने ..... 14

निजी क्षेत्र के कारखाने ..... 104

नाम तथा स्वामित्व संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०)-1230/80।

(ख) वर्ष 1977, 1978 तथा 1979 में 14 घातक दुर्घटनाएँ हुईं तथा 1963, में ऐसी दुर्घटनाएँ हुईं जो घातक किस्म की नहीं थीं।

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

**दिल्ली में कानून और व्यवस्था के बारे में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक**

7043. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गृह मन्त्री ने दिल्ली में कानून और व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति पर विचार करने के लिए 13 जून, 1980 को पुलिस आयुक्त सहत दिल्ली के विभिन्न पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सामान्य बनाने के लिए उस बैठक में क्या-क्या उपाय करने की योजना बनाई गई ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) 13 जून, 1980 को ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी। किन्तु गृह मन्त्री ने अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली में विधि और व्यवस्था की स्थिति का पुनरीक्षण करने के लिए 12 जुलाई, 1980 और 26 जुलाई, 1980 को दो बैठकें बुलाई थीं।

(ख) उक्त बैठकों में दिल्ली पुलिस को मजबूत और प्रभावशाली बनाने के उपायों पर विचार किया गया था।

**बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्गों के अधिकारियों को वेतनमान न दिया जाना ।**

7044. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्गों से सम्बद्ध ऐसे वरिष्ठतम अधिकारियों को, जो वर्ष 1978-79 के दौरान अपने-अपने राज्यों में काम करते हुए भारत सरकार के सचिव के बराबर की स्थिति में थे, राज्यों द्वारा उनको देय और उचित वेतनमान देने से इंकार कर दिया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन तीन राज्यों के ऐसे कितने अधिकारी हैं तथा अपने-अपने राज्यों के राजकोषों के माध्यम से उन्हें देय वेतनमान दिलवाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** : (क) से (ग) :— बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऐसे अधिकारियों को जो वर्ष, 1978-79 के दौरान उक्त राज्य सरकारों के अधीन पदों पर कार्य कर रहे थे, को देय वेतन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में शामिल उपबन्धों द्वारा विनियमित किया जाना था । केन्द्रीय सरकार को बिहार, पश्चिम-बंगाल और तमिलनाडु के वरिष्ठतम आई० ए० एस० अधिकारियों के ऐसे किन्हीं मामलों की जानकारी नहीं है, जिन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 के अधीन स्वीकार्य उनको देय तथा उचित वेतन देने से इंकार किया गया हो ।

**कानपुर छावनी में खुली हुई नालियों के निर्माण के बारे में अभ्यावेदन**

7045. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छावनी बोर्ड, कानपुर को नैपियर रोड़ हाउसिंग कालोनी के निवासियों से उक्त सड़क के समानान्तर खुली हुई नालियों का पुनर्निर्माण करने के बारे में 1977।1978 से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं;

(ख) क्या इन अभ्यावेदनों में अन्य सुविधाओं की माँग की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन अभ्यावेदनों के बारे में कभी कोई कार्यवाही नहीं की गई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके कारण क्या हैं; और स्थिति में तत्काल सुधार के लिए अब क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) जी नहीं । नेपियर रोड़ के साथ बहने वाली खुली नाली की मरम्मत के सम्बन्ध में 30-7-1979 का केवल अभ्यावेदन नेपियर रोड़, कानपुर में मकान नं० ए/5 के निवासी से प्राप्त हुआ था ।

(ख) और (ग) इस अभ्यावेदन में पोट होल्स की मरम्मत, रुके हुए पानी को निकालने और मकान नं0 ए/5 नेपियर रोड़ के लिए सीवर कनैक्शन की भी मांग की गई थी।

(घ) छावनी बोर्ड ने इस नाली की नियमित सफाई की व्यवस्था कर ली है। छावनी बोर्ड के क्वाटरों के आस-पास के कूड़ा-करकट को डाक-तार विभाग के मौजूदा सीवर की ओर मोड़ दिया गया है ताकि इस नाली में कूड़े-करकट का दवाव कम हो सके। पोट होल्स की मरम्मत कर दी गई है।

(ख) और (घ) में दिए गए उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता।

**आयुध कारखाना महानिदेशालय, कलकत्ता में भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दिया जाना**

7046. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा युवा सैनिकों का समुचित रूप से पुनर्वास करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद आयुध कारखाना महानिदेशालय, कलकत्ता के अन्तर्गत आयुध कारखानों में उन्हें नौकरी नहीं दी जाती है अथवा इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सभी बलों तथा भारतीय स्थल सेना, वायु सेना और नौ सेना के ऐसे युवा भूतपूर्व सैनिकों को नौकरियाँ उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) यदि गत तीन वर्षों में आयुध कारखाना महानिदेशालय, कलकत्ता के अन्तर्गत नए कारखानों में रखने के लिए भूतपूर्व सैनिकों का इन्टरव्यू लिया गया तथा उन्हें नौकरी पर रखा गया तो उनकी कुल संख्या कितनी है ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) और (ख) जी नहीं। इसके विपरीत समूह 'ग' और 'घ' समूह पदों में सीधी भर्ती कोटा के पदों के लिए क्रमशः 10 प्रतिशत और 20 प्रतिशत के सामान्य आरक्षण के अलावा आयुध कारखानों के महानिदेशक को 1977 में आदेश जारी किए गए थे कि नई रिक्तियों या कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हुए पदों पर केवल भूतपूर्व सैनिक ही नियुक्त किए जाएँ। यदि योग्य भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न हों तो अन्य व्यक्ति नियुक्त किए जाएँ।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है।

**मिजो नैशनल फ्रन्ट के वापस आये लोगों (रिटर्नियों) का पुनर्वास**

7047. **डा० आर० रोघूआमा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1977 में मिजो नेशनल फ्रण्ट के वापस आये लोगों (रिटर्नियों) के पुनर्वास के लिये लगभग 2 करोड़ रुपये मंजूर किये थे;

(ख) इस अनुदान का कहाँ तक उपयोग किया गया है तथा मिजो नैशनल फ्रण्ट के कितने वापस आये लोगों (रिटर्नियों) का पुनर्वास कर दिया गया है और प्रति व्यक्ति कितनी राशि दी गई है;

(ग) मई, 1979 से बाद अब तक मिजो नैशनल फ्रण्ट के कितने कार्मिकों ने आत्म-समर्पण किया है;

(घ) मिजो नैशनल फ्रण्ट के कितने कार्मिकों को मिजोरम सरकार से निश्चित सहायता मिली है; और

(ङ) मिजोरम सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को उसके पुनर्वास के लिये दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ङ) सरकार ने मिजोरम में भूतपूर्व भूमिगतों (एक्स० यू० जी०) के पुनर्वास के प्रयोजन के लिए 192.88 लाख रुपये स्वीकृत किये थे। मिजोरम सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार योजना पर अब तक 91.55 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

मई, 1979 से और जुलाई, 1980 के अन्त तक 365 मिजो नैशनल फ्रण्ट के कर्मचारियों ने आत्मसमर्पण किया है।

अब तक दी गई सहायता इस प्रकार है :—

(i) 343 भूतपूर्व भूमिगतों को कुल 28.87 लाख रुपये का कृषि अनुदान।

(ii) 197 भूतपूर्व भूमिगतों को कुल 27.43 लाख रुपये का औद्योगिक (राइस हुलर) ऋण।

(iii) 241 भूतपूर्व भूमिगतों को कुल 24.10 लाख रुपये का पशु चिकित्सा (डेरी फार्मिंग) ऋण।

(iv) 1,015 भूतपूर्व भूमिगतों को कुल 10.15 लाख रुपये का नकद अनुदान।

(v) मिजोरम पुलिस को एक लाख रुपये नए आत्मसमर्पण करने वालों को नकद भुगतान के लिए दिए गए थे।

अब तक 1,015 भूतपूर्व भूमिगतों को नकद अनुदान के रूप में सहायता दी गयी है, 781 भूतपूर्व भूमिगतों को पुनर्वास अनुदान/ऋण प्राप्त हुए हैं और 20 भूतपूर्व भूमिगतों को सरकारी कार्यालयों में रोजगार दिए गए हैं।

**संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के रिक्त पद भरना**

7048. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग में 30 जून, 1980 को सदस्यों के कितने रिक्त पद थे;

(ख) ये पद किस अवधि से रिक्त पड़े हुए हैं; और

(ग) इनको किस सम्भावित तारीख तक भर दिया जायेगा और इन्हें अब तक न भरने के क्या कारण हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** : (क) 30 जून, 1980 को एक पद रिक्त था।

(ख) उक्त पद 21 अप्रैल, 1980 को रिक्त हुआ था।

(ग) सदस्यों का चयन, संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष आने वाले विविध-प्रकार के कार्यों और समस्याओं को निपटाने में उनकी उपयुक्तता पर आधारित है। इसके लिए, चयन करते समय ऐसे व्यक्तियों पर विचार करना होता है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में श्रेष्ठता प्राप्त की हो तथा जिनके पास ऐसी आवश्यक पृष्ठभूमि हो जो आयोग के कार्य में उपयोगी होगी। आयोग में सेवा करने के लिए इस तरह चुने गए व्यक्तियों की सहमति का भी पता लगाना पडता है। इन सब में निश्चय ही समय लगता है ! अतः ऐसी संभावित तारीख को बता पाना संभव नहीं है जिस तारीख तक किसी नए सदस्य का चयन किया जाएगा। किन्तु उक्त मामले पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है और यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही कोई नियुक्ति कर ली जाएगी।

**सेन्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्ट्रीट्यूट द्वारा विकसित मशीनें**

7049. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेण्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर ने दूर संचार कैबलों के विसंवाहन (इन सुलेशन) के लिये मशीनें विकसित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मशीन की उत्पादन क्षमता क्या होगी तथा इन मशीनों के निर्माण पर कितनी धनराशि लगेगी ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) :** (क) जी, हां। सेन्ट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यट ने हिन्दुस्तान केबिल्स लि०, रूपनारायणपुर, के सहयोग से दो मशीनें विकसित की हैं, जिनका अब तक दूर संचार के बिलों के लिये आयात किया जाता था।

(ख) वे मशीनें हैं :—

(i) हाईस्पीड पेपर लैपिंग मशीन-रु०-54,500/- (रुपये) एक लाख)।

(ii) प्रति मशीन का उत्पादन दर आठ घंटों में सोलह-से-बीस कि० मीटर चालक है।

(iii) हाई स्पीड पेपर ट्वीनिंग मशीन-रु०-5,00,000/(रुपये आठ लाख)।

प्रारूप निर्माणाधीन है। प्रत्येक के सामने देशज मूल्य कोष्टक और कोष्टक में आयात मूल्य दर्शाया गया है। पहली मशीन के लिये दो पार्टियों को और दूसरी मशीन के लिये एक पार्टी को तकनीकी जानकारी प्रदान की गई है।

**रक्षा कर्मचारियों की अखिल भारतीय एसोसिएसनें तथा फैडरेशनें**

7050. **श्री दयाराम शाक्य :** क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने रक्षा कर्मचारियों की कितनी अखिल भारतीय एसोसिएशनों और फैडरेशनों को मान्यता दी हुई है;

(ख) उनकी कुल सदस्य संख्या कितनी है और उनको मान्यता कब दी गई थी;

(ग) क्या कोई ऐसी अखिल भारतीय फैडरेशन है जिन्होंने मान्यता के लिये आवेदन पत्र भेजे हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उन्होंने (फैडरेशनों ने) कब आवेदन पत्र भेजे थे और उन्होंने कितनी सदस्य संख्या होने का दावा किया है तथा मान्यता दिये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) 54 अखिल भारतीय एसोसियेशनों और 2 फैडरेशनों को मान्यता दी जा चुकी है।

(ख) इन एसोसिएशनों/फैडरेशनों की कुल सदस्य संख्या और इन्हें मान्यता दिए जाने की तारीखों के बारे में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) दो फैडरेशनों ने मान्यता दिये जाने के लिए आवेदन पत्र भेजे हैं।

(घ) मान्यता दिए जाने के लिए आवेदन करने वाले एक फैडरेशन का दावा है कि 13-10-77 को उसकी कुल सदस्य संख्या 30,000 है और दूसरे फैडरेशन का दावा है कि 10-3-78 को उसकी सदस्य संख्या 60,000 से भी अधिक है।

**तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे स्टेनोग्राफार/लोअर डिवीजन क्लर्क/ग्रुप "डी"**

7051. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों और इनसे सम्बन्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में जनवरी, 1972 से जून, 1980 तक तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे कितने स्टेनोग्राफर/लोअर डिवीजन क्लर्क/ग्रुप "डी" हैं;

(ख) उनमें से कितनों ने 3 वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है;

(ग) इनमें से कितनों को अपने पद से अवनत किया है गया हटा दिया गया है और

(घ) उपर्युक्त अवधि के दौरान, मंत्रालयवार और वर्षवार, इनमें से कितनों को नियमित किया गया है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** : (क) से (घ) : सरकार ऐसी सूचना मानीटर नहीं करती है। अपेक्षित सूचना एकत्रित की जाएगी और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**6 अगस्त, 1980 को उत्तर के लिए सैनिक फार्मों में भ्रष्टाचार के मामले**

7052. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979 और जून 1980 तक सैनिक फार्म विभाग में स्थानीय अथवा अखिल भारतीय स्तर पर भ्रष्टाचार के कितने मामलों की जानकारी मिली है;

(ख) कितने मामलों में विभागीय अथवा अन्य प्रकार की जांच की गई थी; और

(ग) कितने कर्मचारी दोषी पाये गये थे और कितने कर्मचारियों को दण्ड दिया गया था ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह** (क) सेना मुख्यालय के पास अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार 1979 में और जून 1980 तक 16 मामलों की रिपोर्ट की गई थी।

(ख) और (ग) दो मामलों में जाँच पूरी हो चुकी है और दोषी पाये गये दो कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। पांच मामलों में जाँच की जा रही है।

**केन्द्रीय पुलिस संगठन में वरिष्ठ सूची तैयार किया जाना**

7053. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय पुलिस संगठन में विभिन्न स्त्रोतों से लिये गये अधिकारियों की वरिष्ठता सूची गत चौदह वर्षों से तैयार नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या वरिष्ठता निश्चित करने के बारे में दिल्ली उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के स्पष्ट निर्देश तथा निर्णय हैं; और

(ग) इस मामले में अनियमितताओं को कब तक दूर कर दिया जायेगा और इसके लिए उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) 14 वर्ष या इससे अधिक समय से जो केन्द्रीय पुलिस संगठन विद्यमान है; उनमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को छोड़कर सभी ने वरियता सुचियाँ तैयार कर ली हैं। तथापि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के मामले में भी 1974 में अस्थाई ग्रेडेशन लिस्ट तैयार की गयी थी, परन्तु उन मुकदमों के कारण इसको अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता जो केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में ई० सी० एस० एस० सी० अधिकारियों और पुलिस उप अधीक्षकों के रूप में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों के बीच चल रहे थे।

(ख) उच्चतम न्यायालय ने, आपातकाल कमीशन प्राप्त अधिकारियों में से कुछ अधिकारियों द्वारा दायर की गई अपील को मंजुर करते समय यह निर्देश दिया है कि पदोन्नतियां, यदि कोई हों, दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुरूप की जाएगी और ये पदोन्नतियाँ, अपील के अन्तिम परिणाम के अनुसार होगी। तदनुसार केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में पुलिस उपअधीक्षकों की वरीयता सूची में संशोधन किया जा रहा है।

(ग) भाग (क) और (ख) के हमारे उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**ट्रक चैसिस का निर्माण**

7054. **आचार्य भगवान देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1979-80 में देश में मर्सिडीज बैंज के ट्रक चैसिस का कितना निर्माण हुआ;

(ख) क्या सरकार को राजस्थान में विक्रताओं द्वारा इन चैसिस की बिक्री में की गई अनियमितताओं के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) 21,465 टाटा ट्रक चैसिस जैसा कि निर्माताओं ने बताया है

(ख) जी, हां।

(ग) वाणिज्यिक गाड़ियों की बिक्री तथा वितरण पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। फिर भी, टैल्को चैसिसों के वितरण में किसी प्रकार की अनियमितत होने की शिकायत के मिलने पर उपयुक्त कार्यवाही हेतु निर्माता के पास भेजा जाता है। निर्माताओं ने बताया है कि अनियमितता का जब भी कोई विशिष्ट मामला साबित हो जाता है तो उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

**ट्रकों की बुकिंग के लिए जमा की जाने वाली राशि**

**आचार्य भगवान देव** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी डीलर के पास देश में निर्मित ट्रकों तथा मोटर कारों की बुकिंग के लिये बैंक के सावधि लेखे में चार हजार रुपये की रकम जमा करनी पड़ती थी और रसीद लेनी पड़ती थी;

(ख) क्या इस प्रक्रिया में परिवर्तन कर दिया गया है और यदि हां, तो कब;

(ग) इस प्रक्रिया में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं और क्या इसके परिणामस्वरूप बैंकों में जमा राशि में कमी हुई है; और

(घ) क्या पुरानी प्रक्रिया को पुनः चालू करने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव है ताकि खरीदारों की जमा राशि को देश द्वारा उपयोग किया जाये न कि कम्पनी द्वारा ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) और (ख) मे० अशोक लेलैंड और मे० टेल्को ने बताया है कि पहले उनके ग्राहकों को वाणिज्यिक गाड़ियों के लिए आर्डर बुक करने के लिए 4,000 रु० की मियादी जमा रसीद प्रस्तुत करनी पड़ती थी। इस पद्धति को टेल्को ने अक्टुबर, 1979 से और अशोक लेलैंड ने 1.1.80 से बदल दिया है। अब ग्राहकों की वाणिज्यिक गाड़ियों के लिए पंजीकरण करते समय विक्रेताओं के पास 6,000 रु० की राशि नकद जमा करनी पड़ती है। कुछ अन्य निर्माता जैसे बजाज टेम्पो और स्टैंडर्ड मोटर्स ने भी बताया है कि वाणिज्यिक गाड़ियों के लिए आर्डर बुक करते समय वे नकद राशि इकट्ठा कर रहे हैं। महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा और प्रीमियर आटोमोबाइल्स ने सूचित किया है कि आर्डर बुक करते समय उनके विक्रेता सांकेतिक अग्रिम भुगतान ले रहे हैं। हिन्दुस्तान मोटर्स ने बताया है कि वे कोई भी अग्रिम राशि नहीं ले रहे हैं।

(ग) निर्माताओं ने बताया है कि संशोधित पद्धति सामान्य वाणिज्यिक प्रथा के अनुरूप है और वाणिज्यिक गाड़ियों के उत्पादन में वृद्धि करने और बकाया मांग को पूरा करने के लिए उनको कार्यसंचालक पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने में इससे उन्हें मदद मिलेगी।

(घ) जी नहीं।

**छुआछूत और अन्य अपमान जनक शब्दों वाली धार्मिक पुस्तकों पर रोक लगाना**

7056. **श्री राम विलास पासवान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उन धार्मिक पुस्तकों पर रोक लगाने का है जिनमें मनुष्यों के एक वर्ग को अछूत कहा गया है और उनके लिए अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) और (ख) ऐसी किसी सामग्री का प्रकाशन, जो धर्म, मूलवंश, जाति अथवा समुदाय अथवा किसी अन्य प्रकार के आधार पर विभिन्न धर्मों, मूल वंशीय समूहों अथवा जातियों अथवा समुदायों के बीच असौहार्द अथवा शत्रुता, घृणा अथवा वैमनस्य संप्रवर्तित करेगा या संप्रवर्तित करने का प्रयत्न करेगा, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क के अधीन एक अपराध है। दण्ठ प्रक्रिया संहिता की धारा 95-क के अधीन राज्य सरकारें उन प्रकाशनों को, जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153-क के उपवन्धों का उल्लंघन कर सकते हैं, सरकार द्वारा जब्त घोषित किए जा सकते हैं।

**पश्चिम बंगाल में आदिवासी क्षेत्रों से विदेशी संगठनों पर प्रतिबंध**

7057. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :**

**श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**

**डा० फारूक अब्दुला :**

**श्री गुलाम रसूल कोचक :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जून, 1980 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में "एलियन आर्गनाइजेशन्स टू बी वार्ड फ्राम ट्राव एरियाज बाई दि गवर्नमेन्ट आफ वेस्ट बंगाल "शीर्षक समाचार की ओर दिखलाया गया हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) राज्य सरकार द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्होंने उन सभी विदेशी धन प्राप्त संगठनों को मिदनापुर, पुरूलिया तथा वंकुरा जिलों के जनजातीय क्षेत्र में कोई नया कार्यक्रम आरंभ करने तथा उनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाओं को ले लेने के प्रबंध होने तक अपने को वहां से पूर्णतः हटाने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ऐसे संगठनों की गति-विधियों पर नजर रखी जाती है और कोई प्रतिकूल बात ध्यान में आने पर उचित कार्रवाई की जाती है।

**उत्तर पूर्व क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह के पीछे संगठनों का हाथ**

7058. **श्री माधवराव सिंधिया :**

**श्री हरिकृष्ण शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में आदिवासी विद्रोह के पीछे विदेशी संगठनों का हाथ होने के बारे में कोई प्रस्ताव सरकार के नोटिस में आया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशी संगठनों को आदिवासी क्षेत्रों में अपने प्रतिष्ठान समाप्त करने के लिए कहा गया है; और

(ग) उन संगठनों की संख्या कितनी है और उनका ब्यौरा क्या है जिन्हें अपना कार्य समाप्त करने के नोटिस जारी किए गए हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) : 16 जुलाई, 1980 को तारांकित प्रश्न संख्या 566 के उत्तर में जैसा बताया गया था, पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार कुछ विदेशी मिशनरियों और समाज कल्याण संगठन एक पृथक झारखण्ड राज्य के लिए आन्दोलन में और स्थानीय विवादों पर आदिवासियों को उकसाने के लिए संगठित करने में सहायता करते रहे हैं। अतः राज्य सरकार ने सभी ऐसे संगठनों को सलाह दी है कि मिदनापुर, पुलिया और बंकुडा जिलों की आदिवासी पट्टी में कोई नया कार्यक्रम हाथ में न लें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि राज्य सरकार जैसे ही उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को अपने हाथ में ले ले, वे इन क्षेत्रों से पूरी तरह निकलने के लिए तैयार रहें।

अन्य स्थानों पर भी सामान्य किस्म के आरोप समय समय पर प्राप्त हुए हैं परन्तु किसी व्यक्तिगत विदेशी मिशनरी के विरुद्ध कोई विशिष्ट शिकायत हाल में प्राप्त नहीं हुई है और किसी को देश छोड़ने का आदेश नहीं दिया गया है।

फिर भी, विदेशी मिशनरियों की गतिविधियों पर निगरानी रखी जाती है और यदि कोई प्रतिकूल बात ध्यान में आती है, तो उचित कार्यवाही की जाती है।

**उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं**

7059. **श्री एस० बी० सिदनाल : क्या उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशिक्षण सुविधाओं के अभाव में बहुत से युवा और महत्वकांक्षी उद्यमी रुचि लेना छोड़ देते हैं और जिम्मेदारी लेने से कतराने लगते हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उद्यमियों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित स्थिति इतनी निराशजनक है कि प्रशिक्षण संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है और इन गैर-सरकारी संस्थाओं द्वारा इतनी प्रकार की पथ-प्रदर्शिकायें निकाली जाती है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में उद्यमियों को संतुष्ट करने और उनकी उत्कृष्ट इच्छा को पूरा करने के लिए पत्राचार पाठयक्रम आरम्भ करने का है;

(घ) क्या केन्द्रीय और राज्य सरकारों में कार्य कर रहे कर्मचारियों के लिए भी कोई अल्पकालिक योजना बनाई गई है जैसे कि विश्वविद्यालतों द्वारा एल०एल०बी० कक्षायें चलाई जा रही हैं; और

(ङ) क्या रक्षा कर्मचारियों के लिए और विशेषतः उनके लिए जो सेवा निवृत्ति के नजदीक हैं, पहले से ही ऐसा प्रबन्ध है, तो अन्य कर्मचारियों के लिए ऐसी योजना न होने के क्या कारण हैं;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) इस मंत्रालय के विकास आयुक्त, लघु उद्योग समस्त देश के अर्हता प्राप्त इंजीनियरों तथा विज्ञान के स्नातकों के लिये औद्योगिक उद्यमी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करते रहे हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य इंजीनियरों की वेतन सहित पद लेने के बजाए अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरणा देना है। 1969 से लेकर मार्च 1980 तक के पाठ्क्रम आयोजित किये जाते रहे हैं। लगभग 70-40 उद्यमी प्रशिक्षित कर दिये गये थे और लगभग 20% ऐसे व्यक्तियों ने अपने लघु उद्योग स्थापित कर लिये हैं।

कमजोर वर्ग के लोगों के लिये तथा पिछड़े/ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक विकास संवर्धित करने हेतु उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनेक श्रेणी के उद्यमकर्ताओं के लिये वर्ष 1978-79 में अनेक पाठ्यक्रम शुरू कर, विविधीकरण कर दिया गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

(1) उद्यमियों का पता लगाना, उनका चुनाव तथा प्रेरणा प्रदान करना।
(2) महिलाओं के बीच उद्यमिता का विकास।
(3) शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों के बीच उद्यमिता का विकास।
(4) ग्रामीण कारीगरों के बीच उद्यमिता का विकास।
(5) कमजोर वर्ग के लोगों के बीच उद्यमिता।
(6) विद्यार्थियों के बीच उद्यमिता विकास।

1978-79 में उपर्युक्त कार्यक्रमों के अधीन लगभग 1801 उद्यमी लाभान्वित हुए और 1979-80 में उनकी संख्या 3707 तक पहुँच गई। अतः यह कहना सही नहीं है कि प्रशिक्षण की सुविधाओं के अभाव में अनेक युवक और महत्वाकांक्षी उद्यमी निरुत्साही होकर उत्तरदायित्व वहन करना छोड़ देते हैं।

(ख) इस मंत्रालय को प्रशिक्षण संस्थाओं की आकस्मिक वृद्धि का पता नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम क्षेत्रीय कार्यालयों जैसे समस्त देश में ही फैले हुए लघु उद्योग सेवा संस्थानों के माध्यम से चलाए जाते हैं। इसके साथ ही साथ यह मंत्रालय कुछ ख्याति प्राप्त संस्थाओं जैसे भारतीय विनियोजन केन्द्र, अधरूप प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्रों आदि जो उद्यमिता विकास कार्यक्रम चलाने हेतु अच्छी तरह सुसज्जित हैं, को वित्तीय सहायता भी देता है।

निजी संस्थाओं द्वारा निकाली गई 'गाइडों' का इस मंत्रालय को पता नहीं है। इस मंत्रालय के पास उद्यमकर्तायों का मार्ग दर्शन करने हेतु स्वयं प्रकाशन हैं जिन्हें बिक्री द्वारा अथवा निःशुल्क वितरित किया जाता है।

(ग) इस मंत्रालय में उद्यमियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम शुरू करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिये अंशकालीन आधार पर अंश-कालीन कक्षाएं चलाने की कोई योजना नहीं है।

(ङ) रक्षा मंत्रालय द्वारा विभिन्न संगठनों के सहयोग से रक्षा कर्मचारियों के लिये

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। यह मंत्रालय सिविल कर्मचारियों जो प्रायः सेवा निवृत्त होने वाले हैं, के लिये कोई पाठ्यक्रम आयोजित करने का विचार नहीं रखता।

**घड़ी निर्माताओं को लाइसेंस**

7060. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घड़ी बनाने के लिए उन व्यक्तियों को लाइसेंस दे दिये हैं जो घड़ी बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और जिनमें से अनेकों के बारे में राजस्व विभाग द्वारा जांच की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें मार्च, 1980 तक लाइसेंस जारी किये गये है; तथा उनमें से प्रत्येक द्वारा कितनी घड़ियों का आयात किया गया और अब तक कितने एकक कायम किये गये हैं तथा उन लोगों द्वारा निर्माण एकक स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) और (ख) : संगठित क्षेत्र में 17 कंपनियों को मैकेनिकल कलाई घड़ियां बनाने के लिए स्वीकृति दी गई है। जहां तक सरकार को जानकारी है, इन कंपनियों को या तो कलाई घड़ियों के उत्पादन की आवश्यक जानकारी है अथवा ये कंपनियां विदेशी उत्पादकों से सहयोग करार कर जानकारी हासिल करेंगी। इनमें से किसी कंपनी के विरुद्ध राजस्व विभाग द्वारा की गई जांच संबंधी जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उपर्युक्त कंपनियों के नाम तथा उन्होंने उत्पादन शुरू किया है अथवा नहीं के बारे में संलग्न **विवरण** में उल्लेख किया गया है। 6 कंपनियों को अपनी अपनी योजनाओं के कार्यान्वयन में प्रभावी कदम अभी उठाने हैं। इन 17 कंपनियों में से केवल मैसर्स हिन्दुस्तान मशीन टूल्स ने 11,00,123 घड़ियों का आयात किया है।

**विवरण**

| क्र. सं. | संगठित क्षेत्र में कलाई घड़ियों का उत्पादन करने के लिए स्वीकृत कंपनियों का नाम | उत्पादन शुरू किया या नहीं |
|---|---|---|
| 1· | 2. | 3. |
| 1. | मैसर्स एच०एम०टी० लि०,<br>36, कनिंघम रोड़,<br>बंगलौर-560052 | जी, हां। |
| 2. | मैसर्स हेंगड़े और गोलाय लि०,<br>71/1, प्लेस रोड़,<br>बंगलौर | जी, हां। |
| 3 | मैसर्स इन्डो फ्रेन्च टाइम इंडस्ट्रीज,<br>12, उद्योग नगर, एस० वी० रोड़,<br>गोरेगांव (पश्चिम) बम्बई | जी, हां। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | मैसर्स सन्दोज (इंडिया) वाच इंडस्ट्रीज, एन-87, पंचशील पार्क, नई दिल्ली | जी, हां। |
| 5. | मैसर्स सोधी ट्रेषा टाइम इंडस्ट्रीज, प्रा० लि०, बी-13/4, झिलमिल इंड० स्कीम, ताहीरपुर एस्टेट, शाहदरा, दिल्ली-110032 | जी, हां। |
| 6. | मैसर्स इन्डो-स्वीस टाइम लिमिटेड, ए-1/6, सफदरजंग इन्कलेव, नई दिल्ली। | जी, हां। |
| 7. | मैसर्स कामी इंडिया, 78/78 ए, अब्दुल रहमान स्ट्रीट, बम्बई | जी, हां। |
| 8. | मैसर्स जी०एस० पूरेवाल और एसोशिएटेस प्रा०लि०, कसौली रोड़, धरमपुर, शिमला हिल्स | जी, हां। |
| 9. | मैसर्स नासा वाचेज प्रा० लि० सायलेवेक्स काबले कम्पाउन्ड, साकी बिहार रोड़, बम्बई-400072 | नहीं। |
| 10. | मैसर्स जयना टाइम इंडस्ट्रीज प्रा० लि० 7/25, दरियागंज, दिल्ली-6 | जी, हां। |
| 11. | मैसर्स अमर वाचेज प्रा० लि०, 629-ए, गिरगांव रोड़, बम्बई-400002 | जी, हां। |
| 12. | मैसर्स एम्पाइर टाइम इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि०, 2, मानिकतला इंडस्ट्रीज एस्टेट, कलकत्ता-700054 | जी, हां। बन्द पड़ी है। |
| 13. | मैसर्स भगवान दास टाइम इंडस्ट्रीज (प्रा०) लि० 47-बी, फ्रेन्ड्स कालोनी, मथुरा रोड़, नई दिल्ली। | नही। |
| 14. | मैसर्स सतगुरू वाचेज, (प्रा०) लि०, 1/6-बी, पूसा रोड़, नई दिल्ली। | नहीं। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 15. | मैसर्स एच०के० नित्माचिनेन प्रा० लि०<br>बम्बई काटन मिल्स एस्टेट,<br>दत्तरामल पत्थर,<br>बम्बई । | |
| 16. | मैसर्स आन्ध्र प्रदेश इंड० डेव०<br>कारपोरेशन, हैदराबाद | नहीं है । |
| 17. | मैसर्स हैदराबाद अल्वेन मेटल<br>वर्क्स लि०,<br>हैदराबाद । | नहीं है । |

**राजस्थान के लबाना समुदाय द्वारा ज्ञापन**

7061. **श्री भीखा भाई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक शिष्टमंडल ने राजस्थान की लबाना समुदाय को पिछड़ी जातियों की की सूची में शामिल करने के आशय का जैसा की गुजरात में भी हो चुका है, एक ज्ञापन उन्हें पेश किया था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

**दिल्ली महानगर परिषद् और दिल्ली नगर निगम का चुनाव**

7062. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :**—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) दिल्ली महानगर परिषद और (दो) दिल्ली नगर निगम का चुनाव उन नौ राज्य विधान सभाओं के साथ, जिनको लगभग इनके साथ ही भंग किया था, न कराये जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) इन दो निकायों के लिए चुनाव कराने के लिए निश्चित तिथियों की योजना कब तक किए जाने की संभावना है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि दिल्ली महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम के चुनाव 9 राज्य विधानसभाओं के चुनावों के साथ निम्नलिखित कारणों से नहीं कराए जा सके :—

(i) 9 राज्यों की विधानसभाएं 17 फरवरी, 1980 को भंग की गई थी जबकि दिल्ली महानगर परिषद और दिल्ली नगर निगम काफी बाद अर्थात क्रमश 21 मार्च 1980 और 11 अप्रैल 1980 को भंग की गई थी ।

(ii) क्योंकि 1980 में लोकसभा के चुनाव के दौरान दिल्ली संघ शासित क्षेत्र की मतदाता सूचियों में नाम न होने के बारे में बहुत सी शिकायतें की गई थी अतः भारत के

चुनाव आयोग ने नई महानगर परिषद के गठन के लिए चुनाव कराने से पहले दिल्ली संघ शासित क्षेत्र की मतदाता सूचियों को संशोधित करने का आदेश दिया है।

(iii) दिल्ली संघ शासित क्षेत्र के कुछ क्षेत्रों की मतदाता सूचियों का पिछले चुनाव के दौरान जिन्हें पूरी तरह सूचियों में निकाल दिया गया था, पात्र मतदाताओं के नामांकन के लिए पुनः सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार इन निकायों का चुनाव कराने के लिए निश्चित तिथियाँ, दिल्ली संघ शासित क्षेत्र में सूचियों को पूर्ण रूप से संशोधित करने के पश्चात बताई जा सकती है।

**भारतीय सीमेंट निगम पर किया गया व्यय और सीमेंट उद्योग की क्षमता का उपयोग**

7063. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय सीमेंट निगम पर कितना वार्षिक प्रशासनिक व्यय किया जा रहा है और इसके नियंत्रण में कितने सीमेंट कारखाने चल रहे हैं ? और उनमें कारखाना-वार कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है तथा उनकी उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) वर्ष 1977, 1978 और 1979 के दौरान उनकी कुल उत्पादन क्षमता के कितने प्रतिशत का उपयोग किया गया; और

(ग) क्या उनकी उत्पादन क्षमता का कम उपयोग किग जाने के कारण भारतीय सीमेंट निगम को हानि हुई है और यदि हां, तो कितनी वार्षिक हानि हुई उसके क्या कारण हैं;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) भारतीय सीमेंट निगम अपने प्रशासनिक व्ययो को स्वयं ही पूरा करता है और वर्ष 1979-80 के दौरान 127.30 लाख रुपए का प्रशासनिक व्यय किया गया उत्पादन कर रहे कारखानों की संख्या उनमें से किए गए निवेश और उनकी अधिष्ठापित क्षमता निम्न प्रकार है :—

| कारखाने का नाम | निवेश (लाख रुपयों में) | अधिष्ठापित क्षमता (लाख मी० टन में |
|---|---|---|
| मांढर (मध्य प्रदेश) | 1123 | 3.8 |
| कुरकुन्ता (कर्नाटक) | 687 | 2.0 |
| वोकाजन (असम) | 1471 | 2.0 |
| राजवन (हिमाचल प्रदेश) (*31.3.80 की स्थिति) | *1903 | 2.3 |
| योग | 5184 | 9.8 |

(ख) और (ग) : कार्य संचालन संबंधी प्रारम्भिक समस्याओं, राज्य सरकारों द्वारा की गई बिजली की कटौतियों, कोयले व रेलवे वैगनों की अपर्याप्त सप्लाई जैसे मुख्य कारणों से क्षमता का कम उपयोग हुआ और जिसका निगम के लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कारखानों में वर्ष 1977-78, 1978-79 और 1979-80 में क्षमता का निम्न प्रकार उपयोग हुआ था :—

| कारखाने का नाम | क्षमता उपयोग (प्रतिशत) | | |
|---|---|---|---|
| | 1977-78 | 1978-1979 | 1979-80 |
| मांढर | 103.0 | 74.0 | 71.5 |
| कुरकुन्ता | 75.2 | 82.7 | 86 5 |
| बोकाजन | 43.3 | 51.5 | 75.0 |

(राजवन-वाणिज्यिक उत्पादन । अप्रैल, 1980 से शुरू हुआ)

निगम को तीन वर्षों में निम्नलिखित लाभ/हानि हुई :—

लाख रुपये में

| 1977-78 | 1978-79 | 1979-80 |
|---|---|---|
| (-(98.31 | (-(82.46 | (-(109.55 |

**बिहार के मुंगेर जिले में शेखपुरा के हरिजनों पर आक्रमण**

7064. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मुंगेर जिले (बिहार) के शेखपुरा में उस क्षेत्र के जाने माने बदमाशों द्वारा हरिजनों और उनकी औरतों पर किये गये आक्रमण के बारे में कोई पत्र मिला है;

(ख) क्या यह सच है कि । जुलाई, 1980 को दिन के समय बदमाश घरों में घुस गये और औरतों को पीटा तथा उनको गालियां दी;

(ग) क्या यह सच है कि शेखपुरा पुलिस ने हरिजनों के जीवन की रक्षा करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है; और

(घ) यदि हां, तो अपराधियों को गिरफ्तार करने और इस गांव के हरिजनों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) से (घ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

**पंजाब में टेली-कम्युनिवेशन और इलेक्ट्रांनिकी स्विच गियर उपकरणों का निर्माण करने वाली एक इकाई की स्थापना**

7065. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने सरकारी क्षेत्र में टेली-कम्युनिवेशन और इलेक्ट्रांनिकी

स्विच गियर उपकरणों का निर्माण करने वाली एक इकाई की स्थापना करने का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) वर्तमान सरकार को पंजाब के मुख्य मंत्री से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**सरकारी दौरों पर मंत्रीयों द्वारा अपनी पत्नियों को ले जाना**

7066. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सरकारी दौरों पर मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों की पत्नियों को अपने पति के साथ जाने की अनुमति है;

(ख) क्या यह सुविधा उन्हें विमान के यात्रा करते समय भी प्राप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो जनवरी, 1980 से (देश में) किन-किन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उप मंत्रियों ने कितने-कितने दौरे किए हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) और (ख) देश में मंत्रियों के दौरे मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सा उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 द्वारा नियमित होते हैं। उनमें बनाये गये सम्बन्धों के अनुसार जब मंत्री रेलगाड़ी अथवा सड़क से ड्यूटी पर यात्रा करता है तो वह बिना अदायगी के अपना एक रिस्तेदार अपने साथ ले जाने का हकदार होता है। विमान से यात्राओं के लिए ऐसी कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। देश के बाहर दौरों से संबंधित सूचना इसी सदस्य द्वारा पूछे गये इसी तरह के अतारांकित प्रश्न संख्या 6422 के जवाब में। अगस्त, 1980 को वित्त मंत्रालय के उपमंत्री द्वारा दिये उत्तर में दी हुई है।

(ग) देश के भीतर मंत्रियों के दौरों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है औ सदन के पटल पर रख दी जाएगी। देश से बाहर दौरों से संबंधित इसी प्रकार सूचना की वित्त मंत्रालय में उपमंत्री द्वारा प्रश्न सं० 6422 के अपने उत्तर में सदन के पटल पर रखे जाने का आश्वासन दिया गया है।

**भारत-इण्डोनेशिया आर्थिक सहयोग**

7067. **श्री ए० ए० रहीम** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में इण्डोनेशिया की यात्रा की है और भारत तथा इण्डोनेशिया के बीच आर्थिक सहयोग के मासले पर विचारविमर्श किया है;

(ख) यदि हाँ. तो जिन बातों पर सहमति हुई, और उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) और (ख) जी, हां। इस दौरे के दौरान जिस सम्मत कार्यवृत पर हस्ताक्षर किये गये थे उसमें भारत ने सीमेंट,

अल्युमिनियम, लुगदी तथा कागज तथा विद्युत जनित्रण के क्षेत्र में संयंत्र स्थापित करने में सहयोग को पेशकश की है। भारतीय सहभगिता की अन्य सम्भावनाओं में इस्पात क्षेत्र डेयरी उद्योग, खजूर-तेल उद्योग, लघु उद्योग क्षेत्र चीनी उद्योग तथा ग्रामीण बैंकिग सम्मिलित हैं। भारत ने इण्डोनेशिया को आयरन और पेलिट सप्लाई करने की भी पेशकश की है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

| मद | प्रगति |
|---|---|
| (क) इण्डोनेशिया को आयरन और पैलेट सप्लाई करने तथा इण्डोनेशिया से स्पंज लोहा खरीदने के लिये भारत की पेशकश | इण्डोनेशिया को आयरन और पैलेट सप्लाई करने की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है। यह बताया गया है कि इण्डोनेशिया से स्पंज लोहे की पहली खेप की जहाजो में की लदान प्रतीक्षा है। |
| (ख) इण्डोनेशिया में लगाये जाने वाले प्रस्तावित उद्योग | |
| 1. सीमेंट | |
| पाडंग सीमेंट संयंत्र, इण्डोनेशिया का विस्तार | पी० ई० सी० ने इण्डोनेशियाई पत्र की एक आफर प्रस्तुत की है। आगे विचार विमर्श किया जाना है। |
| 2. एक इस्पात सर्विस केन्द्र की स्थापना | मेकान ने इण्डोनेशियाई पक्ष को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।इण्डोनेशियाई को अपने विचार प्रस्तुत करने हैं। |
| 3. अल्युमिनियम संयंत्र :— | |
| भारत ने अल्युमिनियम पिघलाने की क्षमता तथा इस संबंध में ऊर्जा क्षमता उर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पन बिजली/थर्मल बिजली संयंत्रों की स्थापना में भी सहयोग की पेशकश की है। | इण्डोनेशिया द्वारा अल्युमिनियम क्षेत्र में अपने आगामी कार्यक्रम पर विचार करने के पश्चात ही संभावनाओं पर विचार विमर्श किया जाना है। |
| 4. कागज तथा लुगदी :— | |
| भारतीय पक्ष ने टेकनगन कागज तथा लुगदी परियोजना की स्थापना तथा इसके संभाव्यता अध्ययन को पूरा करने में रूचि दिखाई है। | संभावनाओं पर आगे विचार किया जाना है। |

| मद | प्रगति |
|---|---|
| 5. स्टीयरिन के उपयोग सहित खजूर के तेल उद्योग क्षेत्र में सहयोग | इण्डोनेशियाई पक्ष की आवश्यक आंकड़े तथा सूचना प्रस्तुत करनी है । |
| 6. डेयरी उद्योग | भारत से एक विशेषज्ञ दल को संभावनाओं का पता लगाने तथा पायलेट परियोजना स्थापित करने के प्रस्ताव तैयार करने के लिये इण्डोनेशिया का दौरा किया है । |
| 7. विद्युत परियोजनायें | बी० एच० ई० एल० को सौंपी जाने वाली एक विशिष्ट विद्युत परियोजना की संभावना पर इण्डोनेशियाई पक्ष की जांच करनी है । |
| 8. ग्रामीण विकास : इस बात पर सहमति थी कि इण्डोनेशिया में चरणवद्ध ग्रामीण बैंकिग पद्धति की स्थापना के प्रस्तावों के लिये प्राथमिक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने का काम भारतीय पक्ष द्वारा किया जायेगा । | इण्डोनेशियाई पक्ष के विशिष्ट विवरणों तथा आवश्यकताओं का सुनिश्चिय किया जा रहा है । |
| 9. लघु उद्योग क्षेत्र : | |
| (i) एक प्रशिक्षण केन्द्र तथा टूल रूम | एक प्रशिक्षण केन्द्र तथा टूल रूम की स्थापना के लिए इण्डोनेशियाई पक्ष में एच० एम० टी० को एक आशय पत्र जारी किया है । |
| (ii) 78 लघु उद्योग की स्थापना जिनके लिये परियोजना को रूप रेखा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम ने प्रस्तुत कर दी है। | कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिये इण्डोनेशिया के तकनीकी दलों को भारत का दौरा करना है । |
| 10. चीनी उद्योग | मिनी चीनी संयंत्र स्थापित करने के लिये भारतीय पक्ष द्वारा सौंपे गये संभाव्यता अध्ययन पर इण्डोनेशियाई पक्ष को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी है । |

**मिजोरम सरकार को व्यक्तियों का आवंटन**

7068. **श्री राम विलास पासवान** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब 1971 में आसाम में मिजोराम जिले को मिजोरम राज्य घोषित किया गया तो असम सरकार की सेवा में कुछ व्यक्ति उनकी इच्छा के बिना मिजोरम सरकार को आवंटित किये गये थे,

(ख) क्या यह सच है कि पुनर्गठन अधिनियम के उपबंधों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख

है कि आवंटन किये जाने से पूर्व उन व्यक्तियों की सहमति प्राप्त की जानी चाहिए,

(ग) यदि हाँ, तो कितने व्यक्तियों का आवंटन उनकी सहमति प्राप्त किए बिना मिजोरम सरकार को किया गया था और उसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) : असम राज्य के मिजो पहाड़ी जिले 21.1.72 से मिजोरम संघ शासित क्षेत्र बने थे। इस जिले में कार्य कर रहे राज्य सरकार के कर्मचारियों का आवंटन उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुर्नगठन अधिनियम 1971 की धारा 64 के उप खण्ड (2) के अधीन संघ शासित क्षेत्र मिजोरम को किया गया था। कर्मचारियों की सहमति के लिए उनसे नहीं पूछा गया था क्योंकि अधिनियम में संघ शासित क्षेत्र मिजोरम में उनके आवंटन के बारे में आदेश जारी करने से पहले उनकी सहमति प्राप्त करने का कोई प्रावधान नहीं है।

**गाडगिल फार्मूला का पुनः स्वीकार किया जाना**

7069. **श्री नारायण चंद पराशर** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि उनके लिए वित्तीय अनुदानों का नियतन करने हेतु गाडगिल फार्मूला को पुनः स्वीकार किया जाये;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने यह अनुरोध किया है तथा उन्होंने इसके लिए क्या-क्या तर्क दिए हैं;

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है; और

(घ) गाडगिल फार्मूला और वर्तमान फार्मूला के बीच अंतर की मुख्य बातें क्या हैं ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

(घ) राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता इस समय गाडगिल फार्मूला और आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूला के आधार पर दी जा रही है। इसके अलावा बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं, पहाड़ी क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों और उत्तर-पूर्वी परिषद् के कार्यक्रमों के लिए राज्यों को अपनी योजनाओं के भाग के रूप भी केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

**पंजाब की प्रति व्यक्ति आय**

7070. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य की नवीनतम प्रति व्यक्ति आय कितनी है; और

(ख) पूरे भारत की तुलना में इसकी स्थिति क्या है ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) तथा (ख) प्रचलित भावों के आधार पर वर्ष 1978-79 की पंजाब राज्य की नवीनतम प्रति व्यक्ति आय 2101 रु० है जबकि समस्त भारत की इसी वर्ष की प्रति व्यक्ति आय 1249 रु० है।

**समयोपरि भत्ते के भुगतान के रूप में होने वाला व्यय**

7071. **श्री चन्द्रभान आठरे पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तथा वर्ष 1980 में 30 जून, तक समयोपरि भत्ते पर (विभाग-वार) कितना व्यय हुआ; और

(ख) इस खर्च को कम करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** : (क) समयोपरि भत्ते पर सम्बन्धी सूचना वित्त वर्षों के लिए एकत्रित की जाती है। केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा 1976-77, 1977-78 तथा 1978-79 के दौरान समयोपरि भत्ते पर किए गए व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल ०टी० 1231/80) किन्तु बाद की अवधियों की सम्पूर्ण सूचना अभी उपलब्ध नहीं है। (इसे एकत्रित कर लिए जाने पर सदन के पटल पर रख दिया जाएगा)।

(ख) समय-समय पर ऐसे अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें इस बात की आवश्यकता पर कड़ाई से बल दिया गया है कि कार्यालय के काम की इस प्रकार व्यवस्था की जाए कि समयोपरि भत्ते के भुगतान के अवसर कम से कम हों/सभी विभागों को यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि गैर-औद्योगिक सरकारी कर्मचारियों को रविवार तथा छुट्ठी के दिन कार्य के लिए किसी भी परिस्थिति में समयोपरि भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए और ऐसे कार्य के लिए केवल प्रतिपूरक छुट्टी दी जानी चाहिए। उन्हें यह भी अनुदेश दिए गए हैं कि वे समयोपरि भत्ते पर अपने व्यय को 1978-79 के दौरान किए गए व्यय से 10% तक कम कर दें।

**नारियल जटा उद्योग के लिये कच्चा रेशा**

7072. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि भारत विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है, तथापि नारियल जटा उद्योग को कड़े रेशे की कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस विरोधाभासी स्थिति की जांच करने का प्रयत्न किया है; और

(ग) सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाई करने का विचार है कि इस उद्योग को, जिसमें बहुत से श्रमिक लगे हुए हैं कच्चे रेशे की सप्लाई के अभाव में हानि नहीं उठानी पड़ेगी;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) से (ग) विश्व में फिलीपाइन्स और इन्डोनेशिया के बाद भारत नारियल पैदा करने वाला तीसरा बड़ा देश है। सरकार को विदित है कि इस समय ब्रिस्टल रेशे के उपभोक्ताओं को अधिक मूल्य का भुगतान करने में अरुचि होने के कारण माँग और पूर्ति के बीच अस्थायी अस्थिरता है जिसके परिणामस्वरूप इस उत्पादन को छिलका उतरे हुए रेशे में बदल दिया गया है। विद्युत स्थिति में सुधार हो जाने के कारण कर्नाटक और तमिलनाडु में भूरे रेशे का उत्पादन बढ़ाने के लिए अनेक एककों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्थिति में शीघ्र सुधार हो जाने की संभावना है। यदि

ब्रिस्टल रेशे के लिए समुचित मूल्य का भुगतान कर दिया जाता है तो सप्लाई मांग के बराबर हो जायेगी।

**राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर व्यय**

7073. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार कितनी केन्द्रीय राशि खर्च की गयी है;

(ख) उपरोक्त निधियों का उपयोग किस प्रकार किया गया है और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) अगले तीन वर्षों के लिए कितनी राशियाँ स्वीकृत की गयी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस बारे में क्या-क्या राहत योजनाएँ बनाई गई हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) से (घ) राजस्थान सरकार और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

**जेलों में कैदी**

7074. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत :** क्या गृह मन्त्री : यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों की जेलों में कैदियों की संख्या उनकी जेलों की क्षमता से दुगुनी है और यदि हाँ, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या यह भी सच है कि कैदियों की कुल संख्या में से 80 प्रतिशत कैदी ऐसे हैं जिन पर मुकदमा चल रहा है और यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या यह भी सच है कि उनमें 25 प्रतिशत से अधिक कैदी दस वर्ष से भी अधिक समय से अपने मामलों में निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा किन उपायों पर विचार किया जा रहा है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं :—

(i) राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से—

(ii) विचारणाधीन कैदियों के शीघ्र विचारण हेतु उनके मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए पुनरीक्षण समितियाँ बनाने;

(iii) गरीब कैदियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक कानूनी अधिकारी नियुक्त करने;

(v) छानवीन और जांच के लिए समय सीमा निर्धारित करने से सम्बन्धित दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों का पूरी तरह अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है।

(vi) विचारणाधीन नजरबंदी की अनुचित लम्बी अवधियों को कम करने हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों में संशोधन करने के लिए कुछ प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

**असम में बंगला देश के घुसपैठियों का अन्य राज्यों में पुर्नवास**

7075 **श्री के० प्रधानी :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश से असम में आए घुसपैठियों को अन्य राज्यों में पुर्नवासित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में क्या योजना है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) और (ख) विदेशियों को यदि उनके देशों को निष्कासित करना संभव न हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं कि सम्पूर्ण भार असम पर न पड़े।

**दिल्ली पालीटेकनिक के एक छात्र की मृत्यु के बारे में जांच**

7076. **श्री नारायण चौबे :** क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीरी गेट पालीटेकनिक, दिल्ली के एक छात्र स्वर्गीय आशुतोष कौशिक जिसने 13 जनवरी, 1980 को स्वयं को गोली मार ली थी और जिसकी 15 जनवरी, 1980 को मृत्यु हो गयी थी, की मृत्यु के बारे में न्यायिक जाँच करने के आदेश दिए गए थे;

(ख) क्या न्यायाधीश ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यदि हाँ, तो कब; और

(ग) उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) जी हाँ, श्रीमान। दिल्ली प्रशासन के प्रशासक द्वारा।

(ख) जी हाँ, श्रीमान, 26 मई, 1980 को।

(ग) आयोग की रिपोर्ट को उस पर की गई कार्यवाइयों के ज्ञापन सहित लोकसभा के पटल पर रखने की कार्रवाई की जा रही है जैसा कि जाँच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 (4) में अपेक्षित है।

**बिजली के जनरेटरों का उत्पादन और उनकी कुल मांग**

7077. **श्री आरिफ मोहम्मद खां :** क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में बिजली के जनरेटरों का कितना उत्पादन हो रहा है और उनकी कुल माँग कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में बिजली के जनरेटरों के आयात की अनुमति दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो ये किस देश से आयात किये जाते हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना :** (क) से (ग) 1978-83 की पंचवर्षीय अवधि में विद्युत जनित्रण क्षमता की माँग (अनुमानित वृद्धि) पूरी करने के लिए बड़ी मात्रा में विद्युत जनित्रण उपकरणों को अनुमानित आवश्यकता 18500 मे० वा० तक होने की सम्भावना है। इस प्रकार के बड़ी मात्रा में विद्युत जनित्रण उपकरणों की वर्तमान निर्माण क्षमता 4700 मे0 वा0 प्रतिवर्ष है और अनुमानित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुल मिला कर यह पर्याप्त समझी जाती है। किन्तु सभी सम्बन्ध बातों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मामले के आधार पर मामूली से आयात को अनुमातित भी दी जाती है। आयात का कोई निर्धारित स्रोत नहीं है।

**अल्पसंख्यक आयोग की साम्प्रदायिक दंगों के संबंध में सिफारिश**

7078. **श्री डी० पी० जदेजा :**

**श्री जी० एम० बनातवाला :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम करने के लिये शीघ्र ही क्रियान्वित करने हेतु सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

अल्प संख्यक आयोग ने 9 जुलाई, 1980 को सदन के पटल पर रखी गयी अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ (1) पेर्नम्बुट में साम्प्रदायिक दंगों जो जुलाई-सितम्बर 1978 में अलीगढ़ में हुए और (2) अक्टूबर-नवम्बर 1978 में अलीगढ़ में हुए साम्प्रदायिक दंगों पर उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का उल्लेख किया है। इन दो स्थानों पर सामुदायिक दंगों से संबंधित आयोग की सिफारिशें मूल रूप से तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों से संबधित हैं, जिनके साथ आयोग पत्र व्यवहार कर रहा है। अलीगढ़ दंगों पर अल्पसंख्यक आयोग की संक्षिप्त सिफारिशों और उन पर की गई कार्यवाई/टिप्पणियों का बिवरण 21 फरवरी, 1979 को लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं० 336 के उत्तर में सदन के पटल पर रखा गया था।

2. अल्पसंख्यक समुदायों की जान व माल की रक्षा के प्रश्न पर विचार विमर्श करते समय अल्पसंख्यक आयोग ने यह कहा है कि उसका विचार साम्प्रदायिक दंगों के मूल कारण की जांच करने और ऐसे दंगों पर नियंत्रण रखने और उनको रोकने के लिए कारगर उपायों का

सुझाव देने का है। इस बीच आयोग ने स्वयं तुरन्त दो उपायों, अर्थात "किसी साम्प्रदायिक आधार पर अर्ध सैनिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन न देना और (2) जिन पाठ्य पुस्तकों में युवा छात्रों के दिमाग में समुदायों के बीच वैर भाव की प्रवृत्ति हो, स्कूलों तथा कालेजों में उनके स्थान पर ऐसी पाठ्य पुस्तकें लगाना, जो सभी समुदायों के लोगों के बीच समानता तथा भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन दें" का सुझाव दिया है।

3. जहां तक पहले प्रश्न का संबंध है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किए हैं कि कोई व्यक्ति, संघ, संस्था, दल अथवा संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उस अधिकारी अथवा व्यक्ति की पूर्वानुमति के बिना किसी सरकारी परिसर अथवा सार्वजनिक सैरगाह के स्थान पर कवायद, अभ्यास, रैली अथवा प्रदर्शन (किसी शस्त्र अथवा हथियार जिसमें लाठी शामिल है की सहायता से अथवा उसके बिना) नहीं करेगा, जिसका ऐसे पारसरों अथवा स्थान पर कानूनी नियंत्रण है। शब्द "सार्वजनिक सैरगाह के स्थान" में कोई परिसर खेल मैदान, हाल अथवा अन्य खाली भूमि अथवा भवन, जिन्हें सरकार ने साधारणतः भुगतान पर या अन्यथा प्राप्त कर लिया है, शामिल हैं।

केवल सरकार ने अपने पुलिस अधिनियम 1980 संशोधन किया है, जिससे जिला मजिस्ट्रेट, जब सार्वजनिक शांति अथवा सार्वजनिक सुरक्षा अथवा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक समझे, व्यक्तियों को निर्देशित सार्वजनिक सूचना अथवा आदेश द्वारा, अपने अधिकार क्षेत्र में किसी क्षेत्र में कोई सामूहिक कवायद करने अथवा हथियारों के साथ सामूहिक प्रशिक्षण लेने अथवा जलूस में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये आदेश तीन महीने तक लागू रहेंगे, जिन्हें छः महीने तक बढ़ाया जा सकता है। शब्द "हथियार" का अर्थ किसी प्रकार का आपत्तिजनक हथियार है और इसमें लाठियां, डंडा और छड़ी शामिल है।

असम सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम की धारा 7 में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार शिविर लगाने अथवा शस्त्रों अथवा किसी वस्तु, हथियारों अथवा उपकरणों, जिन्हें व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा संगठनों, जिनकी गतिविधियां राज्य सरकार की राय में विधि व व्यवस्था के लिए विनाशक हों, द्वारा हथियारों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, के साथ अथवा उनके बगैर कवायद अथवा परेड करने पर लोकहित में प्रतिबंध अथवा आवश्यक शर्तें लगा सकती हैं। इस धारा में यह भी व्यवस्था है कि धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने पर कैद की सजा दी जा सकती है जो दो वर्ष, अथवा जुर्माने के साथ अथवा दोनों के साथ दी जा सकती है।

भारत सरकार ने अन्य सभी राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि अपने-अपने पुलिस अधिनियमों में केरल संशोधन की रूप रेखाओं पर संशोधन करें अथवा सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियमों में, यदि कोई हो, असम सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम की धारा 7 के उपबंध के अनुरूप एक उपबंध समायोजित करें अथवा सार्वजनिक स्थानों में और सरकार द्वारा अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित/सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के परिसरों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाएं लगाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की रूपरेखाओं पर अनुदेश जारी करें। राज्य सरकारो से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकारो द्वारा जारी किये गये अधिनियमो अथवा

अनुदेशो में संशोधन के उपबंध प्रभावकारी ढंग से लागू करें।

4. जहां तक, दूसरे प्रश्न का संबंध है, शिक्षा मंत्रालय, जो इससे संबद्ध है, सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

5. कुछ समय पहले अल्पसंख्यक आयोग ने कानून में कूछ संशोधनो का सुझाव दिया था ताकि साम्प्रदायिक आधार पर कवायदो पर प्रतिबंध लगाया जा सकें। इस सुझाव पर भी विधि मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

**भारत सरकार के सचिवों की वरिष्ठता सूची**

7079. **श्री मनी राम बागड़ी** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के सचिवो की कुल संख्या कितनी है और क्या उनकी कोई वरिष्ठता सूची तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) उनमें से स्वतंत्रता सेनानी कितने हैं तथा उनमें से प्रत्येक कितनी-कितनी बार जेल गया है, प्रत्येक बार कितनी अवधि तक जेल में रहा है और इस सम्बन्ध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सचिवो की वरिष्ठता सूची में गड़बड़ की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** : (क), (ख) तथा (घ) : केन्द्रीय सरकार के अधीन इस समय 59 अधिकारी सचिवो/पदेन सचिवों के रूप में सेवा कर रहे हैं, जिनमें विशेष सचिवो के रूप में कार्य कर रहे 4 अधिकारी भी शामिल हैं। ऐसे अधिकारियों की कोई सामान्य वरिष्ठता सूची तैयार नहीं की जाती है।

(ग) 41 अधिकारियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र राज्य में, स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान केवल एक सचिव जनवरी, 1943 से सितम्बर, 1943 तक जेल में रहा था। बाकी 18 सचिवों से सूचना एकत्रित की जा रही है और उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

**रेलवे मार्गों पर नियोजित किए गए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के कर्मचारी**

7080. **श्री सत्यनारायण जाटिया** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स के रेलवे मार्ग कहां-कहां हैं;

(ख) इन रेलवे मार्गों के रख-रखाव तथा नये मार्गों के परिवर्तन तथा सुधार के लिये नियोजित किये गये भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि० के कर्मचारियों की स्थानवार संख्या कितनी है; और

(ग) इन कर्मचारियों पर कौन सी शर्तें लागू होती हैं और क्या वे बोनस पाने के हकदार हैं ?

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) और (ख) : भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रेलवे मार्ग और इन मार्गों के रख-रखाव/परिवर्तन/सुधार के लिए नियोजित बी०एच०ई०एल० के कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :—

(1) **बी०ए०चई०एल०, हरिद्वार में** :— हरिद्वार रेलवे स्टेशन बी०एच०ई०एल० फैक्टरी, रानीपुर, हरिद्वार। बी०एच०ई०एल० ने इस मार्ग पर 13 कर्मचारियों को नियोजित किया है। इनके अलावा, 5 अस्थायी कर्मचारियो को भी नैमित्तिक/वर्क चारुन्ड आधार पर नियोजित किया गया है।

(2) **बी०एच०ई०एल०, हैदराबाद में** :—लिंगम्पल्ली, रेलवे स्टेशन से बी०एच०ई०एल० फैक्टरी, रामचन्द्रपूरम, हैदराबाद तक बी०एच०ई०एल० के परिसर के अन्दर इस मार्ग का रख-रखाव स्वयं बी०एच०ई०एल० द्वारा किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए 17 कर्मचारियों को नियोजित किया गया है। बी०एच०ई०एल० के परिसर से बाहर इस मार्ग का रखरखाव काम भुगतान के आधार पर रेलवे द्वारा किया जाता है। मार्ग से संबंधित कुछ काम कार्यों के लिए ठेके देकर कराया जाता है।

(3) **बी०एच०ई०एल०, तिरुचि में** :—गोल्डन राक जंक्शन से बी०एच०ई०एल० फैक्टरी, तिरुचि तक। इस मार्ग का रखरखाव रेलवे द्वारा किया जाता है।

(4) **बी०एच०ई०एल०, भोपाल में** :— हबीब गंज रेलवे स्टेशन से बी०एच०ई०एल० फैक्टरी, भोपाल तक। इस मार्ग के रखरखाव और परिवर्तन/सुधार करने के लिए बी०एच०ई० एल० ने 21 कर्मचारियों को नियोजित किया है।

(5) **बी०एच०ई०एल०, झांसी में** :—खजराहा स्टेशन से बी०एच०ई०एल० फैक्टरी, खैलार (झांसी) तक। रेलवे स्टेशन से बी०एच०ई०एल० फैक्टरी तक इस मार्ग का रखरखाव रेलवे द्वारा किया जाता है और फैक्टरी परिसर के अन्दर इसका रखरखाव कार्य एक स्थानीय ठेकेदार को सौंपा गया है।

(ग) जहां बी०एच०ई०एल० के नियमित कर्मचारियो को रेल मार्गों पर नियोजित किया गया है वहां उन पर वही शर्तें लागू होती हैं। जो बी०एच०ई०एल० के अन्य कर्मचारियों पर लागू होती हैं। कम्पनी के नियमों के अनुसार वे बोनस के हकदार भी है। इन मार्गों पर नैमित्तिक/वर्क चार्ज्ड आधार पर नियोजित अस्थायी कर्मचारियों को भी बोनस दिया जाता है बशर्ते कि वे पात्र हो।

**नौसेना अधिकारियों की समिति द्वारा नौसेना अकादमी के बारे में प्रतिवेदन**

7081. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौसेना अधिकारियों की समिति ने नौसेना अकादमी की स्थापना के बारे में विभिन्न स्थलों की जांच के बाद अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसने केरल में किस-किस स्थान का निरीक्षण किया;

(ग) क्या उसने इस प्रयोजन के लिये जिला त्रिवेन्द्रम के विथिनजम-कोवालय क्षेत्र का भी निरीक्षण किया था; और

(घ) मामले में यदि कोई अन्तिम निर्णय दिया गया है तो क्या ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) जी, हां।

(ख) इद्दुकी, माउंट डैली (रमनथली) और विजिनजम।

(ग) जी हां।

(घ) समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

**बीयर का उत्पादन करने के लिये राजस्थान ब्रूवरीज लिमिटेड को लाइसेंस**

7082. **श्री चतुर्भुज** क्या :—**उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान ब्रूवरीज लिमिटेड नामक कम्पनी को राजस्थान में बीयर का उत्पादन करने के लिये औद्योगिक लाइसेंस दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो यह लाइसेंस कब दिया था और इसकी शर्तें क्या थी; और

(ग) क्या इस कम्पनी ने उत्पादन शुरू कर दिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) जी, हां।

निम्नलिखित शर्तों के अधीन 17 फरवरी, 1975 को काम चालू रखने के लिए लाइसेंस दिया गया था।

(i) संयंत्र तथा मशीनों के आयात की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(ii) समय-समय पर प्रवर्तन नीति के अंदर ही कच्चे माल का आयात करना होगा।

(iii) औद्योगिक उपक्रम इस वस्तु के बनाने के लिये अपनी क्षमता में पर्याप्त विस्तार अथवा अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अंर्तगत किसी अन्य वस्तु के बनाये जाने के लिये क्षमता स्थापित करने के पूर्व भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त करेगा।

(iv) किसी भी विवरण पत्रिका अथवा अन्य अभिलेखों में जिसमें औद्योगिक उपक्रम को पूंजी देने हेतु जनता को आंमन्त्रित किया जाता है, में निम्नलिखित विवरणों का समावेश किया जायेगा।

कारोवार चलाने के लिये केन्द्र सरकार से एक लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया है जिसकी प्रति कंपनी में देखी जा सकती है। यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाना चाहिये कि भारत सरकार यह लाइसेंस प्रदान करने में इस उपक्रम की वित्तीय सुदृढ़ स्थिति के सम्बन्ध में अथवा इस सम्बन्ध दियेगये किसी वक्तव्य अथवा जाहिर की गई राय को सत्यता के सम्बन्ध में

कोई भी जिम्मेवारी वहन नहीं करती है।

(ग) जी, नहीं

(घ) उत्पादन प्रारम्भ न करने के कारणों से सरकार को सूचित नहीं किया गया है।

**पंचवर्षीय योजना की क्रियान्विति के लिये वार्षिक आयोजनाएं तैयार करना**

7083. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पंचवर्षी योजना की क्रियान्विति के लिये वार्षिक आयोजनाएं भी तैयार करती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने वर्ष 1980-81 के लिए वार्षिक योजना तैयार कर ली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) योजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) नई सरकार की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए और कीमतों में स्थिरता लाने की आवश्यकता के अनुरूप अर्थ-व्यवस्था में निवेशों में उपयुक्त वृद्धि की व्यवस्था करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए 1980-81 के वर्तमान वर्ष के लिए वार्षिक योजना तैयार की गई है। केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए योजना परिव्यय पहले उनके साथ परामर्श करके तय किए गए थे। जैसा कि केन्द्रीय बजट में बताया गया है, केन्द्र के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय 7340 करोड़ रु० है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पहले किए गए विचार-विमर्श में यथानिर्धारित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का परिव्यय 7253 करोड़ रु० होगा। जिससे कुल योजना परिव्यय 14593 करोड़ रु० हो जाएगा। प्राथमिकताओं और क्षेत्रकीय आवंटनों की सामान्य स्थिति बजट दस्तावेज में बताई गई है। राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ राजनीतिक स्तर पर विचार-विमर्श पहले नहीं किए जा सके थे, इसलिए ये विचार-विमर्श अब किए जा रहे हैं और इन विचार-विमर्शों के परिणामस्वरुप जो सोमांत समायोजना आवश्यक होंगे वे वर्तमान वर्ष की राज्य योजनाओं में किए जाएगे। इन विचार-विमर्शों के इस महीने के अंत तक पुरे हो जाने की आशा है और केवल उसके बाद ही राज्वार परिव्यय या उनके ब्यौरे बताना संभव होगा।

**6 अगस्त, 1980 को उत्तर देने के लिए एल ओ 3 अंतरिक्षयान का छोड़ा जाना**

7084. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी द्वारा एल ओ 3 एरिया ने राकेट के असफल रहने की जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ख) एल ओ 3 भारतीय अन्तरिक्ष यान छोड़ने का नया कार्यक्रम क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी)** : (क) यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी द्वारा एरियन प्रमोचक राकेट का विकास किया जा रहा है तथा इसकी द्वितीय विकासत्मक उड़ान (एल० ओ०) 2 मई, 1980 में हुई थी, जो प्रथम खंड के अच्छी तरह काम न करने के कारण असफल रही। यूरोपियन अन्तरिक्ष एजेंसी असफलता के कारणों का विश्लेषण कर रही है, तथा उन्होंनें जांच श्रृखलाएं प्रारम्भ करने की योजना बनाई है।

(ख) प्रथम भारतीय प्रायोगिक संचार उपग्रह एप्पल को छोड़ने वाले राकेट की तृतीय विकासात्मक उड़ान (एल० ओ०-3) आयोजित करने की समय-अनूसूची का दुवारा निर्धारण 1981 के प्रारम्भ के लिए किया गया है।

**भर्ती कार्यालय, दानापुर में भ्रष्टाचार**

7085. **भर्ती रामावतार शास्त्री** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य ने प्रधान मंत्री को पत्र लिख कर उनका ध्यान दानापुर छावनी स्थिति भर्ती कार्यालय में व्यक्त भ्रष्टाचार की ओर दिलाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह** : (क) जी हाँ।

(ख) शिकायत एक रंगरूट के साथ भर्ती अकसर द्वारा दुर्व्यवहार करने और थलसेना में भर्ती होने के लिए एक एजेन्ट को पैसा देने के संबंध में थी।

(ग) शिकायत की विभागीय स्तर पर जांच की गई थी। दुर्व्यवहार संबंधी लगाए गए आरोप का कोई प्रमाण नहीं मिला। रंगरूट ने जिस व्यक्ति का नाम बताया था वह निदिष्ट पते पर नहीं मिला। रंगरूट स्वयं भी 20 मई 1980 से लापता हो गया। आगे जांच करने पर यह पता चला कि वह जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर सेना में भर्ती हुआ था। इस बारे में और अधिक छानबीन करने के लिए यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भेजा जा रहा है।

**आधुनिक पनडुब्बियों की खरीदने के लिये निर्णय**

7086. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिये आधुनिक पनडुब्बियां खरीदने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कुछ देशों के साथ किसी ठेके पर हस्ताक्षर किये गये है और यदि हां,तो उन देशों के नाम क्या हैं और उसकी लागत का ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** (क) सरकार ने एच डी डब्ल्यू टाइप की 1500 पनडुब्बियां पश्चिम जर्मनी के मेसर्स होवाल्डसवर्क ड्यूचे से खरीदने और इन्हें भारत में उनके सहयोग से बनाने का निर्णय किया है।

(ख) संबंधित फर्म के साथ करार के लिए इस समय समझौता वार्ता चल रही है।

**उत्तर प्रदेश की पुलिस को 303 बोर की राइफल की कारतूसों की सप्लाई**

7087. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को वार्षिक प्रशिक्षण आदि के लिए अपेक्षित 303 बोर की राइफल के कारतूसों की सप्लाई गत तीन वर्षों से नहीं की है जिसके परिणामस्वरूप पुलिस कर्मचारियों को गोली चलाये जाने का वार्षिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या सरकार का विचार समूचे देश में पुलिस विभागों नवीनतम हथियारों की सप्लाई करने का है ताकि वे नवीनतम हथियारों से लैस अराजकतावादी व्यक्तियों तथा समाज विरोधी तत्वों का सफलता पूर्वक मुकाबला कर सकें ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) जी नही, श्रीमान् । पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग को ·303 गोला बारूद की सप्लाई सीमित मात्रा में की गई थी। ·303 कारतूसों का उत्पादन कुछ समय के लिये सुरक्षा विभाग द्वारा स्थगित कर दिया था। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस समेत पुलिस विभागों को सामान्य सप्लाई की जा सकी। ·303 गोला बारूद का उत्पादन फिर से चालू कर दिया गया है और सप्लाई आरम्भ कर दी गई है।

(ग) पुलिस बलों के लिए उपकरण नीति का निरन्तर पुनरीक्षण सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पुलिस विशेष स्थितियों का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त रूप से सशस्त्र की जाए।

**लघु सीमेंट कारखानों के लिए सर्वेक्षण**

7088. **श्री अमर सिंह बी० राठवा** :—क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सीमेंट अनुसन्धान संस्थान ने देश में लघु सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिए किसी क्षेत्र का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1978-79 में और 1979-80 के दौरान किन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) से (ग) दि सीमेंट रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने देश में मिनी सीमेंट संयंत्र स्थापित करने के लिए किसी भी क्षेत्र का सर्वेक्षण नहीं किया है। राज्य भूविज्ञान और खनन विभाग, भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग आदि जैसे स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार संस्थान ने 18 राज्यों में 51 स्थापना स्थलों का पता लगाया है। पता लगाए गए स्थापना स्थलों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

| क्र० सं० निक्षेप का नाम और स्थापना स्थल | भण्डार (दस लाख मी० टनों में) |
|---|---|
| 1. 2. | 3. |
| **आन्ध्र प्रदेश** | |
| 1. कस्तूरपल्ली, महबूब नगर जिला | 50.00 (निर्दिष्ट) |
| 2. दाचेपल्ली जिला गुंटूर | 14.00 (आंशिक रूप से प्रमाणित) |
| **अरुणाचल प्रदेश** | |
| 1. टिडिंग | 91.00 (अनुमानित) |
| **असम** | |
| 1. गरमपाणी, नार्थ कछार हिल्स | 10.00 (निर्दिष्ट) |
| 2. तुमवंग वस्ती, नार्थ कछार हिल्स | 1.05 (निर्दिष्ट) |
| **मणिपुर** | |
| 1. उखरुल | 5.08 (अनुमानित) |
| 2. हंगडंग | 1.98 (अनुमानित) |
| **मेघालय** | |
| 1. दारंग एरा | 47 01 (अनुमानित) |
| 2. लमशुनोंग | 1.00 (अनुमानित) |
| **बिहार** | |
| 1. वुन्द-बास-सारिया, कुर-कुत्ता-रली गेडा, जिला-हजारी बाग | 12.06 (अनुमानित) |
| **गुजरात** | |
| 1. पशुबल दीवानिया जिला-बासकंठा | 6.00 (अनुमानित) |
| 2. करमुडी-फूनिया, जिला-बांसकंठा | 15.00 (अनुमानित) |
| 3. वरावल, जुनागढ़-जिला | 29 06 (अनुमानित) |
| 4. ताडकंश्वर, जिला-सूरत | 7.05 (अनुमानित) |
| **हिमाचल प्रदेश** | |
| 1. धरमकोट, जिला-कागड़ा | 15.00 (अनुमानित) |
| 2. पाडुथल, जिला-सिरमूर | 3.07 (अनुमानित) |
| **जम्मू और काश्मीर** | |
| 1. कुनत, बाबा गुन्द, जिला बारामूला | |
| 2. सलाल और कंथार जिला उधम पुर | 10.00 (अनुमानित) |

**कर्नाटक**

| | |
|---|---|
| 1. यार्न, जिला-नार्थ कनारा | 8.01 (अनुमानित) |
| 2. ओरादी, जिला-बेलगाँव | 20.00 (अनुमानित) |
| 3. मल्लापुर, जिला-चित्रदुर्ग | 17.06 (अनुमानित) |
| 4. मथोड, जिला-चित्रदुर्ग | 18.25 (अनुमानित) |
| 5. इलेगहल्ली, जिला-चित्रदुर्ग | 5.02 (अनुमानित) |
| 6. कुदूर-कनीवी, जिला-तुमकुर | 10.02 (अनुमानित) |
| 7. लोकापुर, जिला-बीजापुर | 1.02 (अनुमानित) |
| 8. हल्कू मेदगोद, जिला-वीजापुर | 10.00 (अनुमानित) |
| 9. यादवाड़, जिला वेलगांव | 10.00 (अनुमानित) |
| 10. मनीमा, जिला-बेलगाँव | 8.00 (अनुमानित) |
| 11. नागरगल्ली, जिला-वेलगांव | 50.00 (अनुमानित) |
| 12. कुलीगाद, जिला-वेलगांव | 7.00 (अनुमानित) |
| 13. कादलगद्दी, जिला-नार्थ कनारा | 7.08 (अनुमानित) |
| 14. नाडाइन होल्लो, जिला गुलबर्गा | 114.00 (अनुमानित) |
| 15. वाज्जल, जिला-गुलवर्गा | 42.00 (अनुमानित) |
| 16. पालकपल्ली, और अनवर, जिला-गुलबर्गा | 5.00 (अनुमानित) |

**मध्य प्रदेश**

| | |
|---|---|
| 1. दारा-बाबा रामसलैया, जिला-दमोह | 3.63 (परिषित) |
| 2. बांवे मानाटूर, जिला-घाड़ | 1.42 (अनुमानित) |

**महाराष्ट्र**

| | |
|---|---|
| 1. पारदी, जिला-नादेड़ | 1.01 (परिषित) |
| 2. संगोदा, जिला-चांदा | 10.00 (अनुमानित) |
| 3. चांदुर-तुआ-सोनापुर, जिला चांदा | 43.05 (परिषित) |
| 4. राजूर, जिला यवतमल | 32.00 (परिषित) |
| 5. चंका-भीमकुंड | 53.67 (परिषित) |

**उड़ीसा**

| | |
|---|---|
| 1. उम्पावल्ली, जिला कोरापुट | 32.00 (निर्दिष्ट) |

**पांडिचेरी**

| | |
|---|---|
| 1. सदरमपाथी-अकासवपाथी | 2.66 (अनुमानित) |

**राजस्थान**

| | |
|---|---|
| 1. किवराली मुरथला, जिला-सिरोही | 9.05 (परिषित) |
| 2. रामपुरा, नीम-का-थाना, सीकर जिला | 7.78 (अनुमानित) |

**नागालैंड**

| | |
|---|---|
| 1. नीमी | 3.75 (अनुमानित) |
| 2. वजेहो | 2.00 (अनुमानित) |

| | |
|---|---|
| **तमिलनाडु** | |
| 1. कोटागुडी, जिला-मदुरोई | 3.99 (अनुमानित) |
| 2. पांडलकुडी, जिला रामनाथ पुरम | 10.00 (अनुमानित) |
| 3. नामांक्कल, जिला-सलेम | 3.00 (अनुमानित) |
| **उत्तर प्रदेश** | |
| 1. झिरौली-सोमेश्वर, जिला-अल्मोड़ा | मिनी सीमेंट संयंत्र के लिए पर्याप्त |

**उद्योगपतियों द्वारा उत्पादन बढ़ाया जाना**

7089. **श्री मौहम्मद असरार अहमद** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करों में दी गई राहत का उपयोग करने हेतु उद्योगपतियों ने उत्पाद बढ़ाने में अनुकूल प्रतिकिया दिखाई है; और

(ख) यदि हाँ, तो कैसे तथा किस श्रेणी के उद्योगपयिों ने शीघ्र और सद्भाव-पूर्वक प्रतिक्रिया दिखाई है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) और (ख) चालू वजट में औद्योगिक उत्पादन पर दी गई कर संबंधी रियायतों के प्रभाव का अनुमान लगाना अभी समयपूर्व होगा।

**"ट्रेड विन्डस लुकिंग फ्रार पार्टनर्स" से प्रकाशित समाचार**

7090. **श्री एस०एम० कृष्ण** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 1—15 जुलाई, 1980 के "इंडिया टूडे" में ट्रेड विन्ड्स-लुकिंग फार पार्टनर्स" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ तो "मोदी" उपक्रम अमेरिका की बहु-राष्ट्रीय जेरोक्स कम्पनी की ब्रिटिश सहायक कम्पनी रैंकजैरोक्स के साथ किन शर्तों पर संयुक्त उपक्रम आरम्भ करने में सहयोग कर रहा है; और

(ग) "मोदी" उपक्रम संयंत्र की स्थापना करने के बाद किन उत्पादों का निर्माण करेगा तथा उन्हें बेचेगा तथा उत्पादन आरम्भ होने में कितना समय ले लेगा ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) जी, हाँ।

(ख) यह मैसर्स मोदी रबड़ लिमिटेड से प्राप्त एक आवेदन पत्र है जिसमें जेरोग्राथिक उपकरण और प्रणाली तथा उससे सम्बन्ध क्षेत्रीय सहायक सामग्री तैयार करने के लिये मैसर्स रैंक जीरोक्स लिमिटेड, लंदन द्वारा मांगे गये वित्तिय तथा तकनीकी सहयोग की अनुमति माँगी गई है।

(ग) प्रस्ताव पर सामान्य रूप से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जा रहा है।

**सेना द्वारा शांडी के कंबलों की खरीद**

7091. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेना विभाग विदेशों से आयात किए गए पुराने और अवशिष्ट ऊनी वस्त्रों में से शांडी के कंबल खरीद रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये कंबल पूरे ऊनी कंबलों के मुकाबले सस्ते है और उनसे बेहतर किस्म के हैं; और

(ग) क्या शांडी के कंबलों की खरीद के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र से कोई दबाव डाला जा रहा है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) टाइप "ए" (40-एस वर्ग की 100 प्रतिशत ऊन) कंबलों का वर्तमान क्रय मूल्य 114/— रुपये है। शाँडी कंबलों का मूल्य मालूम नहीं है क्योंकि इन कंबलों को खरीदा नहीं जा रहा है। शांडी कंबलों के एक नमूने का निर्धारित विशिष्टताओं के आधार पर कानपुर प्रयोगशाला में परीक्षण किया गया था और उसके बाद यह पाया गय कि ये कंबल टाइप "ए" के कंबलों से निम्न कोटि के हैं।

(ग) सरकार को शांडी मैन्यू फैक्चर्रस एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने सेना द्वारा शांडी कंबलों को भी खरीदने की पेशकश की थी। चूंकि शाँडी कंबल टाइप "ए" के कंबलों से निम्न कोटि के हैं इसलिए यह फैसला किया गया कि शांडी कंबल न खरीदे जाऐं।

**कम्बलों की खरीद और निर्दिष्ट मानकों से विचलन**

7092. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा रक्षा कार्मिकों के उपयोग के लिए अब खरीदे जा रहे कम्बलों को निर्दिष्ट मानकों से हट कर स्वीकार किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सच है कि थल सेना अध्यक्ष और आर्डिनेंस सेवा निदेशक ने इस तरह के विचलनों को अनुमति नहीं दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस तरह विचलन की अनुमति देने, जिसके फलस्वरूप घटिया किस्म के कम्बल खरीदे गए हैं, के लिए कौन जिम्मेदार है और उन व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) टाइप 'ए' (100 प्रतिशत ऊनी) कम्बलों के मूल्य में कमी करने के कुछ उपयुक्त मामलों में ही मानकों से थोड़ा बहुत परिवर्तन स्वीकार किया जाता है। इसके अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा सप्लाई किए जाने वाले शेष कम्बलों को भी पुराने मानकों के आधार पर स्वीकार किया जा रहा है। 1979-80 के दौरान खादी और ग्रामोद्योग आयोग को। लाख कम्बलों की सप्लाई पुराने मानके के आधार पर करने की छूट दी गई थी।

(ख) थल सेनाध्यक्ष ने निर्धारित मानक में थोड़ी-बहुत कमी वाले टाइप 'ए' कम्बलों को स्वीकार करने के बारे में अपनी सहमति दे दी थी। निरीक्षण प्राधिकारियों को अनुदेश दिए

गए हैं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि मानकों में थोड़ी-बहुत छूट देकर स्वीकार किए जाने वाले कम्बल पुराने मानकों के कम्बलों से अधिक अच्छे हों।

(ग) घटिया स्तर के कोई कम्बल स्वीकार नहीं किए गये हैं। निर्धारित मानकों से थोड़ी-बहुत कमी वाले केवल टाइम 'ए' (100 प्रतिशत ऊनी) कम्बल ही स्वीकार किए जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्यवाई करने का विचार नहीं है।

**यंत्रीकृत माचिस क्षेत्र की परिभाषा पुनः किया जाना**

7093. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई कुटीर माचिस विनिर्माता संगठनों ने सरकार से यह अभ्यावेदन किया है कि चूंकि गैर यंत्रीकृत मध्यम क्षेत्र की माचिस बनाने लगभग सभी प्रक्रियाओं का यंत्रीकरण कर लिया गया है इसलिए यंत्रीकृत क्षेत्र की परिभाषा पुनः की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर कार्यवाही की गई है; –

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) जी, हाँ।

(ख) मामले की जाँच की जा रही है।

**गैर-मशीनीकृत मध्यम क्षेत्र दियासलाई उद्योग को कुटीर क्षेत्र में शामिल होने पर रोक लगाना**

7094. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-मशीनीकृत मध्यम क्षेत्र दियासलाई उद्योग को कुटीर क्षेत्र दिलासलाई उद्योग में, जिनकी उत्पादन की अधिकतम सीमा 1980-81 के बजट में हटा दी गई है, शामिल होने पर रोक लगाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ख) क्या खादी और ग्राम-उद्योग आयोग को उन दियासलाई की डिब्बियों के लेबल पर दियासलाई का मूल्य छापने का निदेश देने का अधिकार दिया जायेगा जिन्हें खादी और ग्राम-उद्योग आयोग राज्य एजेंसियों और सहकारी समितियों की मार्फत बेचा जाता है;

**उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) गैर-मशीनीकृत मध्यम क्षेत्र दियासलाई उद्योग को कुटीर क्षेत्र दियासलाई उद्योग में शामिल होने से रोकने के लिए 1980-81 के बजट में कुटीर क्षेत्र के एककों को दी जाने वाली शुल्क की रियायत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, राज्य अभिकरणों तथा पंजीकृत सहकारी समितियों को बेची गई अथवा उनके माध्यम से बेची स्वीकृत लेबलों वाली दियासलाई की डिबियों तक ही सीमित रखी गई है।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग से पता चला है कि आयोग उसके द्वारा बेची जाने वाली दियासलाई की प्रत्येक डिबिया पर सिफारिश किया गया विक्री मूल्य पहले से ही अंकित कर रहा है। राज्य सरकार अथवा बेची गई दियासलाइयों के बारे में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का विक्री मूल्य निर्धारित करनें में अभी तक कहना नहीं चलता है।

**राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना में पुनः उत्पादन आरम्भ करना**

7095. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा स्थित परमाणु ऊर्जा केन्द्र ने कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयों के बाद उत्पादन करना आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उक्त संयंत्र अपनी पूर्ण उत्पादन क्षमता प्राप्त करने में समर्थ रहा है; और

(ग) क्या राजस्थान में कृषि तथा लघु उद्योगों की सप्लाई बढ़ा दी गई है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट दिसम्बर, 1973 से व्यावसायिक स्तर पर बिजली पैदा करता रहा है। दूसरे यूनिट के सन् 1980 में चालू हो जाने की आशा है।

(ख) पहले यूनिट में अब तक अधिकतम 212 मेगावाट के स्तर पर बिजली पैदा हुई है, जबकि इस यूनिट की स्थापित क्षमता 220 मेगावाट है।

(ग) कोटा परमाणु बिजलीघर से पैदा हुई बिजली राजस्थान के विद्युत-ग्रिड में दी जाती है। इस बिजलीघर द्वारा दी गई बिजली के इस्तेमाल किए जाने का हिसाब अलग से नहीं रखा जाता है।

**मध्य प्रदेश में परमाणु बिजली संयंत्र**

7096. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास मध्य प्रदेश में एक परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने के बारे में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) निकट भविष्य में मध्य प्रदेश में एक परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित करने के संयंत्र में क्या सम्भावनायें हैं ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) वैकल्पित ईंधनों, उदाहरणार्थ कोयला, के उपलब्ध होने परिवहन-सुविधाओं और अन्य तकनीकी एवं आर्थिक पहलुओं जैसी बातों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश की बिजली सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस राज्य में परमाणु बिजलीघर स्थापित कर लेना इस समय कोई लाभ नहीं है।

**कमजोर वर्गों और महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के बारे में विपक्ष के नेताओं से वार्ता**

7097. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महिलाओं सहित, जो पिछले दिनों देश के बहुत से भागों में यंत्रणा की शिकार हुई हैं, समुदाय के कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचार के प्रश्न पर गृह मन्त्री की विपक्ष के नेताओं के साथ हाल ही में कोई वार्ता हुई हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके परिणाम क्या हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) आम सम्मति इस पक्ष में थी कि महिलाओं के प्रति अपराधों तथा हरिजनों तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अत्याचार के लिए सख्त सजाएँ देने के वास्ते कानून कड़ा किया जाए । प्रवर्तन ऐजेंसियों में सुधार करने के भी सुझाव थे । सरकार द्वारा इन सभी मामलों पर विचार किया जाएगा ।

**भारी जल संयंत्र, बड़ौदा**

7098. **श्री जनार्दन पुजारी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा में भारी जल संयंत्र की मरम्मत की जा चुकी है;

(ख) यदि हाँ, तो मरम्मत पर कितनी राशि खर्च की गई; और

(ग) यह व्यापारिक उत्पादन पुनः कब आरम्भ करेगा ?

**प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गांधी)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) विस्फोट के बाद से अब तक मरम्मत पर 110 लाख रुपए व्यय हुए हैं (स्थापना, कार्यालय सम्बन्धी आकस्मिकताओं, सुविधाओं तथा सेवाओं पर होने वाला नियत व्यय इस राशि में शामिल नहीं है) ।

(ग) संयंत्र में 21 जुलाई, 1980 से उत्पादन होने लगा है ।

**पर्वतीय क्षेत्रों की परियोजनाओं को मंजूरी दिये जाने के मानदण्ड**

7099. **श्री नारायण चन्द्र पराशर** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई रेलवे लाइनें बिछाने, सार्वजनिक टेलीफोन घर आदि जैसी दूर संचार सुविधाएँ प्रदान करने जैसी परियोजनाओं की मंजूरी के लिये लाभप्रदता के मानदण्ड को पर्वतीय क्षेत्रों के मामले में उदार बनाया गया है/रियायत दी गई है; जैसा कि योजना आयोग ने 1966 में परिभाषित किया था;

(ख) यदि हाँ, तो किस प्रकार की रियायतें दी जाती हैं तथा रियायत देकर मंजूर की गई रेल लाइनों जैसी विशिष्ट परियोजनाओं के नाम क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो पर्वतीय क्षेत्रों को मैदानी क्षेत्रों में बराबर मानने के क्या कारण हैं ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) जी, हाँ ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

1. **रेल लाइनें** :—

नई रेल लाइनों के लिए प्रस्तावों का मूल्यांकन करते समय, हरेक मामले की जांच गुणों के आधार पर की जाती है और पहाड़ी क्षेत्रों सहित पिछड़े क्षेत्रों के विकास की आवश्यकता, दूरस्थ क्षेत्रों के लिए अधिगम्यता की व्यवस्था करना, नए संवृद्धि केन्द्रों की स्थापना, आदि जैसे सामाजिक-आर्थिक उपादानों पर उचित ध्यान दिया जाता है । उपयुक्त मामलों में, वित्तीय

लाभ प्रदता के सामान्य मापदण्ड में छूट दी जाती है और नई रेल लाइनों को 'विकास' सम्बन्धी विचारों के आधार पर स्वीकृति दी जाती है ।

**2. दूर संचार सुविधाएँ :—**

पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित निम्नलिखित स्थानों में टेलीफोन और तार घर की सुविधाएँ हानि की सीमा के विना और न्यूनतम राजस्व की किसी शर्त के विना दी जा सकती हैं—1· जिला मुख्यालय, 2. उप मंडल मुख्यालय, 3. तहसील मुख्यालय, 4. उप तहसील मुख्यालय, 5. खंड मुख्यालय, (6.) 2500 या अधिक जनसंख्या वाले स्थान ।

यदि प्रत्याशित राजस्व वार्षिक आवर्ती व्यय का 10 प्रतिशत हो तो पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित निम्नलिखित स्थानों में टेलीफोन और तारघर की सुविधाएं दी जा सकती हैं :—

(1) ऐसे अधिकारी के प्रभार के अंतर्गत आनेवाला पुलिस थाना जो पुलिस के उप-निरीक्षक के पद से नीचे का न हो ।

(2) दूर-दराज के स्थान, अर्थात् ऐसे स्थान जहाँ क्रमशः 40 कि० मी० या 20 कि० मी० की त्रिज्या दूरी में टेलीफोन केन्द्र या तारघर न हो ।

(3) तीर्थ यात्रा/पर्यटन केन्द्र ।

(4) कृषि/सिंचाई/विद्युत/परियोजना स्थल और बस्तियाँ ।

**आसाम आन्दोलन के बारे में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ हुई बैठक**

7100. **श्री के० प्रधानी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री की हाल ही में विपक्षी दलों के नेताओं के साथ एक बैठक हुई थी और उसमें आसाम में विद्यार्थियों द्वारा किये गये आन्दोलनों के संदर्भ में उत्पन्न समस्या पर विचार-विमर्श किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बैठक में सभी देशों के प्रतिनिधि उपस्थि थे; और

(ग) यदि हां, तो इस बैठक का क्या परिणाम रहा ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) जी हां, श्रीमान । प्रधानमंत्री जी ने संसद में विरोधी दलों/ग्रुपों के नेताओं के साथ 31 मई, 1980 को भेंट की थी ।

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) इस बैठक में भाग लेने वाले सभी सदस्यों ने आन्दोलनकारियों से आन्दोलन तुरन्त समाप्त करने और बातचीत करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने तथा सर्वसम्मत समाधान ढूढ़ने की अपील की थी । बैठक के निष्कर्षों की प्रतिलिपि 11 जून, 1980 को तारांकित प्रश्न संख्या 51 के उत्तर में सभा पटल पर रखी गयी थी ।

**संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ संयुक्त रूप से प्रायोजित परियोजना के अधीन विदेशी वैज्ञानिकों से मांगी गई सहायता**

7101. **श्री के० प्रधानी क्या :** प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित परियोजना के अधीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विशेष जानकारी से देश की सहायता करने हेतु विदेशों में रहने वाले कुछ प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकों से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संयुक्त प्रायोजना परियोजित की वित्तीय लागत क्या है; और

(ग) इस परियोजना के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** (क) भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल में ही भारतीय मूल के प्रवासी विशेषज्ञों द्वारा जानकारी हस्तांतरण परियोजना में हस्ताक्षर किए। इसके अंतर्गत भारतीय मूल के प्रवासी सुविज्ञ वैज्ञानिकों इंजीनियरों को कुछ समय भारतीय संस्थाओं में व्यतीत करने के लिए निमंत्रित किया जाएगा ताकि प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में देश के विकास के लिए विशिष्ट तकनीकी निवेश किया जा सके।

(ख) और (ग) इस वर्ष के लिए यू एन डी आई पी एफ से प्रारम्भ में 1,00,000 डालर का आवंटन किया गया है। भारत सरकार की ओर से प्रत्यक्ष रूप से कोई भी अंशदान नहीं किया जाएगा।

आमंत्रित वैज्ञानिकों। इंजीनियरों इत्यादि के अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण की लागत तथा संयुक्त राष्ट्र की दर से भारत में ठहरने के समय उनके प्रतिदिन का व्यय इस परियोजना के लिए यू एन डी पी निधियों से पूरा किया जएगा। चुने हुए देशों में भारतीय मिशनों को इस परियोजना के बारे में सूचना दे दी गई है और ये इच्छुक वैज्ञानिकों के विवरण भेजने को कहा गया है। चयन के लिए कार्य विधि, प्राथमिकता के क्षेत्र और परियोजना चलाने से संबंधित अन्य विवरण के निर्धारण के लिए अंतर्विभागीय समिति की स्थापना की गई है। नामों की पहली सूची इस समय विचाराधीन है।

**त्रिपुरा में हत्याकांड संबंधी समिति का प्रतिवेदन**

7102. **श्री के० प्रधानी :**

**श्री नारायण चौबे :**

**प्रो० मधु दण्डवते :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री दिनेश सिंह संसद सदस्य के नेतृत्व में सात सदस्यीय एक समिति ने हाल ही में त्रिपुरा के उन स्थानों का दौरा किया है जहां हत्याकांड हुआ था ;और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन के बारे में ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस बारे में क्या कदम उठाये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) आशा की जाती है कि समिति शीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

**राष्ट्रपतीय आदेशों के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों का औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र घोषित किया जाना**

7103. **श्री भीखा भाई :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में उन क्षेत्रों को जो सैकड़ों वर्षों से पिछड़े हुए चले आ रहे हैं, संविधान के प्रवर्तन के पश्चात राष्ट्रपति के आदेश के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्रों के रूप में घोषित कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो बहुत से जिलों से युक्त इन क्षेत्रों को औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्र घोषित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि स्वाधीनता से पूर्व भी इन क्षेत्रों को भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था; और

(घ) यदि हाँ, तो नये आधारों की क्या आवश्यकता है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) संविधान की पाँचवीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार घोषित किये गये अनुसूचित क्षेत्र आठ राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश-बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में है।

(ख) योजना आयोग ने वित्तीय संस्थानों के परामर्श से बनाये गये मानदण्डों के आधार पर 247 जिलों (विवरण के रूप में सूचि संग्लन) के औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए और रियायती दर पर वित्त पाने की हकदारी का पात्र पाना है। रियायती दर पर वित्त पाने के हकदार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों की सूची में अधिकाँश आदिवासी क्षेत्र आ जाते हैं।

(ग) और (घ) पता नहीं है कि क्या उन्हें स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भी पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता था किन्तु गवर्नमेंट आफ इंडिया एक्ट, 1935 के अधीन उन्हें आंशिक रूप से अपवारित (पर्शली एक्सक्लडैड) क्षेत्र माना जाता था।

राष्ट्रीय विकास परिषद् की सितम्बर, 1969 में हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसरण में योजना आयोग द्वारा दिसम्बर, 1969 में आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने हेतु निम्नलिखित मार्ग-दर्शी सिद्धान्तों का सुझाय दिया गया था :—

(1) कि क्या जिला मुख्यत: खाद्यान्न/नकद फसल का उत्पादक है, पर निर्भर करते हुए प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न/वाणिज्यिक फसल का उत्पादन।

(2) कृषि मजदूरों का जनसंख्या में अनुपात।

(3) प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (सकल)

(4) प्रति एक लाख जनसंख्या पर कारखाने के कर्मचारियों की संख्या अथवा प्रति एक लाख जनसंख्या में से द्वितीय और तृतीयक क्रिया-कलापों में लगे व्यक्तियों की वैकल्पिक संख्या।

(5) बिजली की प्रतिव्यक्ति खापत।

(6) जनसंख्या को देखते हुए समतल सड़कों की लम्बाई अथवा मीलों में रेल लाइन की लम्बाई।

इन मानदण्डों के अधीन अधिकाँश अनुसूचित क्षेत्र केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये राज-

कोषीय प्रोत्साहनों के लिये हकदार औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों/क्षेत्रों की श्रेणी में आते है ।

योजना आयोग द्वारा पिछड़े हुए क्षेत्रों की समस्याओं कों प्रभावी रूप से सुलझाने के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने हेतु नवम्बर, 1978 में श्री वी० शिवरामन की अध्यक्षता में पिछड़ा क्षेत्र के विकास पर गठित की गई राष्ट्रीय समिति द्वारा इस वर्ष के अंत तक अपनी रिपोर्ट पेश किये जाने की आशा है । पिछड़े हुए क्षेत्रों (अनुसूचित क्षेत्रों सहित) की वर्तमान सूची तथा सहायता के स्वरूप में कोई भी परिवर्तन करने के लिये राष्ट्रीय समिति की रिपोर्ट मिलने की प्रतीक्षा करनी होगी ।

**विवरण**

**वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्त लेने हेतु पात्रता के लिये चुने गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची ।**

| | |
|---|---|
| आन्ध्र प्रदेश (14) | अनन्तपुर, चित्तूर, कुडप्पा, करीम नगर, खमाम, कुरनूल महबूब नगर, मेडक, जालगौंड़ा, नेलोर, निजामाबाद, अंगोले, श्रीकाकुलम, और वारंगल । |
| असम (7) | कटार, गोलपरा, कामरूप, मिकिरख हिल्स, नार्थ कछार हिल, नौगांव, औरन्यू लखीमपुर जिला । |
| बिहार | भागलपुर, चम्पारन, दरभंगा, × मुज्जफरपुर,× पालमऊ, पूर्णिमा, सहरसा, सन्थाल परगना, सारन ×, नालन्दा, औरंगावाद, नवादा, गया, भोजपुर, वेगसराय और मुगेर । |
| गुजरात (10) | अमरौली, वनास कंठा, भाव नगर, भड़ौंच, जूनागढ़, कछ मेहसाना, पंचमहल्स, साबंरकंठा, और सुरेन्दर नगर । |
| हरियाणा (4) | भिवानी, हिसार ××, जिन्द और मोहिन्दरगढ़ ×× । |
| हिमाचल प्रदेश (7) | छम्ब, कांगड़ा ×, किन्नौर, कल्लू, लाहौल और स्पिति सोलन और सरमूर । |
| जम्मू और कश्मीर (10) | अन्नत वाग, बारामूला, डोडा, जम्मू, कठुआ, लद्दाख, पूंछ, राजौरी, श्रीनगर, और उद्यमपुर । |
| केरल (5) | एलेप्पी, कैनानोर, मालापुरम, त्रिचूर, और त्रिवेद्रम । |
| कर्नाटक (11) | बेलगाम, बीदर, बीजापुर, धाडवार, गुलबर्मा, हसन, मंसूर, नार्थ कनारा, रायचूर, साउथ, कनारा और तुमकुर । |
| मध्य प्रदेश (36) | बालाघाट, बस्तर, बेतर, बिलासपुर, भिण्ड, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह, दतिया, धारदेवास, मुना, होंसंगावाद, झबुआ, खारगोन, मंडला, मन्दसोहरख मोरेना, नरसिम्हापुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, राजनन्द |

| | |
|---|---|
| | गांव, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, रेवा, सागर, शिवानी, शाजापुर, शिवपुरी, सिधी, सुरगुजा, टीकमगढ़, विदिशा और न्यूसिहोर जिला । |
| महाराष्ट्र (13) | औरंगावाद, भंडारा, भीर, बुलदाना, चाँदा, कोलावा धूलिया, जलगांव, नन्देड, उसमानावाद, प्रभानी, रत्नागिरि और यवतमल । |
| मणिपुर | पांचो जिले । |
| मेघालय (2) | भारों हिल्स × और यूनाइटेड खासी और जन्तियाँ ×, हिल्स । |
| नागालैंड (3) | कोहिमा, मेकोकंचुग और तुनसंग । |
| उड़ीसा (8) | वालासोर, बोलनगिरि, धनकनाल, कालाहंडी, केनझर; कोरापुट, मयूरगंज और संगरूर । |
| राजस्थान (16) | अलवर, बांसवाड़ा, बारमेड, भीलवाड़ा, चुरू, ट्रंगरपुर, जैसलमेर, जालोर, झुनझुन, झालावाड़ा, जोधपुर, नागौर, सीकर, सिरोही, टोंक, और उदयपुर । |
| सिक्किम (4) | चारों जिले, गेंगटोक, मंगल, ग्यालसिंग और नामची । |
| तमिलनाडु (9) | धरमपुर, कन्याकुमारी, मदुरे, नार्थ आस्कार्ट, रामनाथपुरम्, राउथ, आरकोट, तंजोरण, तिरूचापल्ली और पुड़कोट्टाई जिले । |
| त्रिपुरा (38) | तीनों जिले । |
| उत्तर प्रदेश (38) | अल्मोड़ा, आजमगढ़, वढायूं, वेहराइच, वलिया, वाँदा, बारांवंकी, वस्ती, बुलंदशहर ×, चमोली, देवरिया, येटा इटावा, फैजाबाद, फरूखाबाद, फतेहपुर, गढवाल, जहाँगीरपुर, गोंडा, अमीरपुर हरदोयी, जलान, जौनपुर, झाँसी, मैनपुरी, मथुरा, मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथरागढ़, प्रतापगढ़, रायवरेली, रामपुर, शाहजाँपुर, सीतापुर, सुल्लतानपुर, टेहरी, गढ़वाल, उन्नाव, और, उत्तर काशी, |
| पश्चिम वंगाल (13) | बाकुरा, बीरभूमी, बरदवान, कूचविहार, दारजिलिंग, हुगली, जलपाईगुडी, मालदा, मिदनापुर, मुरसीदाबाद, नदिया, पुलिया और वेस्ट दिनाजपुर । |
| अंडमान और निकोवार | समस्त क्षेत्र । |
| अरूणाचल प्रदेश | समस्त क्षेत्र । |
| दादर और नागर हवेली | समस्त क्षेत्र । |

| | |
|---|---|
| गोवा, दमन | समस्त क्षेत्र । |
| और दिव | |
| लक्षद्वीप | समस्त क्षेत्र । |
| मिजोरम | समस्त क्षेत्र । |
| पांडिचेरी | समस्त क्षेत्र । |

× जिला जैसी कि उसकी स्थिति हाल ही में किये गये पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थी ।

×× जिला जैसा कि हाल ही में पुनर्गठित किया गया है ।

**6 अगस्त, 1980 को उत्तर दिए जाने के लिए किसी जिले को पिछड़ा जिला घोषित करने लिये आधार**

7104. **श्री भीखा भाई :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी जिले को पिछड़ा हुआ जिला घोषित करने के लिये वर्तमान मानदण्ड अथवा आधार अनुमित है;

(ख) क्या कई जिलों को इसलिये पिछड़े हुए जिले घोषित किया गया है क्योंकि वहाँ कोई भी उद्योग स्थापित करने को तैयार नहीं था;

(ग) क्या ऐसे भी मामले हैं जहाँ समान परिस्थितियों वाले पड़ोसी जिलों में से एक को तो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ जिला घोषित कर दिया गया परन्तु दूसरे को नहीं; और

(घ) क्या सरकार जिलों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिले घोषित करने के इस भेद-भाव पूर्ण आधार पर पुनः विचार करेगी;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) राज्य के मुख्य मन्त्रियों की राष्ट्रीय विकास परामर्शदायी समिति के निर्णयों के अनुसरण में, योजना आयोग ने राज्य सरकारें तथा वित्तीय संस्थानों के परामर्श से अखिल भारतीय सावधिक ऋण-दायी संस्थानों से रियायती दर पर वित्त की सुविधा प्राप्त करने के लिये 246 जिलों को (**विवरण**) औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ घोषित किया है । 1970-71 से 1978-79 (30 जून, 1979 तक की अवधि में विशिष्ट पिछड़े हुए जिलों में स्थित परियोजनाओं के लिये इसी अवधि में स्वीकृति प्राप्त कुल मिलाकर 1446 करोड़ रुपये की सहायता अथवा कुल मिलाकर आई० डी० वी० आई० परियोजना सहायता की 43 प्रतिशत धन-राशि मिली थी।

इन 246 जिलों में से योजना आयोग द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से केन्द्रीय निवेश राजसहायता पाने हेतु अर्ह बनने के लिये औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए राज्यों के लिये 6 जिले/क्षेत्रों के आधार पर तथा अन्य राज्यों के लिये 3 जिले/क्षेत्रों के आधार पर 101 जिलों/-क्षेत्रों का (**विवरण-2**) चुनाव कर लिया गया है । 1970 में इस योजना के प्रारम्भ से लेकर 1979-80 के अंत (मार्च 1980 तक) इन जिलों/क्षेत्रों में स्थापित प्रत्येक एकक को 69 करोड़ रुपये (परिशिष्ट) की राशि वितरित कर दी गयी है ।

(ग) राष्ट्रीय विकास परिषद की सितम्बर 1969 में हुई बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसरण में योजना आयोग द्वारा दिसम्बर 1969 में आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए जिलों का पता लगाने के लिये राज्य सरकारों द्वारा अपनाए जाने हेतु निम्नलिखित मार्गदर्शी सिद्धान्तों का सुझाव दिया गया था :—

1. कि क्या जिला मुख्यतः खाद्यान्नानकद फसल का उत्पादक है, पर निर्भर करते हुए प्रति व्यक्ति खाद्यान्नावाणिज्यक फसल का उत्पादन ।
2. कृषि मजदूरों का जनसंख्या में अनुपात ।
3. प्रतिव्यक्ति औद्योगिक उत्पादन (सकल) ।
4. प्रति एक लाख जनसंख्या पर कारखाने के कर्मचारियों की संख्या अथवा प्रति एक लाख जनसंख्या मेंसे द्वितीय और तृतीयक क्रिया कलापों में लगे व्यक्तियों की वैकल्पिक संख्या ।
5. बिजली की प्रति व्यक्ति खपत ।
6. जनसंख्या को देखते हुए समतल सड़कों की लम्बाई अथवा मीलों में रेल-लाइन की लम्बाई ।

यह भी निर्दिष्ट किया गया था कि वित्तीय संस्थाओं से दिये जाने वाले उपयुक्त प्रोत्साहनों के लिये केवल उन्हीं जिलों का चुनाव किया जाना चाहिये जिनके सूचकांक राज्य के औसत से कम हों ।

राज्य सरकारें/संघक्षेत्र प्रशासनों द्वारा इस उद्देश्य के लिये अपनाए गये मानदण्डों के ब्यौरों के साथ दी गयी सूचना के आधार पर अनुबन्ध में दिये गये जिलों को रियायती दर के वित्त के लिये अर्ह होने का पात्र चुना गया था ।

इन जिलों/क्षेत्रों का चुनाव संबंधित राज्य-सरकारों की सिफारिशों के आधार पर किया गया था अतएव राज्य में वैसी ही परिस्थितियों में दो पड़ोसी जिलों के बीच चुनाव के विषय में भेद-भाव करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) योजना आयोग द्वारा पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर स्थापित की गई राष्ट्रीय समिति द्वारा इस वर्ष के अंत तक पिछड़े हुए क्षेत्रों की समस्याओं को प्रभावी रूप से सुलझाए जाने हेतु उपयुक्त नीति अथवा नीतियों का सुझाव दिया जायेगा । पिछड़े हुए क्षेत्रों की वर्तमान सूची तथा सहायता के स्वरूप के सम्बन्ध में परिवर्तन इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही किया जा सकेगा ।

**विवरण-I**

वित्तीय संस्थानों से रियायती दर पर वित्त लेने हेतु पात्रता के लिये चुने गए औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों की सूची ।

| | |
|---|---|
| आन्ध्रप्रदेश (14) | अनन्तपुर, चित्तूर, कुडप्पा, करीमनगर, खमाम, कुरनूल, महबूब नगर, मेडक, नालगौंडा, नेलोर, निजामाबाद अंगोले, श्रीकाकुलम, और वारंगल । |

| | |
|---|---|
| असम (7) | कंटार, गोलपरा, कामरूप, मिकिरन हिल्स, नार्थ कछार हिल, नौगाँव, और न्यू लखीमपुर जिला । |
| बिहार | भागलपुर, चम्पारनx, दरभंगाx, मज्जफरपुरx, पालमरू, पूर्णिमा, सहरसा, सन्थाल परगना, सारनx, नालन्दा, औरंगाबाद, नवादा, गया, भोजपुर, वेगसराय और मुगेर । |
| गुजरात (10) | अमरौली, वनास कंठा, भावनगर, भड़ौंच, जूनागढ़, कछ, मेहसाना, पंचमहल्स, सांबरकंठा और सुरेन्दरनगर । |
| हरियाणा (4) | भिवानी, हिसारxx, जिन्द और मोह्निन्दरगढ़xx । |
| हिमाचल प्रदेश (7) | छम्ब, कांगड़ाx, किन्नौर, कल्लू, लाहौल और स्पिति, सोलन और सरमूर । |
| जम्मू और कश्मीर (10) | अनन्त वाग, वारामूला, डोडा, जम्मू, कठुआ, लद्दाख, पूंछ, राजौरी श्रीनगर और उद्यमपुर । |
| केरल (5) | एलेप्पी, कैनानोर, मालापुरम, त्रिचूर और त्रिवेन्द्रम । |
| कर्नाटक (11) | वेलगाम, वीदर, वीजापुर, धाड़वार, गुलवर्गा, हसन, मैसूर, नार्थ कनारा रायचूर, साउथ कनारा और तुमकुर । |
| मध्य प्रदेश (36) | वालाघाट, बस्तर, वेतर, विलासपुर, भिण्ड, छतरपुर, छिन्दवाड़ा, दमोह दतिया, धार देवास, गुना, होसंगावाद, झवुआ, खारगोन, मंडला, मन्दसोहरख मोरेना, नरसिम्हापुर, पन्ना, रायगढ़, रायपुर, राजनन्द गाँव, राजगढ़, रायसेन, रतलाम, रेवा, सागर, शिवानी, शाजापुर, शिवपुरी-सिंधी, सुरंगुजा, टीकमगढ़, विदिशा और न्यू सिहोर जिला । |
| महाराष्ट्र (13) | औरंगावाद, भंडारा, भीर, बुलदाना, चांदा, कोलावा, धूलिया, जलगांव, नन्देड, उसमानावाद, प्रभानी, रत्नागिरि और यवतमल । |
| मणिपुर | पाँचों जिले । |
| मेघालय (2) | गारों हिल्सx और यूनाइटेड खासी और जन्तियाँx, हिल्स । |
| नागालैंड (3) | कोहिमा, मेकोकंचुग और तुनसंग । |
| उड़ीसा (8) | बालासोर, वोलनगिरि, धनकनाल, कालाहंडी, केनझर, कोरापुर, मयूरगंज और संगरूर । |
| राजस्थान (16) | अलवर, वाँसवाड़ा, वारनेड, भीलवाड़ा, चुरु, टुंगूरपुर, जैसलमेट, जालोर, झुनझुन, झालावाड़, जोधपुर, नागौर, सीकर, सिरोही, टोंक और उदयपुर । |
| सिक्किम (4) | चारों जिले, गेंगटोक, मंगल, ग्यालसिंग और नामची । |

| | |
|---|---|
| तमिलनाडु (9) | धरमपुर, कन्याकुमारी, मदुरै, नार्थ आस्कार्ट, रामनाथपुरम्, राउथ, आरकोट, तंजोरण, तिरुचापल्ली और पुइकोट्टाई जिले । |
| त्रिपुरा (3) | तीनों जिले । |
| उत्तर प्रदेश | अल्मोड़ा, आजमगढ़, बदायूं, बैराइच, बलिया, बाँदा, बारावंकी, बस्ती, बुलंदशहरx, चमोली, देवरिया, येटा, इटावा, फैजाबाद, फतेहपुर, गढ़वाल, गांजीपुरः गोंडा, अमीरपुर, हरदोयी, जलान, जोनपुर, झाँसी, मैनपुरी, मथुरा मुरादाबाद, पीलीभीत, पिथौरागढ़, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, शाहजहाँपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, टेहरी, गढ़वाल, उन्नाव, और उत्तर काशी । |
| पश्चिम वंगाल (13) | वाकुरा, वीरभूमि, वरदवान, कूचविहार, दारजिलिंग, हुगली, जलपाई-गुडी, मालदा, मिदनापुर, मुरसीदावाद, नदिया, पुलिया और वेस्ट दिनाजपुर । |
| अंडमान और निकोवार | समस्त क्षेत्र । |
| अरुणाचल प्रदेश | समस्त क्षेत्र । |
| दादर और नागर हवेली | समस्त क्षेत्र । |
| गोवा, दमन और दिव | समस्त क्षेत्र । |
| लक्षद्वीप | समस्त क्षेत्र । |
| मिजोरम | समस्त क्षेत्र । |
| पांडिचेरी | समस्त क्षेत्र । |

x जिला जैसी कि उसकी स्थिति हाल ही में किये गये पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थी ।

xx जिला जैसा कि हाल ही में पुर्नगठित किया गया है ।

**विवरण-2**

**केन्द्रीय निवेश राज सहायता योजनाओं के लिए जिले/क्षेत्र**

1. आन्ध्र प्रदेश — **श्री काकुलम जिला और पांच क्षेत्र**

रायलसीमा प्रदेश के दो 'क्षेत्र' जिसमें 22 ब्लाक हैं :—

क्षेत्र-1 — इसमें 13 ब्लाक अर्थात् चत्तुर, बांगरुपालम पुलीचेरला पत्तूर, चन्द्रगिरी, वा कलाहास्थी (चित्तूर जिले से) तथा कोडर, राजमपैट, सिभोना, गोडप्पा, कामालपुरम प्रो-हतूर तथा पालीवेंडला (गुडप्पा जिले से) आते हैं।

क्षेत्र-2 — इसमें 9 ब्लाक अर्थात् टोडपत्री, सिंगआमला, गूटी, कुडेयर (अनन्तपुर

जिले से) व धोन, कुरलून, बंगनापल्ल, नान्डयाल तथा गिडालूर (कुरनूल जिले से) आते हैं।

**तेलंगाना प्रदेश के तीन क्षेत्र जिसमें 43 ब्लाक हैं :—**

क्षेत्र-1 — इसमें 14 ब्लाक अर्थात् महबूब नगर, जाधचरेला, शादनगर, कलवाकर्वी व अमगल (महबूब नगर जिले से) और नालगोन्डा, मुगाडी, नकराकल, सर्यापेट, कोडड, कुजरनगर, गीरयालगुंड्डा, पेट्टावोरा तथा देवराकोन्डा (आलगोन्डा जिले से) आते हैं।

क्षेत्र-2 — इसमें 14 ब्लाक अर्थात् खम्मम, तिरुमलापयालम, कुल्लूर येनान्डू, कोट्टामडम, असवरावेट, पुरागमपेट तथा भाद्राचलम (चम्म जिले से) और महबूबाबाद, नरसमपेट, इनमकोन्डा, धापुर, जनगांव और मुलग (पारगल जिले से) आते हैं।

क्षेत्र-3 — इसमें 15 ब्लाक अर्थात् जहीराबाद, पाटनचेख, नरसापुर, मेडक और सिद्दीपेट (मेडक जिले से) येडापल्ली (निजामाबाद, कामारेड्डी और डेमाकोन्डा (निजामाबाद जिले से) और सिरिल्ला, करीमनगर, सुलताना-बाद, पेडापल्ली, मन्थाली और हुजूराबाद करीमनगर जिले से आते हैं।

2. असम : गौलपाडा, मिकी हिल्स, कामरूप, अपानोगांव, कछार और लखीम पुर जिले।

3. बिहार : भागलपुर, दरभंगा, चम्पारन, पलामू, सहरसा और संथाल परगना जिले।

4. गुजरात : पंचमहल, भडौच और सुरेन्द्र नगर जिले।

5. हरियाणा : पुनर्गटित महिन्दरगढ़ जिला (जिसमें महिन्दरगढ़ और रेवाड़ी) उपखंड आता है (भिवानी जिला) जिसमें भिवानी तथा दादरी उपखंड तथा 8 ब्लाक का एक क्षेत्र अर्थात् हिसार ब्लाक नम्बर 1 और वखाना ब्लाक (हिसार तहसील का) हंसी ब्लाक नम्बर 1 (हंसी तहसील से) तोहना ब्लाक (फतेहाबाद तहसील से) हिसार जिले से—जीर्ण ब्लाक और जुलाना ब्लाक (जीर्ण तहसील से) हिसार जिले से—जीर्ण ब्लाक और जुलावा ब्लाक (जीर्ण तहसील से) उद्दना ब्लाक (नखाना तहसील) जिद जिले से।

X यह 10 जुलाई, 1972 के बाद चुने गए जिले/उपखंड/ताल्लुक/ब्लाक तहसील बताता है।

XX यह वह जिले बताता है जैसा कि हाल ही में किये गये पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे।

6 हिमाचल प्रदेश : कांगड़ा, चंवा, कुलू सिरमुर तथा सोलन जिले।

7. जम्मू तथा कश्मीर से। : जम्मू, श्रीनगर, अनन्तवाग, डोडा, बारामला और पुंछ जिले।

8. कर्नाटक : रायचूर, मैसूर तथा धारवाड़ जिले ।

9. केरल : ऐलेप्सी, कन्नोनोर, तथा मालापुरम जिले ।

10. मध्य प्रदेश : छः क्षेत्र ।

| | |
|---|---|
| क्षेत्र-1 : | (पूर्वी प्रदेश के) इसमें 12 ब्लाक अर्थात् को-रवा, बलोद, चंपा, कोटा, मस्तुरी तथा विल्हा (बिलासपुर जिले से) भाटापारा सिमगा, टिल्डा, भारसिवा (रायपुर) अमनपुर तथा राजिम ब्लाक (रायपुर जिले से) आते हैं। |
| क्षेत्र-2 : | (पश्चिमी प्रदेश के) इसमें 10 ब्लाक अर्थात् देवास और टोंक खर्द ब्लाक (देवास जिले से) गुलोना, शुजालपुर और ब्लाक (शाजापुर जिले से) पंचोर (सारंगपुर) और ब्लावटा ब्लाक (राजगढ़ जिले से) आते हैं। |
| क्षेत्र-3X | (उत्तरी क्षेत्र से) इसमें 9 ब्लाक अर्थात् शिवपुरी तथा करेरा (शिवपुरी जिले से) दतिया तथा सेउन्धा (दतिया जिले से) भिन्ड, मेहगाँव तथा गोहद (भिन्ड जिले से) तथा मुरैना तथा जडरा (मुरैना जिले से)। |
| क्षेत्र-4X | (केन्द्रीय क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात् बीना, इटावा, खुरी बांदा (बिनैका) राहतगढ़ सागर, शाहगढ़ (अमरमटु) सागर जिले से) टीकमगढ़, बल्पेवगढ़ (टीकमगढ़ जिले से) विदिशा और ग्यारसपुर (विदिशा जिले से) और छतरपुर (छतरपुर जिले से) आते हैं। |
| क्षेत्र-5X | (पश्चिमी क्षेत्र 2 से) इसमें 12 ब्लाक अर्थात् पेटलाबाद, तथा मेघ नगर शधार और नलोहा (धार जिले से) महेश्वर और बरवाहा (खारगोज जिले से) ततलाम और जडरा (रतलाम जिले से) मंदसौर मल्हरगढ़ और नीमच (मन्दसौर जिले से)। |
| क्षत्र-6 | (उत्तर पूर्वी क्षेत्र से) इसमें 11 ब्लाक अर्थात् रीवां और रायपुर (गढ़) (रीवाँ जिले से) मझौली, सीधी डूसर और वैधान (सीधी जिले से) सोनहट, बैकुठपुर, सनेन्दरगढ़, सूरजपुर और अंबिकापुर (सरगुजा जिले से)। |
| 11. मणिपुर | सभी पाँच जिले। |
| 12. मेघालय | मारोहिल्स, तथा सुयुक्त खासी और जंतिया हिल्सXX |

X यह 10 जुलाई 1972 के पश्चात् चुने गये जिले/उपप्रभाग/ताल्लुक/ब्लाक/तहसील बताता है।

XX यह वह जिले बताता है जैसे कि हाल ही के पुनर्गठन के पूर्व विद्यमान थे।

| | |
|---|---|
| 13. महाराष्ट्र : | रतनगिरि, औरंगाबाद और चन्दरपुर जिले । |
| 14. नागालैंड : | कोहिमा, मकोकचुग, त्युनसेगX जिले । |
| 15. उड़ीसा : | कालाहान्दी, मयूरभज, बोलनगीरX धेनकानाल, क्योंझरX और कोरापुटX जिले । |
| 16. पंजाब | होशियारपुर, संगरूरX और भटिण्डा जिले । |
| 17. राजस्थान : | अलवर, जोधपुर, भीलवाड़ाX चुरूX नागौर और उदयपुर जिले । |
| 18. सिक्किम : | गंगटोकX, मेंगनX, ग्यातसिंगX और नामचीX जिले (16.5.1975 से शामिल) । |
| 19. तमिलनाडु | तीन क्षेत्र/ट्रैक्टस जिसमें 33 ताल्लुके हैं :— |
| क्षेत्र-1. | जिसमें 12 ताल्लुक उप-ताल्लुकों को मिलाकर अर्थात् (रामनाथपुरम, मदुठुलाथुर, शिवगंगा परमाठुडी, थिरुवादानी, कारईठुडी और थिरुणाथुर ताल्लुक (रामनाथपुरम जिले से) मजूर ताल्लुक (मदुराई जिले से) । पदकोट्टाई थिरुमायम, आलमगुली और ठुलाथुर ताल्लुक (पुडाक्कोटाई जिले से) । |
| क्षेत्र-2 | 11 क्षेत्र जिसमें धर्मपुरी, पालाकोड, हौसूर, देनकानि, कोट्टह, कृष्णा-गिरी उठानगरराम, हरूर (धमापुरी जिले से) तिरुपट्टर वानियामवाडी वैल्लूर वालाजपेट (उत्तरी आरकोट जिले से) । |
| क्षेत्र-3 | जिसमें 10 ताल्लुक, अरुणा कोट्टाइ सत्तूर, विरुध नगर, श्री विलीपुपुर राजपलायम (रामनाथपुरम जिले के प० रामानाथपुरम से) तिरभंगलम, डसिलामपट्टी नीलाकोथाई, डिन्डी गुल और वेदासन्दूर (मदुरै जिले से) । |
| 20. त्रिपुरा | सभी 3 जिले । |
| 21. उत्तर प्रदेश | अल्मोडा X बलियावस्तीX, फैजावादX झाँसीX और रायबरेलीX जिले । |
| 22. पश्चिम बंगाल | पुरुलिया, मिदनापुरX और नादियाX जिले । |

केन्द्र शासित क्षेत्र :—

| | |
|---|---|
| 1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | पूरा संघ राज्य |
| 2. अरुणाचल प्रदेश | —वही— |
| 3. दादरा और नागर हवेली | —वही— |
| 4. लक्ष्द्वीप | —वही— |
| 5. मिजोरम | —वही— |
| 6. गोवा, दमन और दीव | संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी की नगरीय सीमा के भीतर के क्षेत्र को छोड़कर समस्त संघीय क्षेत्र पांडिचेरि के नगरपालिका क्षेत्र के कोर छबरोल दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी बुलवर्ड सम्मिलित नहीं है । |

x 10.7.1972 के बाद चुने गये जिले/सब/डिवीजन्स/ताल्लुक/ब्लाक/तहसीलों को दर्शाता है।

xx अभी हाल ही में किये गये उनके पुनर्गठन से पूर्व जिलों को प्रदर्शित करता है।

**गरीबी से निचले स्तर पर रहने वाली अनुसूचित जातियों का सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण**

7105. **श्री भीखा भाई :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश के विभिन्न भागों में अधिकांश अनुसूचित जनजातियां गरीबी से निचले स्तर पर रह रही हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उनका कोई सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण आरम्भ किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :** (क) अनुसूचित जन जातियों की गरीबी के स्तर को बताने के लिए एक वास्तविक संकेतक के रूप में मुद्रा की दृष्टि से गरीबी के स्तर की संकल्पना के अनुप्रयोग को प्रयुक्त करना कठिन है क्योंकि जनजातियों के आर्थिक कार्यकलापों का पर्याप्त भाग अभी भी अनुद्रीकृत है तथापि यह सामान्य रूप से कहा जा सकता है कि अनुसूचित जनजातियां आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं।

(ख) और (ग) गृह मंत्रालय द्वारा निर्देश चिन्ह सर्वेक्षण (सामान्य) नामक एक सामाजिक-आर्थिक, सर्वेक्षण उन सभी 16 राज्यों के जनजातीय उप योजना क्षेत्रों में, जहां उपयोजना विद्यमान है, तथा गांव, दमण और दीव के संघ राज्य क्षेत्र में प्रायोजित किया गया है। इसके अलावा, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन भी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, आर्थिक जनगणना जैसे अखिल भारतीय सर्वेक्षणों के भाग के रूप में जनजातीय और जनजातीय बहुसंख्या वाले क्षेत्रों से सामाजिक-आर्थिक आँकड़े आवधिक रूप में एकत्र करता है।

**चलता-फिरता यौन व्यापार**

7106. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 1980 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "मोबाइल सैक्स का धन्धा" (चलता-फिरता यौन व्यापार) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार इसे रोकने के लिए प्रभावकारी कदम उठाने का है; और

(घ) इस बारे में 1977, 1978 और 1979 में अलग-अलग कुल कितने चालान किये गये ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) और (ग) जब कभी ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होती है तो कानून के संबद्ध उपबंधों के अधीन तुरन्त कार्यवाई की जाती है। फिर भी, स्थानीय पुलिस और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के दुराचार-विरोधी दस्ते को ऐसे मामलों के बारे में अधिक सतर्क रहने के और अधिक छापे मारे जाने के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए है।

(घ) अपेक्षित सूचना प्रस्तुत है :—

| वर्ष | चालान किए गए मामले | इन मामलों में चालान किए गए व्यक्ति |
|---|---|---|
| 1977 | 58 | 97 |
| 1978 | 58 | 101 |
| 1979 | 67 | 103 |

**योजना आयोग में अराजपत्रित तथा राजपत्रित कर्मचारियों की कुल संख्या**

7107. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग में 1971 में पृथक-पृथक कुल कितने अराजपत्रित और राजपत्रित कर्मचारी थे तथा उनके वेतन बिलों की क्रमशः राशि कितनी-कितनी थी और इस वर्ष उन्हें कितना समयोपरि भत्ता दिया गया; और

(ख) वर्ष 1979 में पृथक-पृथक कुल कितने अराजपत्रित और राजपत्रित कर्मचारी थे तथा उनके वेतन बिलों की क्रमशः राशि कितनी-कितनी थी और 1979 में उन्हें कितना समयोपरि भत्ता दिया गया ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

**विवरण**

**योजना आयोग में (कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन सहित) वर्ष 1971-72 और 1979-80 में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या, उनके वेतन बिल और समयोपरि भत्ता।**

| वर्ष | कर्मचारियों की संख्या | | वेतन बिल (लाख रु०) | | समयोपरि भत्ता (लाख रु०) | जोड़ (लाख रु०) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | अराजपत्रित | राजपत्रित | अराजपत्रित | राजपत्रित | अराजपत्रित | राजपत्रित |
| 1971-72 | 12 76 | 440 | 61,07 | 46,44 | 3,01 | - 110,52 |
| 1979-80 | 13 22 | 481 | 111,77 | 82,29 | 2,00 | - 196,06 |

**डाकुओं के साथ हुई मुठभेड़ों में बरामद शास्त्रों तथा गोला बारूद का आर्डनेंस कारखानों से चोरी किया हुआ पाया जाना**

7108. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में डाकुओं के साथ हुई अनेक मुठभेड़ों में जो शस्त्र और गोला-बारूद बरामद हुआ उससे पाया गया कि वह तो केवल सेना के उपयोग में आने वाला भारतीय आयुध कारखानों से निकला हुआ सामान है;

(ख) यदि हां, इन कारखानों अथवा सैनिक डिपो से चोरी के कितने मामलों का पता लगाया गया है और उनके बारे में क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) क्या सरकार उनकी रोकथाम के लिए कुछ और कदम उठाये के बारे में विचार कर रही है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : (क) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) और (ग) 1979 और 1980 के दौरान दो गोला बारूद डिपुओं से गोला बारूद की चोरी के दो मामलों की रिपोर्ट मिली हैं। संबंधित व्यक्तियों के विरूद्ध विभागीय/कानूनी कार्यवाही की गई है। उन सभी डिपुओं जिनमें गोला बारूद रखा जाता है, को इस संबंध में अनुदेश जारी किए गये हैं कि वे गोला बारूद की सुरक्षा के बारे में कड़ी नजर रखें।

**त्रिनगर में उद्योग**

7109. **श्री मनी राम बागड़ी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिनगर (एक आवासीय कालोनी) दिल्ली-35 में कितने अधिकृत और अनधिकृत उद्योग चल रहे हैं;

(ख) क्या अधिकतर उद्योग "आयल प्रैसिस" (कोल्हु आदि) जैसे लघु उद्योगों के लाईसेंस प्राप्त करके पी. वी. सी.(प्लास्टिक शू-मेकिंग), स्टील के बर्तनों पर पालिश करने आदि जैसे उद्योगों के रूप में चल रहा हैं;

(ग) क्या क्षेत्र के निवासियों ने तथा एक सांसदने इस विषय में उप राज्यपाल को लिखा है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) इन आवासीय क्षेत्रों से ऐसे उद्योगों को हटाने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि वहाँ नए उद्योग नहीं लगाए जाएगें, क्या प्रयास किए जा रहे है; और

(ङ) क्या इस आवासीय क्षेत्र में विद्यमान उद्योगों में से अधिकतर उद्योगों को गर्म और ठण्डा करने संबंधी बिजली के कनेक्शन दिए हुए हैं;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)**: (क) से (ङ) दिल्ली नगर निगम द्वारा भेजी गई जानकारी के अनुसार दिल्ली की त्रिनगर कालोनी में चलाए जा रहे एककों में 625 एकक लाइसेंस शुदा और लगभग 237 गैर-लाइसेंस शुदा है। एक किलो-वाट वाले पी. वी. सी. और प्लास्टिक उत्पादों और 2 कि. वाट वाले तेल घानी कारोवारों को घरेलू उद्योगों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। दिल्ली नगर निगम दिल्ली इस अनिर्धारित क्षेत्र में इन कारोबारों के लिए लाइसेंस जारी करता रहा है बशर्ते कि इस बारे में निर्धारित की गई शर्तों को ये पूरा करते है। किन्तु, जब कभी नगर निगम के सामने हिंसा की वारदातें आयी है तब नगर निगम द्वारा लाइसेंस धारी को कारण बताओं नोटिस देने के बाद एकक के लाइसेंस को प्रतिसंहृत कर

दिया गया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनिर्धारित क्षेत्रों से निर्धारित क्षेत्रों में उद्योगों का स्थानान्तरण करने की योजना बनायी है तथा वर्ष 1965, 1966, 1967, 1970 तथा 1976 में विभिन्न अवसरों पर आवेदन पत्र मांगे थे। इन आवेदन पत्रों की छानबीन कर लेने के बाद योग्य आवेदकों को अपने उद्योग निर्धारित क्षेत्र में ले जाने के लिए भूखंडों का आवंटन कर दिया गया है अथवा आवंटन किया जा रहा है। दिल्ली राज्य विद्युत बोर्ड ने त्रिनगर क्षेत्र में हीटिंग और कूलिंग उद्देश्यों हेतु बड़ी संख्या में घरेलू और वाणिज्यक कनेक्शन दिए हैं।

**नैनी में हरिजन परिवार पर हमला**

7110. **श्री एन०ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जुलाई, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुलिस सर्किल नैनी में 6 जुलाई, 1980 को एक सवर्ण हिन्दू युवक द्वारा नजदीक से गोली चलाकर एक हरिजन और उसकी पांच वर्षीय पुत्री को मार दिया गया था और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) : जी हां, श्रीमान।

(ख) राज्य सरकार से ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**पुलिस कर्मचारियों की बहाली**

7111. **श्री टी०एस० नेगी** : क्या गृह मंत्री पुलिस कर्मचारियों की बहाली के बारे में 9 जुलाई, 1980 के अतरांकित प्रश्न संख्या 3485 के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल कर्मचारियों द्वारा जून 1979 में आरंभ किये गये आन्दोलन का ब्यौरा एवं तथ्य क्या है और उन पुलिस कर्मचारियों एवं उनके पारिवारिक सदस्यों पर रात्रि में जब वह सो रहे थे, गोली चलाये जाने के क्या कारण हैं;

(ख) सेना द्वारा गोली चलाये जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के कितने कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के कितने सदस्यों को (पुरुष, महिला एवं बच्चों की) मृत्यु हुई और उसमें कितने व्यक्ति जख्मी हुए?

(ग) क्या सरकार ने मामले की न्यायिक जाँच के आदेश दिये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार मामले की न्यायिक जांच कराने का और पुलिस कर्मचारियों को न्याय दिलाने का है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) मई और जून 1979 के महीनों में विभिन्न राज्यों में पुलिस बलों में असंतोष के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और उन्होंने अपनी सेवा-शर्तों में सुधार के लिये त्रिवेन्द्रम, भुवनेश्वर दिल्ली और नीमच में आन्दोलन शुरू किए। क्योंकि गंभीर स्थिति उत्पन्न हो रही थी अतः झड़ौदाकलां दिल्ली में के०रि०पु० बल के शस्त्रागार और संचार केन्द्र की सुरक्षा के लिए सेना

की मदद मांगी गई। सेना को 25 जून, 1979 की सुबह उपर्युक्त उद्देश्य की प्राप्ति के लिए गोली चलानी पड़ी।

(ख) गोली-बारी के परिणामस्वरूप के०रि०पु० बल के 3 कार्मिक (सभी पुरुष) मारे गए, 7 जख्मी हुए और के०रि०पु० बल के एक कर्मचारी की एक महिला रिश्तेदार को संयोगवश रिकोहिट बुलेट लगी थी।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

**प्रत्येक योजना अवधि के लिए कर्नाटक राज्य को आबंटित धनराशि**

7112. **श्री टी०आर० शमन्ना :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक योजना अवधि के लिए कर्नाटक राज्य की 1980 तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ख) कर्नाटक राज्य ने संबंधित योजना अवधि के दौरान कितनी धनराशि खर्च की है ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) : क्रमिक योजना की अवधियों में आबंटित धनराशि और किए गए व्यय के सम्बन्ध में स्थिति नीचे बताई गई है :—

| | आरम्भ में अनुमोदित परिव्यय | (करोड़ रु०) व्यय |
|---|---|---|
| पहली पंचवर्षीय योजना (1951-56) | 55.20 | 94.00 |
| दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-61) | 84.40 | 138.72 |
| तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) | 250.00 | 250.69 |
| तीन वार्षिक योजनाएँ (1966-69) | 162.29 | 192.15 |
| चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-74) | 350.00 | 373.14 |
| पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) | 997.67 | 808.20 (1974-78 के 4 वर्षों के लिए) |
| पंचवर्षीय योजना (1978-83) | 1952.00 | |
| वार्षिक योजना (1978-79) | 309.00 | 271.52 |
| वार्षिक योजना (1979-80) | 299.00 | 354.43 (प्रत्याशित व्यय) |

यह उल्लेखनीय है कि पुर्नगठित मैसूर राज्य राज्य पुर्नगठन अधिनियम के साथ 1956 में बना। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के लिए परिव्यय के आंकड़े पुर्नगठित मैसूर राज्य (1973 में जिसका फिर से नाम कर्नाटक रखा गया) में शामिल कुछ क्षेत्रों के लिए नहीं है।

**उत्तर प्रदेश में भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की वरीयता निर्धारित करना**

7113. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1979 में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को कहा था कि वह पदोन्नत किये गये भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रकल्पित वरिष्ठता निर्धारित करने की पद्धति बन्द कर दें;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकार द्वारा सेलेक्शन ग्रेड और सुपर-टाइम स्केल में नियुक्ति के प्रयोजनार्थ पदोन्नत किये गये भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रकल्पित वरिष्ठता पद्धति अभी तक अपनाई जा रही है जबकि आई०ए०एस० और आई०पी०एस० वरिष्ठता विनियमन नियमावली 1954 में ना तो प्रकल्पित वरिष्ठता को मान्यता दी गई है और न ही इन संवर्गो वरिष्ठता को निर्धारित करने में तदर्थ कार्यविधि का लाभ देते हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया)** : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश संवर्ग के कतिपय भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर, जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि राज्य सरकार ने किसी प्रकल्पित वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नत आई०पी०एस० अधिकारियों को पदोन्नति दी है, राज्य सरकार से यह कहा गया था कि वह इस तरह की वरिष्ठता देने की पद्धति बन्द कर दें, क्योंकि इसके लिए संगत नियमों में कोई उपबन्ध नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के प्राप्त होने के बाद किसी आई०पी०एस० अधिकारी को प्रकल्पित वरिष्ठता नहीं दी गई है। किन्तु ऐसे 21 जुलाई आई०पी०एस० अधिकारियों को, जिनकी वरिष्ठता अभी तक निर्धारित नहीं की गई है, प्रकल्पित वरिष्ठता के आधार पर चयन ग्रेड और अधि-समय वेतनमान दिया गया है। इन अधिकारियों की वरिष्ठता के संबंध में राज्य सरकार का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

राज्य सरकार ने कतिपय पदोन्नत आई०ए०एस० अधिकारियों को चयनग्रेड अधिसमय वेतनमान में एक रिट याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पर परिकलित वरिष्ठता के अनुसार पदोन्नति दी है। उक्त मामला अब उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीन है। एक स्थान--आवेदन पत्र पर उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश दिया है कि केन्द्रीय सरकार की अपील के अंतिम रूप से निपटाए जाने तक 9 दिसम्बर, 1977 वाली यथास्थिति बनाई रखी जाएगी।

उक्त मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

**कर्नाटक सरकार द्वारा पंच वर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करना**

7114. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने पंच वर्षीय योजना का प्रारूप तैयार कर लिया है और उसे संघ सरकार के पास भेज दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संघ सरकार का अन्तिम निर्णय राज्य सरकार को कब तक भेज दिया जायेगा; और

(घ) क्या राज्य सरकार को यह निदेश दिया गया है कि वे वर्ष 1980-81 के लिए योजना प्रक्रिया को आगे बढ़ायें ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) से (ग) : ऐसी आशा है कि कर्नाटक सहित राज्यों में पंचवर्षीय योजना (1980-85) के प्रस्ताव विचार-विमर्श और अन्तिम रूप दिए जाने के लिए सितम्बर, 1980 के अंत तक प्राप्त हो जायेंगे। उसके बाद प्रारूप पंचवर्षीय योजना को राष्ट्रीय विकास परिषद के सम्मुख इस वर्ष के अंत तक या अगले वर्ष के आरंभ में प्रस्तुत किया जाएगा।

(घ) कर्नाटक सहित राज्यों के 1980-81 को वार्षिक योजनाओं पर पहले अधिकारी स्तर पर विचार-विमर्श किया गया था और उन्हें अंतिम रूप दिया गया था। उपाध्यक्ष और मुख्य मंत्रियों के स्तर पर विचार-विमर्श अब दिनाँक 21.7.1980 से किए जा रहे हैं और जो समायोजन आवश्यक और साध्य पाए जाएंगे वे वर्तमान वर्ष की राज्य योजनाओं में किए जाएंगे।

**"एच०एम०टी० ओपोजिशन ब्लाक्स पायोनियर प्रौजेक्ट" शीर्षक समाचार**

7115. **श्री बी०बी० देसाई** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 7 जुलाई, 1980 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "एच० एम०टी० ओपोजिशन ब्लाक्स पायोनिर प्रोजेक्ट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कर्नाटक सरकार ने गैर-सरकारी क्षेत्र में घड़ी निर्माण एकक द्वारा योजना बनाई गई इन अग्रगामी परियोजना की स्कीम की सिफारिश की थी;

(ग) यदि हाँ, तो इस स्कीम की मूख्य बातें क्या हैं;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसकी अनुमति न लिए जाने का मुख्य कारण क्या था; और

(ङ) क्या इस स्कीम का प्रयोजन ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन व्यक्तियों तथा कम आय वर्ग के लोगों को लाभ पहुँचाना है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) : मैसर्स हैगड़े एण्ड गोले लिमिटेड ने अपनी प्रतिवर्ष 6 लाख घड़ियों की स्वीकृति प्राप्ति उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर वार्षिक 12 लाख घड़ियों तक करने के लिये एक

आवेदन प्रस्तुत किया था ताकि कम्पनी ब्रम्हावर जिला, दक्षिण कनारा, कर्नाटक में कला घड़ियों के एक कम्प्लेक्स की स्थापना कर सके। कर्नाटक सरकार ने परियोजना को स्वीकार कि जाने की सिफारिश नहीं की थी।

(घ) सरकार ने वर्ष 1977 में इस कम्पनी की क्षमता कर्नाटक में श्री श्याल स्विः कलाई घड़ी के कम्प्लेक्स में 1 लाख घड़ियाँ प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 6 लाख तक कर दी जाने की स्वीकृति प्रदान की थी। चूंकि यह योजना स्वीकृति प्राप्त प्रावस्थाबद्ध उत्पादन कार्यक्रम के अनुसार कार्यान्वित नहीं की जा सकी थी, अतः सरकार द्वारा ब्रम्हावर के नये घड़ी काम्प्लेक्स में 6 लाख से 12 लाख घड़ियों प्रतिवर्ष कर देने के और विस्तार के अनुरोध को स्वीकृति नहीं दी गयी थी।

(ङ) कंपनी ने कहा था कि ब्रम्हावर काम्प्लेक्स से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था हो जायेगी।

**दिल्ली में शमशानों पर लकड़ी की बिक्री**

7116. **श्री भीकू राम जैन :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचार पत्रों की इस रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है कि शवदाह करने के लिये दिल्ली में शमशानों पर बेचे जाने वाली लकड़ी सदैव गीली होती है; वजन में कम होती हैं तथा अपर्याप्त होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अधजले शव एक अत्यन्त कारूणिक दृश्य उत्पन्न करते हैं;

(ख) शमशानों पर सप्लाई की जाने वाली लकड़ी की किस्म, वजन और मूल्यों की समय-समय पर जांच करने के लिए क्या प्रबंध किये हुए हैं;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान कितनी बार अपेक्षित निरीक्षण किया गया है और किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता पाने पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि शमशान पर बेची जाने वाली लकड़ी को शैडों के नीचे स्टोर किया जाता हैं ताकि उसे बारिश से बचाया जा सके। किन्तु जहां पर शैड नहीं हैं वहां पर लकड़ी को तिरपाल डाल कर वर्षा से बचाया जाता है। कीमतें निश्चित होती है और उसका प्रदर्शन नोटिस बोर्ड पर किया जाता है। कर्मचारियों द्वारा लकड़ी का वजन शोक ग्रस्त व्यक्तियों के सामने किया जाता है। इस प्रकार कम अथवा अपर्याप्त लकड़ी की सप्लाई का कोई कारण प्रतीत नहीं होता। निगम के अनुसार शमशानों का नियमित रूप से निरीक्षण वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जाता हैं जिनमें शमशानों के प्रभारी अधिकारी, जोनल हैल्थ आफिसर, जोनल एसिस्टैंट कमिशनर, उप-स्वस्थ्य अधिकारी, म्यूनिपिपल हैल्थ आफिसर तथा डिप्टी कमिश्नर शामिल हैं। यहां तक कि इन शमशानों के आकस्मिक निरीक्षण भी किए जाते हैं। कोई अनियमितता नहीं पाई गई है।

**केरल, बंगाल और त्रिपुरा के लिए वैकल्पिक योजना के बारे में केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य**

7117. **श्री चित्त बसु :** क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल के मुख्य मंत्री के इस आशय के वक्तव्य की ओर दिखाया गया है कि तीन राज्य सरकारें—केरल, पश्चिमी बंगाल और त्रिपुरा, वैकल्पिक योजना तैयार करेंगे; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) और (ख) केरल राज्य की 1980-81 को वार्षिक योजना पर केरल सरकार के अधिकारियों के साथ मार्च, 1980 में विचार-विमर्श किया गया था, और योजना आयोग द्वारा 240 करोड़ रु० का योजना आकार अनुमोदित किया गया था। केरल सरकार ने कोई "वैकल्पिक" योजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि उन्होंने 1980-81 में कुछ क्षेत्रकों के लिए अधिक परिव्ययों का सुझाव देते हुए परिशोधित योजना प्रस्ताव भेजे हैं। उन्होंने कहा है कि यह 1980-85 की छठी योजना के लिए योजना आयोग की नई प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर और साथ हि वित्त मंत्री के बजट भाषण में घोषित की गई इन नई स्कीमों को ध्यान में रख कर किया गया है—ग्रामीण विकास कार्यक्रम, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सुधार के लिए आर्थिक कार्यक्रम, पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था, ग्रामीण सड़कों का विकास, तिलहनों का विकास, आदि। 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए केरल के परिशोधित प्रस्ताव 290,41 करोड़ रु० के लिए है।

जहाँ तक पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्यों का संबंध है, योजना आयोग को वर्ष 1980-81 के लिए कोई अनुपूरक/परिशोधित योजना प्राप्त नहीं हुई है।

इन तीनों राज्यों की 1980-81 की वार्षिक योजना के संबंध में योजना आयोग के उपाध्यक्ष और इन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के बीच अगस्त, 1980 में विचार-विमर्श होने वाला है।

**छोटे राज्य बनाने की मांग**

7118. **श्री चित्त बसु** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न भागों और संगठनों से हाल ही में ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें यह मांग की गई है कि प्रशासन की कार्यकुशलता में सुधार करने और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए छोटे राज्य बनाये जायें; और

(ख) यदि हां, तो इन मांगों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) क्षेत्रीय विकास में असंतुलन के आधार पर बड़े राज्यों को छोटे राज्यों में विभाजित करने की माँग को लेकर विभिन्न संगठनों से समय समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) किसी राज्य विशेष के आर्थिक विकास में क्षेत्रिय असंतुलन को दूर करना एक ऐसा मामला है जो अनिवार्य रूप से नियोजन द्वारा किया जाना चाहिए और अलग राज्य बनाना इस समस्या का समाधान नहीं है। इस समय किसी राज्य के पुर्नगठन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

**राज्यों को अधिक शक्तियां सौंपने के लिए संविधान में संशोधन**

7119. **श्री चित्त बसु** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा की चार राज्य सरकारों ने राज्यों को अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की दृष्टि से हाल ही में संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का संविधान में दी गई व्यवस्था के अनुसार अन्तर्राजीय परिषद् का गठन करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (घ) राज्यों को और अधिक शक्तियाँ प्रदान करने की दृष्टि से संविधान में संशोधन करने के लिए चार राज्य सरकारों, अर्थात् तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल त्रिपुरा और केरल ने केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव भेजे थे।

2. प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस विषय का गहराई से अध्ययन किया था, और सिफारिश की थी कि केन्द्र और राज्यों के बीच मधुर एवं उचित संबंध सुनिश्चित करने के लिए संविधान में कोई संशोधन करना आवश्यक नहीं है, तथा इस दिशा में उत्पन्न होने वाली किसी भावी स्थिति से निपटने अथवा किसी समस्या को सुलझाने के लिए केन्द्र-राज्य संबंध के विषय में संविधान में पर्याप्त उपबंध हैं। राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद केन्द्र सरकार 1975 में, प्रशासनिक सुधार आयोग की इस सामान्य नीति से सहमत थी।

3. 1975 में केन्द्रीय सरकार का इस संबंध में जो दृष्टिकोण था, उसी पर 1978 में पिछली सरकार ने जोर दिया—यानी कि केन्द्र-राज्य संबंधों के बारे में संविधान के उपबंध काफी ठोस हैं, और उनमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। सरकार के दृष्टिकोण में कोई तबदीली नहीं आई है।

4. जैसा कि दिनांक 25-6-1980 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1965 के उत्तर में कहा गया है संविधान का अनुच्छेद 263 अन्तर्राज्य परिषद गठित किए जाने की व्यवस्था करता है। किन्तु इस समय ऐसी परिषद का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि वैकल्पिक व्यवस्था विद्यमान है।

**आगामी पाँच वर्षों के दौरान बेरोजगारी में वृद्धि**

7120. **श्री चित्त बसु** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य का पता है कि आगामी पाँच वर्षों के दौरान काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या में लगभग 3.5 करोड़ की वृद्धि हो जाएगी; और

(ख) यदि हां, तो उनको रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार का क्या विशेष उपाय करने का विचार है ?

**योजना मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** (क) श्रमिकों की संख्या के अन्तिम अनुमानों से यह दिखाई देता है कि 1980 से 1985 तक की अवधि में श्रमिकों की संख्या में लगभग 350 लाख की वृद्धि हो जाने की संभावना है।

(ख) सरकार ने एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू करने का निर्णय किया है जिसके लिए 1980-81 के केन्द्रीय बजट में 340 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है। 1980 से 1985 तक की अवधि के लिए छठी पंच वर्षीय योजना इस समय तैयार हो रही है। इस नई योजना के निर्माण के भाग के रूप में रोजगार संवर्धन कार्यक्रमों की जांच की जा रही है। 1980-85 की नई योजना तैयार हो रही है और रोजगार के लिए स्कीमें विचाराधीन हैं।

## चैसिस के मूल्य में वृद्धि

7121. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पाँच वर्षों के दौरान टाटा चैसिस के मूल्य में, कितनी बार वृद्धि की गई है और प्रत्येक बार कितनी वृद्धि की गई ;

(ख) क्या चैसिस के मूल्य में वृद्धि इस्पात के मूल्यों में हुई वृद्धि के अनुपात में है;

(ग) क्या टेल्को वाहनों के वितरण का कार्य सरकार द्वारा व्यवस्थित और नियंत्रित होता है;

(घ) क्या सरकार को पता है कि चैसिस की सप्लाई में कमी के कारण बाजार में उस पर प्रीमियम बहुत अधिक है; और

(ङ) पंजीकृत व्यक्तियों को चोसिस की शीघ्र डिलीवरी करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना) :** (क) मै० टैल्को की अधिक पसंद की जाने वाली बस और ट्रक चैसिसों से संबंधित आवश्यक संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) चैसिसों के बनाने में लगने वाली एकमात्र वस्तु इस्पात है। मूल्य वृद्धि, समय-समय पर इस्पात के मूल्यों में वृद्धि से सीधे ही संबंधित नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) बस और ट्रक चैसिसों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर है। फिर भी, निर्माताओं ने बताया है कि ग्राहकों की अधिकृत मूल्य से ज्यादा राशि देने की जरूरत नहीं है।

(ङ) अंर्तवस्तु सहायता तकनीकी सहायता तथा अतिरिक्त क्षमता उत्पन्न करके भी उत्पादन बढ़ाने के लिये पर्याप्त कदम उठाये गये हैं।

विवरण

टाटा ट्रक चैसिस-माडल-1210 एस० ई०/42 का कारखाने से निकलते समय का शुद्ध विक्रेता मूल्य तैयार गाड़ी पर शुल्कों और करों को छोड़कर

| तारीख | मूल्य (रुपये) |
|---|---|
| 14·5.1975 | 80, 80, 055 |
| 1.4.1976 | 80,136 |
| 1.4.1978 | 84,602 |
| 1.4.1979 | 87,339 |
| 1.4 1980 | 1,07,897 |
| 1.8.1980 | 1,14,697 |

टाटा बस चैसिस-माडल एल० पी० 1210 ई०/52 का कारखाने से निकलते समय का शुद्ध विक्रेता मूल्य तैयार गाड़ी पर शुल्कों और करों को छोड़कर

| तारीख | मूल्य (रुपये) |
|---|---|
| 1.3.1975 | 74,316 |
| 1.4.1976 | 76,088 |
| 1.4.1977 | 77,763 |
| 1.4.1978 | 82,229 |
| 1:4.1979 | 84,966 |
| 1.4.1980 | 1,03,524 |
| 1.8.1980 | 1,10,324 |

**विदेशी मुद्रा जमा कराने पर स्कूटरों की डिलीवरी**

7122. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी मुद्रा में भुगतान योजना के अन्तर्गत बजाज आटो लिमिटेड, पुणे, ने अपने ग्राहकों से विदेशी मुद्रा में अग्रिम राशियां जमा कराई हैं और छः से आठ मास में स्कूटर उपलब्ध करा देने का आश्वासन दिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस कंपनी के पास प्रति वर्ष कुल कितनी विदेशी मुद्रा जमा हुई;

(ग) क्या दो वर्ष बीत जाने के बाद भी स्कूटरों की डिलीवरी नहीं दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) निर्माताओं ने बताया है कि उनके विक्रेताओं द्वारा ग्राहकों से विदेशी मुद्रा में अग्रिम राशियां नहीं ली जाती हैं। इच्छुक खरीदारों को किसी भी अनुसूचित बैंक में अपरिवर्तनीय खाते में कम से कम 6,000 रु० के बराबर

विदेशी मुद्रा जमा करनी होती है और वास्तविक रूप से स्कूटर डिलीवर करने पर ही विक्रेता को भुगतान किया जाता है। कम्पनी ने बताया है कि इस समय बजाज चेतक स्कूटर की डिलीवरी में लगभग 5 वर्ष लगते हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**राज्यों को आवंटित किये गये केन्द्रीय संवर्ग के अधिकारियों को विशेष विशेषज्ञता से सम्बद्ध पदों पर भेजना**

7123. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि राज्यों को आवंटित किये गये केन्द्रीय संवर्ग के सामान्य वर्ग के अधिकारियों को सुचारू कार्य के लिये तकनीकी दक्षता और विशेष विशेषज्ञता से सम्बन्ध पदों पर भेजा गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) :** (क) तथा (ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा ही केवल ऐसी तीन अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, जिनके अधिकारी विभिन्न राज्य संवर्गों को आवंटित किए जाते हैं। भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति के लिए निर्धारित कोटा के अतिरिक्त, इन सेवाओं के सदस्य, प्रधानतः राज्य सरकारों के अधीन विशिष्ट रूप से उल्लिखित पदों पर, नियुक्त किए जाते हैं। कतिपय मामलों में, अधिकारियों को राज्य सरकारों द्वारा कार्य की अपेक्षाओं और अधिकारियों की उपयुक्तता को ध्यान में रखते हुए संवर्ग-वाह्य पदों पर भी नियुक्त किया जाता है। राज्य सरकारों के अधीन नियुक्तियाँ संबंधित राज्य सरकारों के पूर्णतः अपने मामले हैं तथा ऐसी तैनातियां भारत सरकार के अधिकार में नहीं आती हैं।

**आदिवासियों में अशांति और असंतोष**

7124. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची में दर्ज देश के क्षेत्रों में आदिवासियों में व्यापत अशांति और असंतोष के क्या-क्या कारण संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों तथा भारत सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) उक्त अशांति की रोकथाम के लिये केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या उपाय और कार्यवाही की है; और

(ग) पता लगे इन कारणों को दूर करने के लिये केन्द्र द्वारा क्या-क्या प्रशासनिक, कानूनी, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृति और संवैधानिक उपाय किये जायेंगे;

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) आदिवासी क्षेत्रों में अशांति और असंतोष उत्पन्न होने के मूल कारण विभिन्न तरीकों से उनका सामाजिक और आर्थिक शोषण करना और स्वार्थी तत्वों द्वारा उकसाया जाना है।

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों में रह रहे व्यक्तियों की सामाजिक, आर्थिक दशाओं में सुधार

करने के लिये विभिन्न कदम उठाए गए हैं।

(ग) संवैधानिक उपबंधों विशेषत: पांचवीं अनुसूची और छठी अनुसूची में शोषण के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करने के लिए पर्याप्त रूप से कानूनी तन्त्र तथा अनुसूचित क्षेत्रों के लिए शान्ति तथा एक अच्छी सरकार की व्यवस्था है।

**छठी योजना के लिए क्षेत्रवार कार्यकारी दल**

7125. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने 1980-85 से शुरू हो रही छठी योजना के लिये क्षेत्रवार कार्यकारी दलों का पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्र कौन-कौन से है और आयोग को ये प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कितना समय निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या आयोग द्वारा आदिवासी क्षेत्र उप-योजना को भी एक क्षेत्र माना गया है और इसकी समीक्षा करने और सिफारिश करने के लिये कार्यकारी दल का गठन किया गया है; और

(घ) क्या योजना आयोग ने क्षेत्रवार कार्यकारी दलों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये हैं कि वे आदिवासी क्षेत्रों में मोटे तौर पर ऐसी स्थिति की पुनरावलोकन करें और ऐसी कुछ प्रमुख योजनाओं का पता लगायें जिनके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ?

**योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) :** (क) और (ख) 1980-85 की नई छठी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के भाग के रूप में, योजना आयोग ने 29 कार्यकारी दल स्थापित किए हैं (सूची विवरण के रूप में संलग्न है)। अगले दो महीनों में उनके अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर देने की आशा है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। जैसा कि सूची में बताया गया है, अनुसूचित जन जातियों, अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के विकास के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया गया है, उसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(क) अनुसूचित जन जातियों/अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के लिए संरक्षण और विकास कार्यक्रमों के संबंध में दृष्टिकोण, कार्यनीति और प्राथमिकताओं की समीक्षा करना;

(ख) इन वर्गों के संबंध में राज्यों और केन्द्रीय मन्त्रालयों द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रमों की समीक्षा करना;

(ग) 10 वर्ष के परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में 1980-85 के लिए निश्चित प्रस्ताव तैयार करना तथा वित्तीय, वस्तुगत, कानूनी और अन्य पहलुओं को बताते हुए, विकास कार्यक्रमों को प्रावस्थावद्ध करने के संबंद्ध में सुझाव देना; और

(घ) राज्यों और केन्द्र में कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक प्रबंधों की समीक्षा करना और सुधार के लिए उपायों का सुझाव देना।

## विवरण

### कार्यकारी दलों की सूची

1. वित्तीय संसाधनों से संबंधित कार्यकारी दल ।
2. बड़ी और मझौली सिंचाई से संबंधित कार्यकारी दल ।
3. बाढ़ नियंत्रण से संबंधित कार्यकारी दल ।
4. छोटी सिंचाई से संबंधित कार्यकारी दल ।
5. नियंत्रण क्षेत्र विकास कार्यक्रम से संबंधित कार्यकारी दल ।
6. पेट्रोलियम से संबंधित कार्यकारी दल ।
7. विद्युत् से संबंधित कार्यकारी दल ।
8. कोयला और लिग्नाइट से संबंधित कार्यकारी दल ।
9. पत्तनों से संबंधित कार्यकारी दल ।
10. रेलवे से संबंधित कार्यकारी दल ।
11. उर्वरकों से संबंधित कार्यकारी दल ।
12. सीमेंट से संबंधित कार्यकारी दल ।
13. लोहा और इस्पात से संबंधित कार्यकारी दल ।
14. अलोह धातुएँ ऐलुमिनियम, तांबे, जस्ते और सीसे से संबंधित कार्यकारी दल ।
15. मशीन निर्माण उद्योग से संबंधित कार्यकारी दल ।
16. फसल उत्पादन से संबंधित कार्यकारी दल ।
17. फसल-परवर्ती शिल्पविज्ञान, विशेष रूप से कृषि वस्तुओं के भंडारण, विपणन, प्रक्रमण और वितरण से संबंधित कार्यकारी दल ।
18. कृषि उत्पादन सांख्यिकी से संबंधित कृतिक बल ।
19. कृषि सेवा केन्द्रों से संबंधित कृतिक बल ।
20. जल के फार्म प्रबंध से संबंधित कृतिक बल ।
21. शिक्षित जनशक्ति के लिए रोजगार सृजन से संबंधित कार्यकारी दल ।
22. शिक्षा और संस्कृति से संबंधित कार्यकारी दल ।
23. लघु उद्योगों से संबंधित कार्यकारी दल ।
24. हथकरघा, बिजली चालित करघा, दस्तकारी और रेशम कीटपालन उद्योगों से संबंधित कार्यकारी दल ।
25. खादी और ग्राम उद्योगों से संबंधित कार्यकारी दल ।
26. आवास और शहरी विकास से संबंधित कार्यकारी दल ।
27. अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों और समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित कार्यकारी दल ।
28. स्वास्थ्य से संबंधित कार्यकारी दल ।
29. समाज कल्याण से संबंधित कार्यकारी दल ।

**राज्यों में रोजगार गारंटी योजना का आरम्भ किया जाना**

7126. **श्री निहाल सिंह** : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों में रोजगार गारंटी योजना आरंभ की जा चुकी है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस योजना को सभी राज्यों में आरंभ करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**योजना मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)** : (क) सभा पटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

(ख) और (ग) 1980-85 की नई योजना तैयार हो रही है और रोजगार के लिए स्कीमें विचाराधीन हैं ।

**विवरण**

महाराष्ट्र राज्य में एक रोजगार गारंटी स्कीम है, जिसमें ग्रामीम क्षेत्रों में ऐसे सभी समर्थांग वयस्कों को काम की गारंटी दी जाती है जो स्वयं को अकुशल शारीरिक श्रम की तलाश में पंजीकृत कराते हैं। महाराष्ट्र रोजगार गारंटी स्कीम में निर्धारित अवधि में रोजगार नहीं दिए जा सकने पर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने की भी व्यवस्था है ।

तमिलनाडु "विशेष ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" में ऐसे 18 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी समर्थांग अकुशल व्यक्तियों को रोजगार देने की व्यवस्था है जिन्होंने स्वयं को जिले के भीतर कार्य के लिए पंजीकृत कराया है। इस स्कीम में निर्धारित अवधि में रोजगार नहीं दिए जा सकने पर बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करने की भी व्यवस्था है ।

मध्य प्रदेश में "गारंटी प्राप्त ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम" चल रहा हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है—1. श्रम-प्रधान परियोजनाओं के जरिए रोजगार का सीधे सृजन और 2· स्थानीय विकास योजनाओं के अनुरूप स्थायी प्रकार की परिसम्पत्तियों का निर्माण ।

कर्नाटक में एक रोजगार पुष्टिकरण स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। यह स्कीम केवल ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है और इसमें पुष्टि कृषि के मंदी के मौसम में एक वर्ष में 100 दिन के लिए अकुशल और शारीरिक श्रम की व्यवस्था करने तक सीमित है ।

**विदेशी अंशदानों के बारे में कानून का कठोरता से पालन किया जाना**

7127. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय राष्ट्रिकों अथवा संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान प्राप्त करने पर रोक के कानून के उपबन्धों का कठोरता से पालन सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या विधान के परिचालन की पुनरीक्षण के लिए और इसके और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपचारी कदमों की सिफारिश करने के लिये कोई अन्तः मंत्रालयीय कार्यदल बनाया गया है; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या नीति है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 4 में कुछ श्रेणी के व्यक्तियों और राजनैतिक दलों अथवा उनके पदाधिकारियों द्वारा विदेशी अंशदान स्वीकार करने पर पूर्ण प्रतिबन्ध की व्यवस्था है।

इसके अतिरिक्त, राजनैतिक स्वरूप के जो संगठन, न कि कोई राजनैतिक दल विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 1976 की धारा 5 के अधीन अधिसूचित हैं, उनको विदेशी अंशदान स्वीकार करने से पहले केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ती है।

अधिनियम की धारा 6 में यह परिकल्पना है कि निश्चित सांस्कृतिक आर्थिक, शैक्षिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम रखने वाले प्रत्येक संगठन केन्द्रीय सरकार को यह सूचना देगा कि कितना विदेशी अंशदान प्राप्त हुआ, किस स्रोत से और किस तरीके से प्राप्त हुआ और ऐसा विदेशी अंशदान किस कार्यक्रम के लिए तथा किस तरीके से उपयोग किया गया।

(ख) विधान के परिचालन की पुनरीक्षा तथा इसके और अधिक प्रभावी कार्यान्वियन हेतु उपचारी कदमों की सिफारिश करने के लिए, यदि जरूरत हुई, एक अंतः मन्त्रालयीय कार्य-दल बनाया गया है।

(ग) सरकार की नीति यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से कि संसदीय संस्थाएँ, राजनैतिक संगठन और शैक्षिक तथा अन्य स्वयंसेवी संगठन और राष्ट्रीय जीवन के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य कर रहे व्यक्ति प्रभुसत्ता सम्पन्न प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र के मूल्यों के अनुरूप कार्य करें, कतिपय व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा विदेशी अंशदान अथवा विदेशी आतिथ्य सत्कार स्वीकार करने तथा उपयोग करने को नियमित बनाना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर 1976 में विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

**भारत आकर पाकिस्तान न लौटने वाले व्यक्तियों को वापस भेजना**

7128. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैध वीजा तथा प्रवेश पत्रधारी भारत आने वाले हजारों पाकिस्तानी नागरिक इनकी अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी भारत में रह रहे हैं?

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे व्यक्तियों की वर्षवार संख्या कितनी है जो पाकिस्तान वापस नहीं गये हैं;

(ग) ऐसे लोगों को भारत में ढूंढ़ निकालने तथा उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने के लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या पाकिस्तान जाने वाले भारतीय भी वहाँ प्रतिवर्ष निर्धारित अवधि से अधिक समय तक रहते हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो भारत सरकार ने ऐसे मामलों में क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) बड़ी संख्या में जो पाकिस्तानी नागरिक भारत आते हैं वे चिकित्सा, मानवीय और अन्य वाध्य आधारों पर

वीजा की अवधि बढ़ाने के लिए अनुरोध करते हैं। ऐसे बहुत से मामलों में जहाँ अनुरोध स्व पाए जाते हैं और ठहरने की अनुमति दी जाती है, इस प्रकार वीजा की प्रारम्भिक अवधि बाद ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों का ठहरना अनधिकृत नहीं कहा जा सकता है। पाकिस्तान नागरिकों समेत जो विदेशी अनधिकृत रूप से देश में ठहरे हुए पाये जाते हैं उनके विरुद्ध निरन्त आधार पर कानून के अधीन कार्यवाही की जाती है। इसमें जहां आवश्यक हो उन पर मुकदम चलाना और निष्कासित करना शामिल है।

पाकिस्तानी नागरिकों, जिन्होंने पंचाग वर्ष 1977-1978 और 1979 के दौरान भारत में प्रवेश/छोड़ा, की संख्या नीचे दी गई है :—

| वर्ष | प्रवेश किया | छोड़कर गए | विखरे हुए |
|---|---|---|---|
| 1977 | 48, 884 | 47, 411 | 1, 473 |
| 1978 | 78, 128 | 62, 758 | 15, 369 |
| 1979 | 2, 72, 998 | 2, 20, 172 | 52, 826 |

पाकिस्तानी नागरिकों का आना-जाना एक निरन्तर प्रक्रिया है और किसी दिए गए समय में ऐसा ही बना रहेगा। गत तीन वर्षों के दौरान निरन्तर भारत आने वाले पाकिस्तानियों की संख्या में तेजी से वृद्धि का कारण विखराव के आँकड़ों में उत्तरोतर वृद्धि है।

(घ) और (ङ) विदेश मन्त्रालय में उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्ष 1979 के दौरान 85110 भारतीय नागरिक पाकिस्तान गए और वर्ष के अन्त में पाकिस्तान में 7578 भारतीय नागरिकों के विखराव को छोड़ते हुए 77532 नागरिक पाकिस्तान से लौटे। उनके देश में विदेशियों द्वारा अधिक ठहरने के मामलों में उपयुक्त कार्यवाई करना पाकिस्तान सरकार का कार्य है।

**केन्द्रीय जांच ब्यूरो के भूतपूर्व निदेशक की नये पद पर बहाली**

7129. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के एक भूतपूर्व निदेशक, जो शाह जाँच आयोग द्वारा सरकार को दिये गये उसके प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पड़ियाँ किये जाने के कारण कई महीनों तक सेवा में नहीं रहा, को अब गृह मन्त्रालय में नये पद पर लगाया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) केन्द्रीय जाँच ब्यूरो के भूतपूर्व निदेशक, श्री डी० सेन 30.11.77 को सेवानिवृत्त हुए थे जबकि शाह आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट मार्च, 1978 से अगस्त, 1978 तक प्रस्तुत की थी। अतः आयोग के प्रतिकूल टिप्पणियों के परिणामस्वरूप उनका सेवा में न होने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री सेन की गृह मन्त्रालय में पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिए की गई है।

**नौसेना यार्डों द्वारा बेहतर हवाई जहाजों का निर्माण**

7130. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौसैनिक यार्ड में बेहतर हवाई जहाजों के निर्माण की क्षमता में वृद्धि की गई है;

(ख) क्या हवाई जहाज कैरियर बनाने के किसी नये काम को हाथ में लिया गया है; और

(ग) यदि नही, तो भारतीय वायु सेना को नये खरीदे गये आक्रमणकारी हवाई जहाजों को सज्जित करने सम्बन्धी योजनाएं क्या हैं ?

**रक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) :** (क) भारतीय नौ सेना यार्डों के पास हवाई जहाज बनाने की क्षमता नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) नौ सेना ने भारतीय वायु सेना को हाल ही में खरीदे गए आक्रमणकारी हवाई जहाजों से सज्जित करने की कोई योजना नहीं बनाई है।

**शक्तिमान गाड़ियों के फालतू पुर्जों का निर्माण करने वाली फर्में**

7131. **श्री निहाल सिंह :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्रालय ने शक्तिमान गाड़ियों के लिए निर्मित/निर्माणाधीन 51 लाख रुपये मूल्य के फालतू पूर्जों को रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इतनी भारी संख्या में फालतू पुर्जों को रद्द किये जाने के क्या कारण हैं ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** (क) और (ख) माननीय सदस्य सम्भवतः शक्तिमान गाड़ियों के उत्पादन के लिए 50.81 लाख रुपये के मूल्यों के कतिपय निर्मित और अर्द्ध-निर्मित पुर्जों को रद्द करने का उल्लेख कर रहे हैं। इस मामले में जो तथ्य दिए गए है उनके आधार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने अपनी 1978-79 की रिपोर्ट का लेखा परीक्षा पैरा (पैरा 12) तैयार किया है। इस लेखा परीक्षा पैरे में उठाए गए तथ्यों की तकनीकी और प्रशासनिक दृष्टि से जाँच की जा रही है ताकि लोक लेखा समिति की स्थिति को स्पष्ट किया जा सके।

**पूर्वोत्तर राज्यों में भारत विरोधी कार्यों में संलग्न मिशनरियां**

7132. **श्री मुंदर शर्मा :**

**श्री हरि कृष्ण शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी राज्यों में भारत विरोधी कार्यों में ईसाई मिशनरियों के संग्लन होने के सबूत पाए गए हैं;

(ख) क्या आरोप की पूरी जाँच की गई है; यदि हाँ, तो उसके तथ्य क्या है; और

(ग) क्या एम० आर० ए० की गतिविधियों की भी जाँच की गई है, यदि हां, उसके तथ्य क्या हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) से (ग) 16 जुला 1980 को तारांकित प्रश्न संख्या 566 के उत्तर में जैसा बताया गया था, पश्चिम बंगाल सरका के अनुसार कुछ विदेशी मिशनरियां और समाज कल्याण संगठन एक पृथक झारखण्ड राज्य के लिये आंदोलन में और स्थानीय विवादों पर आदिवासियों को उकसाने के लिए संगठित करने में सहायता करते रहे है। अतः राज्य सरकार ने सभी ऐसे संगठनों को सलाह दी है कि मिदनापुर, पुलिया और बंकुड़ा जिलों की आदिवासी पट्टी में कोई नया कार्यक्रम हाथ में न लें। उन्हें यह भी सलाह दी गई है कि राज्य सरकार जैसे ही उनके द्वारा स्थापित संस्थाओं को अपने हाथ में ले ले, वे इन क्षेत्रों से पूरी तरह निकलने के लिये तैयार रहें।

त्रिपुरा सरकार के अनुसार कुछ मिशनरी संगठनों पर उग्रपंथी आदिवासी तत्वों को प्रोत्साहन देने का सन्देह है।

अन्य स्थानों पर भी सामान्य किस्म के आरोप समय समय पर लगाये गये हैं परन्तु किसी व्यक्ति के विरूद्ध हाल में कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

एम० आर० ए० की किसी ऐसी गतिविधि के बारे में हाल में कोई रिपोर्ट नहीं है। परन्तु यदि कोई प्रतिकुल बात ध्यान में आती है, तो सरकार उचित कार्यवाही के लिए स्थिति पर निगरानी रखे हुए है।

**पूर्वी भारत में विदेशी धन का प्रयोग**

7133. **श्री बृज मोहन महतो** :क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बंगाल और त्रिपुरा के मुख्य मंत्रियों के इस रहस्योद्-घाटन की ओर दिलाया गया है कि पूर्वी भारत में ईसाई मिशनरियों के द्वारा विदेशी धन आया है और उसका वहाँ पृथकतावादी आंदोलनों में प्रयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को ऐसी जानकारी है कि विदेशी धन चर्च संगठनों के माध्यम से भारत आ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसको रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

**गृह मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) सरकार ने इस आशय के समाचार देखे हैं, जो कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित हुए हैं।

(ख) और (ग) विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 6(1) के अंतर्गत प्रत्येक संस्था को, जिसके सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक और सामाजिक निश्चित कार्यक्रम हैं, उनके द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान, किस स्त्रोत से और किस रूप में विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया और किस उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया और किस प्रकार से विदेशी अंशदान का उपयोग किया गया, के बारे में केन्द्र सरकार को अर्ध-वार्षिक सूचना देनी होती है। विदेशी अंशदान (विनियम) नियम 1976 की धारा 8 के अर्न्तगत ऐसी संस्थाओं को पूर्णत: विदेशी अंशदान की प्राप्ति और इसके उपयोग के विषय में अलग लेखा-जोखा रखना

पड़ता है, उन्हें चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा केन्द्र सरकार को प्रस्तुत कराना पड़ता है। केन्द्र सरकार को विभिन्नि मिशनरियों और संगठनों से अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा-जोखा प्राप्त हो रहे हैं।

**टैंक भेदी शस्त्र का निर्माण**

7134. **श्री आर० एल० भाटिया :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने स्वीडन से प्राप्त लाइसेंस के अन्तर्गत 54 मि० मी० कार्ल गूस्ताफ टैंक भेदी शस्त्र एम-2 का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं;

(ग) क्या स्वीडन भी हाल में विकसित प्रारूप के लिए तकनीकी जानकारी देने को सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** (क) और (ग) जी, हाँ।

(ख) और (घ) यह सूचना प्रस्तुत करना लोक हित में नहीं होगा।

**बर्ड एंड कंपनी के अधीन चलने वाली फैक्टरियों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाना**

7135. **: श्री ए० के० राय :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्ड एंड कंपनी के अधीन कार्य कर रही फैक्टरियों की संख्या कितनी है, उनमें कुल कितने आदमी कार्य कर रहे हैं उन पर लगाई गई पूंजी का तथ्यत: ब्यौरा क्या है;

(ख) कुल पूंजी में सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से लगाई गई सरकारी पूंजी का भाग कितना है और उसमें कितना विदेशी धन लगा हुआ है;

(ग) क्या यह सच है कि बर्ड एंड कंपनी की लीज सितम्बर 1980 को समाप्त हो जाएगी;

(घ) क्या सरकार का लीज समाप्त होने पर बर्ड एंड कंपनी के अधीनस्थ कारखानों को अपने अधिकार में लेने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है।

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) बर्ड एंड कम्पनी लिमिटेड का कलकत्ता में प्रोसेस इंजीनियरी कारखाना है, जो लगभग 1180 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है कम्पनी के गैर—परीक्षित लेने के अनुसार 31 मार्च, 1979 को बर्ड एंड कम्पनी लिमिटेड की परिसंपत्तियों का पुस्तक-मूल्य (बुक वेल्यु) 484.03 लाख रुपये था।

(ख) सरकार द्वारा बर्ड एंड कम्पनी लिमिटेड में कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं किया गया हैं। सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा किया गया निवेश निम्न प्रकार हैं :—

(1) जनरल इन्श्योरेन्श कम्पनी के

ऋण-पत्र 34,06,000 रु०

(2) आई. आर. सी आई का

सावधिक ऋण (30.6.1980 को बकाया) 87,69,923 रु०

(ग) इस समय कम्पनी की प्रबन्ध-व्यवस्था कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 408 के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त किये गये निर्देशकों द्वारा की जा रही है। इन निदेशकों की नियुक्ति की वर्तमान अवधि 11 मई, 1980 तक है।

(घ) और (ङ) बर्ड एंड कम्पनी लिमिटेड की परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

**राजस्थान में सवाई माधोपुर स्थिति जयपुर उद्योग का अधिग्रहण**

7136. **श्री मनफूल सिंह चौधरी :** क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में सवाई माधो पुर स्थिति जयपुर उद्योग अधिग्रहण करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** (क) और (ख) अभी मामले पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

**मैथिली भाषा को संविधान में शामिल करना और बिहार में उर्दू भाषा को दूसरी भाषा घोषित करना**

7137. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विहार के राज्यपाल ने विधान मन्डल के संयुक्त सत्र में अपने अभिभाषण में विहार सरकार की मैथिली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित कराने के प्रयास करने की और उर्दू को विहार के छः जिलों में दूसरी भाषा घोषित करने की नीति की घोषणा की थी, और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है; क्या सारे बिहार में उर्दू भाषी लोगों के लिए और मैथिली तथा संथाली भाषी क्षेत्रों में इन भाषाओं के लिए सरकारी सुविधाओं की मांग की गई है; यदि हाँ तो उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) :** (क) और (घ) विहार सरकार से तथ्यों का पता लगाया जा रहा है।

**नेपालियों द्वारा लखीमपुर खीरी में अतिक्रमण**

7139. **डा० बसन्त कुमार पंडित :** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को नेपालियों द्वारा भारतीय क्षेत्र में लखीमपुर खीरी में विशेष रूप से सम्पूर नगर और वरगंज में किये गये अतिक्रमण के वारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो भारतीय सीमा के पुर्वोत्तर भाग में सुरक्षा बनाये रखने के लिये क्या प्रबन्ध किये गये हैं ?

**गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**बेरोजगार स्नातक**

7140. **भोगेन्द्र झा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बेरोजगार इंजीनियरों, चिकित्सकों तथा अन्य विषयों के स्नातकों की देश में राज्यवार कितनी संख्या है;

(ख) ऐसे कितने नये स्नातक प्रतिवर्ष राज्यवार बनते हैं और कितने बेरोजगारों को प्रतिवर्ष नौकरी में लिया जाता है;

(ग) क्या बिहार के बेरोजगार इंजीनियर उनको नौकरी दिये जाने के लिए विभिन्न प्रकार से आन्दोलन कर रहे हैं; और

(घ) उनके लिए रोजगार अथवा स्व-रोजगार सुनिश्चित कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) से (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है, सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**असम आंदोलन में मारे गये उड़िया लोग**

7141. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 11 जुलाई, 1980 के "दी टाइम्स ऑफ इंडिया" में "सम उड़ियाज आलसो किल्डइन आसाम स्टर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचारों की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या आसाम आन्दोलन में आसाम में रहने वाले विभिन्न क्षेत्रों में सेवा कर रहे अथवा व्यापार कर रहे उड़िया लोग मारे गये थे;

(ग) यदि हाँ, तो उनकी संख्या क्या है; और

(घ) उड़िया लोगों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) : जी हां श्रीमान।

(ख) और (ग) : तथ्यों का पता लगाया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिए जाएंगे।

(घ) असम सरकार से, अनुरोध किया गया है कि असम में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

**बलात्कार के मामले की जांच के लिए केन्द्रीय दल का बागपत भेजा जाना**

7142. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागपत (उत्तर प्रदेश) में पुलिस कर्मचारियों द्वारा एक विवाहित महिला के साथ किए गए बलात्कार के मामले की जाँच के लिए कोई केन्द्रीय दल भेजा था;

(ख) यदि हां. तो क्या उस दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ग) संबंधी ब्यौरा क्या है !

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) जी नहीं श्रीमान।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

**शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार**

7143. **श्री सतीश अग्रवाल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने केवल उन शरणार्थियों को नागरिकता के अधिकार देने का निर्णय किया है जो दिसम्बर 1971 से दिसम्बर 1972 तक की अवधि में भारत आये थे;

(ख) यदि हां, तो भी लक्ष्मण सिंह सोडा तथा अन्य लोगों को किस प्राधिकार के अधीन नागरिकता के अधिकार दिए गए थे जो जनवरी/फरवरी 1971 में किसी समय राजस्थान के बाड़मेर जिले में आये थे जो उपरोक्त श्रेणियों में नहीं आते; और

क्या ऐसे अन्य लोगों को भी नागरिकता प्रदान की जाएगी जो उस अवधि में भारत आये थे ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) : नागरिकता नियम 1956 के साथ गठित नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन नागरिकता प्रदान की जाती है। भारतीय मूल के लोग जो सामान्यतः भारत में रहते हैं और पंजीकरण के लिए आवेदन करने से तुरन्त पूर्व 6 महीने से भारत में रह रहे हैं, वे नागरिकता प्रदान करने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि वे अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। किन्तु 1971 में पाकिस्तानी आक्रमण से उत्पन्न विशिष्ट स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार ने निर्णय किया कि शरणार्थी लोग जो दिसम्बक 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान तथा उसके तुरन्त बाद पाकिस्तान में सिन्ध से भारत आए ऐसे अलग-अलग मामलों के गुण दोष के आधार पर नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन उनको भारतीय नागरिकता प्रदान करने पर विचार किया जाए।

चूंकि जिला कलेक्टर इस अधिनियम की धारा 5 (1) (क) के अधीन नागरिकता प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं, इसलिए व्यक्तिगत मामलों का ब्यौरा (जैसे लक्ष्मण सिंह सोदा आदि) सरकार नहीं रखती हैं।

**राज्यों में साम्प्रदायिक आधार पर पैरा-मिलिट्री प्रशिक्षण**

7144. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति** :

**श्री पी०एम० सईद** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को राज्यों में साम्प्रदायिक आधार पर पैरा मिलिट्री प्रशिक्षण न दिए जाने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा प्रशिक्षण कितने राज्यों में दिया जा रहा है।

(ग) क्या अल्पसंख्यक आयोग ने भी इसके लिए सिफारिश की है;

(घ) कितने राज्यों द्वारा सुझाव पर अब तक कार्यान्वयन किया गया है और

(ङ) कितने राज्यों ने इस विषय पर कानून बनाने के लिए सहमति प्रकट की है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : (क) से (ग) : विवरण संलग्न है।

(घ) और (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**विवरण**

अल्प संख्यक समुदायों की जान व माल की रक्षा के प्रश्न पर विचार विमर्श करते समय अल्पसंख्यक आयोग ने यह कहा है कि उसका विचार साम्प्रदायिक दंगो के मूल कारण की जांच करने और ऐसे दंगों पर नियंत्रण रखने और उनको रोकने के लिए कारगार उपायों का सुझाव देने का है। इस बीच आयोग ने स्वयं तुरन्त दो उपायों, अर्थात् "किसी साम्प्रदायिक आधार पर अर्ध सैनिक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन न देना और (2) जिन पाठ्य पुस्तकों में युवा छात्रों के बीच दिमाग में समुदायों के बीच बैरभाव की प्रवत्ति हो, स्कूलों तथा कालेजों में उनके स्थान पर ऐसी पाठ्य पुस्तकें लगाना, जो सभी समुदायों के लोगों के बीच समानता तथा भाईचारे की भावना को प्रोत्साहन दें" का सुझाव दिया है।

2. जहाँ तक पहले प्रश्न का संबंध है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ये अनुदेश जारी किये हैं कि कोई व्यक्ति, संघ, संस्था, दल अथवा संगठन जैसे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ उस अधिकारी अथवा व्यक्ति की पूर्वानुमति के बिना किसी सरकारी परिसर अथवा सार्वजनिक सैरगाह के स्थान पर कवायद, अभ्यास, रैली अथवा प्रदर्शन (किसी शस्त्र अथवा हथियार जिसमें लाठी शामिल है की सहायता से अथवा उसके बिना) नहीं करेगा, जिसका ऐसे परिसरों अथवा स्थान पर कानूनी नियंत्रण है। शब्द "सार्वजनिक सैरगाह के स्थान" में कोई परिसर खेल मैदान, हाल अथवा खाली भूमि अथवा भवन, जिन्हें सरकार ने साधारणतः भुगतान पर या अन्यथा प्राप्त कर लिया हैं, शामिल हैं।

केरल सरकार ने अपने पुलिस अधिनियम 1960 में संशोधन किया है, जिससे जिला मजिस्ट्रेट, जब सार्वजनिक शांति अथवा सार्वजनिक सुरक्षा अथवा सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक समझें, व्यक्तियों को निदेशित सार्वजनिक सूचना अथवा आदेश द्वारा, अपने अधिकार क्षेत्र में किसी क्षेत्र में कोई सामूहिक कवायद करने अथवा हथियारों के साथ सामूहिक प्रशिक्षण लेने अथवा जलूस में हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध लगा सकता है। ये आदेश तीन महीने तक लागू रहेंगे जिन्हें छः महीने तक बढ़ाया जा सकता है। शब्द "हथियार" का अर्थ किसी प्रकार का आपत्तिजनक हथियार है और इसमें लाठियां, डंडा और छड़ी शामिल है।

असम सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम की धारा 7 में यह व्यवस्था है कि राज्य सरकार शिविर लगाने अथवा शस्त्रों अथवा किसी वस्तु, हथियारों अथवा उपकरणों, जिन्हें व्यक्तियों के किसी वर्ग अथवा संगठनों, जिनकी गतिविधियां राज्य सरकार की राय में

विधि व व्यवस्था के लिए विनाशक हों, द्वारा हथियारों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है के साथ अथवा उनके वगैर कवायद अथवा परेड करने पर लोकहित में प्रतिवंध अथवा आवश्यक शर्तें लगा सकती है। इस धारा में यह भी व्यवस्था है कि धारा के अधीन दिये गये किसी आदेश का उल्लंघन करने पर कैद की सजा दी जा सकती है, जो दो वर्ष, अथवा जुर्माने के साथ अथवा दोनों के साथ दी जा सकती है।

भारत सरकार ने अन्य सभी राज्य सरकारों को यह सलाह दी है कि अपने-अपने पुलिस अधिनियमों में केरल संशोधन की रूप रेखाओं पर संशोधन करें अथवा सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियमों में, यदि कोई हों, असम सार्वजनिक व्यवस्था अनुरक्षण अधिनियम की धारा 7 के उपवंध के अनुरूप एक उपवँध समायोजित करें अथवा सार्वजनिक स्थानों में और सरकार द्वारा अथवा स्थानीय निकायों द्वारा संचालित/सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के परिसरों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की शाखाएँ लगाने पर प्रतिवंध लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों की रूपरेखाओं पर अनुदेश जारी करें। राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने के लिए भी अनुदेशों अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये अधिनियमों अथवा अनुदेशों में संशोधन के उपवंध प्रभावकारी ढंग से लागू करें। राज्य सरकार के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

3. जहां तक, दूसरे प्रश्न का सम्वन्ध है, शिक्षा मँत्रालय, जो इससे सँवद्ध है, सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

4. कुछ समय पहले अल्पसँख्यक आयोग ने कानून में कुछ सँशोधनों का सुझाव दिया था ताकि साम्प्रदायिक आधार पर कवायदों पर प्रतिवँध लगाया जा सके, इस सुझाव पर भी विधि मँत्रालय के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

**दिल्ली के नजफगढ़ पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन**

7145. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या गृह मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नजफगढ़ व्लाक (दिल्ली) की जनता ने, जिनमें हरिजन भी सम्मिलित हैं, नजफगढ़ पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन किया है;

(ख) क्या इस प्रदर्शन का आयोजन. ग्रामीण श्रमजीवी यूनियन द्वारा किया गया था जिसमें यूनियन के अध्यक्ष पर हमला करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) इस आशय की चिकित्सा रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि जख्म गंभीर किस्म के हैं एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 291 तारीख 22-7-1980 भा० दन्ड संहिता की धारा 325 के तहत सफदरगंज थाने में दर्ज किया गया है और दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच पड़ताल को अन्तिम रूप दिए जाने पर मामला न्यायालय में पेश किया जाएगा।

**जी० एल० एस० लैम्पों तथा बिजली के अन्य सामान की क्षमता**

7146. **श्री ए० यू० आजमी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलिप्स इण्डिया लिमिटेड, जिसका अब नया नाम पाईको इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, के संबन्ध में जी० एल० एस० लैम्पों तथा बिजली के अन्य सामान की उत्पादन क्षमता में वृद्धि की गई है।

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं और तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त कम्पनी अपनी अनुज्ञप्त क्षमता से अधिक उत्पादन कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो कम्पनी के विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है;

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) से ग मैसर्स फिलिप्स इँडिया लिमिटेड को, जिसका नाम बदल कर अब मैसर्स पीको इलेक्ट्रानिक्स एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया है, कालवा, थाना महाराष्ट्र स्थित कारखाने में जी० एल० एस० बल्बों और फ्ल्युरोसेन्ट ट्यूबों का निर्माण करने के लिए क्रमश : 80 लाख संख्या और 15 लाख संख्या की वार्षिक क्षमता हेतु लाइसेंस दिया गया था 28 जनवरी, 1975 को जारी किए गए एक प्रेस नोट को ध्यान में रखकर कम्पनी ने अपने संयंत्र व मशीनों के अधिकतम उपयोग के आधार पर जी० एल० एस० बल्बों की 240 संख्या और फ्लुयुरोसेन्ट ट्यूबों की 45 लाख संख्या की क्षमता के लिए औद्योगिक लाइसेंस का पृष्ठांकन करने का आवेदन दिया था। कम्पनी ने दावा किया था कि चूँकि स्वीकृत औद्योगिक लाइसेंसों में पालियों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था, अत: औद्योगिक लाइसेंसों में उल्लिखित क्षमता को एक ही पाली के आधार पर माना जाना चाहिए। तथापि, सरकार ने कम्पनी के इस दावे को स्वीकार नहीं किया था। यह देखा गया था कि कम्पनी ने एक वर्ष में 243 लाख जी० एल० एस० बल्बों और 43 लाख फल्युरोसेन्ट ट्यूबों का उत्पादन पहले से ही कर लिया था। ग्लास रोल्स, फ्ल्युरोसेन्ट पाउडर, टंगस्टन फिलामेन्ट, मोलिबडेनम वायर ग्लो स्वीचों फ्ल्युरोसेन्ट ट्यूबों के स्टार्टरों और लाइटिंग फिटिंग्स जैसी अन्य वस्तुओं का भी (लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन किया गया था। तथापि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्पादन में कमी करके लाइसेंस क्षमता तक वापस लाने से श्रमिकों की छंटनी आदि करनी पड़ेगी, अत: सरकार ने कम्पनी को पर्याप्त विस्तार करने के लिए 28.2.1978 को एक लाइसेंस जारी किया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त लगा दी गई थी कि कम्पनी 5 वर्षों की अवधि में जी० एल० एस० बल्बों, फ्ल्युरोसेन्ट ट्यूबों व बल्बों के हिस्से-पुर्जों के निर्यात से कम से कम 6 करोड़ रुपए की जहाज भाड़ा पर्यन्त मूल्य की विदेशी मुद्रा अर्जित करेगी। सरकार चाहे तो इस निर्यात दायित्व को 5 वर्षों की और आगे की अवधि के लिए बढ़ा सकती है। लाइसेंस में यह भी शर्त लगाई गई थी कि सभी वस्तुओं की उपर्युक्त स्वीकृत क्षमता में लाइसेंसीकृत क्षमता से 25 प्रतिशत अधिक उत्पादन करने की सुविधा शामिल है।

(घ) विनियन करने से पूर्व लाइसेंसीकृत क्षमता से अधिक उत्पादन करने के लिए कम्पनी के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही करने की संभाव्यता की विधि का मंत्रालय एवं अन्य प्राधिकरणों के परामर्श से पता लगाया जा रहा है।

**टर्बाइनों सहित विद्युत् प्रजनन उपकरणों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय टेंडर**

7146. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टर्बाइनों सहित विद्युत् प्रजनन उपकरणों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय टेंडर आमंत्रित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड को अन्तर्राष्ट्रीय टेंडरों के मामले में मूल्य संबंधी कोई लाभ दिया जाएगा; और

(ग) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कर्मचारियों ने इस बारे में कोई शंकायें व्यक्त की हैं ?

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : (क) विद्युत् जनित्रण, परिषण तथा वितरण पहले से ही उन 14 चुने हुए प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों/परियोजनाओं में सम्मिलित हैं जिनके लिए विश्व निविदाओं पर पूंजीगत माल प्राप्त करने के लिए विशेष पद्धति लागू होती है।

(ख) सरकार द्वारा गठित एक अधिकार प्राप्त समिति मूल्यों, डिलीवरी तथा प्रौद्योगिकी के आधार पर देशी तथा विदेशी दोनों संभरणकर्ताओं से प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन करती है। भारतीय तथा विदेशी प्रस्तावों के बीच तुलना इनके देश में पहुंचते समय की लागत अर्थात मूल्य बीमा और भाड़ा लागत तथा आयात शुल्क के आधार पर की जाती है

(ग) जी, हां।

— ० —

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

**आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना**

**ब्रेथवाइट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता और बर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में विवरण और उनके वार्षिक प्रतिवेदन तथा नारियल जटा बोर्ड के प्रमाणित लेखे आदि।**

**उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चरणजीत चानना)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ।

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम. 1955 की धारा 3 की उपधारा 6 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० आ० 266 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 अप्रैल, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, जिसके द्वारा विज्ञापन या प्रचार सामग्री, कलेन्डरों, डायरियों और निमंत्रण या बधाई कार्डों के मुद्रण को कागज (संरक्षण और प्रयोग

का विनियमन) आदेश. 1974 के खंड 3 के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1209/80)।

(2) ब्रेथवाइट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1977-78 के वार्षिक ×प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1210/80)।

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति :

(एक) वर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) वर्न स्टैन्डर्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन, सुलेखापरीक्षित लेखों तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1211/80)।

(5) तारांकित प्रश्न संख्या 351 पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के दौरान 2 जुलाई, 1980 को दिये गये आश्वासन के अनुसरण में, औद्योगिक लाइसेंस देने के लिये स्थानीय प्रतिबंधों के सम्बन्ध में दी जा सकने वाली रियासतों के बारे में दिनांक 20 अगस्त, 1979 के प्रेस नोट (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1212/80)।

(6) (एक) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड, एरणाकुलम के वर्ष 1978-79 के प्रमाणित लेखाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नारियल जटा बोर्ड, एरणाकुलम के वर्ष 1978-79 के लेखाओं की समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण की एक प्रति। (ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1283/80)।

**केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के**

**वर्ष 1978-79 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा**

**ऊर्जा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विक्रम महाजन)** : मैं केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1978-79 के कार्यकरण× की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी

× वार्षिक प्रतिवेदन 30 जुलाई, 1980 को सभा-पटल पर रखा गया था।

× केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान, बंगलौर का वर्ष 1978-79 का वार्षिक प्रतिवेदन 16 मार्च 1980 को सभा-पटल पर रखा गया था।

संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। (ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1214/80)।

**दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री के गैर लाइसेंस शुदा स्टोरों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 340 के ऊपर को शुद्ध करने वाला विवरण**

**गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : मैं दिल्ली नगर निगम क्षेत्र में भवन निर्माण सामग्री के गैर लाइसेंस शुदा स्टोरों के बारे में श्री चन्द्रपाल शैलानी के अतारांकित प्रश्न संख्या 340 के 11 जून, 1980 को दिये गये उत्तर को शुद्ध करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ। ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1215।80।

**नौसेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह)** : मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 175 के अन्तर्गत नौसैनिक औपचारिकता सेवा की शर्तें तथा प्रकीर्ण (दुसरा संशोधन) विनियमन, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ जो दिनाँक 26 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० नि० आ० 237 में प्रकाशित हुए थे।

**(ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी० 1216/80)**

**अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें** : संसदीय कार्य मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं श्री पी० वेंकटसुब्बया की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग में पद-संख्या निर्धारण) बारहवाँ संशोधन विनियमन, 1980, जो दिनाँक 24 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 446 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नौवाँ संशोधन नियम, 1980, जो दिनांक 24 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि 447(ङ) में प्रकाशित हुए थे।

**(ग्रन्थालय में रखे गए—देखिए संख्या एल० टी०—1217-80)**

2. असम राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा 3. के अन्तर्गत दंड प्रक्रिया संहिता (असम) संशोधन अधिनियम, 1980 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) (1980 का राष्ट्रपति का अधिनियम, संख्या 3) की एक प्रति, जो दिनाँक 19 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(ग्रन्थालय में रखे गए—देखिए संख्या एल. टी 1218/80)

**असम राज्य विधानमण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम के अन्तर्गत राष्ट्रपति के अधिनियम**

**वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मगन भाई बारोत)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

असम राज्य विधान मण्डल(शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1980 की धारा 3 की उपधारा 3 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के निम्नलिखित अधिनियमों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) असम वित्त (विक्रय कर) संशोधन अधिनियम, 1980 (1980 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 2) जो, 19 जुलाई 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(दो) असम वित्त अधिनियम, 1980 (1980 का राष्ट्रपति का अधिनियम संख्या 4) जो दिनांक 19 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **(ग्रथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 1219/80)**

2. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 449 (ङ) और 450 (ङ) जो दिनाँक 28 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा थैला बंद दुग्ध चूर्ण के साथ आयात किये जाने वाले दो प्रतिशत खाली थलों को निःशुल्क आयात करने का उपबंध करने वाली दिनाँक 2 अगस्त, 1976 की अधिसूचना संख्या 183—कस्टम्स को अधिक्रान्त करते हुए एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा० साँ० नि० 451(ङ) जो दिनांक 28 जुलाई, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा पौंड स्टर्लिग को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को पौंड स्टर्लिग में बदलने संबंधी पुनरीक्षित विनिमय दर के बारे में से एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

**(ग्रन्थालय में रखे गए—देखिए संख्या एल० टी०-1220/80)**

## सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में

**श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर)** : अध्यक्ष महोदय, हम ने एडजार्नमेन्ट मोशन दिया है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : फिर वही बात आ गई, फिर वही काम कर रहें हैं। जो कुछ भी मेरी अनुमति के विना कहा गया है, उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने श्री पासवान को बोलने की अनुमति दी है।

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष महोदय, मैंने एडजार्नमेंट मोशन और प्रिवलेज मोशन दिया है। स्वामी इन्द्रवेश जी को गिरफ्तार किया गया है.....

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इन्फार्मेशन मंगवा लेने दीजिये, उसके बाद उस को लेंगे। पहले मुझे सूचना प्राप्त हो जाने दीजिए। इसके बाद मैं अपना निर्णय दूगाँ।

**श्री राम विलास पासवान :** वह गिरफ्तार हैं, उन से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, लाठी चार्ज हुआ है————————

**अध्यक्ष महोदय :** इस समय नहीं, फिर बात करेंगे। पहले में स्वयं इस पर विचार करूंगा।

**श्री राम विलास पासवान :** दूसरी बात यह है कि कल हमारे एडजार्नमेंट मोशन के सम्बन्ध में, जो अखबार में निकला है, आप ने कहा था ————

**अध्यक्ष महोदय :** वह मिलेगा। मैं उस पर विचार कर रहा हूँ। मैंने इसके संबंध में सूचना मांगी है। मैं आप को इस बारे में सूचित करूंगा।

**श्री राम विलास पासवान :** उस को आप अभी तक एक्जामिन कर रहे हैं।

**हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) :*****

**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रकार नहीं; अनुमति नहीं दी जाएगी आप लिख कर दीजिये।

**श्री निरेन घोष (दमदम) :** मैंने राज्यपालों की भी तलाशी लेने के कथित प्रस्ताव के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना दी है।

**अध्यक्ष महोदय :** उसके लिये अनुमति नहीं दी गई है।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (दुर्गापुर) :** कलकत्ता में श्री सी. एम. स्टीफन द्वारा पश्चिम बंगाल के वामपन्थी मोर्चे की सरकार को गिरने के संम्बध में दिए गए वक्तव्य के बारे में नियम 377 उस के अन्तर्गत मैंने एक नोटिस दिया है।

**अध्यक्ष महोदय :** आपको बताया गया था कि राज्य सभा में इस पर विचार किया गया है। हम सदन का समय बर्बाद नहीं कर सकते। इसका उत्तर दिया जा चुका है।

**श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) :** श्रीमान् भारत के आन्तरिक मामलों में विदेशियों का हस्तक्षेप। बोट क्लब पर एक विदेशी मूल हड़ताल पर बैठाया गया है.....

**अध्यक्ष महोदय :** आप लिख कर दीजिये।

**श्री आरिफ मोहम्मद खाँ :** मैंने नोटिस दिया है। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरिजनों में आतंक छाया हुआ है। उन्हें गांव-गाँव में ढूंढ़ कर.....

**अध्यक्ष महोदय :** ऐसे नहीं ·····(व्यवधान).....

**श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) ·····**

**अध्यक्ष महोदय :** मैं एलाऊ करूंगा तब बोलियेगा। आप क्यों बोल रहे हैं ? आपने मेरी परमीशन नहीं ली है।

**श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर :** राज्य सभा एक पृथक सदन है।

**श्री जयपाल सिंह कश्यप :** मैंने एडजार्नमेंट मोशन और काल एटेन्शन दिया है.....

**अध्यक्ष महोदय :** किस लिये ?

*** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री जयपाल सिंह कश्यप** : मेरठ में 150 सत्याग्रहियों को पुलिस ने मार कर घायल किया है। वहाँ जो अन्दोलन चल रहा है (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इस संबंध में सूचना मंगायी है।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** (नई दिल्ली) अध्यक्ष महोदय, मैं मेरठ की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैंने नियम 377 के अधीन आप की इजाजत माँगी है। कल पुलिस की हिरासत में एक आदमी को जलाने की कोशिश की गई ...

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे नहीं, वाजपेयी जी। इजाजत माँगी है तो देदेंगे।

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : कब ?

**अध्यक्ष महोदय** : आपको अनुमति मिलेगी।

आप ऐसे क्यों पूछते हैं। व्यवधान आप ने लिख कर दिया है। इस पर आगे कार्यवाही करना मेरा कर्त्तव्य है।

**श्री मंगल राम प्रेमी (विजनौर)** मैंने भी आपको लिख कर दिया है...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : ध्यान आकर्षण प्रस्ताव दिया है। मैं इस को देखूंगा। अभी मैं कैसे बता सकता हूँ। यहाँ कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं हो रही है। यहाँ संसद की बैठक हो रही है तथा हमें इसके अनुरूप ही व्यवहार करना चाहिए।

(व्यवधान)

**श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर)** : इसकी कापी हम को मिलनी चाहिए कि विदेशी हस्तक्षेप क्या है। हमें पता लगे कि उसमें क्या लिखा है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप ने लिख कर दिया है

**श्री हरिकेश बहादुर** : राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने लिखा है,

**अध्यक्ष महोदय** : आप ने लिख कर दिया है या यों ही इन्फार्मेशन मांग रहें हैं। अब यह मेरी जेब में तो पड़ी नहीं है।

**श्री मंगलराम प्रेमी** : मैं यह कहना चाहता हूँ कि मुरादाबाद जिले में वहाँ के एम० एल० ए० ने स्वीपर्स को पिटवाना और उनके घरों को जलवा दिया।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको तो मैंने एलाऊ कर दिया है।

**श्री मंगल राम प्रेमी** : उन को बुरी तरह सेपीटा गया है ...व्यवधान.....

**श्री राम विलास पासवान** : आप ने कल कहा था कि 377 में एलाऊ कर दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : किस को ?

**श्री राम विलास पासवान** : इन को।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने इन्फार्मेशन माँगी है।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलितन नहीं की गई।

मैंने तथ्यात्मक टिप्पण भेजने के लिए कहा है। पहले मुझे अपनी सन्तुष्टि कर लेने दीजिए। जवाब तो आने दो (व्यवधान)

मुझे अपनी सन्तुष्टि कर लेने दीजिए।

**श्री मनीराम बागड़ी** (हिसार) : मैं तो सिर्फ आप से एक इन्फार्मेशन चाहूँगा कि इस सदन का अगर कोई माननीय सदस्य गिरफ्तार हो, तो उसकी गिरफ्तारी की इत्तिला कितने समय में पुलिस इस सदन को देगी। तथा आपको इसके बारे में इत्तिला मिल गई है और मिली है तो कितने समय में मिली है ? स्वामी इन्द्रवेश को गिरफ्तार किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे पास इत्तिला अभी आई है।

**श्री मनीराम बागड़ी** : आपको पहले सदन को यह इत्तिला देनी चाहिए थी कि माननीय सदस्य गिरफ्तार हुए हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह मुझे अभी अभी प्राप्त हुआ है। इसमें कहा गया है :—

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि स्वामी इन्द्रवेश, सदस्य, लोक सभा को भारतीय दंड संहिता की धारा 117/147/148/149/151/152/153/332/353/307 और दंड विधि संशोधन अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत 5-8-80 को बागपत में गिरफ्तार किया गया। विस्तृत जानकारी भेजी जा रही है।"

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : महोदय, इस सभा के सदस्य के विरुद्ध यह एक बिल्कुल झूठा मामला बनाया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

**श्री चन्द्रजीत यादव** : नहीं श्रीमान्। इसके लिए न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं इस पर आपत्ति करता हूँ। सभा के सदस्य के विरुद्ध यह एक मनगढ़न्त, झूठी रिपोर्ट है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह नहीं कह सकता।

(व्यवधान)

**श्री चन्द्रजीत यादव** : आप सभी प्रश्नों के उत्तर में यह कहते रहे हैं कि मैं तथ्यों का पता लगाऊंगा। क्या आप गृह मंत्री से पूछेंगे ?

आप कृपा करके मेरी यह प्रार्थना अग्रेषित करवा दें कि इसकी न्यायिक जाँच होनी चाहिए···(व्यवधान) लोकदल के 150 कार्यकर्त्ताओं को क्यों मारा गया है तथा पुलिस ने इस प्रकार क्यों व्यवहार किया है।

**श्री रामविलास पासवान** : मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है नियम 229 और शेड्यूल 3 के तहत। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि किसी माननीय सदस्य की गिरफ्तारी हो, तो किस जेल में रखा गया है, यह आपके बताने की जवाबदेही है। आपने यह नहीं बताया कि किस जेल में उनको रखा गया है। यहां पर रोज इस बात पर हंगामा होता है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह इत्तिला आ रही है। अच्छा ठीक है, मैं इसको देखूंगा।

**श्री रामविलास पासवान** : आप यह कह देते हैं कि इस को देखेंगे लेकिन किस जेल में उनको रखा गया है, यह अभी नहीं बताया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह इत्तिला अभी आई है। विस्तृत जानकारी भेजी जाएगी। यह कहा गया है : 'विस्तृत जानकारी भेजी जा रही है।'

(व्यवधान)

**श्री चन्द्रजीत यादव** : यह अवश्य पता चलना चाहिए कि वे अब कहाँ हैं। क्या पुलिस की हिरासत में हैं अथवा जेल में हैं।

(व्यवधान)

कृपया अपने नियमों को देखें। मेरा यह कहना हैं कि आप सदस्यों की गिरफ्तारी के मामले की ऐसी उपेक्षा नहीं कर सकते।

**अध्यक्ष महोदय** : जी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : सदन का ध्यान आकृष्ट करने के लिए बार-बार हमने इस प्रश्न को उठाया है। जब भी किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जाता है—कृपया नियम को देखें—गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी का यह प्रथम कर्त्तव्य है कि वह इसकी सूचना दे कि क्या वह सदस्य पुलिस की हिरासत में है अथवा उसे किसी जेल में रखा गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : इनफार्मेशन आने दें, तब पता चल जाएगा।

**श्री अटलबिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली)** : कल रात में उन्हें कहां रखा गया है, जब तक यह जानकारी नहीं आती है हमको पता नहीं चल सकता है कि उनको कहाँ रखा गया है।

**श्री रामविलास पासवान** : इसी तरह से हमेशा होता है। एम पी को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में कहा जाता है कि किस जेल मे रखा गया है तो कोई जवाब नहीं मिलता है। हमेशा ही चेयर की तरफ से हिदायत दी जाती है लेकिन अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं—

**अध्यक्ष महोदय** : नही कर रहे हैं।

**श्री रामविलास पासवान** : जानकारी नहीं देते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मनमानी नहीं करने देंगे। चिन्ता न करें।

**श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़)** : संसद सदस्यों के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों को इस प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए। इस अवस्था में आम नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा ?

**श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर)** : आप रूल 229 देखें।

**अध्यक्ष महोदय** : यही बात उन्होंने कही है। इस रूल को मैं बाई हार्ट जानता हूँ।

**श्री धनिक लाल मंडल** : आधी बात कहते हैं, आधी नहीं कहते हैं।

**श्री रामविलास पासवान** : मैंने प्रिवलेज मोशन दिया है । जेल की जानकारी नहीं दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं करूंगा ।

**श्री चन्द्रजीत यादव** : ऐसे मामले आपके पास प्रतिदिन आते रहते हैं । कृपया हमें बताइये कि उन्हें कहां पर रखा गया है । लोग मुझसे पूछते हैं । मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। आपके पास भी इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : इसीलिए हम इस पर कार्यवाही करने जा रहे हैं ।

**श्री रामविलास पासवान** : सीरियसली लें ।

**अध्यक्ष महोदय** : और क्या करें, बताइये ।

**श्री रामविलास पासवान** : कोई बदमाशी करेगा तो एक्शन बैठे-बैठे नहीं हो जाएगा । प्रिवलेज कमेटी में भेज दें ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं स्थिति से अवगत हूँ । मैं अपने कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक हूँ तथा उनको पूरा करूंगा । मैं अपने कर्त्तव्यों को पूरा करते जा रहा हूँ । इससे अधिक मैं क्या कर सकता हूँ ?

**श्री रामविलास पासवान** : कार्यवाई तो कुछ होती नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाई होगी । रूल्ज तो रूल्ज हैं ।

**श्री रामविलास पासवान** : कहां होती है ?

**अध्यक्ष महोदय** : इसी वजह से तो हाउस से माफी मांगते हैं।

**श्री अटलबिहारी वाजपेयी** : कहां रखा गया है यह तो बताना चाहिये था और यह तो लिखा होना चाहिये था ।

**अध्यक्ष महोदय** : जो भी आवश्यक होगा, मैं करूंगा । मैं आवश्यक कार्यवाही करूंगा । जब मैंने आपको आश्वासन दिया है, आपको इससे संतुष्ट होना चाहिए ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ऐसा नहीं होने दूंगा ।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

### पश्चिम बंगाल में कच्चे पटसन के मूल्यों में गिरावट

**प्रो० रूपचन्दपाल (हुगली)** : मैं वाणिज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस विषय में एक वक्तव्य दें ।

"पश्चिम बंगाल और अन्य पटसन उत्पादक क्षेत्रों में कच्चे पटसन के मूल्यों में भारी गिरावट, जिसके कारण लाखों कृषकों को अनगिनत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है,

और सारा कच्चा पटसन खरीदने में भारतीय पटसन निगम की असफलता के समाचार।"

**वाणिज्य तथा इस्पात तथा खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी)** : कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश पर सरकार ने असम में डब्ल्यू 5 ग्रेड पटसन के लिए 160 रु० प्रति क्विंटल की कीमत निर्धारित की है। इस कीमत के आधार पर, पटसन आयुक्त ने भिन्न-भिन्न देहाती बाजारों में पटसन के भिन्न भिन्न ग्रेडों के लिए कीमतों की रूपरेखा तेयार की है और उन्हें अधिसूचित किया है। पटसन आयुक्त की अधिसूचना की एक प्रति सदन के सभा पटल पर पहले ही रखी जा चुकी है।

2. हमें प्राप्त हुई रिपोर्टों के अनुसार, नई पटसन फसल असम, उत्तरी बंगाल और उत्तरी बंगाल से मिलते हुए बिहार के कुछ क्षेत्रों में आनी शुरू हो गई है। उत्तरी बंगाल और उत्तरी बंगाल से मिलते हुए बिहार के क्षेत्रों में नई फसल की कीमतें डब्ल्यू 5 तथा निम्नतर ग्रेडों के लिए कानूनी न्यूनतम स्तर के आसपास होने की रिपोर्ट मिली है जबकि डब्ल्यू 5 से उच्चतर ग्रेडों के लिए कीमतें कानूनी स्तरों से ऊपर हैं। असम में कीमतें मुख्यतः असम से गन्तव्य बाजारों को पटसन के न आने के कारण 15 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास चल रही बताई जाती है जो कानूनी न्यूनतम कीमत से कम स्तर पर हैं। भारतीय पटसन निगम ने खरीदारी कार्य शुरू कर दिया है।

3. सरकार ने इस आशय की स्पष्ट हिदायतें जारी कर दी हैं कि भारतीय पटसन निगम को आने वाले वर्ष के दौरान खरीदारियां करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पटसन उपज कर्त्ताओं को कम से कम सरकार द्वारा अधिसूचित कानूनी न्यूनतम कीमतें मिल जाएं। पटसन निगम को यह भी स्वतन्त्रता होगी कि वह अपने वाणिज्यिक विवेक का प्रयोग करते हुए बिना कोई हानि उठाये वाणिज्यिक खरीदारियां करे। इस उद्देश्य से कि भारतीय पटसन निगम अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सके, भारतीय रिजर्व बैंक से अतिरिक्त ऋण प्रदान करने का अनुरोध किया गया। अपेक्षित अतिरिक्त ऋण प्रदान कर दिया गया है। भारतीय पटसन निगम ने भारतीय खाद्य निगम और विभिन्न भाण्डागार निगमों के साथ वार्ताएं करके अतिरिक्त गोदाम स्थान प्राप्त कर लिया है : अधिक गोदाम स्थान के लिए वार्ताएं अभी भी चल रही हैं। इसके अलावा, इस उद्देश्य से कि भारतीय पटसन निगम अपनी उन निधियों तथा गोदामों के कुछ हिस्से को उपयोग में ला सके जो पिछले दो सीजनों के दौरान की गई खरीदारियों से रुके हुए हैं, भारतीय पटसन निगम के पटसन को स्वदेशी तथा विदेशी दोनों बाजारों में बेचने के लिए जोरदार प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य व्यापार निगम और भारतीय पटसन निगम का दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भारतीय पटसन निगम की निर्यात बिक्री के बारे में बातचीत करने के लिए लंदन गया है और आशा है कि वह निर्यात के लिए आर्डरों को अन्तिम रूप देगा। घरेलू बाजार में गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों को भारतीय पटसन निगम में पटसन की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए हम बैंकिंग क्षेत्र को इस बात के लिए तैयार कर सके हैं कि वे गैर सरकारी क्षेत्र की मिलों को गारंटियां दें ताकि वे ऋण के आधार पर भारतीय पटसन निगम से खरीदारी कर सकें।

4. भारतीय पटसन निगम के प्रयासों के साथ-साथ गैर-सरकारी क्षेत्र की मिलों द्वारा भी खरीदारी की जानी होगी ताकि बाजार में खरीदारी का पर्याप्त दबाव बना रहे। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मैंने भारतीय पटसन मिल्स एसोशियेसन के साथ बातचीत की है और मैं

उन्हें इस बात के लिए तैयार कर सका हूँ कि वे सितम्बर-दिसम्बर 1980 की अवधि में पटसन की लगभग 36 लाख गाँठें खरीदें। यह मात्रा उस अवधि के दौरान मिलों की खपत की सूचक है और उसमें कच्चे पटसन का उच्चतर स्टाक बनाने के लिए लगभग 12 लाख गांठें भी शामिल हैं। इस उद्देश्य से कि यह बड़ा स्टाक बन सके, हमने भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया है कि वे इस वर्ष अगस्त-सितम्बर से मिलों को अतिरिक्त ऋण सुविधाएं दें।

5. भारत को पटसन अर्थव्यवस्था पर अलग से विचार नहीं किया जा सकता बल्कि उस पर विश्वव्यापी संदर्भ में और विशेषकर पड़ोसी बंगलादेश में चल रही परिस्थितियों के संदर्भ में विचार करना जरूरी है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में पटसन की भरमार है और पटसन की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतें स्वीकृत सूचक स्तरों से नीचे चल रही हैं। इससे बंगलादेश को पटसन पर कानूनी न्यूनतम कीमतें समाप्त करनी पड़ी हैं, निम्नतर ग्रेडों की न्यूनतम निर्यात कीमतें स्थगित करनी पड़ी हैं और साथ ही कुछ ग्रेडों पर निर्यात शुल्क घटाना भी पड़ा है। पटसन उद्योग में जो संकट है वह आंशिक रूप से मन्दी की उन परिस्थितियों के फलस्वरूप है जो कुछ प्रमुख उपभोक्ता देशो में स्वयं प्रकट हो गई हैं और साथ ही संश्लिष्ट पदार्थों से तीव्र प्रतियोगिता के फलस्वरूप भी है। मेरा पूरा विश्वास है कि यह संकट थोड़े समय के लिए ही रहेगा और कुछ समय बाद ही यह उद्योग सुरक्षित स्थिति में आ जाएगा।

**प्रो० रूप चन्द पाल :** मेरे प्रश्न को अत्यन्त चतुराई से टाल दिया गया है क्योंकि मैंने माननीय वाणिज्य मंत्री का ध्यान पश्चिम बंगाल और अन्य पटसन उत्पादक क्षेत्रों में कच्चे पटसन के मूल्यों में हाल ही में हुई गिरावट की ओर दिलाने का प्रयास किया था। परन्तु उनके उत्तर में पश्चिम बंगाल की वर्तमान स्थिति के बारे में कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं, देश में, उत्पादित कुल कच्चे पटसन का लगभग 60 प्रतिशत उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है तथा ऐसी खबरें हैं—मैं स्वयं भी वहां था—कि अभागे पटसन उत्पादकों को, जिनकी कठिनाइयो के बारे में हमने इस सदन में अनेक बार चर्चाएँ की हैं, केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित 160 रु० के बिक्री के दर से कहीं कम दरों पर पटसन बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

(श्री शिवराज वी० पाटिल पीठासीन हुए)

कुछ स्थानों पर यह मूल्य 120 रु० है तथा अन्य स्थानों पर यह 115 रु० है। हमारे देश के पटसन उत्पादकों की समस्या एक स्थायी समस्या है। लाखों पटसन उत्पादकों की स्थिति इतनी ही दयनीय है, जितनी कि अंग्रेजी शासन के दौरान थी। ब्रिटिश शासन के दौरान उनका शोषण किया जाता था तथा स्वतन्त्रता के 33 वर्षों के पश्चात् भी उनका अभी तक शोषण किया जा रहा है। यह स्पष्ट है कि इन पटसन उत्पादकों को, जो कि हमें 200 करोड़ रु० से भी अधिक विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराने में सहायता करते हैं, केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों से कहीं कम दरों पर पटसन बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इस प्रश्न पर हमने अनेक बार इस सदन में चर्चा की है। डा० बी०सी०रे० के नेतृत्व में गठित कांग्रेसी सरकार के शासन के दौरान भी—जबकि वामपन्थी सरकार शासन में नहीं थी अपितु कांग्रेसी शासन था—पश्चिम बंगाल राज्य विधान मण्डल में इन लाखों अभागे गरीब किसानों की रक्षा करने के लिए एक संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया था।

उसके बाद पश्चिम बंगाल विधान मण्डल में अनेक अवसरों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नेताओं ने इन छोटे किसानों तथा गरीब पटसन उत्पादकों के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है।

अन्ततः भारतीय पटसन निगम की स्थापना इस घोषित उद्देश्य के साथ की गई थी कि भारतीय पटसन निगम उन अभागे गरीब लाखो पटसन उत्पादकों की रक्षा करेगी, जिन्हें इन सब वर्षों में लाभकारी मूल्य प्राप्ति से वंचित रखा गया है। लेकिन अब हमारा अनुभव क्या है? जब पटसन बिक्री हेतु बाजार में पहुँचता है, तो हम देखते हैं कि पुराना सिलसिला अभी भी जारी है। पटसन-मिल-मालिक, पटसन-किसानों के शोषण कर्त्ता, पटसन उद्योग के नवाब प्रतिवर्ष 400 करोड़ रु० से लेकर 500 करोड़ रु० तक का वार्षिक मुनाफा कमाते हैं। वे करते क्या हैं? वे इस बात का बहाना करते हैं कि भंडारण के लिए स्थान नहीं है। जब भी फसल अच्छी होती है, ये अपने एजेन्टों के साथ अपने, अनुचरों के साथ कीमतें कम करने के पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं तथा इन अभागे, गरीब पटसन उत्पादकों को स्वयं इनकी उत्पादन लागत से कम कीमत पर पटसन बेचने के लिए मजबूर किया जाता है। इस वर्ष भी यही हो रहा है।

पिछले वर्ष, 1979 में पिछली सरकार के शासन के दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि 1980 से भारतीय पटसन निगम को खरीद पर एकाधिकार करने के लिए कहा जाएगा। इस वर्ष सभी विभिन्न राजनैतिक दलों के केन्द्रीय किसान संगठनों ने एक प्रस्ताव किया है कि न्यूनतम मूल्य को 3000 रु० प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित किया जाऐ। पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी उत्पादन लागत, तथा अन्य बातों की गणना करने के पश्चात, यह प्रस्ताव किया है कि कम से कम 250 रु० प्रति क्विंटल की दर से निर्धारित की जानी चाहिए क्योंकि इसका लागत मूल्य लगभग 230 रु० से 235 रु० के बीच है अब केन्द्रीय सरकार ने 160 रु० की न्यूनतम दर घोषित की है तथा इन गरीब किसानों को मौसम के प्रारम्भ में 115 अथवा 120 रु० अथवा इसी तरह की किसी दर पर अपने उत्पादों को बेचने पर बाध्य किया जा रहा है।

इन पटसन मिल मालिकों ने, हम उन्हें जानते हैं—लगभग इन 7 अथवा 8 एकाधिकार घरानों ने लोगों का शोषण करके विपुल धनराशि इकट्ठी कर ली है। उनसे कहिए कि वे पटसन निर्माण के उत्पादन में वृद्धि करें। वे एक अलग स्थिति के साथ यह कहेंगे कि उत्पादन बढ़ाने की कोई सम्भावना नहीं है। वे निर्यात तथा अन्य बातों के लिए अधिक अनुदान ज्यादा सुविधाओं के लिये केवल केन्द्रीय सरकार पर दबाब डालेंगे। दूसरी ओर वे अपनी चालबाजी से कच्चे पटसन के मूल्यों में कमी लायेंगे तथा इन लाखों गरीब किसानों, छोटे किसानो गरीब पटसन उत्पादकों का खून चूस डालेंगे।

क्या भारतीय पटसन निगम, जिसकी स्थापना इन असहाय लोगों, इन लाखों छोटे किसानो, इन गरीब किसानों, इन गरीब पटसन उत्पादको के हितो की रक्षा करने के विशेष उद्देश्य से की गई थी, इन छोटे पटसन उप्पादको की सहायता के लिए आगे नहीं आयेगा और इन 10 से 100 प्राथमिक बाजारो में समर्थन मूल्य पर उनसे पटसन की खरीद करेगा?

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक विशिष्ट प्रस्ताव किया है। भारतीय पटसन निगम को पश्चिम बंगाल में अनुमानित उत्पादन 40-45 लाख गांठो में से कम से कम 20 लाख गाँठे खरीदनी चाहिए।

**सभापति महोदय** : आपको तो एक प्रश्न पूछना है ।

**प्रो० रूप चन्द पाल** : मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूँ; मैंने पहले ही शुरू कर दिया है मेरा विशिष्ट प्रश्न है :—क्या भारतीय पटसन निगम, पर्यटन वित्तीय संसाधनों के साथ— यहां मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ क्षेत्रीय असंतुलन हैं, भेद भाव हैं, अन्तर है तथा हो क्य रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक 280 करोड़ रूपये की राशि भारतीय कपास निगम को उपलब्ध करा रहा है जबकि भारतीय पटसन निगम को सिर्फ 26 करोड़ रुपये दिए गए हैं·····।

**श्री जर्नादन पुजारी (मंगलौर)** : महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है यह बात सदैव के लिए स्पष्ट हो जानी चाहिए । जहाँ तक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का सम्बन्ध है, सातवीं लोक सभा के प्रारम्भ में कुछ निदेश दिए गए हैं, नियम के अनुसार इस प्रकार के किसी वक्तव्य के समय किसी को भाषण करने की अनुमति नहीं है किंतु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकृत होता है, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण मांग सकता है अथवा प्रश्न पूछ सकता है; ध्यानाकर्षण के लिए लिया गया कुल समय आधा घण्टे से अधिक नहीं होना चाहिए तथा स्पष्टीकरण या प्रश्न के लिए, वह सदस्य जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करता है, 3 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकता तथा अन्य चार सदस्यो में प्रत्येक 2 मिनट से ज्यादा नहीं ले सकते । ये पहले ही 17 मिनट ले चुके हैं । इस बात का निर्णय सदैव के लिए हो जाना चाहिए ।

**सभापति महोदय** : आपके व्यवस्था के प्रश्न को अनुमति नहीं दी जाती । आप जो कहते हैं वह सही है । माननीय सदस्य इसका पालन करेंगे । उन्हें 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेना चाहिए, उन्हें एक वक्तव्य नहीं देना चाहिए और एक प्रश्न पूछना चाहिए । नियम 197 (2) के अन्तर्गत आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं अथवा स्पष्टीकरण मांग सकते हैं । आप वक्तव्य नहीं दे सकते । नियमो में इस पर विचार नहीं किया गया है ।

**प्रो० रूप चन्द पाल** : महोदय, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ । क्या भारतीय पटसन निगम अपने वित्तीय संसाधनो सहित तत्काल 90 से 100 प्राथमिक बाजारो में जायेगा तथा पश्चिम बंगाल में कम से कम कच्चे पटसन की 20 लाख गांठे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगा तथा क्या भारतीय रिजर्व बैंक से इस हेतु अधिक राशि देने के लिए कहा जाएगा ? दूसरे, क्या भारतीय पटसन निगम को कहा जाएगा कि वह वाणिज्यिक खरीद करे जैसा कि पिछले वर्ष किया गया था तथा क्या भारतीय पटसन निगम को न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर खरीद करने की अनुमति दी जायेगी ?

तीसरे, क्या पश्चिम बंगाल सरकार के कच्चे पटसन की एकाधिकार खरीद के प्रस्ताव तथा कच्चे पटसन उत्पादको के हितो की रक्षा करने के लिए प्रसिद्ध पंचायतो को शामिल किया जाएगा तथा पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जाएंगे ?

अंत में इस रिपोर्ट के बारे में कि बड़े समाजवादी देश बड़ी मात्रा में कच्ची पटसन खरीदने के लिए सहमत हो गए हैं, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्री प्रणव मुखर्जी** : महोदय, माननीय सदस्य ने चार प्रश्न पूछे हैं । प्रथम इस प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या भारतीय पटसन निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 20 लाख गाँठो की खरीद करने जा रहा है मेरा उत्तर यह है कि भारतीय पटसन निगम को अनुदेश दिए गए हैं कि वह 160 ६०

न्यूनतम मूल्य को बनाये रखने के लिए चाहे कितनी भी मात्रा खरीदनी पड़े, उसे खरीदनी पड़ेगी। मैं इस पर किसी प्रकार की सीमा नहीं लगा रहा हूँ। यह मात्रा 10 लाख गांठे हो सकती हैं, 20 लाख गांठ हो सकती है। अथवा 30 लाख गांठ हो सकती है। सरकार द्वारा बाजार में निर्धारित किए गए न्यूनतम मूल्य को कायम रखने के लिए जितनी भी मात्रा की खरीद करने की आवश्यकता होगी, वह मात्रा भारतीय पटसन निगम को खरीदनी होगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लागु करने का उद्देश्य भी यही है।

ऋण उपलब्धता के सम्बन्ध में माननीय सदस्य इस तथ्य से अवगत हैं, तथा वास्तव में, कल जब उनके दल के कुछ साथी मुझसे मिले तो मैंने उन्हें बताया है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण में पहले ही 12 करोड़ रु० की वृद्धि कर दी है अर्थात 62 करोड़ रु० के स्थान पर 74 करोड़ रु० कर दिए हैं। दूसरे अपनी ऋण स्थिति में सुधार लाने की दृष्टि से, हमने उन्हें सुझाव दिया है कि वे अपने पुराने भंडार (स्टाक) को बेच दें तथा उन्होंने इस दिशा में कुछ रचनात्मक उपाय किए हैं, जिनसे उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।

तीसरे प्रश्न के सम्बन्ध में कि क्या भारतीय पटसन निगम द्वारा एकाधिकार खरीद की जाएगी अथवा नहीं, मैंने अनेक अवसरो पर सदन में उत्तर दिया है। मुझे खेद है कि मेरा उत्तर नहीं।

कच्ची पटसन का निर्यात समाजवादी देशो को करने की सम्भावना के सम्बन्ध में, हम केवल समाजवादी देशो को ही नहीं अपितु जहां कहीं भी हमें बाजार मिले, हम निर्यात करने की सम्भावनाओं का पता लगा रहे हैं, हम निर्यात करने का प्रयास कर रहे हैं।

**श्री निरेन घोष (दम-दम)** : माननीय मन्त्री महोदय ने यह एक असाधारण वक्तव्य दिया है। उसके बाद अनेक घटनायें घट चुकी हैं। यह वक्तव्य शब्दशः उसी बात को दोहरा रहा है जो पटसन मिल मालिकों ने कही है तथा जिसके लिए वे आग्रह करते आये हैं जो वक्तव्य क्या एक सबसे खेदजदक हिस्सा है।

अपना प्रश्न पूछने से पहले, मैं एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या मन्त्री महोदय को मालूम है कि फ्लाउड आयोग ने एक विस्तृत जाँच के बाद यह निर्णय दिया था कि एक मन पटसन का मूल्य ढाई मन धान के बराबर होना चाहिए, यदि हाँ, तो क्या सरकार ने कहीं इसका उल्लेख किया है ? अब तक इस सिफारिश का कार्यान्वयन क्यों नहीं हुआ ?

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने भी पटसन के मूल्य-ढाचे के प्रश्न पर विचार किया था तथा इस निर्विरोध इस निष्कर्ष पर पहुँची थी कि कच्ची पटसन का मूल्य प्रति क्विंटल 400 रु० और इससे अधिक होना चाहिए। किन्तु मजदूर संघों तथा किसान संगठनों ने अपने विचारों, चाहे वे कैसे भी हों, की परवाह किए बिना अपनी माँगों को संचलित किया है। पिछले कुछ वर्षों से वे 300 रु० प्रति क्विंटल मूल्य की माँग कर रहे हैं।

हाल में, दो दिन पहले, 'स्टेटमैन' में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि भारतीय पटसन मिल मालिकों के संगठन द्वारा इस बारे में दिए गए तर्क आपके अपने वक्तव्य में शब्दशः वही हैं कि बाजार में पटसन की भरमार है तथा इसके मूल्य गिर गए हैं, बंगला देश के साथ प्रतिस्पर्धा है— इन सभी बातों का उन्होंने उल्लेख किया है।

आप किन लोगों के बारे में बोल रहे हैं ? भारत सरकार के बारे में अथवा भारतीय पटसन मिल मालिक संगठन के लिए ? आपको इस प्रसंगिक प्रश्न का उत्तर देना है। सभी जानते हैं कि भारतीय पटसन मिल मालिक संगठन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि तेल के मूल्यों में वृद्धि के कारण अब सिंथेटिक की ओर से प्रतिस्पर्धा का कोई भय नहीं है तथा तेल के मूल्य में अभी और भी वृद्धि होनी है। सब लोग यह भी मानते हैं कि उन्होंने अमरीकी बाजार में 85 सेन्ट प्रति लिनइअर गज के ऊँचे मूल्य पर गलीचा अस्तर (कार्पेट बैकिंग) की बिक्री की है तथा गलीचा अस्तर (कार्पेट बैकिंग) से 3000 रु० प्रति टन का लाभ कमाया हैं; वे असाधारण लाभ कमा रहे हैं। अब, मन्दी के कारण इसकी माँग में कमी आ गई है। उन्होंने बाजार की परवाह नहीं की; वे इसे उससे काफी कम मूल्य पर बेच सकते थे तथा बाजार का विस्तार कर सकते थे। तथा सरकार ने पटसन मिल मालिकों को परामर्श के तौर पर एक शब्द भी नही कहा। उन्हें अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आपने उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी है। आपने जो कुछ किया है वह यही है जब भारतीय पटसन निगम का उद्घाटन हुआ था, तब स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ने सरकार की ओर से घोषणा की थी कि धीरे-धीरे कुछ वर्षों में निगम पटसन उत्पादकों से सीधे कच्चो पटसन को एकाधिकार खरीद किया करेगा। पटसन उत्पादक तथा उनके परिवार के कम-से-कम तीन करोड़ लोग हैं जो भारत के छः राज्यों में फैले हुए हैं। ब्रिटिश काल से आज तक, किसी ने उनके दुःख, शोषण, कष्टों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

अब आप कहते हैं 'कोई एकाधिकार खरीद नहीं। इसका अर्थ है आप उस नीति से हट रहे हैं जिसकी घोषणा स्वर्गीय ललित नारायण मिश्र ने, जो तत्कालीन सरकार के, जिसका नेतृत्व श्रीमती इन्दिरा गांधी करती थीं, एक सदस्य थे।

अब वर्तमान सरकार भी श्रीमती इन्दिरा गांधी की सरकार है और आपने उस नीति को बदल दिया है; इस सदन में घोषित की नई नीति, जो एक घोषित उद्देश्य था, जो आठ-नौ वर्ष पूर्व किया गया था जब भारतीय पटसन निगम का उद्घाटन हुआ था, को बदलने का आपका अपना तरीका है। अब यथार्थ बात पर आता हूँ कि पिछले वर्ष जो भी समर्थन मूल्य घोषित किया गया था, वे मूल्य गिर गए। इस वर्ष, मेरा आरोप है कि मूल्य पहले ही समर्थन मूल्य से नीचे गिर गए हैं। पटसन 52 रु० प्रति मन अथवा 131 रु० प्रति० क्विंटल बिक रही है। उनका समर्थन मूल्य 160 रु० है तथा कुछ लाभ जोड़कर लाभप्रद मूल्य 300 रु० प्रति क्विंटल हो जाएगा। अब यह बाजार में 131 रु० प्रति क्विंटल बिक रही है। यह मेरी जानकारी है आप कहेंगे मुझे यह जानकारी कहां से मिली। मुझे यह जानकारी भंगोर के विधान-सभा सदस्य तथा बारसात के विधान-सभा सदस्य से प्राप्त हुई है जहां पटसन पैदा होती है·····।

**श्री प्रणव मुखर्जी** : दक्षिण बंगाल की पटसन अभी तक नहीं आई है।

**श्री निरेन घोष** : मैंने आपके लाभ के लिए बता दिया है। अब, महोदय, पिछले वर्ष भारतीय पटसन निगम ने कोई उल्लेखनीय खरीद नहीं की, जबकि मन्त्री महोदय द्वारा 20 लाख गाँठ के लक्ष्य की घोषणा की गई थी। उस समय उद्योग मन्त्री ने कहा था कि 28 लाख गांठों की खरीद की जाएगी किन्तु जो खरीद की गई वह बहुत कम थी। तब जब मूल्यों में वृद्धि हुई तो भारतीय पटसन निगम ने अपने भण्डारों को नहीं बेचा अब स्टाक उनके लिए भार बन गया

है। क्या मन्त्री महोदय इस बात से इंकार कर सकते हैं ? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि क्या स्थिति ऐसी थी।

क्या मन्त्री महोदय इस बात से इंकार करेंगे कि भारतीय पटसन निगम का प्रबन्ध मण्डल भारतीय पटसन मिल मालिक संगठन के बड़े लोगों के सुख-दुःख में भागीदार है तथा वे इस ढंग से कार्य करते है जिससे कि पटसन उद्योग के बड़े लोगों को लाभ पहुँचे। यहां तक कि एक पटसन आयुक्त जो थोड़ा आलोचक था तथा स्वतन्त्र-निष्पक्ष विचारों वाला था—उसे वहाँ से जाना पड़ा क्योंकि भारतीय पटसन मिल मालिक संगठन के लोगों ने उसे पसन्द नहीं किया। अब यह स्थिति है। पिछले वर्ष यह पूरी तरह से टूट गया·····।

**सभापति महोदय** : कृपया प्रश्न के बारे में बोलें।

**श्री निरेन घोष** : इस वर्ष, सभा में इस विषय पर कुछ चर्चा हुई थी और यह जानकर कि मंत्री महोदय इस ओर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं, हमने विभिन्न विरोधी दलों के कुछ सदस्यों ने, प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन दिया था। हमारी मांगे क्या थीं ? मूल्य 300/- रुपये प्रति क्विंटल होना चाहिए, क्योंकि इस वर्ष निम्नतम समर्थन मूल्य में वृद्धि हुई है और भारतीय पटसन निगम निम्नतम स्तर से ऊंचे स्तर की पटसन खरीदे, जैसा कि कपास के मामले में किया जाता है और वर्तमान फसल का 50% की खरीद की जाये...यही हमारी माँगें हैं। मैं समझता हूँ कि कपास की तुलना में पटसन पैदा करने वाले राज्यों तथा पटसन की पैदावार करने वालों के साथ भेदभाव किया जाता है।

हमने माँग की है कि सूचित किये गये 20 लाख टन के स्थान पर कम से कम 50% की खरीद की जाए यह हमारी माँग नहीं है। मैं इसे स्पष्ट करता हूँ। यह एक गलत माँग है। मैं इसे स्पष्ट करता हूँ। 80 लाख गांठों का उत्पादन हुआ है और कम से कम इस वर्ष आप 40 लाख गाँठें खरीदी जायें ताकि भारतीय पटसन निगम कच्चे पटसन के मूल्यों पर अपना कुछ प्रभाव डाल सके। अन्यथा सारे पटसन पर पटसन के बड़े-बड़े व्यापारियों का कब्जा हो जाएगा। यही बात वे अपने वक्तव्य में कह रहे हैं। सभी जानते हैं, यहाँ तक कि एक बच्चा भी जानता है कि सारे कच्चे पटसन पर 5-6 बड़े-बड़े पटसन के मिल मालिकों का नियंत्रण है। ये व्यापारी हर साल नकद रुपया देकर 90% फसल खरीद लेते हैं। कच्चा पटसन खरीदने के लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपये और इससे भी अधिक की मांग की है। अब तो मंत्री के कर्मचारी ने भी यह स्वीकार कर लिया है कि उसने पटसन की फसल के 90% भाग की सीधी खरीद के लिए उन्हें ऋण दिए जाने के लिए रिजर्व बैंक को राजी किया था। चाहे आप उन्हें बैंक से पैसा दें या न दें, वे काले धन से खरीद कर लेते हैं।

**सभापति महोदय** : आप अपने प्रश्न के बारे में बोलिए

**श्री निरेन घोष** : महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूँ।

**सभापति महोदय** : आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। आप अपने प्रश्न का स्पष्टीकरण दें।

**श्री निरेन घोष** : महोदय, प्रधान मंत्री जी ने निदेश दिया था.....व्यवधान

**सभापति महोदय :** श्री घोष जब आप इतने प्रश्न एक साथ पूछते हैं तो मुख्य प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता

**श्री निरेन घोष :** कृपया बाधा उत्पन्न न करें। प्रधान मंत्री ने निदेश दिया था कि इस प्रस्ताव की शीघ्र जाँच की जाए। उन्हें प्रधान मंत्री का निदेश मिला है। उसके बाद उन्होंने यह वक्तव्य दिया है, मैं समझता हूँ कि इसकी प्रधान मंत्री के निदेश के साथ कोई संगति नहीं है और यह इंडियन जूट मिल्स एसोसिएशन के आदेश से हुआ है मैं इसका विरोध करना चाहता हूँ। यदि प्रधान मंत्री ने स्वीकृति दी है तो उन्हें पछताना पड़ेगा। अब इस संबंध में स्पष्टीकरण देना आपका काम है।

महोदय, भारतीय कपास निगम को हर साल कृषि मूल्य आयोग द्वारा निम्नतम निर्धारित समर्थन से बहुत अधिक मूल्य पर, कपास की खरीद करता है, और रिजर्व बैंक उनके अपने जोखिम पर 200 करोड़ रुपये ऋण देता है। और यदि भारतीय पटसन निगम वाणिज्यिक खरीद करता है तो आप इसकी कार्यवाही को गलत बताते हैं। वे कहते हैं कि वाणिज्यिक स्तर पर यह संभव नहीं है और वे सारी फसल को छोड़ देते हैं। भारतीय पटसन निगम दिखाने के लिए कुछ गाँठे खरीद लेता है और बाकी सारी फसल को पटसन के बड़े-बड़े व्यापारियों के लिए छोड़ देता है। वास्तविक स्थिति यह है।

अतः महोदय, मेरी माँग है कि हमारे प्रत्येक प्रस्ताव पर विचार किया जाए—कि 300 रु० प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए और यदि इस वर्ष यह संभव नहीं है तो कम से कम अगले वर्ष ऐसा किया जाए। समर्थन मूल्य में वृद्धि की जानी चाहिए और 50 प्रतिशत फसल की खरीद के लिए उन्हें बैंक से ऋण दिया जाए क्योंकि बाजार भाव समर्थन मूल्य से अधिक है। हमारे ये सुझाव हैं। प्रधान मंत्री ने इन सब पर विचार करने के लिए कहा था। मैं चाहता हूँ कि आप इन पर विचार करें। आप पटसन निगम और कपास निगम के साथ अलग-अलग नीति अपना रहें हैं। कपास उत्पादकों के लिए मेरे मन में कोई दुर्भाव नहीं है। उन्हें लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। भारतीय कपास निगम को बैंक ऋण देता है। मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। परन्तु समस्या पटसन के बड़े बड़े व्यापारियों की पैदा की हुई है। आप भारत के छः राज्यों, जिनमें 60 लाख व्यक्ति पटसन उत्पादक हैं और उनके परिवारों के सदस्यों को मिलाकर कुल संख्या 3-4 करोड़ है, के साथ भेद-भाव बरत रहे हैं। भेद-भाव के कारण लोगों में रोष बढ़ता जा रहा है। यह देश के लिए घातक हैं। अतः अभी मौका है कि आप स्थिति का पुनः अवलोकन कर लें। पटसन मिलें पटसन के कपड़े पर 3000/-रुपये प्रति क्विंटल से भी अधिक लाभार्जन कर रही हैं। इस समय टार में भी अच्छा लाभ कमाया जा रहा है कालीनों से लाभ कमाने में भी कोई कठिनाई नहीं आ रही है। वे अधिक शिफ्टों की की माँग कर रहे हैं और आप उन्हीं बातों को कह रहे हैं जो वे 2-3 वर्ष पहले कह चुके हैं॥ सभा में आपने उनके शब्दों को ही दोहराया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं॥ यह भारत सरकार पर और सभी लोगों तथा ट्रेड यूनियन आंदोलन पर एक कलंक है। अब इनका उत्तर दीजिए।

**श्री के० लकप्पा (टुमकुर) :** महोदय, एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में इतने लम्बे प्रश्नों की कैसे अनुमति दी गई है ?

**श्री निरेन घोष :** आप कृपया बैठ जाइए ।

**सभापति महोदय :** इतने लम्बे प्रश्न की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए ।

**श्री प्रणव मुखर्जी :** महोदय, माननीय सदस्य मुझ पर आरोप लगा रहे हैं । मुझे कुछ तथ्य प्रस्तुत करने हैं और ये तथ्य बहुत ही कठोर हैं । यह सभी जानते हैं कि बाजार में पटसन की भरमार है । जहाँ तक 1978-79 का संबंध है, वास्तविकता यह है कि 81.2 लाख गाँठों का उत्पादन हुआ और 1979-80 में 83.2 लाख गाँठों का उत्पादन हुआ । इन दोनों वर्षों में कुल 164.4 लाख गाँठों का उत्पादन हुआ । भारतीय पटसन मिलों की कुल खपत 140 लाख गाँठ प्रति वर्ष है । अतः कुल 22 लाख गाँठें फालतू थी । मैं श्री निरेन घोष तथा उनके भाइयों को धन्यवाद देता हूँ । उन्होंने पटसन उद्योग में निरन्तर 2 महीने हड़ताल करा कर बाजार में पटसन की और भी भरमार करा दी । अतः इन दो महीनों में पटसन उद्योग में 12 लाख गाँठों की खपत नहीं हो सकी । .....(व्यवधान)...

मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि यदि 1978-79 और 1979-80 का हिसाब लगाया जाए तो कुल 164 लाख गाँठों का उत्पादन हुआ और पटसन उद्योग यदि अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग करता तो 144 लाख गांठों की खपत होती । यदि उद्योग में निरन्तर दो महीने हड़ताल हो जाती है तो यह जाहिर है कि 12 लाख गांठों की खपत नहीं होगी । इसके परिणाम-स्वरूप 25 लाख गांठें फालतू हो गई । भारतीय पटसन निगम इनका निर्यात नहीं कर सका । और न ही इनको बेच सका । यह सच नहीं है कि भारतीय पटसन निगम ने खरीद नहीं की । भारतीय पटसन निगम ने 7--8 लाख गांठें खरीदी थीं । जब हम सत्ता में आए तब तक भारतीय पटसन निगम ने एक आँस भी पटसन नहीं बेचा था । आखिरकार हमने इन्हें बेचने का, यहां तक कि घाटे पर भी बेचने का निर्णय लिया और 13 करोड़ रुपये का घाटा हुआ । सरकार 13 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने के लिए सहमत हो गई ।

भारतीय पटसन निगम द्वारा वाणिज्यिक कार्यों पर कोई रोक नहीं है । परन्तु यदि वे वाणिज्यिक स्तर पर कार्य करते हैं तो लाभ या हानि के वे स्वयं उत्तरदायी होंगे ।

महोदय, माननीय सदस्य ने भारतीय पटसन निगम के साथ तुलना की है । बाजार में इस बारे में क्या प्रक्रिया है । वर्तमान वर्ष के दौरान निम्नतम मूल्य पर भी इसकी खरीद का प्रश्न ही नहीं है । क्योंकि बाजार मूल्य निम्नतम मूल्य से अधिक है । मैंने एक दिन बंगाल सरकार से बातचीत की थी और उन्हें बताया कि जिस प्रकार महाराष्ट्र सरकार कपास की एकाधिकार खरीद करती है उसी प्रकार बंगाल सरकार भी पटसन की कर सकती है । यदि ऐसा करने के उनके पास तन्त्र हैं तो वह कर सकती है । यह उनकी अपनी जिम्मेदारी है । वे अपना प्रस्ताव लेकर वित्त मंत्रालय के पास आए जैसाकि महाराष्ट्र सरकार ने बाजार में कपास के लिए पहल की थी । उनका पूरा नियंत्रण था ताकि बिचौलियों पर रोक लगा सके । उन्होंने क्रियाविधि तैयार की और प्रस्ताव लेकर आए जिसे अनुमति दी गई और आज स्थिति यह है कि कपास का नियन्त्रण मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य नीचे कभी नहीं जाता । समर्थन मूल्य कैसे निश्चित करें इस बारे में उन्होंने अपना सुझाव दिया । आखिरकार हमारे पास कुछ संस्थान हैं अर्थात् कृषि मूल्य आयोग । ये संस्थान हमारा मार्ग दर्शन करते हैं और हमें कृषि मूल्य आयोग की सिफारिश माननी होती है अतएव मैं श्री घोष की इस सिफारिश को कि समर्थन

मूल्य 300/— से 400/— रुपये होना चाहिए नही मान सकता यह केवल 160 रुपये नहीं है डबल्यू-5 असम के आधार पर यह 160 रुपये है पश्चिम बंगाल में जिलावार मूल्य इस प्रका है—कूच विहार, जलपाईगुडी और दार्जिलिंग में 165 रुपये, दिजपुर, मालदा जिलें में 168 रुप और मुर्शिदाबाद तथा बांकुरा में 174/- रुपये है। नादिया, बर्दवान, 24 परगना, हुगली औ हावड़ा जिले में 176/- रुपये है। अत: डबल्यू-5 असम के आधार पर निम्नतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसके पश्चात पटसन आयुक्त बाजार भाव निर्धारित करता है। ये सभी विवरण सभा पटल पर रख दिए गए हैं। मैंने सफेद किस्म का, खुरदरा किस्म का, जिलेवार, राज्यवार तथा अन्य विवरण प्रस्तुत किए हैं। जब हम कहते हैं कि 160 तो यह सारे देश में 160 ही नहीं है। जहाँ तक न्यूनतम समर्थन मूल्य का संबंध है में हमने केवल सभा में ही नहीं बताया है। मैंने उनके साथ बातचीत की है। मैंने बताया है कि ऐसी स्थिति लाना चाहते चाहते हैं, ऐसा वातावरण बनाना चाहते हैं कि भारतीय पटसन आयोग बड़े पैमाने पर खरीद कर सके। मरे हुए फोडे पर कोड़े लगाने का प्रयास मत कीजिए। भारतीय पटसन निगम ऐसा करने की स्थिति में नहीं हैं। वे उनके पास इसके लिए व्यवस्था नहीं है।

**श्री निरेन घोष** : मैं आपको चुनौती देता हूँ।

**श्री प्रणव मुखर्जी** : श्री घोष आपका चुनौती देना बेकार है; आपकी चुनौती का मुझ पर प्रभाव नहीं पड़ता। मैं यह जानता हूँ कि यह मेरा विभाग और यह भी जानता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है और आपकी कार्यकुशलता के बारे में भी मैं जानता हूँ। आप चुनौती मत दें। इस बारे में हमने बातचीत की है और हम ऐसी स्थिति लाना चाहते कि भारतीय पटसन निगम बड़े पैमाने पर कार्य कर सके ताकि बाजार में आवश्यक मनोवृत्ति पैदा की जा सके। परन्तु दुर्भाग्य-वश वे ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि मैं कठोर निर्णय नहीं ले सकता। मैंने यह नहीं कहा कि भारतीय पटसन निगम वाणिज्यिक खरीद नहीं करेगा। परन्तु यदि आप दबाव डालते हैं तो मैं इतना कहूँगा कि मैं सरकार की नीतियों के विरूद्ध नहीं जा सकता। यदि इस सम्बन्ध में आप विशेष तथा ठीक-ठीक विवरण चाहते हैं तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ मेरा व्यक्तिगत रूप से आपसे यह अनुरोध है। अत: सभा में इसे मत उछालिए। हमें वास्तविक समस्या को समझने दें। वे पटसन की भरमार की स्थिति से निपट रहे हैं। उनके पास 25 लाख फालतू गांठें हैं। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार भी सामने है। बंगला देश ने पटसन बहुत कम मूल्य पर बेचा है, वे पटसन को बाहर बाजार में बेच रहे हैं। वे पटसन की स्थिति का सामना कर रहे हैं। यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं आंकड़े दे सकता हूँ। 1978-79 में हमारे पास 23 लाख फालतू गाँठें थीं और 1979-80 में 50 लाख गांठें फालतू थीं। हम जानते है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कुल खपत कितनी है। अत: ये सब बातें कहने का क्या फायदा। यदि आप मशीन खरीद सकते हैं और राज्य सरकार हमारी मदद करती है तो हम करने का प्रयास करेंगे। यहां तक की वहाँ गोदाम भी नहीं है। हमने बंगाल राज्य सरकार से बातचीत करमे का प्रयास किया था। अब तक गोदाम नहीं बना है। इस दिशा में काम किया जा रहा है। आपने कहा है कि में दोहरा रहा हूँ, परन्तु मैं दोहरा नहीं रहा हूँ बल्कि इस मामले में न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाए रखने के लिए सरकार की नीति का वर्णन कर रहा हूँ जिसका अनुसरण भारतीय पटसन निगम को करना है। मैंने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य बनाए रखने के लिए जो कुछ संभव होगा, वह किया जाएगा। कल या परसों मैंने उनसे बातचीत की थी और उन्हें मैंने अनुदेश दे दिए हैं तत्काल मैंने उन्हें

अनुदेश दिए हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए जिसमें मूल्य अधिसूचित मूल्य से कम न होने पाएं। उत्तरी बंगाल में यह एक समान 160 ही नहीं है, कहीं 165 है तो कहीं 170 है, सफेद तथा खुरदरा किस्म में अन्तर है। इसलिए अधिक संख्या में विक्री केन्द्र खोले तथा भारी मात्रा में खरीद करके ऐसा वातावरण तैयार करें कि उत्पादकों को अपनी उपज सस्ते दामों में न वेचनी पड़े।

**श्री प्रणव मुखर्जी** (जारी) : अतः भारी संख्या में क्रय-केन्द्र खोलिये; बाजार में भारी मात्रा में खरीद करने के लिये जाइये और यहाँ यह मनोवृत्ति पैदा कीजिये कि जिससे उत्पादन इन वस्तुओं को न्यूनतम मूल्य पर वेचने के लिये वाध्य न हों। जव मैंने इस पर चर्चा की थी उस समय मैंने इसका उल्लेख किया था। मैंने इसका उल्लेख अपने वक्तव्य में भी किया था। मैंने भारतीय पटसन मिल्स एसोसिएशन से भी कहा था कि उन्हें 4 महीनों का स्टाक खरीदना होगा, इस अवधि में उन्हें कम-से-कम 36 से 40 लाख गाँठ खरीदने के लिए कहा गया था। यदि हम 36 से 40 लाख गांठ खरोदते हैं तभी हमें पता है कि वाजार की क्या स्थिति है। हम यह भी जानते हैं कि किस समय में कितनी मात्रा में पटसन आयेगा। हमें यह जानकारी है। अतः मैंने उनको 4 महीनों का स्टाक रखने का सुझाव दिया है इसका अभिप्राय यह है कि यदि प्रति-माह पटसन की 6 लाख गांठें उपयोग में आती हैं तो 24 लाख गांठों का स्टाक रखना होगा। इसी गणना के आधार पर ये आंकड़े तैयार किये गये हैं और मैंने यह आंकड़े पहले ही वता दिये हैं।

मैंने उनसे उनकी समस्याओं के वारे में पूछा है, जैसे कि मैंने भारतीय पटसन निगम की ऋण सम्वन्धी आवश्यकताओं का समाधान भी किया है उसी प्रकार से मैं उनकी समस्या का भी समाधान करने जा रहा हूँ। उन्हें आमतौर से पटसन की खरीद करने के लिये नवम्वर के महीने में उधार मिलता है। मैंने उनको यह वात वता दी है कि मैं उन्हें उधार की सुविधायें दे रहा हूँ। मैंने उनसे वाजार में जाकर यह देखने के लिए कहा है कि वस्तुओं का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल रहा है और यदि वह वहाँ कोई ऐसा वातावरण पैदा कर देते है तो उस हालत में वाजार में स्वतः ही वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। यदि हम उस मूल्य को उत्तरी वगाल में वनाये रखते हैं तो इसका प्रभाव दक्षिण बंगाल पर भी पड़ेगा जवकि अगस्त और सितम्वर के महीनों में जव कभी भी पटसन वाजार में आयेगा। सदस्य महोदय ने भाँगर कच्चे पटसन का उल्लेख कुछ इस ढंग से किया है जैसे कि मुझे उसके वारे में कोई जानकारी न हो। भांगर पटसन जुलाई या अगस्त में वाजार में नहीं आता है वल्कि यह सितम्बर के महीने में वाजार में आता है। हम इस समस्या प्रति जागरुक हैं।

**श्री निरेन घोष** (दमदम) : यह जुलाई या अगस्त में वाजार में आता है।

**श्री प्रणव मुखर्जी** : यह थोड़ी मात्रा में आता है। इसके वारे में आप ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे भी पश्चिमी वंगाल राज्य के वारे में थोड़ी जानकारी है।

माननीय सदस्य ने प्रधान मन्त्री ने निर्देश के वारे में उल्लेख किया था। हां, हम इस सम्वन्ध में चिंतित हैं। प्रधान मन्त्री ने मुझसे यह देखने के लिये कहा था कि पटसन का मूल्य न्यूनतम मूल्य से नीचे न जाये, लेकिन हम इस सम्वन्ध में क्या कर सकते हैं ? क्योंकि कुछ आंकड़ों तथा सूत्रों के आधार पर कृषि मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जाता है हमें

तो उसे केवल लागू करना होता है। यदि संसद यह चाहती है कि हम कृषि मूल्य आयोग की बात न सुनें और केवल श्री निरेन घोष के परामर्श को ही सुनें, तो मैं ऐसा करने को भी तैयार हूँ। यह निर्णय करना संसद का कार्य है।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : मन्त्री महोदय ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में अपना वक्तव्य दिया है। जो कुछ बातें कहीं जा चुकी हैं मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहूँगी हालांकि मैंने भी उनका पूर्ण समर्थन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूँगी कि दो-दिन पहले जब हम उनसे किसान सभा की ओर से मिले थे उस समय उनको यह बताया गया था कि उत्तरी बंगाल में, जो पश्चिमी बंगाल का एक भाग है कच्चा 'पटसन' समर्थन मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जा रहा है, इस पर उन्होंने कोई आपत्ति व्यक्तनहीं की थी। अब उन्होंने अपने बक्तव्य में कहा है कि वर्तमान मूल्य समर्थन के आस-पास है।

दूसरी मजेदार बात यह है। उन्होंने भारतीय कपास निगम के सम्बन्ध में यह कहा है कि भारतीय कपास निगम कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य से ज्यादा बाजार मूल्य पर खरीद करता है इसलिए सरकार भारतीय कपास निगम को वाणिज्यक ऋण के अतिरिक्त भारी मात्रा में आर्थिक सहायता देती है। आजकल कच्चे पटसन से देश में काफी अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की कमाई जा रही है और इस व्यवसाय में 40 लाख से भी अधिक कृषक लोग हुए हैं। सरकार के पास भारतीय पटसन निगम है लेकिन पटसन निगम के पास इसकी खरीद करने के लिये कोई आधारभूत ढाँचा नहीं है। उन्हें आपका भी अधिक समर्थन प्राप्त नहीं होता है। कच्चे पटसन की कीमत बहुत कम रहती है जिससे पटसन मिल वालों को ज्यादा लाभ कमाने का मौका मिलता है। इसके बावजूद भी सरकार भारतीय पटसन निगम पर समर्थन मूल्य से कच्चे पटसन की कीमत कम न होने देने की हालत पैदा करने के लिये भी जोर नहीं डालती है। इसके साथ ही सरकार इसी तथ्य का आश्रय लेकर भारतीय पटसन निगम को आर्थिक सहायता देने से भी इनकार करती है जैसा कि सरकार भारतीय कपास निगम के मामले में करती है। कच्चे पटसन उत्पादकों के सम्बन्ध में सरकार की पूर्ण अवहेलना और भारतीय पटसन निगम के अपने कार्य करने में असमर्थ रहने की कीमत कौन चुकायेगा ? उस मामले में मेरा विचार है कि कपास निगम के सम्बन्ध में मन्त्री महोदय का जवाब बिल्कुल ही विश्वसनीय नहीं होगा। क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि यदि इस वर्ष वाणिज्य मूल्य पर पटसन खरीदने की आवश्यकता हुई तो क्या सरकार उसके लिए भारतीय पटसन निगम को पर्याप्त मात्रा में आर्थिक सहायता देगी ?

मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि जहां तक राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है, क्या यह सच नहीं है कि जब तक हम इसकी खरीद के बारे एकाधिकार प्राप्त नहीं करते तब तक यह स्थिति बनी रहेगी ? जब इस प्रकार की स्थिति थी और तो क्या मंत्री महोदय यह जानते थे कि भारतीय पटसन निगम इतनी मात्रा में खरीदने की स्थिति में नहीं था जिससे बाजार पर प्रभाव पड़ता। तो फिर सरकार ने पश्चिमी बंगाल सरकार को अपना अलग से पटसन स्थापित करने की प्रार्थना पर गम्भीरता से विचार क्यों नहीं किया जिससे कि अब तक इसका आधारभूत ढाँचा तैयार हो जाता। और जिससे भारतीय पटसन निगम और पश्चिमी बंगाल सरकार मिलकर भारी मात्रा में कच्चा पटसन खरीद पाते और उससे इन पटसन उद्योग के प्रभावशाली व्यक्ति अपने भारी लाभ से वंचित हो जाते तथा उससे पश्चिमी बंगाल के इन पटसन उत्पादकों को कुछ राहत दी जा

सकती थी। पश्चिमी बंगाल सरकार के अपना अलग से पटसन निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर अपनी अनुमति देने में सरकार को क्या आपत्ति थी ? यदि अब पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा खरीद की जाती है तो क्या सरकार उसके लिए अपेक्षित धन देगी।

सरकार पश्चिमी बंगाल सरकार को भारी मात्रा में धन उधार नहीं दे सकती क्योंकि अब समय निकल गया है और आधारभूत ढांचा भी तैयार नहीं हुआ है। लेकिन अपने प्रशासन से जो कुछ भी आधारभूत ढाँचा तैयार करा सकते हैं उसके लिये क्या सरकार हमें यह आश्वासन देगी कि कच्चा पटसन उत्पादकों से उचित मात्रा में खरीद करने के लिए उन्हें धन की कमी तो नहीं होने देगी ?

**सभापति महोदय :** मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे और तत्पश्चात हम सभा को दोपहर के भोजन के लिये स्थगित करेंगे।

**श्री प्रणव मुखर्जी :** श्रीमान् मैं अपना वक्तव्य बहुत संक्षेप में दूंगा। मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने दीजिए। जो प्रश्न माननीय महिला सदस्य ने उठाया है कि मैंने प्रारम्भ में ही क्यों नहीं आपत्ति की और जो कुछ मैंने अपने वक्तव्य में कहा था उस सम्बन्ध में क्या है। जो कुछ भी उन्होंने कहा था मैं उससे सहमत था। मैंने यह भी स्वीकार किया था कि उनकी सूचना अद्यतन थी। इसलिए मैंने भारतीय पटसन निगम अनुदेश दिये हैं और मैंने आज उत्तरी बंगाल में अधिक क्रय केन्द्र खोलने का आश्वासन भी दिया है जिससे न्यूनतम स्तर से कीमतें नीचे न गिर सकें। लेकिन उन्होंने जो कुछ भी सूचना मेरे पास भेजी थी उसे मैंने अपने वक्तव्य में सम्मिलित करके कहा है। आखिरकार हमें अपने क्षेत्रीय संघटनों पर निर्भर रहना पड़ता है।

(व्यवधान)

हमें अपने अधिकारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। मुझे आपको ऐसा कहने में अफसोस है। यहाँ हमारी ऐसी ही रीति है। (व्यवधान)

नहीं; मुझे इसके लिए कोई अफसोस नहीं है। मुझे केवल आपके बारे में ही अफसोस है। मुझे अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी पर निर्भर रहना पड़ता है और यही प्रक्रिया है जिसके अनुसार हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपकी सूचना को महत्त्व दिया है। अतः इसके अतिरिक्त मैंने भारतीय पटसन निगम को उत्तरी बंगाल में अधिक क्रय केन्द्र खोलने के अनुदेश दिये हैं जिससे कीमतें एकदम न गिर पायें।

कपास तथा अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में मैंने पहले ही प्रश्न का उत्तर दे दिया है। जहाँ तक पश्चिमी बंगाल का प्रश्न है पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा अपना अलग निगम खोलने पर किसने रोक लगाई है ?

मैंने आपसे पहले प्रस्ताव भेजने के लिए कहा है। प्रस्ताव लाइये। मामले को वित्त मंत्रालय में भेजने दीजिये। अपना ठोस प्रस्ताव लाइये। यदि यह स्वीकार नहीं किया जाता है तब इसे आप मुझे दीजिए। मैं इस बात को सभा में कम से कम 6 बार दोहरा चुका हूँ।

**सभापति महोदय :** सभा एक घण्टे के लिए स्थगित की जाती है। हम 2 बजकर 2 मिनट पर फिर मिलेंगे।

तत्पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिए 2 बजकर 2 मिनट तक के लिए स्थगित हुई ।

मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2 बजकर 5 मिनट (पर पुनः समवेत हुई)

(उपाध्यक्ष महोदय, पीठा सीन)

**श्री विजय कुमार यादव** (नालन्दा) : मैंने मंत्री महोदय के जवाब को जो उन्होंने इस कालिंग स्टेंशन के उत्तर में दिया है बहुत गौर से देखा है । जो जवाब उन्होंने दिया है उससे हाउस के ना तो इस तरफ के और न ही उस तरफ के लोगों को संतोष हुआ होगा । वह स्वयं कहते है कि जूट उद्योग पर खतरा है । मेरा यह अनुभव है कि जूट उत्पादकों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनकी जबर्दस्त लूट हो रही है । इसमें न केवल जूट मैंगनेट शामिल है बल्कि भारतीय जूट निगम भी शामिल है और सरकार का भी इस में हाथ है ।

यहाँ पर बंगाल की और बंगाल के जूट उत्पादकों की चर्चा हुई है । मैं आपके माध्यम से एक टैलिग्राम हाउस के सामने रखना चाहता हूँ जो वेस्ट बंगाल के हमारी पार्टी के नेता की है । श्री विश्व नाथ मुखर्जी इस तार में कहते हैं :

पटसन की कीमत 120 रुपये या इससे भी कम रुपये तक गिरी । भारतीय पटसन निगम न तो वाणज्यिक क्रय ही कर रहा है और न समर्थन मूल्य ही दे रहा है । भारतीय रिजर्व बैंक पर्याप्त समर्थन मूल्य भारतीय कपास निगम के संविधान के अनुसार अग्रिम रूप से नहीं दे रहा है ।

बंगाल में 120 रुपये और उससे कम प्रति क्विंटल का भाव है । स्पोर्ट प्राइस के बारे में मंत्री जी कहते है कि वैसे तो 160 है लेकिन अलग-अलग जिलों में कहीं पर 175 रह जाती है और कहीं इससे कुछ ऊपर जाती है । जहाँ तक बिहार का सम्बन्ध है यहाँ हालत यह है कि सौ रुपये से भी कम में उसकी बिक्री हो रही है । रेट उससे भी कम चला गया है । जो सवाल किए गए हैं उन में इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर जूट उत्पादकों की स्थिति में सुधार आप लाना चाहते हैं और जूट उद्योग को बचाना चाहते है तो गवनमेंट को इस मामले में आगे आना होगा ।

लेकिन स्थिति क्या है ? अभी जवाब में उन्होंने कहा है कि बंगला देश की सरकार ने अपने यहां के जूट उद्योग को बचाने के लिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती थी उसको ससपेंड कर दिया है । अब मेरी जानकारी यह है कि हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में इजाफा हुआ है । एक तरफ तो जूट मैंगनेट किसानों को लूट रहे है और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं जिस में किसानों को कम कीमत मिले, कम से कम कीमत में उनका जूट उनको मिल सके, दूसरी तरफ आप एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा देते हैं । जूट से आप जबर्दस्त रूपसे फारेन एक्सचेंज भी कमाते है । ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाना उचित नहीं था ।

लेकिन आंकड़े कुछ दूसरी बात बताते है । वे बताते है कि जूट मैंगनेट को हर साल लगभग 400 करोड़ रुपये का मुनाफा होता है । 1961-62 और 1963-64 में कच्चे जूट की कीमत में केवल 44 फीसदी का इजाफा हुआ, लेकिन उसी पीरियड में जूट के तैयार माल

की कीमत में 133 फीसदी का इजाफ हुआ। 1977-78 और 1978-79 में गनी बैग्ज की कीमत में 20 परसेंट का इजाफा हुआ, और कच्चे जूट के दाम बढ़ने की बात तो छोड़ दीजिए, उनमें गिरावट आई। ये आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते है कि यद्यपि उनके मुनाफे में लगातार वृद्धि हो रही है, मगर फिर भी कहा जाता है कि जूट मैगनेट को नुकसान हो रहा है और इसलिए जूट उद्योग खतरे में है।

मंत्री महोदय ने बताया है कि सरकार की नीति मानोपली परचेज और जूट उद्योग को नैशनलाइज करने की नहीं है। यह सही है कि सरकार ने इस बारे में कोई पालिसी निर्धारित नहीं की है, लेकिन यह बात उसकी वर्तमान नीति के अंतर्गत ही आती है कि जब करोड़ों लोगों का जीवन और उनकी रोजी-रोटी खतरे में है, हिन्दुस्तान का एक बड़ा उद्योग, जिससे हम फारेन एक्सचेंज कमाते हैं, बड़े खतरे में है, तो देश के हित में और जूट ग्रोअर्ज के हित में यह आवश्यक है कि सरकार जूट उद्योग को अपने हाथ में ले लें। ऐसा किये वगैरह किसानों के हितों की रक्षा नहीं हो सकती है और उन्हें लूट से नहीं बचाया जा सकता है। अगर सरकार इस बारे में आगे बढ़ कर कदम नहीं उठायेगी, तो यह उद्योग चौपट हो जायेगा।

जब भी किसानों का सवाल उठता है, तो सपोर्ट प्राइस की बात कही जाती है। इस सदन में दोनों तरफ से बराबर मांग की जाती है कि किसानों को लाभकारी मूल्य दिये जायें। उद्योगपतियों को लाभकारी मूल्य मिलता है और वे करोड़ों रुपयों का मुनाफा कमाते हैं। किसान देश को खिलाता है, उसको आगे बढ़ाता है, लेकिन सरकार उसको सपोर्ट प्राइस देती है, लेकिन उसमें भी पूरी खरीद नहीं की जाती है और इसको प्राईवेट सेक्टर के हाथ में छोड़ दिया जाता है और और किसानों को उनकी पैदावार का लाभकारी मूल्य नहीं दिया जाता है। मेरा पायंटिड क्वैस्चन यह है कि क्या सरकार इस सिलसिले में अपनी नीति को फिर से निर्धारित करने के लिए तैयार है और क्या वह मानोपली परचेज करने के लिए तैयार है या नहीं।

**श्री प्रणव मुखर्जी :** मैंने एकाधिकारी क्रय के सम्बन्ध में सरकारी नीति के बारे में पहले ही स्थिति का स्पष्टीकरण दे दिया है। मैंने यह कभी नहीं कहा है कि मेरा एकाधिकारी क्रय में विश्वास नहीं है। मेरा कहना यह है कि भारतीय पटसन निगम अपनी वर्तमान क्षमता से एकाधिकारी क्रय करने की स्थिति में नहीं है। यह सत्य है। इसमें सैद्धान्तिक रूप से पसंद करने या न पसंद करने का कोई प्रश्न नहीं है।

निर्यात-शुल्क को समझने में माननीय सदस्य ने गलती की है। कच्चे पटसन को बांगलादेश भेजने में निर्यात शुल्क लगता है। भारत में तैयार माल के निर्यात पर शुल्क लगाया जाता है। वास्तव में हम मिल मालिकों और निर्यात कर्त्ताओं द्वारा अर्जित लाभ का विनियोजन कर रहे है जो उत्पादकों को नहीं मिलता है। यदि मैं मिल मालिकों और निर्यात कर्त्ताओं के ऊपर निर्यात कर नहीं लगाता हूँ तो वे अपने लाभ में वृद्धि करेंगे। जब बाजार में मूल्य संविदा मूल्य से ज्यादा ऊपर चला जाता है तब सरकार को ही आगे आकर निर्यात कर लगती है। अतः माननीय सदस्य बंगलां देश और भारत के बीच जो सादृश्य स्थापित करना चाहते है वह अपेक्षित नहीं है। यदि आप मिल मालिकों के लाभ को कम करना चाहते है तो इसके लिये उनके

लाभ को करने का एक मात्र उपचार निर्यात कर लगाना ही है और इसलिए हम निर्यात कर लगाते हैं।

इस मामले के संबंध में माननीय सदस्य जिसने पहले मामले का उल्लेख किया है उस सम्बंध में हमने विहार से भी कुछ मामले प्राप्त किये है। सच बात तो यह है कि विहार के मुख्य मंत्री मेरे पास आये थे और मैंने उनसे बात चीत की थी इसलिए मैंने विहार के कटिहार, सहर्सा, तथा पूर्णिया के वर्तमान क्रय केन्द्रों के अतिरिक्त तीन और क्रय केन्द्रों के खोलने तथा वर्तमान केन्द्रों की गतिविधियाँ बढ़ाने के भारतीय पटसन निगम को अनुदेश दिये हैं।

मैंने पहले ही यह बात स्पष्ट कर दी है कि हम 160 रुपये से नीचे मूल्य न गिरने के लिए प्रयत्न करेंगे। भारतीय पटसन निगम आवश्यक सहायता देगा। हम इसके लिए उचित व्यवस्था करेंगे। उन्होंने ऋणों का उल्लेख किया है। उस पर ध्यान दिया गया है और इस समस्या का समाधान कर लिया गया है। उन्हें ऋण की आवश्यकता थी। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक से सम्पर्क किया गया था तथा रिजर्व बैंक ने भारतीय पटसन निगम के लिए अतिरिक्त ऋण की व्यवस्था कर दी है।

**श्री चित्त बसु (बारसाट)** : महोदय! यह एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जो देश के समूचे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, लाखों पटसन उत्पादकों, पटसन निर्माताओं और निर्यात व्यवसाय से सम्बन्ध रखता है। इसलिए मैं अपील करूँगा कि इसके प्रति निष्पक्ष दृष्टिकोण अपनाया जाए। मैं पहले केवल चार पहलुओं की चर्चा संक्षेप से करूँगा। इसका प्रथम पहलु भारतीय पटसन निगम की भूमिका के बारे में है। दूसरा पहलु भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की खरीद के मूल्य निर्धारित करने के बारे में है। तीसरा पहलु इस समस्या के लिए एक एकीकृत रुख अपनाने के बारे में है। चौथा पहलु भारतीय कपास निगम और भारतीय पटसन निगम के बीच भेदभाव बरते जाने के बारे में है। प्रथम के संबंध में बताने के लिए मेरे पास पर्याप्त सामग्री है। विपक्ष द्वारा इस संबंध में आंकड़े देना अनावश्य है। माननीय मंत्री महोदय को इसकी अच्छी जानकारी है। पिछले जून में सभा पटल पर भारतीय पटसन निगम की वर्ष 1978-79 की रखी गई रिपोर्ट के जो आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं उससे पता चलता है कि भारतीय पटसन निगम ने वर्ष 1977-78 से बहुत कम खरीद की थी। समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार 6700 गाँठो से अधिक की खरीद नहीं की गई। वर्ष 1978-79 में 15 लाख गांठों का लक्ष्य रखा गया था। अंततः इसमें संशोधन किया गया और यह लक्ष्य 10 लाख गाँठों का निर्धारित किया गया लेकिन भारतीय पटसन निगम ने केवल 8.3 लाख गाँठों की वास्तविक खरीद की थी। इस वर्ष केवल 27,000 गांठों को लगभग के निर्यात किया गया। इस प्रकार से भारतीय पटसन निगम ने वर्ष 1978-79 में कुल मिलाकर लगभग 8.6 लाख गांठों का क्रय-विक्रय किया। औसत उत्पादन 80 लाख गांठों का है। अतः सभी को यह बात स्पष्ट है कि भारतीय पटसन निगम कभी भी कुल फसल के 10% से अधिक भाग का क्रय-विक्रय नहीं किया उसने शेष 90% फसल को पोड़िया मध्यस्थों तथा वेईमान पटसन व्यापारियों, मैं इनके बारे कोई विशेषण उपयोग नहीं करना चाहता, तथा पटसन मिलों के हाथों में छोड़ दिया। इस प्रकार से 90% फसल समर्थन मूल्य में असुरक्षित रह जाती है। उस संदर्भ में भारतीय पटसन निगम की भूमिका पर ध्यान देना पड़ता है। मेरे विचार से भारतीय पटसन निगम को पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा करने सम्बन्धी भूमिका निभानी चाहिए। एसा करने के लिए भारतीय पटसन निगम को एकाधिकार खरीदार की भूमिका

निभानी चाहिए। सरकार की नीति कच्ची पटसन की एकाधिकार खरीद कीओर तेजी से बढ़नी चाहिए। लेकिन वास्तविकता यह है कि उद्देश्य को समझा नहीं गया है। पटसन व्यवसाय में भारतीय पटसन निगम को प्रभावशाली स्तर पर ले जाने में इसकी भूमिका लगभग समाप्त हो गई है। इस बात की आशंका है कि पटसन के बड़े व्यापारियों के दबाव में सरकार भारतीय पटसन निगम के महत्व को कम करने और अंततः इस निगम को समाप्त करने की नीति अपना रही है। वास्तव में पिछले अप्रैल माह में पटसन के उद्योगपति भारतीय पटसन निगम को समाप्त करने के अथवा प्रयास कर रहे थे ताकि वे पटसन का उत्पादन करने वालों को और अच्छी तरह लूट सकें। मुझे यही आशंका है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार भारतीय पटसन निगम के काम को और बढ़ाने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विचार करेगी ताकि निगम पटसन व्यवसाय में प्रगति की ओर बढ़ सके और अंततः एकाधिकार खरीदार के स्तर तक पहुँच सके।

दूसरा पहलु पटसन के मूल्यों के संबंध में है। चूंकि मंत्री महोदय मुझसे सहमत होंगे और उनको बंगाल, उसके दर्द और उसकी समस्याओं तथा इस बात की भी जानकारी होगी कि पटसन का मूल्य 160 रुपए निर्धारित किया गया है। व्यवहारिक रूप से इसके मूल्य 160 रुपए से 175 रुपए के बीच भिन्न-भिन्न है। लेकिन मेरे विचार से और मैं समझता भी हूँ कि वे भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि ये मूल्य लाभप्रद नहीं हैं। ये मूल्य तो खेती की लागत से भी कम है। मैं समझता हूँ कि प्रो० रंगा मेरी इस बात से सहमत होंगे। इस संबंध में मैं सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की रिपोर्ट तथा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दी गई अन्य रिपोर्टों आदि आदि का हवाला दूँगा। उनको एक ज्ञापन भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि खेती की लागत 250 रुपये प्रति क्विंटल होती है। इन सभी बातों पर ध्यान देने से पता चलता है कि कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित या निश्चित किए गये कच्चे पटसन के मूल्य लाभप्रद मूल्य से कम तो है ही, साथ ही खेती की लागत से भी कम बैठते हैं। मैं इस सरकार की कठिनाइयों को समझता हूँ ! सरकार की कठिनाई यह है कि कृषि वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण कृषि मूल्य आयोग करता है। पटसन और पटसन उत्पादकों की वास्तविक स्थिति के संबंध में क्या माननीय मंत्री महोदय का मंत्रालय पटसन उत्पादकों को लाभप्रद शूल्य दिलाएगा और कृषि मूल्य आयोग द्वारा पटसन के मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करेगा और इस बारे में उपयुक्त कदम उठाएगा ? मुझे यह टिप्पणी करते हुए खेद होता है कि कृषि मूल्य आयोग का झुकाव औद्योगिक घरानों की तरफ है। कृषि मूल्य आयोग तो पटसन उत्पादकों के हितों की रक्षा नहीं करता अपितु वह औद्योगिक घरानों, विशेषकर पटसन के बड़े व्यापारियों, के हितों की रक्षा करता है। इसलिए वाणिज्य मंत्रालय, जो पटसन-व्यवसाय, पटसन उत्पादन और निर्माण तथा इसके निर्यात से संबंधित है, कच्ची पटसन के मूल्य निर्धारण के कार्य में हस्तक्षेप करे और उपयुक्त कदम उठाए।

सभा का यह पक्ष समझता है कि इस समस्या के प्रति एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है, और वह दृष्टिकोण यह है कि समूचे पटसन व्यवसाय को अधिकार में लिया जाये। आप इससे सहमत न हों लेकिन हम यही चाहते हैं। सरकार को समूचे पटसन व्यवसाय को अधिकार में लेना चाहिए, समूची पटसन मिलों का राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिए और निर्यात व्यवसाय का भी राष्ट्रीयकरण कर लिया जाना चाहिए। इस विवादास्पद समस्या का स्थायी

हल निकालने के लिए पटसन उद्योग के समूचे क्षेत्र का उत्पादन, निर्माण तथा निर्यात, दोनों का, नियंत्रण राज्य के अधीन होना चाहिए। मुझे यह पता नहीं है कि सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी लेकिन इतना जरूर है कि वह मेरी संतुष्टि के अनुसार नहीं होगी। मैं उनकी सीमाओं को जानता हूँ। फिर भी, माननीय मंत्री महोदय ने कई अवसरों पर कहा है कि सरकार की और उनके मंत्रालय की नीति एक एकीकृत पटसन नीति बनाने की है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि पटसन के उत्पादन, निर्माण और निर्यात के बारे में एक एकीकृत नीति होनी चाहिए। कृपया बताएँ कि इस एकीकृत पटसन नीति में किस बात पर जोर दिया गया है?

इसके बाद कपास और पटसन के बीच भेद-भाव होने का प्रश्न सामने आता है। मन्त्री महोदय ने बताया है कि महाराष्ट्र में राज्य सरकार द्वारा एक एकाधिकार खरीद योजना चलाई है और वहाँ कच्ची कपास की खरीदारी के लिए एक कुशल व्यवस्था है तथा वहाँ कच्ची कपास के मूल्य निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से हमेशा अधिक होते हैं। लेकिन पंजाब और गुजरात जैसे कपास उत्पादन करने वाले ऐसे अनेक राज्य हैं जहाँ राज्य द्वारा कोई एकाधिकार खरीद योजना नहीं चलाई गई है। तो भी वहां कपास उगाने वालों को समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य मिलते हैं और भारती कपास निगम कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक मूल्य पर कपास की खरीद करती है। इस संदर्भ में मन्त्री महोदय अपने वक्तव्य में केवल इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि भारतीय पटसन निगम कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्य अर्थात् 100 रुपए के मूल्य पर ही पटसन की खरीद करेगा और उन्होंने इसके वाणिज्यिक मूल्यों की संभावना से इंकार किया है। इस तरह से कपास और पटसन की खरीद में चल रहे भेद-भाव का पता चलता है, जबकि भारतीय कपास निगम समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर कपास खरीदता है लेकिन भारतीय पटसन निगम को समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर पटसन की खरीद करने को मना किया गया है, रोका गया है और इस बारे में आदेश तथा निर्देश दिये गये है। इस प्रकार भारतीय कपास निगम और भारतीय पटसन निगम के बीच बढ़ते जाने वाला भेद-भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसका यह कारण हो सकता है कि कपास के मामले में राज-सहायता दी जाती है लेकिन पटसन के मामले में कोई राज सहायता नहीं दी जाती।

अंततः वक्तव्य में कहा गया है कि सरकार भारतीय पटसन निगम को जमा पड़े हुए भंडार को निपटाने के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि देने को तैयार हो गई है! जब! सरकार भारतीय पटसन निगम को 13 करोड़ रुपया दे सकती है तो असली पटसन उत्पादकों को कुछ और करोड़ रुपया क्यों नहीं दिया जा सकता? आप राज सहायता बढ़ाकर पटसन के मूल्यों में थोड़ी-सी वृद्धि क्यों नहीं करना चाहते तथा आप पटसन उत्पादकों के प्रति इतने बेरहम और कठोर क्यों बने हुए हैं?

**श्री जनार्दन पुजारी** (मंगलौर) : श्रीमान्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य 20 मिनट से अधिक का समय ले चुके हैं.....। (व्यवधान)

**श्री चित्त वसु** : क्या आपको इससे कोई असुविधा हुई है? मैं जानता हूँ आपको इससे असुविधा हुई होगी। (व्यवधान)

श्रीमान् मैं जानता हूँ कि इन बातों से उन्हें काफी असुविधा होती है वे ऐसी बातें पसंद नहीं करते।

कोई बात नहीं मेरा अंतिम प्रश्न है कि क्या सरकार समूचे राष्ट्र के हित को ध्यान में रखते हुए इस इतनी देरी के बाद भी समर्थन मूल्य से अधिक मूल्य पर वाणिज्यिक तौर से पटसन की खरीद के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करेगी ?

**श्री के० लकप्पा** : उन्होंने कपास लौनी पर प्रहार किया है। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : उन्होंने किसी भी लौनी को नहीं बख्शा है।

**श्री प्रणव मुखर्जी** : हमें किसी भी लाबी के लिए काम नहीं करना चाहिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ।

श्रीमान्, माननीय सदस्य ने जो अन्तिम बात कही है कि हम भारतीय पटसन निगम को तो 13 करोड़ रुपये दे रहे हैं लेकिन पटसन उत्पादकों को कुछ क्यों नहीं दे रहे इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूँ। शायद उन्होंने इस समूचे मुद्दे को ठीक नहीं समझा है। भारतीय पटसन निगम पटसन उत्पादकों से इसलिए खरीद करता है ताकि मूल्य कम न हों ? वर्ष 1978-79 और 1979-80 में 16 लाख गाँठों से अधिक का भण्डार जमा हो गया था। वे इसे बेच नहीं सके। यदि वे पुराने भण्डार को नहीं बेचते तो वे चालू वर्ष में पटसन नहीं खरीद सकेंगे इसलिए पुराने भण्डार को चालू बाजार मूल्य पर बेचने से जो उन्हें हानि होगी उसे 13 करोड़ रुपए की हानि को पूरा करने के लिए सरकार राजी हो गई थी। इसलिए भारतीय पटसन निगम को बाजार में पाँव रखने के लिए 13 करोड़ रुपए की राशि दी गई थी, अन्यथा वे बाजार में आने की स्थिति में ही नहीं होते। इस तरह से यह इस कार्य का एक अंग है !

**श्री निरेन घोष** : भारतीय पटसन निगम को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.....

**श्री प्रणव मुखर्जी** : श्री घोष शायद आप मुझसे सहमत होंगे कि केवल आप को छोड़कर कोई अन्य भारतीय पटसन निगम को बदनाम नहीं कर सकता।

दूसरी बात यह है कि भारतीय पटसन निगम को वाणिज्यिक खरीद करने से मना नहीं किया गया है। मैंने कभी-भी यह बात नहीं कही है कि भारतीय पटसन निगम ने वाणिज्यिक खरीद करना बंद कर दिया है! मैंनें तो यह कहा था कि भारतीय पटसन निगम को अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार वाणिज्यिक खरीद करनी पड़ेगी। मैंने केवल इतना ही कहा था।

माननीय सदस्य द्वारा उल्लेखित एकीकृत नीति के संबंध में मैंने स्वयं सदन में अनुदान मागों पर हुई बहस का उत्तर देते समय कहा था कि हम पटसन उप्पादकों, उद्योग और निर्यात व्यापार के हितों को ध्यान में रखकर पटसन के संबंध में एक एकीकृत नीति अपनाना चाहते हैं। इस कार्य के लिए मैंने पटसन से संबंधित अनेक पक्षों के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी बल नियुक्त किया है। इस कार्यकारी बल की सिफारिशें पर मिलने के बाद विचार किया जायेगा और उन्हें क्रियान्वित किया जायेगा। इस संबंध में विशेष ध्यान इस बात को सुनिश्चित करने पर दिया गया है कि पटसन उत्पादकों को उचित भाग मिले तथा मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूँ कि इस बार अभी तक हम एक ऐसी संस्था नहीं बना पाए है जिससे हम

उनकी उस प्रकार सहायता कर सकें जैसी हम करना चाहते हैं। जब मैंने यह कहा था कि भारतीय पटसन निगम सहायता करने की स्थिति में नहीं है तो मेरे दिमाग में भारतीय पटसन निगम की आज की वित्तीय-स्थिति थी। जैसा कि माननीय सदस्य महोदय ने कहा है। यदि भारतीय पटसन निगम कुछ हजार गांठों से अधिक खरीद करने की स्थिति में नहीं है, यदि भारतीय पटसन निगम वर्ष 1978-79 और 1979-80 में खरीदे भण्डार को नहीं बेच पा रहा है तो उसकी यह स्थिति इह बात को दर्शाती है कि संगठन में कुछ जन्मजात कमियाँ हैं।

और मैंने यह कभी नहीं कहा था कि मैं यहां भारतीय पटसन निगम को अक्षमता को प्रमाणित करने के लिये हूँ। (व्यवधान)

मैंने कहा है कि भारतीय पटसन निगम आज जिस स्थिति में है, उसमें वह अपने लिये निर्धारित कार्य से अधिक कुछ नहीं कर सकता। अत- हमने उनसे कहा है "कि कम से कम एक काम आपको करना है। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य को बनाये रखे और उसके लिए जो भी करने की आवश्यकता पड़े, आप करें।"

मूल्य निर्धारण के सम्बंध में मैंने स्वयं कहा है कि यदि संसद आज मुझे मूल्य निर्धारित करने के मामले में श्री निरेन घोष की सलाह लेने का निर्देश देती है, तो कृषि मूल्य आयोग का सिफारिशों को ताक पर उठा कर रख दीजिये, मुझे ऐसा करने में बहुत खुशी होगी।

**श्री निरेन घोष** : यदि कल मैं जोवित रहा तो आप को मेरे सामने झुकना पड़ेगा (व्यवधान)

**श्री प्रणव मुखर्जी** : सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति तथा अन्य समितियों को अपने-अपने कार्य क्षेत्र है, और वे कतिपय सिफारिशें करती हैं परन्तु इस के लिए एक निश्चित कार्य प्रणाली है।

जहां तक कृषि वस्तुओं के मूल्यों का सम्बन्ध है, हमें कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करना चाहिये तथा कृषि मूल्य आयोग ने जिस बात की सिफारिश की थी, मैंने वही स्वीकार किया है तथा मैंने स्थिति स्पष्ट भी कर दी है।

जहाँ तक कृषि मूल्य आयोग द्वारा निर्धारित मूल्यों का सम्बंध है, तो जब हम उन पर चर्चा करेंगे तो हम, विशेषकर सम्बन्धित वे मंत्रालय, जो कि पटसन उद्योग के विकास में बहुत अधिक रूचि रखते है, उन पर विचार करेंगे। यदि कृषि मूल्य आयोग के विचारार्थ विषयों में संशोधन करना आवश्यक हुआ तो उस पर भी विचार किया जा सकता है।

जहाँ तक भारतीय पटसन निगम के कार्य क्षेत्र के विस्तार का सम्बन्ध है, उसके लिये हम निश्चय ही यह देखेंगे कि वह अपनी अपेक्षित भूमिका निभाने तथा मैं यह मानता हूँ कि जब तक भारतीय पटसन निगम कच्चे पटसन को खरीद के मामले में प्रभावकारी भूमिका नहीं निभायेगा तब तक पटसन उत्पादकों को विचौलियों के शिकंजे से बचाना सम्भव नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही मैं जो कुछ कर सकता हूँ, उसके बारे में क्यों बात नहीं कह सकता। वर्तमान स्थिति में विद्यमान प्रशासनिक तंत्र के साथ, मैंने जो कुछ कर सकने की बात कही है, उससे अधिक करने की स्थिति में नहीं हूँ।

———

## सदस्य की गिरफ्तारी

**श्री रघुनाथ सिंह वर्मा :**

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे सभा को सूचित करना है कि जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी (उ प्रदेश) का दिनांक 5 अगस्त, 1980 का निम्नलिखित तेलार सन्देश प्राप्त हुआ :—

"मुझे आपको सादर सूचित करना है कि श्री रघुनाथ सिंह वर्मा, सदस्य लोक सभा बागापत कांड से सम्बन्धित जुलूस (सी/एल एस) का नेतृत्व करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता धारा 144 के अन्तर्गत जारी किये गये आदेशों का उल्लंघन करने पर अन्य 41 व्यक्तियों के मैनपुरी कलक्टरी में मध्याह्न पश्चात् 1.40 बजे गिरफ्तार किया गया। श्री वर्मा को भार दंड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दोषी पाया गया और मुख्य जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मैन द्वारा उन्हें 5 दिन के साधारण कारावास का दंड दिया गया तथा अन्य आन्दोलनकारियं साथ उन्हें सैन्ट्रल जेल फतेहगढ़ भेजा जा रहा है।"

— ० —

## 24 जुलाई, 1980 को विजय नगर इस्पात संयंत्र के लिए प्रावधान के बारे में दी गई जानकारी को शुद्धि करने वाला वक्तव्य

**वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन):** विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1980 पर वाद विवाद का उत्तर देते समय 24 जुलाई, 1980 को लोक सभा में मैंने विजय नगर इस्प संयंत्र के बारे में श्री टी० आर० शमन्ना द्वारा उठाये गये प्रश्न के उत्तर में कहां था कि .... "1980-81 के बजट में हमने इसके लिए 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है तथा एक विस्त परियोजना रिपोर्ट तैयार कर ली गयी है।" मुझे खेद है कि मेरे सामने विभिन्न आंकड़े थे, उ पढ़ कर बताते हुए मैंने इस संयंत्र के लिए बजट में की गयी व्यवस्था को राशि 30 करोड़ रु बता दी थी, जबकि सही राशि 60 लाख रुपये थी।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारतीय इस्पात प्राधिकरण के विचाराधीन है तथा उस लिए पर्याप्त राशि की व्यवस्था करने का प्रश्न भारतीय इस्पात प्राधिकरण तथा सरकार द्वा योजना स्वीकृत हो जाने के बाद ही उत्पन्न होगा।

यह वक्तव्य इस सम्बन्ध में दिए गये वक्तव्य के रिकार्ड को ठीक करने के लिए है।

**श्री के० लकप्पा (टुमकुर) :** मैंने आपको एक पत्र लिखा है। विजय नगरम इस्प संयंत्र की आधारशिला प्रधानमंत्री महोदय ने रखी थी। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वा चाहता हूँ कि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर इस परियोजना को कार्यान्वित क के लिए समुचित राशि नियत की जायेगी। पिछली सरकार ने इसका कार्यान्वयन रोक दि था अतः कर्नाटक की जनता इस बात पर क्षुब्ध हैं। इसलिए मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूँ।

**श्री आर० वेंकटरामन् :** मैं केवल आँकड़े शुद्ध कर रहा हूँ। इस संयंत्र के लिए पय

राशि उपलब्ध कराने का प्रश्न परियोजना रिपोर्ट भारतीय इस्पात प्राधिकरण तथा सरकार द्वारा स्वीकृत हो जाने के बाद ही पैदा होगा। इस समय यह रिपोर्ट भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के विचाराधीन है। इसलिए मैंने कहा है कि प्रावधान की राशि केवल 60 लाख रुपये है, क्योंकि रिपोर्ट अभी भारतीय इस्पात प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नहीं हुई है। इस संयंत्र के लिए केवल 30 करोड़ रुपये नहीं बल्कि जितनी भी राशि की आवश्यकता होगी, भारतीय इस्पात प्राधिकरण तथा सरकार द्वारा परियोजना स्वीकृति हो जाने के बाद उतनी ही राशि उपलब्ध करा दी जायेगी। अतः मेरा अपने किसी वायदे से मुकरने का कोई प्रश्न ही नहीं है। मैं केवल आँकड़े ठीक कर रहा हूँ। सामान्यतः मैं कोई गलती नहीं करता। इसीलिए मैंने सोचा कि इस गलती को ठीक कर लेना चाहिए। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** कोई स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं। अब, नियम 377 के अन्तर्गत उठाये जाने वाले मामले।

---

## नियम 377 के अधीन मामले

### (एक) श्री राजनारायण द्वारा अनशन

**श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

श्री राजनारायण, भूतपूर्व संसद सदस्य तथा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बागपत, बांदा, गोंडा, बांका, भटिंडा, डबवाली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली इत्यादि देश के समूचे स्थानों पर बलात्कार की घटनाओं के खिलाफ शासन की उदासीनता को लेकर 3-8-1980 दिन के 8 बजे से वोट क्लब पर भूख-हड़ताल प्रारम्भ की है। उनका दलीय राजनीति से ऊपर उठ कर यह कदम नारी का शील और मानव स्वाभिमान और जीवन कैसे देश में सुरक्षित रह सकते हैं, इसके लिए उठाया गया है।

3-8-80 को डा० टंडन, जो डा० राममनोहर लोहिया अस्पताल के डाक्टर हैं, की रपट के मुताबिक उनका वज़न 82·5 किलोग्राम 3 तारीख को था और कल की रिपोर्ट के मुताबिक 76·5 किलोग्राम है। आज की रपट डाक्टरों की तरफ से नहीं आई है। शासन को छोटे-छोटे सवालों को अपनी निजी प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए, बल्कि ऐसे कामों में जनता से आगे नहीं तो साथ तो अवश्य रहना चाहिए। मैं चाहूँगा कि बागपत कांड और ऐसे सभी कांडों के लिए दोषी पुलिस अफसरों के विरुद्ध जो कि नामजद हैं, उचित कार्यवाही की जाये।

### (दो) पारादीप में मत्स्यपत्तन का निर्माण

**श्री चिन्तामणी पाणिग्रही (भुवनेश्वर) :** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उड़ीसा सरकार पारादीप में एक मछली पकड़ने के बन्दरगाह के निर्माण करने के लिए पिछले सात सालों से केन्द्रीय सरकार के साथ बात कर रही है। पारादीप पत्तन न्यास ने 18-11-1977 को 311·18

लाख रुपये की अन्तिम संशोधित परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार को भेजी थी। यह बन्दरगाह तैयार हो जाने पर इसमें गहरे समुद्र में जाने वाले जालपोतों को सुविधायें उपलब्ध कराने के अलावा 270 पंजीकृत जालपोतों को अवतरण और घाट सुविधायें उपलब्ध करायी जा सकेंगी। पारादीप में मछली पकड़ने वाले जहाजों के लिए अवतरण और घाट सुविधायें प्रदान करने की माँग बढ़ती जा रही है। उड़ीसा राज्य में समुद्री मछली पकड़ने के लिए पारादीप में एक मत्स्य पत्तन बनाने की आवश्यकता है। इसलिए भारत सरकार को चाहिए कि पारादीप के लिए मछली पकड़ने के बन्दरगाह के लिए अविलम्ब स्वीकृत दे, इससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में बहुत अधिक सहायता मिलेगी तथा उड़ीसा में जो समुद्र में मछली पकड़ने के काम की भारी सम्भावनायें हैं, उसका तेजी से विकास करने में भी मदद मिलेगी।

### (तीन) उत्तर रेलवे के दिल्ली जोन में सामान की ढुलाई में कठिनाइयां

**श्री चतुर्भुज (झालावाड़)** : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर रेलवे के नई दिल्ली क्षेत्र के माल गोदामों तथा यार्डों में रेल वैगनों का भारी जकाव हो गया है, जिसकी वजह से माल तथा पार्सल ढोने के काम में रुकावट आ रही है। माल डिब्बों के जाम होने के कारण यह हुआ है कि उनमें भरा हुआ सामान उठाया नहीं जा रहा है और माल से भरे हुए डिब्बे बड़ी तादाद में खड़े हुए हैं। डिब्बों का यह जमाव नई दिल्ली, गाजियाबाद तथा अन्य यार्डों में हो रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 40 से अधिक वैगन इस तरह जगह रोक कर खड़े हैं। यदि यही स्थिति रही, तो दिल्ली में रेल डिब्बों में से माल उतारने और चढ़ाने का काम बिल्कुल रुक जायेगा। इसका एक नतीजा यह भी हो सकता है कि दिल्ली में जरूरत की चीजों की कमी हो जाये और भाव बढ़ जायें।

रेल कानून में संशोधन करके उन व्यापारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का अधिकार सरकार ने लिया था, जो अपने गोदामों में माल रखने की बजाय उन्हें रेल के डिब्बों में ही पड़ा रहने देना अधिक लाभदायक समझते हैं।

रेल मंत्रालय को इस सम्बन्ध में तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए।

### (चार) बंगलौर में भारतीय स्टेट बैंक का एक अलग सर्किल मुख्यालय स्थापित करने की मांग

**श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर)** : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं, नियम 377 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्त्व का निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूँ।

कर्नाटक राज्य में बंगलौर में भारतीय स्टेट बैंक अलग से कोई सर्किल कार्यालय नहीं है। सर्किल के मुख्य कार्यालय में निर्णय लेने वाले मुख्य प्राधिकरण, अर्थात् स्थानीय बोर्ड मद्रास में है। सर्किल के प्रशासनिक प्रमुख मुख्य कार्यालय के मुख्य महा प्रबन्धक और महाप्रबन्धक होते हैं जो कि मद्रास में हैं।

नयी शाखायें खोलने, ऋण स्वीकृत करने, विकास सम्बन्धी कार्यकलापों, कर्मचारियों की भर्ती तथा पदोन्नति सम्बन्धी सभी निर्णय मद्रास में लिये जाते हैं।

शाखाओं के विस्तार, ऋण योजना कां लघु उद्योगों, कृषि तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों के

कार्यों के लिये विस्तार करने के मामले में कर्नाटक की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। भारतीय तथा पड़ोसियों के मामले में क्रमशः राज्य की जनता तथा कर्मचारियों की उपेक्षा की गयी है।

यद्यपि क्षेत्र व जनसंख्या की दृष्टि से कर्नाटक तमिलनाडु से बड़ा है परन्तु भारतीय स्टेट बैंक की तमिलनाडु में 345 शाखायें हैं जबकि कर्नाटक में केवल 142 शाखायें हैं। मद्रास सर्किल के प्राधिकारियों के उदासीन रवैये की वजह से कर्नाटक में शाखाओं के विस्तार की गति धीमी रही है।

मद्रास सर्किल के प्राधिकारियों के रवैये की बिशेष बात यह है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शाखायें खोलने के लाइसेंस जारी कर दिये, करने के बाद भी शाखा को निर्धारित अवधि के भीतर खोलने की कोई व्यवस्था नहीं की गयी। फलतः कर्नाटक को नयी शाखायें खोलने के लिये दिये गये लाइसेंस व्यपगत हो गये। बीजापुर, बेलगांव, कारवाड़, बीदर, रायपुर तथा गुलवर्गा में इतनी अच्छी बैंक व्यवस्था नहीं है। जिससे वहां की जनता, विशेषकर किसान प्रभावित हुए हैं। विकास एवं वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए बैंकिग कार्यशासन, धार्मिक प्रशासन, आयोजना एवं विस्तार के अधिकतर मामले में पर्याप्त अधिकार प्रदान नहीं किये गये हैं॥

संक्षेप में आपसे निवेदन है कि कर्नाटक राज्य की उपेक्षा की गयी है और वास्तव में मद्रास सर्किल ने कर्नाटक की जनता सौतेला व्यवहार किया है जिससे कर्नाटक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है कर्नाटक राज्य एक बड़ा राज्य होते हुए भी कर्नाटक में भारतीय स्टेट बैंक के विस्तार एवं विस्तार के मामले में यह दुष्चक्र बाधक बना हुआ है। अन्य बड़े राज्यों में से प्रत्येक में, बैंक का स्थानीय प्रधान कार्यालय है।

मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह कर्नाटक राज्य के हित को ध्यान में रख कर बंगलौर में एक पृथक प्रधान कार्यालय खोले।

### (पांच) इलायची बागानों को धनकर से मुक्त करना

**श्री कुमबुम एन० नटराजन** (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी इलायची जो कि मसालों की मलिका है, एक प्रमुख विदेशी मुद्रा अर्जक है। यद्यपि रबड़, चाय, काफी तथा बड़ी इलायची को रोपण फसलें माना जाता है, परन्तु बड़ी इलायची की अपनी ही निराली विशेषतायें हैं। बड़ी इलायची के पौधे की जीवनावधि काफी, चाय अथवा रबड़ के पौधे से कहीं कम है। इसका उत्पादन केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक में होता है। इस उद्योग के सामने आज अनेक समस्यायें तथा बोझ हैं। बागान मालिकों को बागान कर, कृषि आय कर, बिक्री कर, व्यवसाय कर, भूमि उपकर, भू-राजस्व आदि 15 तरह के कर देने पड़ते हैं।

आलूकलमेट और कट्टा आदि कुछ रोग इलायची के पौधे को नष्ट कर देते हैं। कोई भी नवीनतम वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी इन रोगों का नियंत्रण नहीं कर सकी है। उत्पादन में कमी होने की वजह से निर्यात में इस वर्ष 10 करोड़ रुपये की कमी आ गई हैं। 1978-79 के मौसम में 2,876 मीटरी टन इलायची जिसका मूल्य 58·35 करोड़ रुपये था, का निर्यात हुआ। 1979-80 के मौसम में 2,671 मीटरी टन इलायची का निर्यात हुआ जिसका मूल्य 49·80 करोड़ रुपये था।

हमारे परम्परागत बाजारों में भारी मात्रा में ग्वाटे माला की इलायची पहुँच रही है जिसने हमारी इलायची का मूल्य जो कि 1978-79 में 203 रुपये था, कम करके 1979-80 में 186 रुपये कर दिया है।

अतः मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि इलायची के बागानों को धनकर से छूट देने से बागान मालिकों पर जो बोझ है वह बहुत कम हो जायेगा और इससे वह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता में टिक सकेगा।

## (छः) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में कीट नियंत्रण उपाय तुरन्त किये जाने की आवश्यकता

**श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)** : मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह से सूचना मिली है कि उत्तरी, मध्य और दक्षिण अण्डमान में कीटों ने भारी क्षति की है तथा वस्तुतः देश के इस भाग में धान की फसल को चौपट कर दिया है। दुर्भाग्य की बात है कि स्थानीय जन प्रतिनिधियों द्वारा अण्डमान प्रशासन के अधिकारियों को बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने तथा उनके साथ बैठक करने के बावजूद उसके कोई लाभकारी परिणाम नहीं निकले हैं। प्रशासन ने फसलों को नाशोकीटों के आक्रमण तथा क्षति से बचाने के लिए नाशीकीटों के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय नहीं किये हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले दो वर्षों में, इस देश में व्याप्त सूखे की स्थिति के कारण किसान कोई फसल नहीं उगा सके और इस वर्ष सौभाग्य से वर्षा समय पर हुई है तथा फसल की स्थिति अच्छी है। लेकिन नाशोकीटों के भयंकर आक्रमण की वजह से, किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है।

अतः मैं माननीय कृषि मंत्री जी तथा गृह मंत्री जी से आवश्यक अनुदेश जारी करने का अनुरोध करता हूँ ताकि नाशीकीट नियंत्रण उपाय तत्काल किये जा सकें और द्वीपसमूह के इन भागों के गरीब किसानों को इस आपत्ति से बचाने के लिए व्यापक तौर पर दवाओं का छिड़काव किया जा सके।

## (सात) पटना में बिजली संकट का समाचार

**श्री रामावतार शास्त्री (पटना)** : बिजली के अभाव में सम्पूर्ण बिहार पीड़ित है। विभिन्न शहरों में जहाँ लोगों को बिजली की रोशनी का दर्शन नहीं होता, उद्योग-धन्धे बन्द रहते हैं, जिसका स्वाभाविक असर उत्पादन पर होता है, बिजली के अभाव में किसान माथा ठोंक कर रह जाते हैं।

परन्तु दुःख है कि बिहार बिजली बोर्ड और पटना बिजली अण्डरटेकिंग की अकर्मण्यता एवं भ्रष्टाचार के चलते पटना के सात लाख से भी अधिक नागरिकों को अत्यन्त घुप्प अंधेरे का सामना करना पड़ता है। पटना के विभिन्न मौहल्लों के निवासियों को रोज घन्टों लोड शेडिंग का उत्पीड़न बर्दाश्त करना पड़ता है, कभी-कभी तो सम्पूर्ण नगर में आठ-आठ घन्टे तक लगातार बिजली की रोशनी गायब रहती है। फलतः चोर उचक्कों एवं डकैतों की बन आती है। अंधेरे का सहारा लेकर वे डकैती और हत्या के बाद रफू चक्कर हो जाते हैं।

पटना नगर में दर्जनों ऐसे मौहल्ले हैं जिन्हें 33 वर्ष आजादी के बाद भी बिजली की रोशनी का दर्शन नहीं हुआ है। इस बारे में सबसे अधिक खराब स्थिति पटना सिटी क्षेत्र की है

जो हर मामले में उपेक्षित रहा है। इतना ही नहीं, पटना नगर की प्रमुख सड़कों पर भी बिजली की उचित व्यवस्था नहीं रहती।

अतः आपके द्वारा मेरा सरकार से अनुरोध होगा कि वह पटना सहित सम्पूर्ण राज्य के निवासियों के लिए कम से कम बिजली की रोशनी की तो व्यवस्था करे।

**(आठ) 5 अगस्त, 1980 को बागपत में सत्याग्रहियों द्वारा पुलिस पर पथराव करने और गोली चलाये जाने का समाचार**

**श्री राजेश पाइलट (भरतपुर) :** नियम 377 के अधीन मैं निम्नलिखित मामला आपके तथा सभा के ध्यान में लाना चाहता हूँ।

5 अगस्त, 1980 को बागपत में सत्याग्रह कर रहे लोकदल के लोगों के पास देशी पिस्तौलें थीं और जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर पत्थर और ईंट बरसाने शुरू कर दिये और साथ ही देशी पिस्तौलों से गोलियां भी चलाईं जिससे वहां पर तैनात पुलिस वाले घायल हो गये। लोकदल के कार्यकर्त्ताओं की इन हरकतों से आम लोगों और खास तौर से समाज के कमजोर वर्गों के लोगों के लिए वह इलाका असुरक्षित हो गया है। घटनास्थल पर जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद थे।

मेरा अनुरोध है कि इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर,इस पर विचार किया जाये ताकि इस इलाके के लोगों में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा की जा सके।

---

## ब्रह्मपुत्र बोर्ड विधेयक

**उपाध्यक्ष महोदय :** अब हम ब्रह्मपुत्र बोर्ड विधेयक पर आगे विचार करना आरम्भ करते हैं।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा बोल रहे थे। आप 5 मिनट का समय ले चुके हैं। अब इसके लिए केवल 4 मिनट रह गये हैं।

**कुछ माननीय सदस्य :** महोदय, इस मद के लिए समय बढ़ाया जाये।

**उपाध्यक्ष महोदय :** दस और सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं। क्या इसके लिए समय बढ़ाया जाये ? मैं इस बारे में मंत्री महोदय के विचार जानना चाहता हूँ।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) :** हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** इसके लिए कितना समय बढ़ाया जाये ?

**श्री भीष्म नारायण सिंह :** यह आप पर निर्भर है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरा विचार है एक घन्टा ठीक रहेगा, क्या सभा इस मद पर विचार के लिए एक घन्टे का समय बढ़ाना चाहती है ?

**अनेक माननीय सदस्य** : जी, हाँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : तो सभा इस बात पर सहमत है। इस विषय पर विचार करने के लिए एक घन्टे का समय बढ़ाया जाता है।

अब श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा बोलेंगे।

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा)** : उपाध्यक्ष महोदय, कल हमारे सत्तारूढ़ दल के कुछ माननीय सदस्य—श्री सत्यनारायण राव जी और श्री गिरधारी लाल व्यास जी कह रहे थे कि 33 वर्षों में कुछ नहीं हुआ, खास कर जनता सरकार के समय में ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने कोई काम नहीं किया। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र बोर्ड का यह बिल 1979 के मार्च महीने में पेश हुआ था। जनता पार्टी की सरकार के भूतपूर्व कृषि तथा सिचाई मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने इसको पेश किया था और इसे मन्जूर कराने की चेष्टा भी की थी, तब तक सरकार नहीं बची। इसलिये यह कोई नई बात नहीं है।

1970 से ही इस पर कार्य किया जा रहा है। 1974-75 से आसाम सरकार के अधीन ब्रह्मपुत्र फलड कन्ट्रोल कमीशन चल रहा था। उसके बाद 1977-78 में इस पर 7 करोड़ 75 लाख रुपये व्यय हुए। 1978-79 में 10 करोड़ रुपये व्यय हुए और हमारे मंत्री जी आगे बढ़ कर इस पर 13 करोड़ रुपये व्यय करने के लिये तैयार हैं। आगे भी जब मास्टर प्लान बनेगा तो इस पर और ज्यादा खर्च किया जाएगा। बहुत से लोगों की धारणा यह है कि इस पर 500 करोड़ से 1 हजार करोड़ रुपये तक लगेगा। वस्तुत; यह कोई छोटी-मोटी योजना नहीं है, यह पूरे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है और यह कहा जाय तो गलत नहीं होगा कि सारे देश में यह सबसे बड़ी नदी है। 1950 में जो अर्थ-क्वेक आया था, उसके द्वारा बहुत से टोपोग्राफिल-चेन्जैज हुए हैं, जिसके कारण नदी की धारा बहुत तेज हो गई और जमीन ऊबड़-खाबड़ हो गई है जिससे हर वर्ष बाढ़ की चपेट से बहुत बढ़ा क्षेत्र प्रभावित होता है और 16-17 लाख लोग प्रभावित हो जाते है। इम लिये इसके समाधान के लिये एक बहुत बड़ी योजना की जरूरत थी, अब, हमारे पांडे जी को इसका श्रेय जरुर मिलेगा। इस नदी में 1962, 1966, 1969, 1972, 1974, 1977 में बहुत जोर की बाढ़ आई। उसके बाद भारत सरकार ने अमरीकन और ब्रिटिस एक्सपट्र्स को भी बुला कर उसकी जाँच कराने के लिये कहा था। ब्रिटिश विशेषज्ञों ने यहा आ कर देखा और कुछ मौखिक कह कर चले गये। अमरीकन विशेषज्ञों ने कोई रिपोर्ट भी पेश की थी और शायद उन्होंने यह कहा कि नदी को कन्ट्रोल करने के लिये सक्षम हैं, लेकिन समुद्र का नियंत्रण नहीं कर सकते। उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, मैं समझता हूँ हमारे एक्सपर्ट्स मास्टर-प्लान बनाते समय उस से कुछ मार्ग दर्शन लेंगे, हालांकि मंत्री महोदय ने अपने ज्ञापन में इस के बारे में कुछ नहीं बताया है।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि वहां की सरकारें नार्थ-ईस्ट कान्सिल के द्वारा कई छोटी-मोटी योजनाओं को काम में लेते रहे हैं। जैसे कपिल हाइडल प्राजेक्ट, कामेंग प्राजेक्ट, गारोहिल्ज थर्मल प्रोजेक्ट—इस तरह की कई योजनायें वहाँ अनेक वर्षों से चल रही हैं, लेकिन बहुत सफली भूत नहीं हुई हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ पागलादिया और सुबनसीरी पर अनेक बाँध बनाये गये, लेकिन बाढ़ की चपेट में वे बरबाद हो गये। इसके लिये जरूरी था कोई समन्वित बोर्ड बनता। लेकिन आप के द्वारा जो बोर्ड बनाया जा रहा है उसमें तीन तरह

की कार्य-नीति का निर्धारण हो रहा है और इसके साथ प्लानिंग, बहु-प्रयोजनायें, उनका प्राकल्लन, निष्पादन और अनुरक्षण भी शामिल हैं। इस लिये यह निश्चित है कि इस से असम, नागालैंड और जितने अन्य राज्य हैं, उन सब के लिये यह वरदान साबित होगा। ब्रह्मपुत्र नदी जो अभी तक उनके लिये अभिशाप सिद्ध होती थी, साथ-साथ हमारी सीमाओं के लिये एक खतरा बनी हुई थी क्योंकि लिंग कट जाता था, अब उस का कन्ट्रोल होगा और वहाँ की जनता को राहत मिलेगी। बंगला देश से भी इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें हुई हैं, समझौते भी हुए हैं, क्योंकि बंगला देश को भी इस नदी से बहुत हानि होती रही है। इसको नियंत्रित करना एक वरदान साबित होगा क्योंकि इस नदी के जल में बहुत तेज धारा है और इस धारा में जल विद्युत उत्पादन करने की क्षमता है। अगर इस से विद्युत उत्पादित की जाए, तो शायद आधे भारत के विद्युतिकरण में खाली एक नदी काम दे सकती है और यह परियोजना सफल होगी। अगर इस से जल विद्युत परियोजना बनाई जाए और इस की जो सहायक नदियां हैं, उन में जो विद्युत पैदा करने की क्षमता है, उस सारी क्षमता का उपयोग किया जाए, तो यह देश के लिए एक बहुत ही कल्याणकारी कदम होगा और इस दिशा में मंत्री जी को सोचना चाहिए और इस दृष्टिकोण से भी इस परियोजना को लागू करना चाहिए।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी चाहूंगा कि गंगा और ब्रह्मपुत्र की एक लिंक नहर बनानी चाहिए और उस के द्वारा जो बहुत से क्षेत्र इन दोनों के बीच में पड़ते हैं, सिंचाई द्वारा उन में बहुत सी फसले उपजाई जा सकती हैं और इस के द्वारा देश को खाद्यान्न के मामले में हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं।

उस में एक बहुत बड़ी अभाव की चीज मुझे यह दिखाई दे रही है कि इसमें जमीन के अर्जन का जो सवाल है, वह राज्य सरकार के पास रहेगा। इससे बहुत सी समस्याएं सामने आ सकती हैं क्योंकि जब कार्यानव्यन का सवाल आता है, तो आम आदमी विरोध करने लगता है कि हम जमीन नही देगें और वर्षों तक मुकदमेबाजी चलती रहती है। यह काम जो इस में किया गया है, यह मेरी समझ में गलत है। इस को भी इस में सम्मिलित कर लेना चाहिए था और जो आदमी विस्थापित होंगें, उन के लिए भी कुछ इसमें व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि पहाड़ों पर जो आदमी रहते हैं वे गरीब आदमी होते हैं और उन की कृषि-भूमि नदी के किनारे रहती है। मगर बाढ़ नियंत्रण के अन्दर उन की जमीन आ जाएगी या पानी से जल-मग्न हो जाएगी, तो ऐसी परिस्थिति में उन को फिर से बसाना पड़ेगा। उस के लिए असम सरकार के लिए व्यवस्था करना उसकी क्षमता के बाहर होगा। इस योजना में ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए जिस से उन लोगों के लिए, उन के बच्चों के लिए काम मिल सके। यह इतनी बड़ी परियोजना होगी जिसमें लाखों आदमी काम करेंगे लेकिन होता क्या है कि जो अधिकारी लोग होते हैं वे अपने यहां के लोगों को ला कर काम में लगा देते हैं, इधर से ले जाकर लोगों की भर्ती कर लेते हैं और वहां के जो आदिवासी लोग हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं, वे अपेक्षित रह जाते हैं। डी० वी० सी० की जो योजना थी, उसमें हम ने यही देखा कि जो डिस्प्लैस्ड हुए, उन हजारों लोगों को आज तक नौकरी नहीं मिली और जो बाहर के लोग थे, वे ही लाभान्वित हो गये और इस का नतीजा यह हुआ है कि आज जो दामोदर वैली कार्पोरेशन के लोग हैं, वे आन्दोलन कर रहे हैं। इसलिए मेरा यह कहना है कि इस चीज की तरफ आप को ध्यान देना चाहिए कि जो वहाँ के लोकल वासी हैं, इस योजना को जब लागू किया जाए, तो उन लोगों

को उसमें नियोजित करना चाहिए और खास तौर से आदिवासियों को इस में प्राथमिकता दे कर उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

**श्री शिवराज वी० पाटिल** (लातूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आज हिन्दी में बोलने का प्रयास कर रहा हूं।

ब्रह्मपुत्र का उद्गम हिमालय से होता है और उससे मिलने वाली जो सारी नदियाँ हैं, उनमें से बहुत सारी नदियां हिमालय के पहाड़ी इलाके में से हो कर बहती हैं और जब बहती हैं, तो बहुत तेजी से बहती हैं और साथ ही अपने साथ वे बहुत बड़ी मात्रा में मिट्टी भी लाती हैं। यह सब होने की वजह से, जिस हिस्से में से हो कर बहती हैं, वहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर बाढ़ भी आती है और वहां पर खेती को नुकसान होता हैं और गांवों को भी नुकसान होता हैं। यह बात सही है कि इन नदियों की वजह से वहाँ हरा भरापन नजर आता है मगर जब बरसात होती है, तो बाढ़ों से बहुत भारी नुकसान भी होता है। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि वहां की खेती की रक्षा के लिए, वहां के गावों की रक्षा के लिए कुछ न कुछ कदम उठाये जाएं और उन को जरूरत महसूस हुई है। उत्तर-पूर्व का जो हमारा हिस्सा है और हमारे देश के वे जो छोटे-छोटे प्रान्त हैं, उनमें शायद इतनी आर्थिक शक्ति नहीं है कि बाढ़ रोकने के लिए और दूसरी चीजों के लिए, ये सारे प्रोजेक्ट्स अपने हाथ में ले सकें।

इसलिए उन्होंने केन्द्रीय सरकार से विनती की कि यह काम उसकी ओर से हो। आज हमारे सामने यह ब्रह्मपुत्र बोर्ड बिल के नाम से बिल पेश किया गया है। उस पूरे हिस्से के लिए इसके द्वारा काम किया जाने वाला है।

बिल को देखने पर उसमें कुछ चीजें नजर आती हैं। पहली चीज बोर्ड की रचना की है। यहां पर कहा गया है कि बोर्ड की रचना अच्छे ढंग से नहीं की गई है। बोर्ड की रचना योग्य तरीके की न होने के कारण जो काम हम को करना है वह काम अच्छी तरह से नहीं होगा। बिल की जो क्लाज 4 है उसकी सब क्लाजिज सी, डी और ई के अन्दर खास तौर पर बोर्ड की रचना का जिक्र किया गया है। उसकी सब क्लाज सी में यह कहा गया है :

(ग) असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा की सरकारों और अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम के प्रशासनों और पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम, 1971 की धारा 3 के अधीन गठित पूर्वोत्तर परिषद में से क्रमशः प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा।

सब क्लाज डी और ई में कहा गया है :

(घ) केन्द्रीय सरकार के कृषि, सिंचाई, वित्त, विद्युत और परिवहन से सम्बद्ध मंत्रालयों में से क्रमशः प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;

(ङ) केन्द्रीय जल आयोग, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और भारतीय मौसम-विज्ञान विभाग में से क्रमशः प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

बोर्ड का यह हृदय है। इसी के बारे में मैं यहां पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। और भी दूसरे सदस्य वहां काम करेंगे। लेकिन ये जो सदस्य हैं ये अहम सदस्य होंगे उत्तर पूर्वी हिस्से की जो सरकारें हैं उनका एक एक प्रतिनिधि इस बोर्ड में रहेगा। उस एरिया की सरकारों के पास कितना पैसा है, उनके पास किस प्रकार का तंत्रज्ञ आदि है, ये सब चीजें उनके जो प्रतिनिधि होंगे उन से मालूम हो सकेगी। उसके बाद केन्द्रीय सरकार के जो मंत्रालय इससे संबंधित हैं उन मंत्रालयों के भी प्रतिनिधि इस बोर्ड में काम करने जा रहें हैं। जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं उन के प्रतिनिधि उस बोर्ड में होंगे। कृषि मंत्रालय, सिंचाई मंत्रालय, अर्थ मंत्रालय, यातायात मंत्रालय, ये जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं इन के प्रतिनिधि वहाँ होंगे। इससे भी ज्यादा अहम चीज यह है कि सैंट्रल वाटर कमीशन का प्रतिनिधि भी वहां पर काम करेगा, सैंट्रल इलैक्ट्रिसिटी आथोरिटी का प्रतिनिधि भी काम करेगा, ज्यालौजिक्ल सर्वे आफ इंडिया का प्रतिनिधि भी काम करेगा। और मीटीरौलौजिक्ल डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि भी वहाँ पर काम करेगा। इस रचना को देखने से ऐसा लगता है कि मालूम पड़ सकेगा कि केन्द्रीय सरकार से किस प्रकार की मदद मिल सकती है और जो तंत्रज्ञ हैं, जो उन चीजों को अच्छी तरह से जानते हैं उनके प्रतिनिधि भी इस बोर्ड में बैठे होंगे और उनकी एक्सपर्ट औपिनिवन का भी लाभ इस बोर्ड को मिल सकेगा। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा अच्छी रचना शायद इस बोर्ड की नहीं हो सकती थी। फिर अहम चीज यह है कि कुछ दिन काम करने के बाद यदि हम को लगा कि इस बोर्ड में कुछ कमी रह गई है, खामी रह गई है तो उसको दुरुस्त करने का काम भी किया जा सकता है। आज भी यह कहना कि यह बोर्ड अच्छा नहीं बना है. मेरे ख्याल से ठीक नहीं होगा। उस बोर्ड में जो प्रतिनिधि जा रहे हैं निश्चित रूप से वे वहाँ जाकर बहुत ही अच्छा काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है।

दूसरी बात जो महत्वपूर्ण यह है कि किस प्रकार का काम यह बोर्ड करने जा रहा है। इस चीज को इस बिल के अन्दर इसकी क्लाज 12 में सब क्लाजिज एक और दो में बता दिया गया है।

क्लाज 12 (1) में कहा गया है :—

"इस अधिनियम और नियमों के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड ब्रह्मपुत्र घाटी में सर्वेक्षण और अन्वेषण करेगा तथा ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और तट अहरदन के नियंत्रण तथा जल विकास के सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करेगा;

परन्तु बोर्ड ब्रह्मपुत्र घाटी के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में या ऐसे क्षेत्रों की बाबत विभिन्न विषयों के बारे में मास्टर प्लान भागों में तैयार करेगा और जब कभी वह ऐसा करना आवश्यक समझे तो वह मास्टर प्लान या उसके किसी भाग का पुनरीक्षण कर सकेगा।"

क्लाज 12 (2) भी बहुत अहम है। वह कहती है :—

"मास्टर प्लान तैयार करने में बोर्ड सिंचाई जल विद्युत, नौ परिवहन या अन्य लाभप्रद प्रयोजनों के लिए ब्रह्मपुत्र घाटी के जल स्रोतों के विकास और उपयोग को ध्यान में रखेगा और जहाँ तक संभव हो ऐसे प्लान में उन संकर्मो तथा अन्य उपायों को उपदर्शित करेगा जो ऐसे विकास के लिए हाथ में लिए जा सकेंगे।"

ब्रह्मपुत्र वैली के बारे में सब से पहले अगर कोई काम करना होगा, तो वह है उसका

सर्वे और इनवेस्टीगेशन। देश के अन्य भागों में डैम बनाने और ब्रह्मपुत्र वैली में डैम बनाने में बहुत फर्क है। ब्रह्मपुत्र नदी बहुत तेजी से बहती है और अपने साथ बहुत सी सिल्ट लाती है। उसके बहाव को रोकने का काम इतना आसान नहीं है। अगर पूरी तरह इनवेस्टीगेशन किये बगैर कोई काम किया जायेगा, तो उससे ज्यादा हानि हो सकती है। ब्रह्मपुत्र वैली में बहुत से डैम और जलाशय बनाये जा सकते हैं, जिनका उपयोग इरिगेशन और बिजली के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इसमें यह भी कहा गया है कि नेवीगेशन के लिए जो कदम उठाने जरूरी हैं, वे भी उठाये जायें। लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी काम अच्छी तरह से इनवेस्टीगेशन करना और मास्टर प्लान बनाना होगा। चूंकि पूरी ब्रह्मपुत्र वैली के मास्टर प्लान को एक-साथ उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, इस लिए कुछ हिस्सों का मास्टर प्लान बनाना पड़ेगा और उस पर अमल करना होगा।

आज हमारे देश में यह व्यवस्था है कि इरिगेशन और पावर की प्राजैक्टस का काम राज्य सरकारों के द्वारा किया जाता है और उसमें केन्द्रीय सरकार का हस्तक्षेप कम होता है। केन्द्रीय सरकार पैसा और मालूमात देती है, लेकिन अधिकांश कम राज्य सरकारें ही करती हैं। लेकिन इस मामले में विशेष प्रकार की परिस्थितियाँ-आर्थिक परिस्थिति और ब्रह्मपुत्र नदी की विशेष परिस्थिति-होने की वजह से यह काम केन्द्रीय सरकार एक बोर्ड को दिया जा रहा है। इसमें कहा गया है कि बोर्ड की सलाह पर बहुत से काम राज्य सरकारों द्वारा किये जायेंगे। मगर जैसा कि मैंने पहले कहा है, सब से अहम काम इनवेस्टीगेशन करने और मास्टर प्लान बनाने का है।

जहां तक इस बोर्ड की आर्थिक व्यवस्था का सम्बन्ध है, इस सदन में कहा गया है कि इस बिल में केवल 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, जो बिल्कुल अपर्याप्त है। मैं समझता हूँ कि यह गलत है। इस बिल की किसी क्लाज में इस रकम के बारे में नहीं कहा गया है। फिनांशल मेमोरेंडम में कहा गया है कि इस साल के लिए 13 करोड़ की व्यवस्था की गई है और बाकी की व्यवस्था बाद में की जायेगी।

मैं आपका ध्यान क्लाज 18 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

खंड 18 में कहा गया है :—

"केन्द्रीय सरकार, संसद द्वारा विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् बोर्ड को ऐसी धनराशियों का संदाय कर सकेगी जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे।"

यहाँ पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। जितना चाहिए उतना पैसा आप दे सकते हैं, जितना पैसा जरूरी है उतना दे सकते हैं। इतना ही नहीं यह जो दूसरी क्लाज 19 है उस में यह भी कहा गया है :

खंड 19 (1) इस प्रकार है :—

"ब्रह्मपुत्र बोर्ड निधि के नाम से एक निधि स्थापित की जाएगी और उसमें केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को संदत्त राशियाँ और बोर्ड द्वारा प्राप्त अन्य सभी राशियाँ जमा की जाएंगी।"

यह भी व्यवस्था इस के अन्दर की गई है और यह व्यवस्था होने की वजह से पैसे का

जहां तक सवाल है जितना पैसा जरूरी हैं उतना देना पड़ेगा। हमारी बदकिश्मती कहिए या खुशकिश्मती कहिए, बहुत पैसे की हमें जरूरत है बहुत सारी चीजों के लिए। जितना पैसा जरूरी है उतना एक साल में हम उपलब्ध नहीं कर सकते हैं। मगर जिस चीज के लिए आज ज्यादा जरूरी है वह तो हमें देना पड़ेगा। अगर हम को ऐसा लगे कि इस का मास्टर प्लान तैयार है, एस्टीमेट्स तैयार हैं और इससे बहुत से काम वहां होने जा रहे हैं, विद्युत मिलने जा रही है, सिंचन की व्यवस्था होने जा रही है जिस से कि देश की उपज बढ़ा सकते हैं और हम अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं तो हमारी जो संसद है वही भी उसको स्वीकार करेगी। इस बिल के अन्दर पैसे पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं लगाया गया है। सैंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलेगा, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा और अगर जरूरत हुई तो वर्ल्ड बैंक की ओर से भी पैसा मिलेगा, दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीच्यूशंस हैं उन की ओर से भी पैसा खड़ा किया जा सकेगा और इस काम को किया जा सकेगा। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस साल के लिए 14 करोड़ रुपया जो रखा है वह सही है। जिन महानुभावों ने इर्रीगेशन और दूसरे डेवलपमेंट के विभागों में काम किया है उनको पता होगा कि जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट रखा जाता है तो पहले साल में ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती है। पहले तो प्लान तैयार किया जाता है, एस्टैब्लिशमेंट तैयार किया जाता है, उस समय ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं होती। जब एक या दो साल गुजर जाते हैं तो ज्यादा पैसे की जरूरत होती है और उस समय हमें ज्यादा पैसा रखना होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो इसके अन्दर व्यवस्था की गई है वह अच्छी है और इससे वहां की जो गरज है वह पूरी हो सकेगी।

एक सवाल यह उठाया गया कि जो बोर्ड बनेगा उसके लिए जमीन जो देनी है वह राज्य के शासन को देनी पड़ेगी। जब तक वह जमीन नहीं देंगे तब तक काम नहीं चलेगा। ऐसा देखा जाता है, सिंचन के काम हमारे देश में बहुत सारे चल रहे हैं और जहाँ भी सिंचन के काम चल रहे हैं, जिनका भी इस से संबंध रहा है उन को पता है कि जब कभी डैम बनाने की बात होती है तो वहां का जो काश्तकार है, वह बेचारा नाराज हो जाता है और यह तन्दुरुस्त भी है, वह जमीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। तो उसको पर्याप्त मात्रा में कम्पेन्सेशन देना जरूरी है और जमीन देना जरूरी है। लेकिन जमीन एक्वायर करने का काम जो है वह स्टेट गर्वनमेंट की तरफ से होता हैं और जब कि ये सारी चीजें वहां की स्टेट गवर्नमेंट के लिए बनायी जा रही हैं तो जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी। जमीन एक्वायर करने में काफी पैसा लगता है मगर उससे भी अधिक पैसा डैम बनाने के लिए कैनाल बनाने के लिए, और दूसरे और सिस्टम बनाने के लिए लगता है। जब यह उस प्रान्त की सरकार के लिए बनाया जा रहा हैं तो इतनी जिम्मेदारी अगर उन पर डाली जाए तो मैं समझता हूँ कि यह कोई गलत बात नहीं हैं। इस तरह तो उनको इसमें कुछ सहयोग देने का मौका दिया गया हैं। जब वह जमीन देते हैं तो उनको यह भी महसूस होगा कि हम जमीन दे रहे हैं और हमारे सहयोग से यह काम चल रहा हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि इस बिल की और जो अहम चीजें हैं उनको देखा जाए, इस की रचना की ओर, इसके कार्यों की ओर धनराशि की व्यवस्था की ओर, तथा और जो दूसरे प्राविजन्स हैं उन को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि यह बिल बहुत अच्छे ढंग का बना है और इस बिल से वहाँ पर यह काम हो सकता है।

अंत में मैं यह कहना चाहूँगा कि बिल कितना ही अच्छा बने, उसके ऊपर किसी चीज

की यशस्विता निर्भर नहीं होती हैं उसको किस तरह से अमल में लाते हैं इस पर उसकी यशस्विता निर्भर होती है और यहाँ पर तो बिल भी अच्छा बना है और उसको यशस्वी बनाने का इरादा भी शासन का नजर आता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उस प्रान्त की प्रगति के लिए इस बिल का उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होने वाला है। मैं इस बिल के लिए मंत्री महोदय का तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और उनका अभिनन्दन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि इस बिल के द्वारा वहाँ पर एक अलग प्रकार की, उन्नत प्रकार की आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक परिस्थिति का निर्माण होगा।

**श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा)** : महोदय, हमारे सम्मान्नित साथी श्री रवीन्द्र वर्मा ने जो व्यापक मुद्दे उठाये हैं, मैं उनका समर्थन करती हूँ। मेरे विचार से यह विधेयक सही दिशा में उठाया गया कदम है किन्तु साथ ही पूर्णत: अपर्याप्त है। जहाँ तक मुझे पता है, बोर्ड के इस प्रस्ताव का असम में सभी पर्टियों ने, जिसमें सरकारी पक्ष भी शामिल है, स्वागत किया था। लेकिन मुझे पता नहीं कि यदि उस समय असम में निर्वाचित विधायक होते तो क्या वे इस विधेयक से संतुष्ट होते; क्या वे चाहते कि इस तरह का बोर्ड बने; क्या उनका इरादा यहीं तक सीमित रहता। मुझे इस बारे में काफी सन्देह है। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ ? ब्रह्मपुत्र नदी के उपयोग के बारे में सरकार कितनी गम्भीर है, इस सम्बन्ध में पहले ही शंका में व्यक्त की जा चुकी हैं। मैं ब्रह्मपुत्र के बारे में लम्बी-चौड़ी बातें नहीं करना चाहती। सभी को पता है कि ब्रह्मपुत्र क्या है। मैं तो इस तथ्य के बारे में बताना चाहती हूँ कि ब्रह्मपुत्र कोई मामूली नदी नहीं है और उसे उपयोग में लाना कहुत ही कठिन है। इसके लिये अत्यधिक धन और तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में मेरा व्यक्तिगत रूप से यह विचार है कि यदि ब्रह्मपुत्र का उपयोग करने की वित्तीय जिम्मेदारी का काफी बड़ा भाग सम्बन्धित राज्यों पर डाला जाता है और ऐसी शर्त राज्यों के सामने रखी जाती है तो यह कार्य कभी नहीं हो सकेगा। यह मेरा अपना विचार है। आप कहेंगे कि यहाँ वहां कुछ वित्तीय उपबंध किये गये हैं जैसा कि अभी श्री शिवराज पाटिल ने कहा है। इस सम्बन्ध में मैं उद्देश्यों और कारणों के कथन की ओर ध्यान दिलाना चाहती हूं। परियोजना रिपोर्ट पर चर्चा करना और उसके क्रियान्वियन पर चर्चा करना इन दो बातों में जो अंतर है उस पर जरा ध्यान दीजिए। मास्टर प्लान के संदर्भ में विधेयक के पृष्ठ 12 में उद्देश्यों और कारणों के कथन में यह कहा गया है, "अतः ब्रह्मपुत्र बोर्ड के नाम से एक बोर्ड की स्थापना के लिए उपबंध करने की प्रस्थापना है और उसे ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ नियंत्रण का मास्टर प्लान और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, तथा संकर्मों के निष्पादन और अनुरक्षण के लिए स्कीमों, मानकों और विनिर्देशों का प्राक्कलन तैयार करने के लिए जिम्मेदार बनाया जा रहा है....." यह है मास्टर प्लान बनाने के सम्बन्ध में। यहां कोई शर्त नहीं रखी गयी है। लेकिन यदि ब्रह्मपुत्र नदी के उपयोग के लिए मास्टर प्लान बनाया जाये तो तब क्या स्थिति होगी ? सबसे महत्त्वपूर्ण बात है वास्तविक क्रियान्वयन। अब देखिए इस सम्बन्ध में क्या कहा गया है। पृष्ठ 12 में बताया गया है "यह भी प्रस्थापना है कि बोर्ड बहु-उद्देश्यीय परियोजनाओं का सन्निर्माण, क्रियान्वयन और अनुरक्षण अपने हाथ में लेगा, किन्तु यह इस शर्त पर कि सम्बद्ध राज्य सरकारें परियोजना के खर्चे और अनुरक्षण में उस अनुपात में हिस्सा लेने के लिए सहमत हों जो बोर्ड द्वारा उपदर्शित किया जाये," तो इस बारे में स्पष्ट रूप से शर्त रखी गयी है।

थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे माननीय मन्त्री इस वर्ष 9 करोड़ रुपये खर्च करेंगे और आगामी वर्ष में कुछ और करोड़ व्यय करेंगे और किसी तरह का एक मास्टर-प्लान तैयार किया जायेगा। उसके बाद जिन सरकारों के पास साधनों की कमी है यदि वे व्यय का उतना भाग वहन नहीं कर सकेंगे जितना कि उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार बोर्ड उनसे अपेक्षा कर सकता है तब सारी योजना धरी की धरी रह जायेगी। इसीलिए मैंने कहा कि ब्रह्मपुत्र के बारे में लम्बी-चौड़ी बातें करने की बजाय यह बताया जाना चाहिए कि ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जिसके लिए न केवल असम अपितु इन सभी राज्यों के साधन मिलाकर भी अपर्याप्त हैं। निश्चय ही यदि ब्रह्मपुत्र नदी को उपयोग में लाया जाता है तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी और देश को इससे बहुत लाभ होगा। किन्तु मैं नहीं समझती कि इस विधेयक में ऐसी कोई व्यवस्था की गयी है, इससे ब्रह्मपुत्र नदी के उपयोग की दिशा में सचमुच कोई कार्य होगा और देश को तसल्ली मिलेगी जिस की उसे सख्त जरूरत है या इस नदी के पानी का लाभ देश को मिलेगा और ब्रह्मा का पुत्र सचमुच लोगों के लिए अभिशाप नहीं अपितु वरदान लेकर आयेगा।

भूमि के बारे में भी सवाल उठाया गया है। मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। मेरी जानकारी साधारण व्यक्ति जैसी है। फिर भी हमारा कुछ अनुभव है। इन परियोजनाओं के बारे में सामान्य व्यक्ति का अनुभव महत्त्वपूर्ण नहीं है। दामोदर घाटी निगम को ही लीजिए, इसकी शुरूआत बहुत अच्छे ढंग से हुई। पण्डिजी को मालूम होगा कि हमारे इलाके में दामोदर घाटी निगम को बंगाली में दीवाओ बासाओ कारफोरेशन कहते हैं जिसका अर्थ है वह निगम जो हमें डुबा रहा है। पांडेजी को मालूम होगा कि दामोदर घाटी निगम की मूल आयोजना में केवल इन तीन बाँधों की ही व्यवस्था नहीं थी। वास्तव में परियोजना में कुछ और बाँधों की भी व्यवस्था की गयी थी। जिन चार और बांधों को मूल योजना में शामिल किया जाने का विचार किया गया था उनके अंतर्गत बहुत-सी भूमि आनी थी। यदि सभी सात बांधों का निर्माण किया जाता तो फिर दामोदर घाटी निगम का प्रयोजन सिद्ध हो जाता। ऐसा न होने से और रेग जमा हो जाने के बावजूद दामोदर घाटी निगम उपयोगी होने की बजाय अनुपयोगी ही सिद्ध हुआ है। 1978 की बाढ़ के लिए वही जिम्मेदार है। पश्चिम बंगाल और विशेषकर उस क्षेत्र को, वहां से मैं आई हूँ, बहुत नुकसान हुआ। यदि दामोदर के साथ यह स्थिति है तो ब्रह्मपुत्र के साथ जोकि इससे भी अधिक बड़ी और विनाशकारी नदी है, क्या स्थिति होगी ? मास्टर प्लान बनाने के साथ ही यदि उसके पर्याप्त रूप से क्रियान्वयन की गारंटी दी जाती है और इसकी वित्तीय जिम्मेदारी उन राज्यों पर ही नहीं डाल दी जाती जिनके पास साधनों की कमी है, तो यह परियोजना लाभ-प्रद हो सकती है। हालांकि राज्यों का सहयोग भी बहुत आवश्यक है। उन्हें इस कार्य में शामिल किया जाना चाहिए और उस पर उनका अपेक्षित नियंत्रण भी होना चाहिए। किन्तु ब्रह्मपुत्र नदी को उपयोग में लाने के कार्य की वित्तीय जिम्मेदारी की शर्त उन पर नहीं रखी जानी चाहिए, इसलिए मैं यह कहती हूँ कि मैं अपने मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा के विचारों से आमतौर पर सहमत हूँ।

मुझे एक-दो बातें कहनी हैं हालांकि हो सकता है कि वे इस विषय से पूरी तरह संबंधित न हों मेरा विचार है सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। माननीय सिंचाई मन्त्री से विशेष रूप से यह अनुरोध है कि वह पश्चिम बंगाल और विशेष कर मेरे इलाके के लिए बनाए गये हैं मास्टर प्लान अर्थात् घाटल मास्टर प्लान के साथ ऐसा न करें। वह इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करें और इन मास्टर प्लानों को कारगर ढंग से क्रियान्वित करें।

# कृषि आदानों, विशेषकर उर्वरकों के निरन्तर बढ़ रहे मूल्यों से उत्पन्न स्थिति के बारे में चर्चा

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 193 के अधीन देश में आदानों, कृषि विशेष कर उर्वरकों के निरन्तर बढ़ रहे मूल्यों से उत्पन्न स्थिति पर विचार करेगी।

**श्री धनिक लाल मंडल (झंझारपुर)** : श्रीमान्, हाल के समय में अपने देश में एक बहुत बड़ा आन्दोलन, आम लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा चलाया गया कर्नाटक राज्य में चला, खास कर उत्तरी कर्नाटक में। जिस के अन्दर धारवाड़, बेलगाँव, हुबली, रायचूर और कुछ अन्य जिले चपेट में आये।

यह आन्दोलन इतना उग्र, इतना तीव्र और इतना व्यापक बना यद्यपि इसकी चर्चा कम हुई लेकिन हाल के समय में जो इतना उग्र, इतना व्यापक और इतना तीव्र आन्दोलन, जो स्पोनटेनियस आन्दोलन था, आम जनता के द्वारा और किसानों के द्वारा यह हुआ, इसकी चर्चा यहाँ पर होना बहुत आवश्यक है और यह आपकी कृपा है कि आपने इस चर्चा के लिए अपनी अनुमति दी है। महोदय, दो तरह के आन्दोलन संयोग से मिल गये, एक तो वह आन्दोलन था, जिसका प्रारम्भ किसानों ने किया और दूसरा वह था जिसका प्रारम्भ आम लोगों ने किया और वह महंगाई के खिलाफ था। किसानों पर भी इसका असर हुआ जिसकी वजह से किसान लगातार महीनों से आन्दोलन करते चले आ रहे थे, सत्याग्रह करते चले आ रहे थे और धरने देते चले आ रहे थे और भारत सरकार का ध्यान अपनी मांगों की तरफ आकर्षित कर रहे थे लेकिर सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया और मजबूर हो कर पिछली 21 जुलाई को, पिछले महीने उन लोगों ने आम हड़ताल का आवाह्न किया और उसी दिन संयोग से गडग में जो धारवाड़ जिले में है, वहाँ लोगों ने महंगाई के खिलाफ, दामों के बढ़ने के खिलाफ आम हड़ताल का आवाह्न किया और इस तरह से ये दोनों आन्दोलन आपस में जुड़ गये। जुड़ने का एक कारण यह भी हुआ कि जब किसानों ने 21 जुलाई को आम हड़ताल रखी, तो उस पर ज्यादती की गई खास तौर से पुलिस की ओर से ज्यादती हुई और इसका असर यह हुआ कि सभी प्रकार के लोग सरकार के खिलाफ में इकट्ठा हो गये, महंगाई के विरुद्ध जो लड़ने वाले लोग थे और किसानों की समस्याओं को लेकर लड़ने वाले जो लोग थे वे दोनों आपस में मिल गये और यह आन्दोलन लगभग एक हफ्ता चला और इसमें 19 आदमी मारे गये, जिसमें तीन पुलिसकर्मी भी थे, जो कि जनता के हाथों मारे गये और पुलिस के द्वारा 16 आदमी मारे गये, कुल मिला कर 19 आदमी मारे गये। (व्यवधान)

यह निन्दा की बात है, यह खेद की बात है लेकिन यह जो घटना हुई, कुछ मांगों को लेकर, किसानों की भी मांगें थीं और महंगाई से परेशान आम लोग जो हैं, जो जनजीवन है, उन दोनों ने मिलकर आन्दोलन किया। शुरू में हौ इस बात को देखा जाना चाहिए और मुझे इस सम्बन्ध में एक बात कहनी है और वह यह है कि मैंने शुरू में ही इस चीज को सामने लाने के लिए इसको एजोर्नमेंटमेशन के रूप में उठाना चाहा लेकिन अध्यक्ष जी ने स्वविवेक से आज तक उसे स्वीकार नहीं किया और इस पर आज इस चर्चा को उठाने की अनुमति दी है। यह उनका स्वविवेक था और मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूँ कि

यह शुरू में ही कहने की बात थी क्योंकि जब इस तरह के आन्दोलन होते हैं, पुलिस हिंसा की कार्यवाही करती है, तो उससे प्रति-हिंसा होती है। हिंसा और प्रति-हिंसा की यह ज्वाला, यह आग सारे देश में फैलती रहती है और इस तरह से हमारा जीवन हिंसक बनता चला जा रहा है। आज पूरे वातावरण में, सम्पूर्ण वातावरण में हिंसा व्याप्त है। पूरे देश के वातावरण में हिंसा व्याप्त है और हमको इस के मूल में जाना चाहिए और मूल में जा कर इसका इलाज ढूंढ़ना चाहिए। तभी हम इस हिंसा को दूर कर पाएंगे और जनतन्त्र में लोगों का विश्वास पैदा कर सकेंगे। हमें अपने देश में जनतंत्र को मजबूत बनाना चाहिए। हमें देश से हिंसा को निकाल बाहर फैंकना होगा लेकिन ऐसा करने के लिए हमें इसके मूल में जाना होगा और उसका इलाज करना होगा।

पुलिस के द्वारा जब हिंसा होती है उसको आपको रोकना चाहिए। एक महीने से मुसलसल आन्दोलन चल रहा था। शान्तिपूर्वक चल रहा था। सरकार का ध्यान उस ओर नहीं गया। सरकार बिना हिंसा के कोई बात सुनती ही नहीं है। वाजिब से वाजिब बात कही जाए, जायज से जायज बात कही जाए, जब तक उसको ला एंड आर्डर का प्रावलंभ नहीं बनाया जाता है, शान्ति और व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनाया जाता है, जब तक हिंसा नहीं होती है, सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती, सरकार का ध्यान उस ओर नहीं जाता, सरकार समस्या का निदान नहीं करती। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना हिंसा पर उतरे, बिना आन्दोलन के, बिना इनका आश्रय लिये हुए, काम हो जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जब शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो रहा हो तब आन्दोलनकारियों के साथ किस प्रकार का बर्ताव हो यह भी आपको देखना चाहिए। अभी बारह बजे यह सवाल उठा था कि मेरठ में सत्याग्रहियों पर भारी लाठी चार्ज किया गया जिसके फलस्वरूप डेढ़ सौ से ज्यादा सत्याग्रही घायल हो गये। यह होता है सरकार का रुख जहाँ कहीं भी शान्तिपूर्वक आन्दोलन होता है। सरकार हर जगह इसी तरह से व्यवहार करती है। पहले दमन चक्र चलाती है, आन्दोलनकारियों पर पहले लाठी चलाती है और बाद में उनकी बात को मान जाती है। यह सरकार का काम करने का तरीका हो गया है। दमन चक्र चला कर जब आन्दोलन को समाप्त करने में सरकार विफल हो जाती है, उसको काबू में नहीं कर पाती है, तब घुटने टेक देती है। इससे लोगों के मन में यह भावना पैदा होती है कि सरकार हिंसा के आगे ही घुटने टेकेगी। मैं समझता हूँ कि जब शान्तिपूर्वक बात कही जाए, शान्तिपूर्ण आन्दोलन किया जाए, सत्याग्रह किया जाए, धरना दिया जाए तो उसी वक्त सरकार को समझा बुझा कर उसको शान्त कर देना चाहिए और जो वाजिब बात है उसको मान लेना चाहिए और इस तरह का वातावरण बनने नहीं देना चाहिए।

कर्नाटक में क्या हुआ ? शुरू में फायरिंग हुआ नवलगुंड में जिसमें पांच आदमी मारे गए। उसके बाद विरोधी पक्ष ने न्यायिक जांच की माँग की। सरकार अकड़ गई। मुख्यमंत्री अकड़ गए। उन्होंने कहा कि हम इसको कतई नहीं मान सकते हैं। लेकिन वही बात उन्होंने बारह दिन के बाद स्वीकार की। जब विरोधी पक्ष के लोगों ने लेजिस्लेचर में, विधान सभा में और विधान परिषद में धरना दिया, तब सरकार झुक गई और उसने न्यायिक जाँच की मांग को मान लिया। इससे आन्दोलन समाप्त हो गया। यही नहीं उसके बाद सरकार ने 85 करोड रुपये के रिलीफ की मंजूरी भी दी। पहले सरकार का यह रुख था कि सरकार कोई बात नहीं सुनेगी, न्यायिक जांच की मांग को स्वीकार नहीं करेगी, किसी तरह का रिलीफ नहीं देगी, कोई

सुविधा नहीं देगी। लेकिन बाद में न्यायिक जांच की माँग भी मान ली और 85 करोड़ का रिलीफ भी दे दिया। यह तब किया जब 19 व्यक्तियों की कीमती जानें चली गईं। तब सरकार झुक गई। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूँ कि यदि सरकार देश में जनतन्त्र को फलता फूलता देखना चाहती है, उसको मजबूत बनाना चाहती है तो सरकार को बातचीत का रास्ता अपनाना होगा, वाजिब बातों को मान लेना होगा। सरकार को शान्तिपूर्ण सत्याग्रहियों और धरना देने वालों के साथ बात करनी होगी और बात करके मामलों को रफा दफा कर देना होगा। इससे देश में जो हिंसा का वातावरण बन रहा है उस पर काबू पाने में मदद मिलेगी।

अब दो तीन चीजें और जो इससे जुड़ी हुई हैं, मैं कहना चाहता हूँ। किसान के जो इनपुटस हैं, उत्पादन हैं, जिनका व्यवहार वह करता है, उनको देख लिया जाए। आप फर्टिलाइजर को देख लें जिसका किसान प्रयोग करता है। खुशी की बात है कि हरित क्रान्ति के बाद लगातार इसकी खपत बढ़ती चली जा रही है। इससे अच्छी पैदावार होने लग गई है। लोगों का पेट भरने लग गया है।

हरित क्रान्ति के बाद फर्टिलाइजर की खपत लगातार बढ़ती चली जा रही है। वास्तव में हरित क्रान्ति के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि किसान अधिक से अधिक माडर्न टेकनीक्स और टेकनालोजी अपना रहे हैं और उसकी सहायता से खेती की उपज को बढ़ा रहे हैं, जिससे अनाज के इमपोर्ट पर हमारी निर्भरता खत्म हो गई है। इन बातों के बावजूद यह सरकार खाद के दाम को भी बढ़ाती जा रही है। यदि हम 1974 को बेस मानें, तो खाद की कीमत में 90 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यदि हम 1979-80 को बेस मानें—सरकार की पेट्रोलियम एंड केमिकल्ज मिनिस्ट्री की रिपोर्ट में कहा गया है कि 1979-80 में खाद की कीमत में कोई वृद्धि नहीं हुई है—, तो हमने देखा है कि सरकार ने 1980-81 में 40 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। इतनी अधिक वृद्धि से किसानों का बजट बहुत बढ़ गया है।

कुछ समय से यह प्रवृति चली थी कि अधिक से अधिक हाई यील्डिग वैरायटीज के पौधे लगाये जायें, जिनमें खाद की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। एक तरफ सरकार कहती है कि हाई-यील्डिग वैरायटीज का अधिक से अधिक विस्तार करना है, जिसके लिए खाद की बहुत आवश्यकता होती है, और दूसरी तरफ वह खाद की कीमत को बढ़ाती चली जा रही है। यह कैसी बिडम्बना, कान्ट्राडिक्शन और विरोधाभास है कि एक तरफ हाई-यील्डिग वैरायटीज के पौधे को बढ़ाने की बात कही जाती है, और दूसरी तरफ खाद की कीमत बढ़ाई जाती है।

इस वर्ष जो खाद की कीमत बढ़ाई गई है, उसका असर किसानों पर पड़ेगा। यद्यपि मैं इस मामले में कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन हमें ज्ञात हुआ है कि खेती पर इसका बहुत ही बुरा असर होगा।

इस सरकार ने डीजल के दाम को भी डेढ़ गुना बढ़ा दिया है—एक लिटर पर 65 पैसे बढ़ा दिये हैं। पहले डीजल 1·58 रुपये प्रति लिटर मिलता था अब वह 2·23 रुपये पर पहुँच गया है। पेट्रोल और पेट्रोलियम के प्राडक्ट्स के दामों को भी इस सरकार ने बढ़ा दिया है, जिसका प्रभाव पेस्टीसाइड्ज और कई दूसरी चीजों पर भी पड़ा है। पेस्टीसाइड्ज की कीमत बहुत बढ़ गई है। डीजल और पेट्रोलियम के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो गया है।

अगर इन सब को मिला कर देखा जाए, तो आज किसान जिन चीजों का उपयोग कर

रहे हैं, उनके दाम 38, 40 प्रतिशत तक बढ़ गये हैं। लेकिन इस सरकार ने किसानों को इसके एवज में क्या दिया है ? यदि किसानों को किसी न किसी रूप में राहत नहीं मिलेगी—उसके लिए चाहे कोई भी उपाय किया जाये—, तो इसका लाजिमी असर खेती पर पड़ने वाला है और इस देश की पैदावार घटने वाली है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की नीयत यह है कि देश की पैदावार को घटाया जाए और फिर विदेशों से अन्न मंगा कर इस देश को खिलाया जाए।

विदेशों पर निर्भरता बढ़ाई जाय क्या यही इनकी मंशा है ?

इसी के साथ-साथ चूंकि यह मसला कर्नाटक से भी जुड़ा हुआ है इसलिए मैं उसकी भी चर्चा करना चाहता हूँ। कर्नाटक में वाटर लेवी बहुत बढ़ा दी गई थी। उनको घटाने की उनकी मांग थी। आज जहाँ कहीं भी पानी उपलब्ध किया जाता है तो उसका रेट इतना ज्यादा कर देते हैं कि उसे देना किसान की शक्ति के बाहर हो जाता है। इस सरकार को चाहिए तो यह था कि कुछ दिनों तक पानी पर कोई कर लगाती ही नहीं, मुफ्त में किसानों को पानी मिले अपना खेत सींचने के लिए। यदि ऐसी व्यवस्था हो जाती तो यह देश फिर से धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता और खेती के मामले में बहुत समृद्ध हो जाता। लेकिन यह तो छोड़ दीजिए, यह तो बराबर खेती के सिंचन के लिए जो पानी है उसका दाम बढ़ाते रहते हैं। मैं अपने यहाँ की बात को जानता हूँ। जैसे धारवाड़ जिले के किसानों की क्या शिकायत थी कि पानी नहीं मिलता है तो भी पानी का दाम उनसे लिया जाता है।

**श्री रामावतार शास्त्री :** यह सब जगह है, हमारे यहाँ भी है।

**श्री धनिक लाल मंडल :** जी हां। यह सब जगह है। तो कर्नाटक में किसानों की एक मांग यह भी थी जिसको अन्त में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि बिना पानी दिए उनसे पैसा वसूल किया जाता है और पानी का रेट हर साल बढ़ाते रहते हैं। इसी के साथ-साथ किसानों पर बेटरमेंट लेवी भी बढ़ाते जाते हैं और जो कोआपरेटिव के या दूसरे प्रकार के लोन हैं उन पर पीनल इंटरेस्ट बढ़ाते रहते हैं। तो किसानों के साथ जो इनका व्यवहार है उसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि एक सम्पूर्ण रूप से जो शांतिपूर्ण इलाका था वहाँ एक व एक स्वयं-स्फूर्त विद्रोह उठ खड़ा हुआ। यह इस सरकार के लिए एक घन्टी है और इस सदन के लिये भी एक घन्टी है। जिस तरह से खतरा होता है तो लाल बत्ती जल जाती है, आप रेलगाड़ी में चलते होंगे तो देखते होंगे कि जब कहीं खतरा होता है तो लाल बत्ती जलती है और ड्राइवर गाड़ी को रोक देता है, जब हरी बत्ती होती है तो आगे बढ़ता है। तो अपने देश के लिए भी मैं इस सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ, दोस्ताना चेतावनी देना चाहता हूँ कि देखिए इस देश में बिना किसी पार्टी के आर्गेनाइज किए हुए बिना किसी लीडर के इतना बड़ा एक विद्रोह खड़ा हो गया कर्नाटक में, क्या आप इससे कोई सबक नहीं लेना चाहते, क्या इससे आपको कोई शिक्षा नहीं मिलती ? आपको जरूर इससे शिक्षा लेनी चाहिए कि इस देश के किसान अब गूंगे नहीं हैं। उनको भी वाणी मिल गई है और अब वे आज उस तरह से पैसिव नहीं हैं कि सारी चीजों को बर्दाश्त करते जाएंगे। वे भी अब संगठित हो रहे हैं और अपने हक के लिए वे वह सब कदम उठाने के लिए तैयार हैं जो कर्नाटक में आपने देखा। इसलिए समय रहते आप समझ जाइए कि इस देश में क्या पैदा होने वाला है ? किसान जिन चीजों का भी व्यवहार करता है,

एलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फर्टिलाइजर, डीजल, पेट्रोलियम प्रौडक्ट्स, पेस्टिसाइड्स, जिस चीज को भी आप देखें, हर एक पर पैसा आप बढ़ाते रहते हैं। वाटर पर पैसा, एलेक्ट्रिसिटी पर पैसा, सभी चीजों पर आप पैसा बढ़ाते रहते हैं। अभी गुन्डू राव साहब ने इस आन्दोलन के बाद कंसेशन दिया। पहले 22 पैसे यूनिट जो उनको बिजली मिलती थी उसको 17 पैसे कर दिया। यह मैं आपको एक कान्क्रीट उदाहरण दे रहा हूँ। लेकिन यह कब हुआ ? जब आन्दोलन हुआ। तो आन्दोलन करने के बाद किसानों की बिजली का रेट घटाएँ, आन्दोलन के बाद पानी का रेट घटाएं, आन्दोलन के बाद फर्टिलाइजर का रेट घटाएं या जिन चीजों का भी वे व्यवहार करते हैं उसका रेट घटाएं, क्या यह आप करने जा रहे हैं ? मेरा यह कहना है कि समय रहते सरकार को चेत जाना चाहिए और पहले से ऐसे कदम उठाने चाहिए।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि किस रूप में उनको कम्पेन्सेट किया जा सकता है ? एक रूप तो इसका यह हो सकता है कि किसान जो चीज पैदा करते हैं उसके दाम को सरकार बढ़ा दे। अभी यहां एक कालिंग अटेंशन आया था और एक मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था ऐग्रीकल्चरल प्राइसेज कमीशन ने जो खरीफ के दाम की अनुशंसा की थी उस पर विचार करने के लिए। कृषि मंत्री ने जो स्वयं कृषक भी हैं, उन्होंने मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन उस पर विचार करने के लिए बुलाया था। उसमें मुख्य मंत्रियों ने क्या कहा ? मुख्य मंत्रियों ने कहा कि यह जो बढ़ोत्तरी हुई है फर्टिलाइजर की प्राइसेज में, डीजल की प्राइसेज में और पेट्रोलियम प्रौडक्ट्स की प्राइसेज में उससे लगभग 22 प्रतिशत वृद्धि हो गई है।

किसान जो पैदा करता है खर्चे में 21 प्रतिशत, 22 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। किसान खेती में जो लगाता है उन चीजों के मूल्यों में 22 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है। यदि इसको स्वीकार कर लिया जाए तो जैसा मुख्य मंत्रियों ने कहा किसान के धान की कीमत 125 रु० क्विंटल होनी चाहिए थी। उनकी यह जो माँग है यह बिल्कुल जायज है। लेकिन केवल इतने से ही नहीं होगा। खरीफ, गेहूं, गन्ना या जूट—इन चीजों के मूल्यों में कमेंसुरेट वृद्धि की जो मांग की जाती है वह तो ठीक है लेकिन केवल यही एक तरीका नहीं है। इसके दूसरे तरीके भी हो सकते है जो मंत्री जी बतायेंगे। मेरा कहना यह है कि किसानों के इस्तेमाल की चीजों में जो वृद्धि हुई है उसके हिसाब से अगर किसानों को समय पर कर्जा नहीं दिया गया तो किसान उसका उपयोग नहीं कर पायेंगे। खेती करने की चीजों के दाम बढ़ गए हैं और किसानों की जेब में पैसा नहीं हैं इसलिए सरकार को लोन की व्यवस्था करनी चाहिए। पिछले साल के मुकाबले में 40 प्रतिशत अधिक कर्जा बैंक से, कोआपरेटिव से या अन्य किसी माध्यम से किसानों को देना चाहिए तभी किसानों की कुछ तरक्की हो सकती है। इसी तरह से सब्सीडी देकर किसानों के घाटे की पूर्ती करनी चाहिए। जो भी तरीके सरकार अपनाना चाहिए अपनाए और आगे आकर उसे कहना चाहिए कि किस तरह से वह किसानों के लास को पूरा करना चाहती है।

एक दो बातें और कहकर मैं समाप्त करूंगा। कृषि मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि कृषि में लगने वाली चीजों के मूल्यों के अनुरूप ही। कृषि अन्य वस्तुओं के मूल्यों का निर्धारण होना चाहिए, यह तो एक प्रश्न है ही लेकिन केवल यही प्रश्न नहीं है। मैं यहाँ पर बार-बार मंत्री जी को जवाब देते हुए सुनता हूँ, वे हमेशा सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योमेन्ट प्राइस की बात करते हैं लेकिन पैरिटी की बात कभी नहीं करते। यही, नहीं किसानों को

उनकी उपज का उचित मूल्य, रेम्युनरेटिव प्राइस, लाभदायी मूल्य मिले—यह भी जरुरी है। मैं मांग करता हूँ कि पैरिटी होनी चाहिए। मान्यवर, आप भी गवाह होंगे कि खेती में पैदा होने वाली चीजों के दाम लगातार घटते रहे हैं और कल-कारखानों में बनने वाली चीजों के दाम लगातार बढ़ते रहे हैं। अगर दोनों में पैरिटी नहीं होती है तो यह इस देश के किसानों के साथ बड़ाभारी अन्याय है। कल कारखानों में बननेवाली चीजों के दाम तो बढ़ते रहते हैं क्योंकि उनके पास साधन हैं, पूंजीपति अपनी मर्जी से दाम तय करते हैं लेकिन बेचारे किसान गरीब हैं, बिखरे हुए हैं, उनका कोई संगठन नहीं है जिसका फल है कि कृषिजन्य वस्तुओं और कल कारखाने में बनने वाली वस्तुओं के दामों में कोई पैरिटी नहीं होती है। इसलिए किसानों की चीजों के दाम लगातार घटते हैं और फैक्टरीज में बनने वाली चीजों के दाम लगातार बढ़ते रहते हैं। नतीजा यह है कि किसानों की गृहस्थी उजड़ती है। (व्यवधान) दो मिनट में समाप्त करूंगा।

उस दिन यहाँ पर आलू के दाम के सम्बन्ध में, प्याज के दाम के सम्बन्ध में और खेती में पैदा होने वाली अन्य चीजों के दाम के सम्बन्ध में प्रश्न उठा तो मंत्री जी ने कह दिया कि बड़ा अच्छा दाम मिल रहा है, शुरू में 65 रुपए मिल रहे थे और अब 130 रुपए का भाव हो गया है। प्याज जब किसानों के घर से निकल कर आढ़तियों के पास पहुंच गई तो उसका दाम 65 रुपए हो गया तो इससे किसानों का क्या भला हुआ ? इससे आढ़तियों का भला हो सकता है लेकिन किसानों का भला नही। इसलिए सीलिंग प्राइस और फ्लोरिंग प्राइस का भी सवाल है कि कम से कम क्या कीमत होनी चाहिए और अधिक से अधिक क्या कीमत होनी चाहिए।

उन दोनों का कोई रिश्ता होना चाहिए। प्याज, आलू तथा कई अन्य वस्तुओं की कम से कम कीमत तथा अधिक-से-अधिक कीमत तय होनी चाहिए, जिससे एक तरफ वह किसानों को पोसाये और दूसरी तरफ उपभोक्ताओं को पोसाये, इनके अन्दर समन्वय हो।

यह बात ठीक है कि जो आन्दोलन चला है, वह कुछ पीछे पड़ गया है, लेकिन वह पीछे पड़ने वाला नहीं है। सारे देश में 30 प्रतिशत मूल्यों में वृद्धि हुई है और पिछले एक हफ्ते में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस से जन-जीवन बिलकुल नष्ट हो रहा। इस लिये आवश्यक है कि जन-जीवन की सारी वस्तुओं के दाम तय करें, कम-से-कम और अधिक-से-अधिक दाम तय करें। जहाँ पर कृषि-ज़न्य वस्तुओं के लागत मूल्यों को लें, वहां मूल्य निर्धारित करते समय पैरिटी भी करें, सीलिंग और फलोरिंग प्राइस भी तय करें, तब शायद किसानों को कुछ राहत मिल सकेगी।

**श्री जैनुल बशर** (गाजीपुर) : माननीय सभापति जी, राजनीति का भी अजीब तरीका है। जब लोग इधर बैठते हैं तो उन के विभाग में दूसरी बात रहती है, लेकिन जब उधर चले जाते हैं तो दूसरी बात कहने लगते हैं। मुझे याद आता है—1977 में जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में किसानों को लाभदायक दाम देने की बात कही गई थी। जनता पार्टी के बड़े-बड़े नेताओं का यह वक्तव्य था कि 120 रुपये से लेकर 140 रुपये के बीच में गेहूं का दाम होना चाहिये। लेकिन जब शासन की बागडोर उन्होंने सम्भाली और जब शासन और देश की समस्याओं से वे परिचित हुए, तब उन्होंने मजबूरन 105 रुपये, और वह भी बड़ी मुश्किल से, गेहूँ का दाम रखा। हमारे माननीय सदस्य श्री धनिक लाल मंडल उस समय कैबिनेट के सदस्य

थे, मंत्रीमंडल में शामिल थे, वे उस वक्त देश की समस्याओं को जानते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए और नहीं दिया।

सभापति जी, इसमें दो रायें नहीं हैं कि हमारे देश का किसान, जो हमारे देश की आबादी का 75 प्रतिशत भाग है, बहुत गरीब है और उसके सामने बहुत सी समस्यायें हैं। कितना दाम उसको मिलना चाहिये, वह उसको नहीं मिल पा रहा है, लेकिन नाम किसानों का लेकर, आम किसानों का नाम लेकर, बड़े किसानों के फायदा पहुचाने की बात की जाय, यह अच्छी बात नहीं है। कितने किसान इस देश में ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा गल्ला बेचते हैं, कितने ऐसे हैं जो बहुत थोड़ा गल्ला बेचते हैं, कितने ऐसे हैं जो केवल अपने घर के खाने-पीने भर का पैदा कर पाते हैं और कितने ऐसे हैं जो साल का 6 महीने या 7 महीने भर का गल्ला पैदा कर पाते हैं, इनके अलावा भूमिहीन किसान हैं, जिनकी इस देश में बहुत बड़ी फौज है, जो काम तो खेती में करते हैं, लेकिन खाने के लिये उन्हें गल्ला बाजार से खरीद कर अपना भरन-पोषण करना पड़ता है।

इस बात को भी ख्याल में रखना होगा। बड़े बड़े किसान जो कि सैंकड़ों टन गल्ला पैदा करते हैं उनके फायदे में जरुर है कि प्राइसेज बहुत ज्यादा हों, बहुत ज्यादा कीमतें हों।

**श्री हरिकेश बहादुर** : जितने में पैदा हो, उससे कम देना चाहिए ?

**श्री जैनुल बशर** : मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि उससे कम देना चाहिए। यह भी विडम्बना है कि भूमि सुधार के जितने भी कानून हमारे देश में बनाए गये हैं, उन सारे के सारे कानूनों की जो मंशा थी, वह पूरी नहीं हुई और आज भी ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कानूनी ढंग से मैनीपूलेशन करके एक हजार, आठ आठ सौ और सात सात सौ एकड़ भूमी अपने पास रखी हुई है और उसके मालिक बने हुए हैं और उस पर खेती करते हैं।

**प्रो० (एन. जी. रंग)** : वे कहा हैं।

**श्री जैनुल बशर** : आप यू० पी० में चले जाइए और वहाँ देखिये। मिर्जापुर, जौनपुर, गाजीपुर और बनारस में और मेरे ख्याल से आन्ध्र प्रदेश में भी ऐसे लोग होंगें। हमारे देश में जो कानून बना हुआ है, उसके अनुसार लैन्ड सीलिंग 23 एकड़ की है। उससे ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए लेकिन तीन तीन सौ, चार चार सौ एकड़ जमीन एक एक आदमी के पास है। तो यह जो दाम बढ़ाने की बात की जा रही है, इससे अधिक फायदा उन लोगों को होगा, जिनको कुलक कहते हैं और गरीब किसानों को क्या फायदा मिलेगा ? जो दस, दस, बीस, बीस, और पच्चीस पच्चीस मन अनाज बेचेगा या पचास मन बेच लेगा, उसको क्या फायदा मिलेगा।

**श्री हरिकेश बहादुर** : इस प्रस्ताव पर भी बोलिये।

**श्री जैनुल बशर** : मैं इस पर भी बोल रहा हूँ। 75 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो इसी रेंज में आते हैं लेकिन साथ ही साथ यह बात भी बिल्कुल सही है कि आज हमारा जो किसान है, उस की आबादी का ज्यादा प्रतिशत गरीबी की रेखा के नीचे है। उनको सुबिधाएं दी जानी चाहिए, उनको सहूलियतें दी जानी चाहिए। मैं अपने जिले की बात बताता हूँ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में 75 प्रतिशत किसान ऐसे हैं जो सीमान्त किसान हैं और उनके पास छः एकड़ या साढ़े

पांच एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं है। कम जोतों वाले किसान है, जिनके घर मनी आर्डर नहीं आते, जिनके घर वाले बाहर नौकरी नहीं करते और पैसा नहीं भेजते और दो दिन खाना नहीं खाते। पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे बिहार और दूसरे राज्यों में ऐसा है। उनके लिए क्या सुविधा दी जाएगी। यह सही है कि खाद अब अधिक मंहगी पड़ेगी, उनको सिंचाई के अधिक दाम देने होंगें। बिजली उनके पास नहीं है, पम्पिग सेट उनके पास नहीं है। ट्यूबवेल है लेकिन ट्यूबवेल से पानी उनके खेत में नहीं जाता है, तो भी कमांड एरिया में होने के कारण उनको पैसा देना पड़ेगा। विजली न जाए, पानी न जाए, तो भी उनको पैसा देना पड़ेगा और जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स हैं, वे भी अपने पानी का पैसा बढ़ा रहे हैं। बिजली का दाम बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया। उनसे अधिक चार्ज किये जायेंगें। इसके लिए मेरा सुझाव आप के माध्यम से कृषि मंत्री जी को यह है कि अभी तो उन्होंने कोई दाम डेक्लेयर नहीं किया है लेकिन जो दाम वह तय करें, उसको राष्ट्रीय हित को ध्यान में रख कर तय करें और इस बात को उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो छोटे छोटे किसान हैं, जो कम जोत वाले किसान हैं, उनको नुकसान न हो। उनको फायदा हो और इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि उन्हें खाद के लिए अधिक से अधिक सब्सीडी दी जाए, उनको खाद में छूट दी जाए, उनके लिए पानी की दरों में रियायत की जाए और जो पानी ट्यूबवेल का है या नहरों का है, उसके लिए अलग से रेट रखा जाए।

इतने एकड़ तक के लिए इतना रेट। आप स्लैब बना दें और स्लैब के हिसाब से रेट फिक्स कर दें। तभी जाकर उनको फायदा होगा।

किसानों के उत्पादन की जो आप खरीद करते है वहां भी बिना स्लैब सिस्टम के काम नहीं चलेगा। एक जमाने में बड़ा भारी आन्दोलन छिड़ा था और नारा लगा था कि सरकार को और खास कर प्रान्तीय सरकारों को साढ़े छः एकड़ तक के किसानों पर मालगुजारी को माफ कर देना चाहिये, समाप्त कर देना चाहिये, उनसे लगान और माल गुजारी नहीं लेनी चाहिये। ऐसा आप ने किया तभी छोटे किसानों का भला होगा। किसान का नाम लेकर बड़े किसानों की पैरवी करना मैं ठीक नहीं समझता हूँ। ये कुलक जो हैं इनको इनकम टैक्स भी नहीं देना है, वैल्थ टैक्स भी नहीं देना है, दूसरा कोई टैक्स नहीं देना है। जितना भी प्राइस आप कर दें उस प्राइस पर भी इनको बहुत कमाई होगी, जितनी प्राइस आप बढ़ा देगें उतगी ही ज्यादा इनको कमाई होगी। इतनी होगी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते है। इस बास्ते मैं समझता हूँ कि दस या या साढ़े बारह या पन्द्रह या बीस एकड़ तक जिनके पास जमीन है, उनके वास्ते आपको सबसिडी के सिद्धान्त को लागू करना चाहिये, उनको कम रेट पर नहरी पानी देना चाहिये, कम रेट पर बिजली देनी चाहिये और उनको खरीद के दाम भी ज्यादा देने की आपको व्यवस्था करनी चाहिये।

**श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर)** : सभापति महोदय श्री धनिक लाल मण्डल द्वारा सदन के समक्ष पेश किये गये प्रस्ताव पर मुझे बोलने का जो अवसर दिया गया है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

मुद्रास्फीति की दर बढ़ जाने तथा कृषि में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के मूल्यों सहित तेजी से वृद्धि होने के कारण देश में औद्योगिक तथा कृषि मजदूरों, वेतन भोगी कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों की वास्तविक आय बहुत कम हो गई है। किन्तु कृषि में प्रयुक्त होने वाले

सामान के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कृषि में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के कारण कृषि उत्पादन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। निर्धन और सीमान्त किसान अधिकतम उत्पादन करने के लिये उर्वरक का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। कि इसके कारण उत्पादन कम होगा।

मैं इस सम्बन्ध में 12 जून, 1980 को इण्डियन एक्सप्रेस में छपे इस समाचार का उल्लेख करना चाहता हूँ;

"उर्वरक उद्योग स्रोतों के अनुसार यदि उर्वरक का पर्याप्त मात्रा में उपयोग किया जाता रहा तो बढ़ी हुई दरों पर धान का मूल्य 200 रु० से 300 रुपये प्रति हेक्टेअर बढ़ जायेगा। गन्ने की फसल पर यह अतिरिक्त भार प्रति हेक्टेयर 320 से 400 रुपये तथा गेहूँ की फसल पर प्रति हेक्टेयर 150 रुपये होगा।"

मैं उर्वरक के मूल्यों में वृद्धि होने के बारे में 5 जुलाई, 1980 के फाइनेंशियल एक्सप्रेस का भी उल्लेख करना चाहता हूँ;

"उर्वरक के मूल्यों में हाल की 37 से 40 प्रतिशत वृद्धि कुछ अधिक थी और इसलिये संभव है कि इससे अगले 2 से 3 महीनों में इसकी खपत में कमी आये।" और सरकार समय-समय पर यह कहती आई है कि उसका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है और इससे कृषि पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी। किन्तु कृषि में प्रयुक्त होने वाले सामान के मूल्यों में वृद्धि होने से उर्वरक की खपत में लगभग 15 प्रतिशत कमी आ जायेगी और इसके फलस्वरूप कृषि-उत्पादन कम हो जाएगा हालांकि सरकार उत्पादन बढ़ाना चाहती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय उर्वरक की खपत बहुत कम है। विभिन्न राज्यों में उर्वरक की खपत यह है—आसाम 1.5 प्रतिशत; बिहार 3.8 प्रतिशत; उड़ीसा 1.4 प्रतिशत; उत्तर प्रदेश 3.7 प्रतिशत; पश्चिम बंगाल 4.8 प्रतिशत; उर्वरक की खपत के बारे में यह स्थिति है।

(व्यवधान)

सप्लाई में कमी नहीं है। सरकार का कहना है कि उर्वरक की सप्लाई पर्याप्त है। हम उर्वरकों का बाहर से आयात करते हैं और उसका देश में भी उत्पादन होता है। किन्तु कृषि में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण गरीब किसान उर्वरक खरीद नहीं सकेगा और उनका खाद्यान्न तथा अन्य अनाज के उत्पादन में प्रयोग नहीं कर सकेगा।

सरकार का कहना है कि संमिति के कारण मूल्य में वृद्धि हुई है और मुद्रा समिति एक विश्व व्यापी तथ्य है और इसलिये मुद्रा समिति का हम पर प्रभाव पड़ा है। किन्तु तथ्य यह है कि समाज-वादी देशों में मुद्रा समिति नहीं है। इस सम्बन्ध में सरकार समाजवादी देशो का उल्लेख नहीं करती। समाजवादी देशों में मुद्रा समिति नहीं है, उन देशो में बेरोजगारी भी नहीं है, वहाँ मूल्यवृद्धि की भी समस्या नहीं है दूसरी ओर उन देशों में लोगों का जीवन स्तर ऊँचा हुआ है। उन देशों में यह स्थिति है। किन्तु सरकार समाजवादी देशों के बारे में बात नहीं करती।

कृषि में प्रयुक्त होने वाली अनेक वस्तुयें जैसे—उर्वरक, बीज, कीटनाशक, मशीनरी, डीजल, बिजली आदि के सम्बन्ध में सरकार का कहना है कि इन वस्तुओं की सप्लाई पर्याप्त

है किन्तु उनके मूल्य बढ़ रहे है।

**सभापति महोदय** : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये।

**श्री मुकुन्द मण्डल** : मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। इक्नामिक एडवाइजर के अनुसार 10 मई, 1980 को खाद्यान्न के थोक मूल्यों के सूचकांक 195.6 के मुकाबले सभी पदार्थों का थोक मूल्य सूचकांक 237.1 था (आधार वर्ष 1970-71 = 100) और उसी के अनुरूप दिन और मास में कृषि में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं का थोक मूल्यों का सूचकांक यह था; हाई स्पीड डीजल ऑयल 191.2; लुब्रीकेटिंग ऑयल 324.7; बिजली 227.4 आदि-आदि।

वेस्ट बंगाल प्राविन्शियल किसान सभा ने कुछ दिन पूर्व वाणिज्य मंत्री को एक ज्ञापन पेश किया था। उसमें यह मांग की गई थी कि कच्चे पटसन का मूल्य 300 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया जाये किन्तु 1978-79 के लिये पटसन का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 150 रुपये प्रतिक्विन्टल निर्धारित किया गया तथा 1979-80 के लिये उसे बढ़ाकर 155 रुपये कर दिया गया।

मैं 1978-79 के सम्बन्ध में सदन को पश्चिम बंगाल में प्रति एकड़ जूट की उत्पादन लागत के बारे में बताना चाहता हूँ!

| | |
|---|---|
| मुख्य उत्पाद प्रति एकड़ (क्विन्टल) | रु० 7.22 |
| उप-उत्पाद— | 11.51 |
| मानवश्रम प्रति एकड़ (परिवार द्वारा)— | 36.56 |
| तदेव—(किराये पर) | 81.90 |
| बैलों का श्रम प्रति एकड़ (निजी तथा किराये का) | 31.31 |
| प्रति एकड़ व्यय इस प्रकार है :— | |
| किराये का मानव श्रम | 663.39 |
| बैलों का श्रम | 113.65 |
| बीज | 26.36 |
| उर्वरक और खाद | 64.75 |
| पौध रक्षण रसायन | 17.65 |
| उपकरण— | 22.93 |
| सिंचाई | 7.25 |
| किराया | 9.29 |
| विविध (बाजार सम्बन्धी व्यय सहित) | 7.36 |
| कुल सभी लागत | 932.63 |

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य के लिये निर्धारित समय समाप्त हो चुका है।

**श्री मुकुन्द मण्डल** : इस प्रकार प्रति क्विन्टल (उप-उत्पाद सहित)

| | |
|---|---|
| लागत यह हैं— | 129.17 |
| परिवार द्वारा श्रम | 296.14 |
| पूंजी पर ब्याज 11 प्रतिशत की दर पर | 482.33 |

| | |
|---|---|
| प्रबन्ध व्यय—7 प्रतिशत के हिसाब से | 96.74 |
| प्रति एकड़ कुल व्यय | 1807.84 |

**सभापति महोदय** : कृपया अब आप अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

**श्री मुकुन्द मण्डल** : कृपया केवल एक मिनट की अनुमति दें ।

| | |
|---|---|
| इस प्रकार प्रति क्विन्टल (उप-उत्पाद सहित) लागत यह है— | 250.39 |
| प्रति क्विन्टल लागत (उप-उत्पाद को छोड़कर)— | 240.59 |
| अध्ययन किये गये कार्यों की संख्या— | 22. 8 |

**सभापति महोदय** : कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

**श्री मुकुन्द मण्डल** : मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूँ कि विभिन्न खाद्यान्नों के खरीद मूल्य के मामले में मूल्य प्रणाली के सम्बन्ध में एक उदारनीति अपनाये तथा उन सभी उत्पादों के सम्बन्ध में उदार राज सहायता प्रदान करे ।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद)** : सभापति महोदय, धनिक लाल मण्डल जी आमतौर पर बैलेंस्ड व्यू रखने वाले और बैलेंम्ड भाषण देने वालों में हैं लेकिन आज वह राजनीति में उतर गए । कैस तो कुछ ठीक था । अगर वह राजनीति में नहीं उतरते और अपने कैस को प्रेजेन्ट करते तो शायद उसका प्रभाव ज्यादा पड़ सकता था हाउस पर और मंत्री महोदय पर भी उनका यह कहना कि कर्नाटक में आन्दोलन की वजह से वहां के चीफ मिनिस्टर ने रेट घटा दिया है यह ठीक नहीं है । असल में रेट वह घटाने वाले ही थे । मुझे मालूम है, हमारे गाँव में एक पुजारी थे, हम बचपन में देखते थे कि जब आसमान पर बादल आ जाते थे और बारिश होने वाली होती थी तो वह मन्दिर में जाकर पूजा करते थे और जब बारिश होती थी तो बाहर आकर बोलते थे कि देखो, मैंने पूजा की और बारिश हो गई। बिलकुल ऐसे ही कर्नाटक में हुआ । क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट पहले ही बिलकुल फैसला कर चुकी थी, उस समय यह आन्दोलन चलाया उस का क्रेडिट लेने के लिए । हमारे कर्नाटक के मुख्य मंत्री गुन्डू राव जी बहुत दूर की सोचने वाले हैं, गरीबों और किसानों से उनका करीब का रिश्ता है, वह उनकी मदद करना चाहते थे और खुद वह ऐसा करने वाले थे मगर विरोधी दल के लोग उसका क्रेडिट लेना चाहते थे···

(व्यवधान)

**श्री धनिक लाल मंडल** : मैंने उनको धन्यवाद दिया हैं और मैंने यह भी कहा है कि किसी राजनैतिक दल ने इस आन्दोलन का संगठन नहीं किया था ।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : अगर आप उनको धन्यवाद देते हैं तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

**एक माननीय सदस्य** : उस वक्त नहीं दिया था ।

**श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : उस वक्त नहीं दिया था तो अब तों दे रहे हैं, तो भी मैं उनकों धन्यवाद देता हूं ।

यह आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस की नीति, इंदिरा जी की नीति और हमारे राव वीरेन्द्र सिंह जी की नीति किसानों की मदद करने की है । 1971 तक आप देख

सकते हैं, हमारे देश में एक औंस भी अनाज गोदामों में नहीं रहता था।

कांग्रेस की अच्छी पालिसीज की वजह से सन् 1977 में दो करोड़ अनाज गोदामों में भरकर जनता पार्टी को दिया गया था। आप कह सकते हैं कि कांग्रेस की पालिसी किसानों के विरोध में है लेकिन ऐसा नहीं है। अब कुछ भाव जरूर बढ़ गये हैं। मैं राव वीरेन्द्र सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि या तो वे अनाज की कीमत बढ़ायें या फिर फर्टिलाइजर की कीमत घटायें क्योंकि इसका बोझ गरीब किसानों पर पड़ रहा है। यह बात सही है कि पेट्रोलियम प्राडक्टस की कीमत बढ़ गई है जिस पर गवर्नमेंट आफ इंडिया का कोई कन्ट्रोल नहीं है क्योंकि यह चीजें बाहर से मंगाई जा रही हैं। इसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर भार आ जाता है लेकिन फिर भी देश में ज्यादा अनाज पैदा करना है। इसलिए किसानों का खयाल रखते हुए, 30 रुपए दाम जो आपने बढ़ा दिए हैं उसको छटाना बहुत जरूरी है। अगर अनाज की पैदावार कम हो गई, अगर गोदामों में बैलेन्स कम हो गया तो उसका बहुत बुरा परिणाम होगा।

जहां तक शुगरकेन का मामला है, जूट का मामला है, खास तौर से शुगरकेन में बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डालनी पड़ती है, धान में भी बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर डालनी पड़ती है। हमारे खेतों की कूवत कम होती जा रही है इसलिए उतना ही अनाज पैदा करने के लिए अगले साल ज्यादा फर्टिलाइजर डालने की जरूरत पड़ती है। इस तरह से किसानो पर बहुत ज्यादा भार पड़ रहा है। अगर गवर्नमेंट आफ इंडिया को पैसे की जरूरत है तो वह कोई और तरीका अख्तियार करे, कुछ सैक्टर्स ऐसे हैं जिनपर वह और टैक्स लगा सकती है लेकिन किसानों पर टैक्स कम होना चाहिए इन्दिरा गवर्नमेंट के जमाने में किसानों पर भार नहीं डाला गया रिकार्ड है, अब 1980 में आने के बाद भी और इसकी जरूरत होने के बाद भी मन्त्री जी को कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। आज गोदामों में अनाज बहुत है और पैदावार भी बहुत होने वाली है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आम किसानों पर बार डालें क्योंकि इससे उनकी हालत खराब हो जायेगी ! अगर डाक्टर खुद बीमार हो गया तो वह दूसरों का इलाज क्या करेगा ? अगर किसान खुद गरीब हो गया तो वह दूसरों को खाना नहीं खिला सकता है। अगर किसान मजबूत होगा तो देश भी मजबूत होगा। यह कहना कि किसान कुलक है, यह गलत है। 1947 से पहले जब आजादी का आन्दोलन शुरू हुआ तो जमीदार लोग अपनी जमीनें बेचते चले गए। इसलिए आज यह कहना कि वे कुलक हैं, बड़े जमींदार हैं—यह गलत होगा। (**व्यवधान**) अगर आज भी कहीं पर कुलक, बड़े जमीदार हैं तो यह हम पोलिटिकल वर्कर्स का काम हैं कि गवर्नमेंट को बतायें और गवर्नमेन्ट उस पर सख्ती से ऐक्शन ले। केवल यह कह देना कि बड़े-बड़े जमींदार हैं—मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूं। हम राजनीतिक कार्यकर्ताओं का काम है कि उसको प्वाइन्ट आउट करें कि फलां आदमी ने बेनामी से इतनी जमीनें रख छोड़ी हैं। हम किसी भी पोलिटिकल पार्टी के हों—कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, हमारा काम है कि अगर किसी ने चोरी से जमीनें रखी हैं तो उसको प्वाइन्ट आउट करें। केवल पार्लमेन्ट और लेजिस्लेचर में बोल देने से काम नहीं होगा, हम कागज पर लिखकर राव वीरेन्द्र सिंह जी को दें ताकि वे उस पर ऐक्शन ले सकें।

इन अलफाज के साथ मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं।

**श्री चतुर्भुज (झालावाड़)** : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार फिर किसानों के लिए विचार

करने का अवसर कृषि मंत्री के पास आया है। अभी जो रासायनिक खाद के दाम बढ़े हैं वह किसानों के लिए बड़ी चिन्ता का कारण है। 1973-74 में भी किसानों के खाद के भाव डबुल हो गए थे। 1025 रुपए से बढ़कर 2 हजार रुपए प्रति टन यूरिया का भाव हो गया था।

उस समय भी किसानों को बहुत चिन्ता हुई थी और उसका परिणाम यह हुआ था कि हमारे देश के अन्दर उससे पहले वर्ष में जो गल्ला 104 मिलियन टन गल्ला पैदा हुआ था. वह घट कर 95 मिलियन टन रह गया था। 1973-74 में भी उस पर असर पड़ा और गल्ला कम पैदा हुआ। मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह सरकारी आँकड़ों के आधार पर कह रहा हूं।

इसलिये जो भाव अभी बढ़े हैं, वे कम नहीं हैं, इतना ज्यादा बढ़ें हैं कि किसानों को चिंता होना स्वाभाविक है, इसका किसानों पर बहुत बड़ा असर पड़ा है, उसकी मानसिक शक्ति पर असर पड़ा है, वह समझ नहीं पा रहा है कि क्या करें। जो किसान 10 हजार रुपए का खाद अपने खेतों में डालता था, वह अब उतना खाद डाल सकेगा मुझे इसमें सन्देह है।

मैं कृषि मन्त्री जी से निवेदन करूंगा—यह ठीक है कि सहकारिता के क्षेत्र में आप किसानों को लौन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके नार्म्ज ऐसे हैं कि बढ़े हुए दामों को देखते हुए उसे आप के लौन का लाभ नहीं पहुंच सकता। मान लीजिये—उसको 200 या 400 रुपए का लौन मिल सकता है, लेकिन आप के जो भाव बढ़ें हैं उन के अनुरूप स्मालफार्मर या मार्जिनल फार्मर उस लौन का पूरा लाभ नहीं उठा सकेगा। मैं चाहता हूं कि आप सहकारी विभाग को आदेश दें, भावों के बढ़ने के अनुरूप उस के लौन की धनराशि भी बढ़े, ताकि जिस उद्देश्य से वह लौन ले उसका सही उपयोग कर सके।

मैं यहाँ यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आज खादों के दाम बढ़े हैं, आप आणविक खाद के उत्पादन की तरफ ध्यान दें। आज हम वैज्ञानिक युग में प्रवेश कर चुके हैं तो फिर आणविक खाद तैयार करने का प्रयास क्यों नहीं करते ? उस स्थिति में केवल 1 ग्राम या 2 ग्राम खाद देनी पड़ेगी। मैं इसमें विशेष नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप ने खाद के दामों की तरफ ध्यान नहीं दिया तो इसका इतना ज्यादा असर पड़ेगा कि आज हम ग्राम-पुनर्विकास की ओर जो आगे बढ़ रहे हैं, वह रुक जाएगा। हमारी आत्म-निर्भरता समाप्त हो जाएगी। 1978-79 में अकाल के कारण गल्ला कम पैदा हुआ था, लेकिन आने वाली स्थिति मुझे ऐसी दिखाई दे रही है कि हमारे किसान के अन्दर चिन्ता और भय पैदा हो गया है और यदि ऐसी स्थिति पैदा हुई तो सम्भव है हमें फिर भीख का कटोरा लेकर विदेशों के सामने जाना पड़ेगा। इस लिये मैं कृषि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वे इसके भाव पर फिर से विचार करें।

हमारे यहाँ जो कैश क्राप होती है, आप जानते हैं वह भी खाद के माध्यम से पैदा होती है। अभी तक किसान जितनी खाद उसको पैदा करने के लिए अपने खेत में डालता रहा है, यदि अब भाव बढ़ जाने से उसने कम खाद डालना प्रारम्भ किया तो इसका नतीजा यह होगा कि उस का उत्पादन बढ़ना तो दूर, उल्टा कम हो जायेगा। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, जो जमीन एक बार खाद का टैस्ट ले लेती है, अगर उसको उतनी क्वांटिटी नहीं दी जाएगी, तो उसकी प्रोडक्शन आधी रह जाएगी। यह स्थिति चाहे कैश क्राप हो, चाहे अन्य खाद्यान्न हों, सब के लिये है। इस लिये मैं कृषि मंत्री जी से निवेदन करूंगा, वे स्वयं किसान भी हैं, इसलिये किसान की

चिन्ता को दृष्टि में रखते हुए चाहे उन्हें कैबिनेट के सामने जाना पड़े या जो भी करें, किसान की मदद करें, खाद के दामों को कम करायें। यदि आप ने ऐसा किया तो मैं समझता हूं इससे देश के 80 प्रतिशत किसानों का विकास हो सकेगा।

**श्री कृष्ण दत्त (शिमला) :** माननीय सभापति जी, हमारे धनिक लाल जी मंडल, जो इस डिस्कशन को यहाँ पर लाये हैं, वे इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इस देश के अन्दर जहां तक खाद की कीमतों के बढ़ने का सवाल है, यह आज की बात नहीं है, पहले भी उसके दाम बढ़ते गए हैं और जहाँ तक इस देश के किसानों का ताल्लुक है, ज्यादातर किसान जो गांवों में रहने वाले हैं, उन लोगों पर इस का कोई खास असर नहीं पड़ा है।

अभी-अभी इन्होंने बतलाया कि कर्नाटक में एजीटेशन हुई, वहाँ उन्होंने कुछ रेट कम किये हैं और इस के लिए उन्होंने वहाँ के मुख्य मन्त्री को धन्यवाद भी दिया है, लेकिन जहां सारे देश की बचत आती है वहाँ देश के अन्दर 70 फीसदी लोग किसान हैं, उनमें बहुत से छोटे किसान हैं, जिनको पिछले काँग्रेस शासन में जमीनें मिली हैं। हमारे देश के अन्दर हमारी प्रधान मंत्री जी ने 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था यह 1975 की बात है, उसमें 5—5 बीघे जमीन गाँव के हर हरिजन, गरीब और आदिवासी परिवार को दी गई थी। लेकिन जब जनता लोकदल के किसानों का राज आया, इन्होंने सारे देश में इस तरह की घोषणा की कि हम आगे से दूध की नदियाँ बहाने वाले हैं, इस तरह का शासन बना रहे हैं।

इस देश को आगे ले जाने वाले जो किसान नेता थे, उनके जमाने में इस तरह से मूल्य बढ़े कि आज भी वे कन्ट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। हमारे मन्त्री जी भी किसानों से सम्बन्धित हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस हाऊस में, इस माननीय सदन में जब बजट पर भाषण हो रहे थे, उसमें भी यही भाषण दिये गये, जो अभी दिए गये हैं और कहा गया कि किसानों की जो चीजें खरीद करनी हैं उनकी कीमतों को बढ़ाया गया। मैं यह अर्ज करना चाहता हूँ कि किसानों को कम कीमतों पर चीजें मिलें, उसके लिए हमारी सरकार ने यह किया है कि जो हमारी ब्लाक एजेन्सी है, जो बी०डी०ओ० का दफ्तर है, वहाँ जो छोटे किसान हैं, जो लघु किसान हैं, छोटे जमींदार हैं, उनको सब्सीडी मिलती है और सब्सीडी के साथ उनको खाद मिलती है। यह काम हमारी सरकार ने किया है और आप की जो सरकार थी, उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था। आप राज्य मन्त्री रहे हैं, आप इन्क्वायरी करवा सकते थे कि जितने फर्टिलाइजर के डिपो आपके जमाने में बटे, वे सब के सब ऐसे आदमियों को दिये गये, जो ब्लैक-मार्किटियर्स थे। आपकी जनता पार्टी के राज्य में ऐसा हुआ है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो सेब के किसान हैं या जो पहाड़ों पर आलू की खेती करते हैं या जो सेब पदा करते थे, उनको उनके दाम सही नहीं मिले। आपके जमाने में आलुओं को शिमला के खड्डों में और नालों में फेंकना पड़ा और आप प्याज की कीमत भी सही मुकर्रर नहीं कर सके। हमारी कांग्रेस सरकार के जमाने में आलू के भाव नीचे नहीं गिरने दिये गये, यह मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। जनता शासन के जमाने में आलू के दाम बहुत नीचे गिर गये थे और आज आलू एक रुपये किलो बिक रहा है और प्याज के दाम भी नीचे नहीं गिरे हैं। कनक के दाम भी मुकर्रर हैं। एक सदस्य ने यह कहा कि एक किसान 10 हजार रुपये की खाद लेंगे तो अब उसके लिए 15 हजार रुपये देने पड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि 10 हजार रुपये की खाद कौन-सा गरीब आदमी लेगा। कहते यह हैं कि हम गरीब लोगों और छोटे जमींदार की

बात करते हैं, हम गरीब लोगों के लिए आँसू बहाते हैं, हम हरिजनों के लिए और ट्राइबल के लिए कुछ करना चाहते हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आप के दास सरकार की मुखालफत के सिवाय कोई चीज नहीं है। हमारे पास उनके लिए कई प्रोग्राम हैं। हमारी जो यह सरकार बनी है, इसने प्रोडक्शन को बढ़ाया है, हमने प्रोडक्शन के टार्गेट मुकर्रर किये हैं और यह देश को आगे ले जाने वाली है। हमारी पार्टी और हमारी प्रधान मन्त्री इस देश को आगे ले जाना चाहती हैं। आप जिस तरह से मूल्य वृद्धि के बारे में पोजीशन को एक्सप्यायट कर रहे हैं, जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, ये अधर्म की बातें हैं। आपका यह अधर्म और कर्म इस देश को आगे नहीं ले जा सकता। आप मुखालफत करना अपना धर्म समझते हैं। जब आप इधर थे, तो भी मुखालफत करते रहे और कभी आपने किसानों के भले की बात नहीं सोची। मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर भगवान इनको अकल दे, तो इनको सरकार की मदद करनी चाहिए। इस सरकार की बात को यह मानें और इसके मुताबिक चलें तभी इस देश का भला हो सकेगा। कीमतें अगर बढ़ी हैं, तो सरकारी खजाने से पैसा आएगा और कहीं से तो पैसा नहीं आएगा। अफसरों की तन्ख्वाहें देनी होंगीं। दूसरे बाहर के देशों में पैट्रोल के दाम चढ़ रहे हैं तेल के दाम चढ़ रहे हैं और हिन्दुस्तान के अन्दर एजीटेशनें हो रही हैं। अगर देश में इन चीजों को कन्ट्रोल में रखना है और मुल्क की हालत अच्छी बनानी है, तो आपको इसमें सहयोग करना चाहिए और इस तरह से सोचना चाहिए कि यह मुल्क हमारा हैं। हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, जो कांग्रेस शासन है, वह इस देश की नैया को पार लगाने वाला है। यही पार्टी है जो देश को आगे ले जा सकती है, जो इस मुल्क को आगे बढ़ा सकती है। आप लोग तो बंट गये हैं। घनिक लाल मंडल जी घर ईलादह चले गए, हमारे भूतपूर्व प्रधान मन्त्री दूसरी तरफ बंट गये हैं और वाजपेयी जी किसी और तरफ चले गये। अब इस सारे काम को ठीक करने की जिम्मेदारी हमारी है और हम इस को ठीक करेंगे। आप थोड़ा सा इन्तजार कीजिए। भाव भी ठीक हो जाएंगे। जो मूल्य वृद्धि है उसके प्रति हम पूरी तरह से सतर्क हैं। हमारे मन्त्री जी ने यह कहा है कि खाद के भाव जो चढ़ गए हैं इससे घबराने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये कम नहीं होंगे। इसका कारण यह है कि बजट आपने, सबने पास कर दिया, उसके पक्ष में वोट दे दिया है। अब आप सहयोग करें। जो छोटे किसान हैं वे जो पैदा करते हैं, अनाज वगैरह, उसका खयाल आपको नहीं है। आप तो बड़े-बड़े जमींदारों का खयाल करते हैं, राजा महाराजाओं का खयाल करते हैं। उनको खाद के भाव बढ़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।

**श्री टी० आर० शमन्ना** (बंगलौर दक्षिण) : सभापति महोदय, हमारे देश की समझदार जनता ने भारत की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को बहुमत से नेताओं ने चुना। सभी ने आशा की थी कि विभिन्न आवश्यक वस्तुओं के मूल्य कम हो जायेंगे किन्तु उन्हें बड़ी निराशा हुई है। यदि स्थिति को ऐसे ही रहने दिया तो मैं नहीं जानता कि अपने देश का भविष्य क्या होगा।

भाग्यवश इस वर्ष देश के सभी भागों में अच्छी वर्षा हुई है। इससे सामान्यतया कीमतें कम होनी चाहिए और इस प्रकार नहीं बढ़नी चाहिए, सरकार ने असामाजिक तत्वों, व्यापारियों तथा जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए संसद के माध्यम से आवश्यक शक्तियाँ प्राप्त कर ली है किन्तु इसके बावजूद सरकार उनकी कारगुजारियो को रोक नहीं सकी है और अभी भी समाज को हानि पहुँचा रहे हैं। यह गड़बड़ी क्यो है। सरकार को स्थिति के बारे में

गम्भीरता से सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिये। वे देश की इन सब बुराइयां के लिए केवल जनता पार्टी को दोष देकर स्वयं बच नहीं सकते। इससे समस्या का हल नहीं होगा। जनता सरकार के कार्यचालन से तंग आकर जनता ने आपके पक्ष में वोट दिए यह आपका कर्त्तव्य है कि आप उनकी आशायें पूरी करें, खूब मेहनत करें, ईमानदारी से काम करें तथा देश की भलाई करें। इस सरकार को सत्ता सम्भाले सात महीने हो गये हैं और स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। यदि उपचारात्मक उपाय शीघ्र न किये गये तो वर्ष के अन्त तक स्थिति और बिगड़ने की सम्भावना है। इस समय मूल्यों में कमी होने के कोई संकेत नहीं हैं।

महोदय, सत्ताधारी दल यह कहकर कि उसने सभी संभव उपाय किये हैं जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इससे आम जनता सन्तुष्ट नहीं होगी। रेल भाड़े में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और इससे सभी चीजों के मूल्य स्वतः ही 15 प्रतिशत बढ़ गये हैं। पेट्रोल और डीजल के मूल्य 15 प्रतिशत बढ़ गए हैं इससे अनेक वस्तुओं की लागत बढ़ जाएगी। उर्वरक का मूल्य भी बढ़ गया है। इस बात की बहुत आशा थी कि बजट से मूल्यों में कमी होगी किन्तु इस सम्बन्ध में हममें से अनेक को बहुत निराशा हुई है। इसके विपरीत कीमतें बढ़ती जा रही हैं।

चीनी का उत्पादन वर्ष प्रतिवर्ष कम होता जा रहा है। चीनी का आयात किए जाने के बावजूद सरकार चीनी की कीमत को बढ़ने से रोक नहीं पा रही है। कीमतें कम होने के बजाय बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। मुझे बताया गया है कि दिल्ली में इस समय मूँगफली का तेल 12 रुपये प्रति किलोग्राम है। एसा पहले कभी नहीं हुआ। कालाबाजारी तथा जमाखोरी करने वाले जनता के कमजोर वर्ग को मनमाने ढंग से लूट रहे हैं।

ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कर्नाटक राज्य में जहाँ से मैं आया हूँ खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के विरुद्ध अनेक शिकायतें हैं कि सीमेंट और खाद्य पदार्थों की स्थिति में गड़बड़ी पैदा करने के लिए मुख्य रूप से वे जिम्मेदार हैं। स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है मैं नहीं जानता कि मेरे मित्र जो सत्ता में हैं यह स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते कि जो भी भ्रष्टाचार में पकड़ा जायेगा इसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी। मैं कर्नाटक राज्य से आया हूँ और मैं कर्नाटक की जनता को विशेष रूप से ग्रामीण जनता को नजदीकी से जानता हूँ। कर्नाटक राज्यों के इतिहास में कर्नाटक के किसानों का इतना बड़ा-बड़ा विद्रोह कभी नहीं हुआ था।

वास्तव में उनकी स्थिति दयनीय बना दी गई है जिससे लोग बहुत उत्तेजित हो गए हैं। मैं सरकार को चेतावनी देता हूँ कि यदि शीघ्र कदम नहीं उठाये गए तो देर-सवेर यह आन्दोलन सारे देश में फैल जाएगा और लोगों को बहुत कठिनाई होगी। मुद्रास्फीति के चिह्न मौजूद हैं। वे बहुत खराब हैं। मुद्रास्फीति दिन पर दिन बढ़ रही है। भारत के इतिहास में मुद्रास्फीति की दर में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई है और न ही कभी वस्तुओं के मूल्य इतने बढ़े हैं।

कृपया दूसरों पर दोषारोपण न करें। जनता ने आपको प्राधिकार दिया है। जनता ने आपको सत्ता सौंपी है। यह आपका कर्त्तव्य है कि चीजें ठीक हों। यदि आपने इसी प्रकार स्थिति रहने दी तो यह आप बहुत बड़ा पाप करेंगे और भारतीय जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। भगवान आपको ईमानदारी से देश की सेवा करने के लिए सद्‌बुद्धि दे।

**श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा)** : सभापति महोदय, मैं श्री मंडल की इस बात का

समर्थन करता हूँ कि किसान जो पैदा करता है, उसको उसकी कीमत ज्यादा मिलनी चाहिए। किसान जो पैदा करता है, निश्चित रूप से उसका ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। मगर मैं उनसे यह जानकारी चाहता हूँ कि जनता पार्टी का शासन ढाई साल तक रहा, और चरण सिंह जी, जो किसान के सब से बड़े हिमायती थे, जब एग्रीकल्चरल प्राइसिज कमीशन के सामने पैसा बढ़ाने का सवाल आया, तो उन्होंने कितना पैसा बढ़ाया। उन्होंने कुल ढाई रुपया बढ़ाया, जबकि उन्हीं के लोग 125 रुपए की माँग कर रहे थे। पहले उन्होंने 110 रुपये से 112.50 रुपए किया और फिर 115 रुपये कर दिया। इस हालत में वह एक्सपैक्ट करते हैं कि एग्रीकल्चरल कमीशन और गवर्नमेंट इन सारी व्यवस्थाओं को एकदम से बदल दे और कनज्यूमर्ज का कोई खयाल न रखे। दोनों का खयाल रखने की आवश्यकता है। किसान और कनज्यूमर दोनों के हितों को देखना पड़ेगा। देश में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो फैक्टरियों और कारखानों में काम करते हैं, दूसरी मजदूरी करते हैं, उन लोगों को अगर सरकार सस्ते भाव पर अनाज उपलब्ध नहीं कराएगी, तो कैसे काम चलेगा ?

जहाँ तक खाद को महंगा करने का प्रश्न है, यदि वह बड़े लोगों के लिए महंगा किया है, तो उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। उन लोगों के पास हजारों बीघे जमीन है। अभी रेड्डी साहब कह रहे थे कि किसी के पास हजारों बीघे जमीन नहीं है। मैं बता सकता हूँ कि राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में, यू० पी० में, बिहार में एक-एक आदमी, एक-एक परिवार के पास हजारों बीघों के फार्म हैं। उन लोगों को कुला बस कहा जाता है, जो कि सही नाम है।

कांग्रेस सरकार ने सीलिंग कानून बनाया और उसको लागू भी किया। उसने लोगों से जमीन ली और गरीबों को बाँटी। लेकिन जब श्री मंडल का राज आया, तो सब मटियामेट हो गया। उसने जमीदारों और सामन्तों के हाथ में तलवार और बन्दूक दे दी। जिन लोगों को जमीन एलाट की गई थी, बड़े-बडे जागीदारों ने तलवार और बन्दूक की नोंक पर उन से जमीन छीन ली और आज भी वह जमीन उन्हीं के कब्जे में है। यह सरकार इस देश के किसानों की रक्षक है। कांग्रेस गवर्नमेंट ने सीलिंग कानून के मातहत गरीब लोगों को जमीन दिलवाई थी। मगर जनता पार्टी के शासन में जिन लोगों ने अत्याचार और अनाचार करके लाखों लोगों की जमीनों को तलवार और बन्दूक के जरिए छीन लिया, उनके खिलाफ सरकार सख्त से सख्त कार्यवाही करे और जल्दी से जल्दी उन्हें वह जमीन वापस दिलवाए, तब जाकर न्याय हो सकेगा। इसलिए इन छोटे लोगों के बारे में मैं कृषि मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उनकी तरफ ध्यान दीजिए। आपने उनको सब्सिडी देने की बात कही है, सब्सिडी और दीजिए।

एक बात और रह गई, आपने जब से खाद का दाम बढ़ाया है, आपने कभी सोचा कि जिस तारीख से आपने दाम बढ़ाया, उस तारीख को इसकी सहकारी समितियों, इसके एजेंटों या अन्य लोगों के पास कितने लाख टन खाद मौजूद थी। आज उसकी बढ़ी हुई कीमत वे वसूल कर रहे हैं। पहले भी जब इस तरह के दाम बढ़े थे तो सरकार ने पहले से चेक कर लिया था और यह मालूम कर लिया था कि किसके पास कितना माल है और उसके लिए ऐसा इंतजाम किया था कि उसको या तो पहले की क़ीमत पर बिकवाया जाय या नई कीमत वे उस पर वसूल न कर सकें, इस प्रकार की व्यवस्था की जाय। आज हमने स्वयं देखा है,

खाद के एजेन्ट लोगों ने कहा कि इंदिरा गाँधी की जय हो, उन्होंने खाद की कीमत बढ़ा कर एक-एक एजेन्ट को एक-एक लाख, दो-दो लाख रुपए का फायदा करा दिया। आपने कीमत बढ़ाई, उससे तुरन्त एजेन्ट को फायदा हो गया, गरीब किसान तो लुट गया। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि उस तारीख का हिसाब दिखवाइए और जिन-जिन एजेन्टों के पास उस तारीख में जितना-जितना स्टाक था, उसका जो ज्यादा पैसा उन्होंने वसूल किया है वह या तो सरकार के खजाने में जमा कराइए या उन गरीब किसानों को वापस उससे सब्सिडी दिलवाइए और उन को राहत पहुंचाइए। इस प्रकार की व्यवस्था करने की आज अत्यंत आवश्यकता है। लाखों करोड़ों रुपए का इस प्रकार उन्होंने फायदा उठा लिया। जैसा अभी हमारे एक भाई कह रहे थे, मंडल साहब के राज में ऐसे कालाबाजारी करने वाले लोगों को उन्होंने खाद का एजेंट बना दिया जिन्होंने इन सारी चीजों का लाभ इन दिनों में उठाया है। इस प्रकार के लोग आज भी उस व्यवस्था में बने हुए हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि उनको फिर से सोचना चाहिए कि जनता पार्टी के शासन में जिनको खाद का एजेंट बनाया गया, पैट्रोल पम्प दिए गए या और दूसरे साधन, गैस की एजेंसी आदि दिलवायी गई वही लोग आज हमारी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं, वही कालाबाजारी करते हैं, वही कीमतें बढ़ा रहे हैं और वही यह सब कुछ कर रहे हैं, सब प्रकार के अन्याय और अत्याचार वही कर रहे हैं। आप ने सस्ते भाव की दुकानें गांवों में खोलीं, उसका भी लाभ लोगों को नहीं मिल पाया। वह दुकानें भी इन्हीं जनता पार्टी के लोगों द्वारा उन को दी हुई हैं और वे लोग आज गेहूँ का भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे शास्त्री जी कह रहे थे कि हमें शक्कर ही नहीं मिलती जब पार्लियामेंट के मैम्बर को शक्कर नहीं मिलती हो और लोगों को कैसे मिलती होगी ? ऐसे लोगों को आप एजेंट बना दें और ऐसे लोगों को शक्कर या इस प्रकार की कंट्रोल की चीज दे दें तो निश्चित तरीके से देश में बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार होगा। इसलिए जनता पार्टी द्वारा रखे गए तमाम एजेंटों को आप हटाइए क्योंकि ये सब के सब ब्लैक मार्किटर्स हैं, प्राफिटियर्न हैं, होर्डर्स हैं और स्मग्लर्स हैं। इनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही कीजिए...(व्यवधान)....कुलंक तो हैं ही, इसमें दो राय नहीं है।

जनता पार्टी के राज में क्या हुआ ? इन्होंने हमारी बात यो कही कि कांग्रेस के राज में किसान लुट रहा है, खाद की कीमत बढ़ गई, अनाज की कीमत पूरी नहीं मिल रहीं है। लेकिन इनके राज्य में इन्होंने क्या किया ? गन्ना आप के राज में किस भाव बिका, यह मालूम है आप को ? लोगों ने गन्ना अपने खेतों में जला दिया क्योंकि उनको कोई काटने वाला नहीं मिला। इतना पैसा भी उनको नहीं मिल रहा था। यह चरण सिंह और जनता पार्टी की सरकार के समय में हुआ। उन्होंने इस प्रकार की हालत पैदा कर दी। आलू का क्या भाव हुआ ? खेतों के अन्दर आलू सड़ गया, उसको कोई खरीदने वाला नहीं था। इस प्रकार की व्यवस्था इन के राज में स्थापित हुई। कांग्रेस ने तो इन को सब को ऊंचा उठाने की कोशिश की। प्याज, आलू, गेहूँ सब चीजों की अच्छी और रेम्युनरेटिव कीमत हम देने की कोशिश कर रहे हैं हालांकि हमें कन्ज्यूमर का भी ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन हमारे कृषि मंत्री जी दोनों का ध्यान रख कर बहुत वाजिब तरीके से यह काम कर रहें हैं। किसानों के प्रति उनकी बहुत सद्भावना है। किसानों को फायदा पहूंचाने में वह कोई कमी नही रखेंगे। लेकिन आप लोगों के राज में किसान मरा है, पिटा है, पिसा है और बरबाद हुआ है। आप लोगों को आज इस प्रकार की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि माननीय कृषि मंत्री महोदय

किसानों का और गरीबों का विशेष ख्याल रखें। इन बड़े-बड़े कुलकूस ने जो हजारों बीघे जमीन अपने कब्जे में कर रखी है उसको उनसे निकलवाएं और गरीबों में बटवाएं जिससे उनको राहत पहुंचे। इस प्रकार की व्यवस्था करने की आज निश्चित रूप से आवश्यकता-है। मेरी यही उनसे प्रार्थना है कि वह निश्चित कार्यवाही इस सम्बन्ध में करें।

**श्री रामावतार शास्त्री (पटना)** : सभापति जी, हम लोग अभी किसानों को अधिक से अधिक अनाज पैदा करने के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाए—इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं। हमारे देश का किसान सबसे बड़ा देश-भक्त है, सबसे ज्यादा परिश्रम करता है ताकि देश की सम्पत्ति में वृद्धि हो, देश की भुखमरी समाप्त हो और धन धान्य से पूर्ण होकर हमारा देश आगे बढ़ सके लेकिन अफसोस की बात है कि किसानों के चाहने के बावजूद सरकार उन्हें आवश्यक सुविधायें प्रदान नहीं करती जिसका सहारा लेकर वे ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा कर सकें और अपने देश को अनाज के मामले में, खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना सकें। अभी जिन चीजों का किसान इस्तेमाल करता है अपनी उपज बढ़ाने के लिए उसमें बीज है, खाद है, डीजल है, कीटनाशक दवायें हैं, पानी है, सरकारी कर्ज से जो पैसा मिलता है उसका भी महत्त्व है, बिजली का सवाल है, नहर वगैरह की खुदाई और मरम्मत का सवाल है—अगर इन तमाम जीजों को मोहैया कर दिया जाए तो कोई वजह नहीं है कि हमारे देश को समय-समय पर जो अकाल का मुकाबला करना पड़ता है वैसे दुर्दिन देखने को मिलें। हमारे देश के किसानों की तारीफ सभी जगह लोग करते हैं। मैं 1965 में सोवियत रूस गया था तो वहाँ के किसानों ने पूछा कि आपके यहाँ जमीन उर्वरा है, सोना उगलने वाली आपकी जमीन है, किसान दिन-रात परिश्रम करते हैं फिर अकाल की स्थिति क्यों पैदा होती है ? उन्होंने कहा कि अगर उस प्रकार की जमीन हमारे देश में होती तो हम न जाने क्या कर देते। इसलिए सरकार का कर्त्तव्य है कि इन तमाम चीजों को किसानों की मोहैया करे, लेकिन अफसोस की बात है कि डीजल के दाम बढ़ा दिए गए, खाद के दाम बढ़ा दिए गये और कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर ठीक ही कहा है कि 37 से 40 प्रतिशत तक इन चीजों की कीमत बढ़ गई। एक-एक बोरी खाद की कीमत 50-60 रुपये ज्यादा हो गई है फिर उस खाद को कौन खरीद सकेगा ? जिसके पास ज्यादा पैसा है वही खरीद सकेगा। क्या वे मध्यम वर्ग के किसान, मार्जिनल फार्मर्स जिनको कहते हैं, या गरीब किसान इस दाम पर खाद खरीद सकेंगे ? नहीं। आज उपज बढ़ाने के लिए चाहे बड़ा किसान हो, छोटा किसान हो या मझोला किसान हो, उसको खाद की आवश्यकता होती है लेकिन आपने सभी चीजों की कीमतें बढ़ा दी हैं, बड़े पैमाने पर चोर-बाजारी होती है, मुनाफा-खोरी होती है, किसान चाहता है खाद लेना लेकिन उसे सही दाम पर, जो भाव आप तय करते हैं, उस पर खाद नहीं मिलती है। जिस राज्य से हम आते हैं वहाँ पिछले साल भयंकर भुखमरी का सामना करना पड़ा, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया जिसके आज भी किसान मारे हुए हैं। वे अनाज पैदा करना चाहते हैं लेकिन सिंचाई की कोई सुविधा नहीं है। 33 वर्षों में आप किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान नहीं कर सके फिर किसान कैसे अनाज पैदा करेंगे, क्या अपनी हड्डी गला दें ? अपनी हड्डी भी वे गलाते हैं लेकिन स्थिति यह है कि जहाँ नहरें हैं वहाँ पानी नहीं मिलता है, हमारे जिले में गवर्नमेन्ट की नहरें हैं लेकिन पानी नहीं मिलता है। दियारा के इलाके में हर साल बाढ़ आती है। वहाँ पर बिजली नहीं लगाई जाती, सरकार की तरफ से नलकूप नहीं हैं। आप चाहते हैं कि दियारे के किसान ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा करें

लेकिन मेरे जिले में मनेर दानापुर का क्षेत्र, मुकामा का बहुत बड़ा हिस्सा दियारे का है, वहां के किसान कैसे अनाज पैदा करेंगे ?

उनको यदि आप सहूलियत नहीं दे पाते हैं तो कम से कम इतना तो कीजिये कि जो दाम आप ने बढ़ाये हैं, उसको कम कर दें। यदि आप ऐसा करते हैं, तभी आप किसानों को यह कहने के हक़दार हो सकते हैं कि किसान ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। किसान तो अब भी मेहनत कर रहा है, लेकिन सरकार अपने कर्त्तव्य को पूरा नहीं कर रही है। इसलिए कई माननीय सदस्यों ने ठीक ही मांग की है कि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें दें, कर्जा दें, बिना सूद का कर्जा दें। जो गरीब किसान हैं, मार्जिनल फार्मर हैं, स्माल फार्मर हैं उनको मुफ्त खाद देने की व्यवस्था करें और जो दूसरे हैं उनको भी सहूलियत के दामों पर खाद दें, तभी रास्ता निकल सकता है।

अभी अखबारों में खबर आई है कि हमारे देश में सम्भवतः इस साल खरीफ की, धान की फसल 35 लाख टन पैदा होने की उम्मीद है। इस को कई गुना बढ़ाया जा सकता है, अगर हम इन तमाम चीजों की व्यवस्था कर दें, जिनका अभी उल्लेख किया गया है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, खाद बाहर से मंगाते हैं या खाद के कारखाने बन्द करते हैं, जैसा आप सुन चुके हैं कि सिन्दरी का खाद का कारखाना 4 लाख रुपये में स्कैप के नाम से बेच दिया गया है—यह किसान की मदद का तरीका नहीं है। यह तो किसान को पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रख देने का तरीका है। उस कारखाने का 1951 में पं० जवाहर लाल नेहरू ने उद्घाटन किया था, लेकिन उसके साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं······।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : आपने चलने नहीं दिया।

**श्री रामावतार शास्त्री** : मैं समझता हूँ कि यह तरीका किसानों की मदद करने का नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप खाद, डीजल और कीटनाशक दवाओं की कीमतें कम कीजिये। जो गलती आप ने बजट सेशन शुरू होने के चार-पाँच दिन पहले की हैं, उस गलती को स्वीकार कीजिये और किसानों की ज्यादा से ज्यादा मदद कीजिये। नहरों में पानी दीजिये, जहाँ नहरें नहीं हैं वहाँ नहरें खोलिये, ट्यूब-वेल्ज की व्यवस्था कीजिये, ट्यूब-वेल्ज को बिजली दीजिये और ऐसी व्यवस्था कीजिये जिससे उनको लगातार 8 घण्टे बिजली मिल सके। उनकी उपज की उनको सही कीमत दीजिये। गेहूँ का 140 रुपये क्विंटल, धान का 130 रुपये क्विंटल, ईख का 21 रुपये क्विंटल, जूट का 300 रुपये क्विंटल, आलू का 75 रुपये क्विंटल, प्याज का 75 रुपये से 100 रुपये क्विंटल भाव दीजिये। यदि आप ऐसा करेंगे तब मैं समझूंगा कि किसानों के प्रति आप के दिल में हमदर्दी है और आप उनका भला करना चाहते हैं······।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : इशू प्राइस भी बढ़ाइये।

**रामावतार शास्त्री** : वह नहीं बढ़ानी है। उसका रास्ता दूसरा है, उसके लिये आप अरबपतियों से लीजिए। 11 अरब के मालिक बिड़ला और टाटा बैठे हुए है, उनसे पैसा लीजिए, लेकिन हिम्मत नहीं है। आज भी टाटा नगर में टाटा की जमीदारी चल रही है। हालांकि यह इसका विषय नहीं है, लेकिन वे लोग हिन्दुस्तान में मजा मार रहे हैं, गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। शासन सूत्र उन के कब्जे में है, आप तो कहने के लिए मिनिस्टर हैं, आप लोगों का असल रिंग-मास्टर कोई और है, उन रिंग-मास्टरों से छुटकारा दिलाइये, तब किसान आगे बढ़ेगा, मजदूर

7

आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा और सही मायनों में समाजवादी समाज की व्यवस्था हो सकेगी।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : हमारा रिंग-मास्टर तो यह हाउस है।

**श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर)** मैं आरम्भ में ही एक बात कह देना चाहता हूँ—यह किसान विरोधी सरकार है। बजट आने के कुछ ही दिन पहले इस देश की जनता के ऊपर 3 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का बोझा केवल पैट्रोलियम प्रोड्क्ट का दाम बढ़ा कर लाद दिया गया और सभी ऐसी वस्तुओं के दाम बढ़ा दिये गये जो किसानों के इस्तेमाल में आती हैं, खास-तौर से डीजल फर्टिलाइजर और पैस्टीसाइड्स इन सभी चीजों के दाम बढ़ाये गये। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे देश में जिस सरकार को जनता ने इस आशा और विश्वास के साथ सत्तारूढ़ किया था कि आने के बाद हमारी कठिनाइयों को दूर करेगी, उस सरकार ने शोषण का रास्ता अपनाया। आज जो इतनी अधिक कीमतें बढ़ाई गई हैं—इसका सब से बड़ा विक्टिम कौन हुआ है ? किसान हुआ है और किसान का जो प्रोडक्ट है उसका दाम बढ़ाने की बात यह सरकार सोच रही है, यह खुशी की बात है, लेकिन किस हद तक बढायेगी यह बात साफ तौर से कही जानी चाहिए। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, अगर कह सकते हैं तो मन्त्री जी कह सकते हैं।

मान्यवर, अगर आन्दीलन न हो, तो एक भी माँग मानी नहीं जाती और अगर आन्दोलन हो, तो लाठी और गोली चला कर के आन्दोलन को दबाने की कोशिश की जाती है। यह केवल कर्नाटक का ही मामला नहीं है, हम सभी लोगों को मालूम है कि ओनियन ग्रोअर्स पर महाराष्ट्र में कितना भयंकर लाठीचार्ज हुआ। इस को पूरा देश जानता है। यह सरकार सब पर लाठी-चार्ज करती है। जो वकील हैं उन पर ग्वालियर में लाठीचार्ज हुआ, यहाँ दिल्ली के अन्दर अंधों को पीटा गया और मेरठ में अभी लाठीचार्ज किया गया। जहां कहीं भी इस देश में न्याय पाने के लिए कुछ होता है, तो उस पर अन्याय और जूल्म हो रहा है। अगर कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है, अपनी मांगों के लिए आवाज उठाता है, तो उस पर लाठीचार्ज होता है और गोली से उसे दबाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से जनता पर अत्याचार के काम हो रहे हैं। अभी श्री धनिक लाल मंडल ने 21 जुलाई को कर्नाटक में आम हड़ताल की बात बताई कि जब हड़ताल हुई तो वहाँ पर पुलिस द्वारा जुल्म हुआ। कीमतें बढ़ने के खिलाफ अगर लोग आन्दोलन कर रहे हैं, तो अत्याचार होता है। किसान अपनी समस्याओं के हल के लिए आन्दोलन कर रहे थे, उन पर गोली चलाई गई जिसमें 19 आदमी मारे गए। उसके लिए जब न्यायिक जाँच की माँग की गई, तो उस को नहीं माना गया लेकिन जब अपोजीशन के लोगों ने धरना दिया, तो उस मांग को माना गया और 85 करोड़ रुपये का रिलीफ भी दिया गया। इस तरह से बगैर आन्दोलन के यह सरकार कुछ नहीं करना चाहती है और जब आन्दोलन किया जाता है, तो लोगों की पिटाई की जाती है और उसके बाद मांगों को माना जाता है। इस तरह से अत्याचार करने का जो सरकार का तरीका है, इस को फौरन बन्द करना चाहिए।

सरकार ने पैट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम बढ़ा दिये और दूसरी चीजों के दाम भी बढ़ाए गये। फर्टिलाइजर्स के दाम बढ़ेंगे और जितनी भी कृषि के उपयोग में आने वाली चीजें हैं उन के दाम बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जिन चीजों का उत्पादन होगा, उन के दाम भी बढ़ेंगे लेकिन

अभी सरकार उस के दाम बढ़ाने की घोषणा नहीं कर रही है, तो मैं सरकार से इस बात का अनुरोध करूँगा कि कृषि मन्त्री जी धान वगैरह के दामों की घोषणा तो कर दें और किसानों का जो धान है, वह कम से कम 125 रुपये कीमत पर जरूर बिके। इतने दाम उसके आप निश्चित करें। और खरीफ की फसलों के दाम भी आप निश्चित करें। धान का दाम तो कम से कम 125 रुपये आप कीजिए क्योंकि मुख्य मन्त्रियों का जो सम्मेलन हुआ था, उसमें भी यह भाव तय हुआ है।

एक अनुरोध आपसे यह करना चाहता हूँ कि हमारे यहां किसान जो सिंचाई नहर से करता है या प्राइवेट पम्पिग सैट से करता है या ट्यूववैल से करता है, तो उस सिंचाई के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं चाहे किसान पानी ले या न ले, उसको पैसा देना ही पड़ता है। अगर प्राइवेट ट्यूववैल है और वह बिजली ले या न ले, उसको पैसा जरूर देना पड़ता है क्योंकि बिजली यूनिट के हिसाब से नहीं दी जाती है। आपके बिजली विभाग में इतना भ्रष्टाचार है कि आप के जो कर्मचारी लोग हैं, वे मिल कर बिजली दे देते हैं और मीटर रीडिंग में गड़बड़ कर देते हैं।

**(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)**

इसका नतीजा यह होता है कि आपके जो सारे इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड हैं, उन में घाटा चल रहा है। इस भ्रष्टाचार को आप रोकिये। किसानों के ऊपर जो जबर्दस्ती दबाब डाला जा रहा है और उन पर बहुत ज्यादा बोझा डाला जा रहा है, उससे देश का हित नहीं हो सकेगा क्योंकि किसान देश की रीढ़ है। अगर किसानों को प्रोत्साहन नहीं दे सकते, किसानों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकते, तो यह देश तरक्की नहीं कर सकता है। पेस्टीसाइड्स के दाम बहुत बढ़ गये हैं, पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम और डीजल आदि सारी चीजों के दाम बहुत बढ़ गये हैं। इसका नतीजा यह हो रहा है कि किसानों पर बहुत बड़ा बोझा पड़ रहा है। इनके दामों को फिर से रिवाइज कीजिए या फिर उनको सब्सीडी दीजिए। कुछ चीजों के दाम कम कर सकते हैं, तो कम करें। मैं खास तौर से खाद के दाम कम करने के कहता हूँ।

इन शब्दों के साथ में कृषि मन्त्री जी से अनुरोध करूँगा कि किसानों के ऊपर जो बोझा बढ़ा है, उसको कम करें और उनके साथ न्याय करें।

**कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री (श्री बीरेन्द्र सिंह राव)** : श्रीमान्, श्री धनिक लाल मंडल और अन्य मित्रों ने कृषि उपकरणों की बढ़ती कीमतो पर चर्चा उठाई है। अपने प्रस्ताव में श्री मंडल ने "कृषि उपकरण, विशेषकर उर्वरको की तेजी से बढ़ती कीमतों से उत्पन्न स्थिति," के विषय में कहा है. पहले तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि सभी कृषि उपकरणों की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उर्वरकों की कीमतों में बहुत वृद्धि हुई है। केवल उर्वरकों की कीमतों की वृद्धि प्रतिशत 38 है। इसके बाद कई और चीजों की कीमतें बढ़ी है जैसे लुब्रीकेटिंग तेल और कीट नाशक दवाइयां। लेकिन कृषि और उसकी उत्पादन लागत पर कीट नाशक दवाइयों का बहुत कम प्रभाव पड़ा है।.

जब हम कृषि उपकरणों की बात करते हैं तो हम केवल कृषि उपकरणों की वह कीमत ध्यान में रखते हैं जो किसान कृषि संबंधी कार्यों पर अपनी जेब से देता है। इनमें उर्वरक, बैल

रखने पर होने वाला खर्च, उससे वसूल की जाने वाली सिंचाई का, खर्च बीजों पर खर्च की जाने वाली रकम, ऋण पर दिये जाने वाला ब्याज, शामिल होता है। जहाँ तक उसकी इह पूंजीगत परिसम्पत्ति को रखने की योग्यता का संबंध है भूमि तथा अन्य चीजों के रूप में उसकी कार्य-शील पूंजी एक समान रहती है। कृषि के संबंध में एक और मुख्य खर्च जो उसे उठाना पड़ता है वह है कृषि-कार्यों की मजदूरी।

बहुत से उपकरणों की कीमत जिन पर किसान को खर्च करना पड़ता हैं लगभग अपरिवर्तित रही है अतः यह कहना एकदम सही नहीं होगा कि कृषि उपकरणों की कीमतें बहुत बढ़ी हैं। मैं कुछ आंकड़े देना चाहूँगा। उर्वरक की कीमत में निःसन्देह बहुत वृद्धि हुई है। उर्वरकों की कीमतों का थोक सूचकांक, जो हाल में हुई उर्वरकों की कीमतों में हुई वृद्धि से पहले 172 था अब बढ़कर 298.7 हो गया है। इसी प्रकार, डीजल का सूचकांक 7 जून तक 191.2 था और कीमतों में वृद्धि से एक दिन पहले भी यह इतना ही था। लेकिन जून में हुई कीमतों में इस वृद्धि के बाद यह बढ़कर 285.7 हो गया है। इसी प्रकार स्नेहन तेल के मामले में भी सूचकांक 324 से बढ़कर 377 हो गया है। लेकिन बिजली, ट्रेक्टर कृषि औजार, उनके फालतु पुर्जे शक्ति चालित पम्पों की कीमत में कोई विशेष हरिवर्तन नहीं हुआ है। बिजली का सूचकांक जनवरी, 1980 में 227 था और अब भी यह लगभग 227.4 है ट्रेक्टरों के मामले में सूचकांक 273.4 था और 28 जून को यह 274.6 था। कृषि औजारों का सूचकांक भी है। उतना ही जितना जून, 1980 में था, अर्थात् सूचकांक 296.7 पर स्थिर है। कीटनाशक दवाइयों की कीमतें भी बढ़ गई है और जनवरी से जून के अन्त तक सूचकांक 302 से बढ़कर 307 हो गया है। कृषि-उपकरणों, शक्ति चालि पम्पों आदि के मामले में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

बिजली तथा सिंचाई की दरें राज्य नियत करते हैं। इनमें निःसंदेह कुछ वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, आंध्र प्रदेश में दस साल पहले धान की सिंचाई की दर 18 रुपये प्रति हेक्टेयर थी। अब यह 158 रु० हों गई है। लेकिन यह केन्द्र सरकार के हाथ में नहीं है। राज्यों को अपना बजट सन्तुलित करना चाहिए। बढ़ती हुई लागतों के कारण बिजली की दरें भी बढ़ती रहती हैं।

मजदूरी भी बढ़ रही है। यह उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि के कारण नहीं बढ़ी है। मजदूरी में वृद्धि के लिए शायद श्री शास्त्री किसी अन्य की अपेक्षा अधिक जिम्मेदार हैं। 1975-76 में आंध्र प्रदेश में एक कृषि मजदूर की मजदूरी 4 रुपये थी और 1979-80 में यह 5-37 रुपये थी। पंजाब में क्रमशः 8-6 रुपये तथा 11.8 रुपये थी। तमिलनाडु में भी यह बढ़ी है। बिहार में, जहाँ के श्री शास्त्री हैं, 1975-77 में 4 रुपये कुछ पैसे थी और 1979-80 में बढ़कर 5.4 रुपये हो गई।

**श्री रामावतार शास्त्री :** यह केवल कागजों में है।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव :** इसी अवधि में उत्तर प्रदेश में यह 4.9 रुपये से बढ़कर 6.3 हो गई है, लगभग 50 प्रतिशत बढ़ गई है। शायद और बढ़ गई हो। बहुत से कृषि-उपकरण हैं जिन पर केन्द्रीय सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है और उर्वरकों कीमतों में वृद्धि के कारण उनकी कीमतें बहुत नहीं बढ़ी हैं।

मैंने कई बार सभा में वे कारण बताये हैं जिनकी वजह से मजदूर होकर हमें कीमतें

बढ़ानी पड़ी। हम ऐसा करना नहीं चाहने थे परन्तु परिस्थितियाँ ऐसी थीं कि हमें मजबूरन ऐसा करना पड़ा। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरक की कीमतें बहुत बढ़ गई। लगभग 50 प्रतिशत तक तो अब भी हमें आयातित उर्वरकों पर निर्भर रहना पड़ता है। कुछ अन्य कारणों से हमारा अपना उत्पादन भी कम मंहगा नहीं हैं। कई कारखानों के विभिन्न कारणों से बंद हो जाने से इस वर्ष यह और मंहगा हो सकता है।

हाल ही में समुन्द्र भाड़ा 25 डालर से बढ़कर 64 डालर हो गया है। जनवरी 1979 से अप्रैल 1980 तक डी.ए. पी. की कीमत 60 से 80 प्रतिशत बढ़ गई है। इसी अवधि में, एक ही वर्ष में यूरिया की कीमत 36 से 49 प्रतिशत बढ़ गई। पोटाश की कीमत 74 से 82 प्रतिशत बढ़ गई। इनमें से कुछ उर्वरकों के लिए हम पूर्णतः बाहरी आयात पर निर्भर हैं।

श्रीमान्, यह कहना गलत होगा कि पहले भारत सरकार उर्वरकों के लिए कोई राज सहायता नहीं दे रही थी।

**एक माननीय सदस्य** : आपने बंद कर दी है।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : नहीं, हमने सहायता देना बंद नहीं किया है। मैं आपको वर्तमान स्थिति से अवगत कराता हूँ। श्रीमान् जैसा कि आप जानते हैं, आर्थिक सहायता की राशि हर वर्ष बढ़ रही है। 1976-77 में यह लगभग 106 करोड़ रुपये थी और 1979-80 में यह बढ़कर 562 करोड़ रुपये की भारी राशि हो गई। और इस वर्ष यदि हमने कीमतें न बढ़ाई होती तो यह तो यह 1200 करोड़ रुपये से अधकि हो जाती। और कीमतें बढ़ाने के बाद भी इस वर्ष चालू वर्ष में हमें आर्थिक सहायता पर लगभग 585 करोड रुपये का खर्च बर्दाश्त करना होगा। फिर भी हमें यूरिया में 700 रुपये प्रति टन और एम. ओ. पी. में लगभग 550 रुपये प्रति टन को हानि होगी। इसलिए माननीय सदस्य सहमत होंगे कि भारत सरकार का पूरा इरादा है कि किसानों को यथासंभव सस्ता उर्वरक दिया जाए। हमें पूरा ध्यान है कि उत्पादन-वृद्धि सस्ते उर्वरक की पूर्ति, समय पर पूर्ति और उर्वरक जैसे बहुत आवश्यक उपकरण की पर्याप्त पूर्ति पर निर्भर करती है। उर्वरक की खपत में हम विकसित देशों से अब भी बहुत पीछे हैं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कि आसाम में यह भी एक किलो प्रति हेक्टेयर के नीचे है, बंगाल में भी खपत दर बहुत कम थी, उड़ीसा में भी नहीं बढ़ी है। लेकिन इसमें कृषि मंत्रालय का दोष नहीं हैं। राज्यों को रुचि लेनी चाहिए। हमारी योजना तो वही है। हमारे पास जो उर्वरक की आपूर्ति उपलब्ध है उसे हम उचित रूप से वितरित करना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, किसानो तथा राज्य सरकारों के रुचि लेने से ही पंजाब में उर्वरक की औसत खपत लगभग 100 किलो प्रति हेक्टेयर पहुंच गई है जबकि राष्ट्रीय औसत केवल 30 किलो प्रति हेक्टेयर ही है। अत: यह सब अलग-अलग क्षेत्रों, लोगों तथा राज्यों पर निर्भर है। इसलिए जिन राज्यों में उर्वरक खपत नहीं बढ़ी है उन राज्यों के माननीय सदस्यों को यह दायित्व लेना चाहिए कि वे अपनी राज्य सरकारों से इसका प्रचार किये करवायें तथा अपने चुनाव क्षेत्रों के किसानों को उर्वरक इस्तेमाल करने के लाभों से अवगत कराय।

उर्वरक की कीमतें बढ़ाने के निर्णय के साथ-साथ सरकार ने निर्णय किया है कि हम बढ़ने वाली उर्वरक कीमत के लिए किसान की पूर्णतः क्षतिपूर्ति करने का प्रयत्न करेंगे और इसके लिए हमने बहुत से कदम उठाये हैं। मैंने बार बार इस सभा में यह कहा है, लेकिन यदि आप नहीं

सुनते या सुनकर याद नहीं रखते तो इसमें मेरा दोष नहीं है पहला कदम जो हमने उठाया वह यह है कृषि मूल्य आयोग के इतिहास में यह पहली बार किया गया—सरकार ने कृषि--मूल्य अयोग को निदेश दिया है कि वह खरीफ की फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्यों संबंधी अपनी पिछली रिपोर्ट की पुनरीक्षा करे। रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के बाद (व्यवधान) बस आपके सामने आ जाएगी। उन्हें उर्वरक की बढ़ी हुई कीमत पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया है। कृषि मूल्य आयोग की रिपोर्ट आ गई है, मुख्य मंत्रियों से परामर्श किया जा चुका है और कृषि मंत्रालय की सलाहकार समिति में माननीय सदस्यों से भी परामर्श किया जा चुका है। हमने आपके विचार भी सुन लिए हैं और इस संबंध में अपनी कठिनाइयां भी स्पष्ट कर दी हैं। हमने दोनों पक्षों के विचार जान लिए हैं, उन राज्यों के जो निर्गम-कीमत मे वृद्धि चाहते हैं। तथा उन राज्तों के जो कीमतो में वृद्धि चाहते हैं।इन सब पर विचार किया जाएगा।

दूसरा कदम हमने यह उठाया है कि उर्वरक खंड-स्तर पर उपलब्ध कराये जाएंगे। देश में 5000 खंडों में से लगाभग 3000 रेलवे लाइनों के पास नहीं हैं। खंड मुख्यालयों तक उर्वरक पहुंचाने का खर्च सरकार देगी। अब तक हमें यह भी पूरी तरह पता नही है कि इस सुविधा के लिए भारत सरकार को कितना अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ेगा लेकिन क्योंकि माननीय सदस्यों ने यह मामला सभा में उठाया था इसलिए, जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, प्रधान मंत्री और वित्त मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय की सिफारिशों पर पुरन्त निर्णय लिया था और पहले ही दिन इसकी घोषणा कर दी गई थी।

हमने सूखा पीड़ित क्षेत्रों में छोटे और अतिलघु किसानों के लिए आर्थिक सहायता जारी रखने का निर्णय भी लिया है। आर्थिक सहायता 33 प्रतिशत तक होगी। इसलिए उर्वरक की कीमतों में इस वृद्धि से इस फसल में छोटे तथा उपान्त किसानों पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा।

**श्री धनिक लाल मंडल** : केवल सूखा पीड़ित क्षेत्रों में।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : लेकिन आपको क्यों चिन्ता है ? बिहार तो अधिकतम सूखा पीड़ित है।

**एक माननीय सदस्य** : उर्वरक तो तभी इस्तेमाल किये जा सकते हैं जब पानी उपलब्ध हो।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : इस मौसम में भगवान ने आपके लिए बहुत वर्षा की है और आप उर्वरकों का इस्तेकाल कर सकेंगे।

एक और निर्णय यह लिया गया है कि रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वह उर्वरकों के वितरण के लिए ऋण की सीमा बढ़ाये ताकि बैंक किसानों को अधिक ऋण की सुविधाएं दे सकें। वित्तीय संस्थाओं को रिजर्व बैंक ने पहले ही अनूदेश दे दिया हैं कि कुछ विशेष फसलों के लिए अधिक ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

जहाँ तक अल्प कालीन और तथावी ऋणों का सम्बन्ध है, हमने लगभग 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है जबकि पिछले वर्ष श्री मंडल की सरकार ने सूखे के दौरान 49 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी। इस प्रकार इस खरीफ के दौरान के लिये यह राशि दोगुनी है।

**श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर)** : यह सिर्फ कागजों में ही है।

**श्री बीरेन्द्र सिह राव** : ऐसी बात नहीं है, राज्यों ने इसका वितरण भी शुरू कर दिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने खरीफ के मौसम के लिएऔर अधिक समर्थन मूल्य की मांग की है।

**श्री धनिक लाल मंडल** : समानता का क्या हुआ।

**श्री बीरेन्द्र सिह राव** : मैं इससे इन्कार नहीं करता कि खाद्यान्न के मूल्यों और-गैर-कृषिक वस्तुओं के सम्पूर्ण समूह के कुछ निर्मित उत्पादों के बीच पूर्ण समानना ला पाना सम्भव नहीं हुआ है। पहले भी समानता लाने के निरन्तर प्रयास किये जाते रहे है, परन्तु पिछले दो वर्षों के दौरान इन प्रयासों को काफी धक्का लगा है, इस सच्चाई से कोई इन्कार नही कर सकता। यदि आप आंकड़ों में यकीन करते हैं तो 1970 में खाद्यान्न का औसत वार्षिक थोक मूल्य 173 था। उसी वर्ष निर्मित उत्पादों का थोक मूल्य 178 था या इससे कुछअ धिक तथा सभी गैर कृर्षक वस्तुओं का मूल्य सूचकांक 193 था 1979 में, खाद्यान्न का मूल्य सूचकांक 180 था, जवकि निर्मित माल का सूचकांक 203 था। इस वर्ष जनवरी से जुलाई तक निर्मित माल के मूल्य सूचकांक में और वृद्धि हुई है। खाद्यान्न के मूल्यों में भी वृद्धि हुई है और यह 1979 के 180 से बढ़कर जनवरी से जुलाई 1980 की अवधि के दौरान के 197 हो गया है जो

**श्री धनिक लाल मंडल** : प्याज और आलू की क्या स्थिति है ?

**श्री बीरेन्द्र सिह राव** : थोड़ा धैर्य रखिये। मैं स्वयं ही पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। निर्मित माल को सूचकांक 203 से बढ़कर 234 हो गया है। इसमें काफी वृद्धि हुई है। सभी गैर कृषिक वस्तुओं के लिये जनवरी से जुलाई 1980 की अवधि के बीच वार्षिक मूल्य सूचकांक 264 है। यह कुछ हद तक कृषि क्षेत्र के लिए अनुकूल नहीं है।

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

लेकिन हम कृषि उत्पादों के मूल्य में परिवर्तन करने के लिए सोच रहे हैं और यह पता लगा रहे हैं कि किस सीमा तक हम इसे बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मेंने बताया है उर्वरक ही एक अकेली चीज नहीं है जो कृषि उत्पादों के मूल्य सूचकांक को प्रभावित करती है या जो कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत में वृद्धि करती है। गेहूं जैसी कुछ फसलों के बारे में मेरे पास पंजाब के 1977-78 के आँकड़े हैं, जहाँ उर्वरकों की लागत लगभग 26 प्रतिशत थी, जबकि बैलों के रख-रखाव की लागत 14 प्रतिशत है और कृषि मजदूरों की लागत 16 प्रतिशय बैठती थी। धान उत्पादन के मामले में हमारे पास आन्ध्र प्रदेश के आंकड़े हैं—जहाँ उर्वरकों की लागत 23 प्रतिशत है जवकि मजदूरी की लागत 30 प्रतिशत है। इसी प्रकार ज्वार के मामले में कर्नाटक के कृषि मजदूरों की लागत 32 प्रतिशत है जवकि उर्वरकों की.....

**उपाध्यक्ष महोदय** : हमें 5.30 बजे से आधे घण्टे की चर्चा शुरु करनी है।

**श्री बीरेन्द्र सिह राव** : मैं अभी समाप्त करता हूँ।

इन तमाम तर्कों से मैं यह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उर्वरक ही ऐसी अकेली वस्तु,

नहीं है जो कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत को बढ़ाती है। कुछ सदस्यों ने कुछ और विशिष्ट मुद्दे उठाए हैं। उनका भी पूरी तरह उत्तर दिया जा चुका है। (व्यवधान)। कर्नाटक के आन्दोलन का उत्तर मेरे मित्र श्री राम गोपाल रेड्डी द्वारा दिया जा चुका है।

**श्री धनिक लाल मंडल** : उच्चतम मूल्य और निम्नतम मूल्य की क्या स्थिति है ?

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : किसके लिये ?

**श्री धनिक लाल मंडल** : सभी चीजों के लिये।

**श्री बीरेन्द्र सिंह राव** : इसके लिए समय नही है। आप मेरे पास फिर कभी आइये तो मैं यह सारी जानकारी आपको दे दूंगा।

कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न उठाया है कि यह सरकार कुलकों का समर्थन कर रही है और छोटे एवं सीमाँतिक किसानों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। मैं अपनी पूरी शक्ति से यह बात कहता हूँ कि यह सरकार छोटे और सीमाँतिक किसानों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे रही है। हम जमींदारों और बड़े भू-स्वामियों का समर्थन नहीं करते। हमारी सभी योजनायें छोटे और सीमांतिक किसानों तथा आदिवासियों एवं अनुसूचित जातियों के फायदे के लिये बनाई गई है। डी०पी०ए०डी०, एस०एफ०डी०एस० और कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रमों जैसी योजनायें छोटे और सीमांतिक किसानों को राज्य सहायता देकर उन्हें लाभ पहुँचाती है। श्रीमती गाँधी की सरकार छोटे सीमाँतिक किसानों के हितों के लिए है। हम किसानों के लिये है न कि बड़े जमींदारों के लिये। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य हमेशा ही गोल्डस्मिक के सुनहरे शब्दों में यह रहा है, "राजकुमार और लार्ड चाहे समृद्ध हों या समाप्त हों। ये तो स्वांसों के समान आते जाते रहते है। लेकिन एक मेहनतकश किसान जो वास्तव में देश का गौरव होता है, यदि एक बार खत्म हो जाए तो वह दुबारा कभी नहीं उठ सकता।" हर तो यही मानते हैं।

— ० —

## आधे घण्टे की चर्चा

### अनुसूचित जातियों के लिए पृथक मंत्रालय

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम आधे घण्टे की चर्चा आरम्भ करेंगे। श्री भीखा भाई।

**श्री भीखा भाई (वासवाड़ा)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने 9 जुलाई को एक तारांकित प्रश्न पूछा था और वह था संख्या 462। उसके तीन भाग थे, जिनको मैं इस सदन में पढ़कर सुनाना चाहता हूँ।

"(क) क्या इस तथ्य को देखते हुए कि अनु० जन जातियों की समस्यायें अनु० जातियों की समस्याओं से भिन्न हैं, एक पृथक अनु० जन जाति मंत्रालय अथवा विभाग बनाने का कोई प्रस्ताव है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या अनु० जन जाति की समस्याओं का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन किया गया है; और

(ग) क्या यह सच है कि अनेक राज्यों के अनु० जनजाति अनुसंधान केन्द्रों ने कोई महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य नहीं किया है ?

**उपाध्यक्ष महोदय,** मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्री महोदय ने पार्ट (ए) में जो दो भाग है, उन का उत्तर नकारात्मक दिया है। मेरा निवेदन यह है कि इन दोनों का नकारात्मक उत्तर न देकर आधे भाग का सकारात्मक और आधे भाग का नकारात्मक उत्तर देते, तो अच्छा होता। इन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसलिए यह उत्तर असंतोषप्रद और अपर्याप्त बन जाता है और कुछ बात मालूम नहीं पड़ती कि वे क्या करने जा रहे हैं। हरिजनों ने भी मांग की है और दूसरों की भी यही माँग है कि हरिजनों, आदिवासियों और बैकवर्ड क्लासेज के लिए अलग से मिनिस्ट्री हो। किसी एक डिपार्टमेंट में वे इस काम को देंगें या नहीं। दूसरे भाग में मैंने यह पूछा था कि स्वतन्त्र रूप से मूल्यांकन के लिए कोई मशीनरी है या नहीं। तो मंत्री जी ने जवाब दिया "यस सर"। अब इस से कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि इसका इन्होंने कोई इलूसीडेशन नहीं किया है, कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है और न कोई डिटेल्स दी है। इसलिए बात हमारी समझ में नहीं आई और इसी कारण हमने आधे घण्टे की चर्चा करने के लिए यह विषय उठाया था।

दूसरा सवाल था : "क्या यह सच है कि राज्यों के अनु० जनजाति अनेक अनुसंधान केन्द्रों ने कोई विशेष अनुसंधान कार्य नहीं किया है।"

इसमें कोई उल्लेखनीय चीज नही की है, कोई नोटेबिल काम नहीं किया है। मेंने यह जो पूछा था कि सैड्यूल्ड ट्राइब्स रिसर्च सेन्टर्स हैं, जो करीब 11 हैं और 11 स्टेट्स के अन्दर ये रिसर्च सैन्टर्स खोले गये हैं, उन 11 सैन्टरों ने क्या क्याकाम किया है। इसके बारे में मंत्री महोदय का जो जावब है, वह मैं पढ़ देना चाहता हूं। पार्ट (सी) के प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने यह कहा है :

"यदि पूर्ण रूप से विचार किया जाए तो राज्यों की जनजाति अनुसंधान संस्थानों को अनु० जातियों एवँ अनु० जनजातियों के विकास के लिए किये जाने वाले प्रयासों में प्रभावी योगदान रहा है।"

इन्होंने कहा है कि शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कामों में ये मदद कर रहे हैं और इफैक्टिवली कन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सहायक हो रहे हैं। मेरा सीधा सा सवाल है कि रिसर्च सैन्टर का जो काम है, आज आदिवासी लोगों की 250 जातियाँ हैं और 150 भाषाएं वे बोलते हैं, कितने ही उनके नृत्य और फोक सोंग्स है, उस सब का कलेक्शन करके इसकी रिपोर्ट करें। किस प्रकार की वेशभूषा है, किस प्रकार वे रहते हैं। इन्होंने कहा है "**इफैक्टिवली टू दि डेवलपमेन्टल स्कूटर्स**"। डेवलपमेन्टल एस्कर्ट करने का काम इन का नहीं है। यह तो स्टडी करने वाली इंस्टीट्यूशन है। डेवलपमेंट करने का काम तो स्टेट गवर्नमेंट अथवा किसी एजेन्सी का है। यह मंत्री महोदय द्वारा चलाई जा रही है। यह राज्य सरकार का काम है। इसलिए मेरी समझ में यह बात नहीं आई इसलिए मैंने इस सवाल को उठाया है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जो प्रावलम्स हैं, वे कुछ मामलों में तो एक सी हैं लेकिन अनेकों मामलों में भिन्न।

संविधान के अन्दर उसके लिए कई प्रावधान हैं और वे अलग अलग लिखे हुए है। और उनका जिक्र मैंने एक्सप्लेनेटरी नोट में भी दिया है। उनके लिए जो विशेष आर्टिक्ल है वे है

244, 275, 339, शैड्यूल 5 और 61 और भी है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्ज है वे हम पर भी लागू है। लेकिन ट्राइबज की पोजिशन शैड्यूल कास्ट्स और बैकवर्ड क्लासिज से भिन्न है, दूसरी प्रकार की है। यह इसलिए है कि ये आइसोलेशन के अन्दर रहते है, जंगलों में रहते है। उनके प्राबलैम्ज अलग है।

आर्टिकल 339 के तहत ढेवर कमिशन बिठाया गया था। उसने एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी, प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। उसके बाद दस साल के बाद और एक कमिशन बिठाया जाना चाहिये था लेकिन बिठाया नहीं गया है। ढेवर कमिशन कुछ बातें बताई थीं जिनका जिक्र मैं बाद में करूँगा। आर्टिकल 339 की मंशा यह है कि दस साल के बाद एक नया कमिशन कायम हो। लेकिन यह किया नहीं गया। यह कमिशन शैड्यूल्ड एरिया के लिए हो। शैड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए हो। बैकवर्ड क्लासिस कमिशन जो है वह 340 में बनता है। एस सी एस टी के लिए कम्बाइंड कमिशन अलग होता है। लेकिन ट्राइबल्ज के लिए भी एक अलग कमिशन होना चाहिए। उनका प्राबलैम आइसोलेशन का है, डिफिकल्ट टैरेंज में उनके हैबिटैट का है, डिपेंडेंस आन शिफ्ट कल्टीवेशन का है, फारेस्ट प्रोड्यूस का है, ऋण-ग्रस्तता का है, लैंड एलियनेशन का है। ये मुद्दे उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं और वे हर टाईप के एक्सप्लायटेशन के सबजैक्ट होते हैं। दूसरे लोग उनका एक्सप्लायटेशन करते हैं। मनी लैंडर करता है, कांट्रैक्टर करता है, पालिटिशियन करता है, सोशल वर्कर करता है, अफसर करते हैं। कौन नही करता है। हम भी करते हैं जब हम वोट लेने के लिए जाते हैं। अब इस एक्सप्लायटेशन को कैसे रोका जाए, यह देखना होता है। इसलिए मैंने निवेदन किया है कि उनके लिए एक मंत्रालय अलग होना चाहिये और इसलिए होना चाहिए कि ऐसी सिफारिश हुई भी है। आज मैंने फोल्डर देखे हैं। उसमें यह है कोई शैड्यूल्ड कास्ट्स के लिये मिनिस्टरी कोई ट्राइब्ज के लिए मिनिस्टरी और कोई बैकवर्ड क्लासिस के लिए मिनिस्टरी होनी चाहिये। मैं कहता हूँ कि एक सब के लिए नहीं तो सब को मिलाकर एक तो मिनिस्टरी कर ही देनी चाहिए। वह भी नहीं हो रहा है। मंत्री महोदय मानते नहीं हैं। उनको क्या समझायें ? वह तो स्वयं शैड्यूल्ड कास्ट के है। मैं आशा करता हूँ कि मंत्री महोदय पर गुड सैंस प्रिवैल करेगी।

चैप्टर नौ के अन्दर ढेवर कमिशन ने कहा है :

"अनु० जनजातियों के कल्याण के संबंध में संवैधानिक दायित्वों को देखते हुए, कल्याण कार्यक्रम समाज कल्याण आम कार्यक्रम से अलग होना चाहिये।"

इसके साथ ही 222 पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है :

"पूरी तरह से केवल अनु० जनजातियों को कल्याण योजनाओं के लिये ही किया गया"

यहाँ पर मैं कहूँगा कि एक मंत्रालय नहीं होता तो कम से कम एक विभाग तो होना ही चाहिये जो एक्सक्लूसिवली डिवोटिड हो टू दी वैलफेयर स्कीम्ज आफ शैड्यूल्ड ट्राइबज। उसका इंडिपैंडैंट सैक्रेटैरियट हो, सैक्रेटरी हो और मंत्री महोदय भी एक फुल फ्लैज्ड होना चाहिये। पूरे का पूरा चार्ज उनके पास होना चाहिये। शीलो आओ बमेटी जो बनी थी उसने भी इस तरह की सिफारिश की थी। होम मिनिस्टरी बहुत व्यापक मिनिस्टरी है। इसमें ट्राइब्ज, बैकवर्ड क्लासिस और शैड्यूल्ड कास्टस पीछे रह जाते हैं, उपर आ ही नहीं पाते हैं। इस वास्ते एक मंत्रालय होना चाहिये अगर तीन डिपार्टमेंट नहीं तो कम से कम दो तो अलग अलग होने ही चाहिये,

एक ट्राइब्ज के लिए और दूसरा शैड्यूल्ड कास्टस और बैकवर्ड क्लासिस के लिए। इनके ऊपर एक मंत्रालय बनाया जाए अगर आप और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सब बातें हमारे सामने आई हैं। रीजन भी इसके दिए गए हैं। ढेबर कमिशन के शब्दों में मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहता हूँ :

"हम भी यह महसूस करते हैं कि इस सँदर्भ में मंत्रालय में वर्तमान व्यवस्था पर्याप्त नहीं हो सकती है।"

सैक्रैटरी भी नहीं होता है और अंडर सैक्रेटरी को लगा दिया जाता है। चूंकि महत्व इसको नहीं दिया जाता है इसलिए किसी को भी लगा दिया जाता है।

तथापि हम इस प्रयोजन के लिये एक अलग मंत्रालय का सुझाव नहीं देते। सिर्फ आदिवासियों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिये गृह मंत्रालय में एक अलग विभाग ही प्रर्याप्त होगा। इस विभाग को गृह मंत्री के अधीन एक अलग मंत्री की देख रेख में रखा जाये। इसका वास्तविक रूप क्या होगा यह प्रशासनिक मामला है। लेकिन हम इस बात पर जोर देंगे कि इसका संगठन ऐसा होना चाहिये जो उन लक्ष्यों की प्राप्ति कर सके जो हम चाहते हैं..."

यह आज से बीस साल पहले की रिपोर्ट है, लेकिन इस बारे में कुछ नहीं किया गया है :-

पेज 283 पर कहा गया है :—

"हम देश में विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा संस्थानों की संख्या बढ़ा रहे हैं। निरन्तर मूल्यांकन का व्यापक कार्यक्रम केवल गृह मंत्रालय द्वारा आरम्भ किया जा सकता है।"

इसी लिए मैंने इवैल्युएशन के बारे में प्रश्न पूछा है। इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि दो कमिश्नर होने चाहिए : एक शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए और एक शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए, और उनकी ओर से अलग अलग रिपोर्ट्स पेश होनी चाहिए।

श्री मकवाना कहते हैं कि गवर्नर की रिपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि उन लोगों के वैलफेयर की क्या रिपोर्ट है, उनका एक्सप्लायटेशन रोकने की क्या रिपोर्ट है, उन्हें मनी-लेंडिंग और लैंड एलियनेशन से बचाने की क्या रिपोर्ट है और कंट्रेक्टर्ज के एक्सप्लायटेशन से बचाने की क्या रिपोर्ट है।

इन सब योजनाओं का इम्प्लीमेंट कौन करेगा ? इसके लिए एक पृथक मंत्री और विभाग की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और आसाम में इस काम के लिए अलग मंत्री हैं, जो कि ट्राइबल वैलफेयर का काम करते हैं। आज इन वर्गों की जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। अठारह स्टेट्स में, और यूनियन टेरीटरीज में, ट्राइबल सब-प्लान हैं। बीस साल पहले ट्राइबल पापुलेशन तीन करोड़ के करीब थी, जबकि आज वह साढ़े चार करोड़ है।

शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की इतनी बड़ी पापुलेशन के लिए क्या एक अलग मंत्रालय नहीं बनाया जा सकता है ? अगर इतनी ह्यूज पापुलेशन के लिए एक अलग मंत्रालय या डिपार्टमेंट नहीं बनता है, तो मंत्री महोदय जल्दी से इस्तीफा दे दें। वह जोर से यह बात कहें या मरें। करो या मरो की पालिसी होनी चाहिए। (व्यवधान) अगर एक अलग मंत्रालय न बने, तो दो डिपार्टमेंट्स तो बनने ही चाहिए, जिनके लिए फुल-फ्लेज्ड स्टाफ और सैक्रेटेरियट मिले।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना)** : यह आधे घण्टे की चर्चा है जिसकी माननीय सदस्य ने तारांकित प्रश्न संख्या 462 के बारे में मांग की है। दुर्भाग्यवश, उस दिन समय समाप्त हो गया था और इस प्रश्न पर चर्चा नहीं हो पाई थी। इसलिये इस आधे घण्टे की चर्चा में जो कुछ भी माननीय सदस्य ने जानना चाहा है और—जो चुछ भी उन्होंने जानना चाहा है शायद वह उस प्रश्न के पूरक प्रश्न के रूप में जो वे उस दिन पूछना चाहते थे। दुर्भाग्यवश उस दिन के पूरक प्रश्न नहीं पूछ पाये थे और इसलिये वह इस पर आधे घण्टे की चर्चा चाहते हैं।

उन्होंने बताया है कि प्रश्न के भाग (क) के दो भाग हैं। यह सही नहीं है। भाग (क) इस प्रकार है है :—

"क्या इस तत्य को देखते हुए कि अनु-जनजातियों की समस्या अनु-जातियों की समस्याओं-से-भिन्न हैं, एक पृथक अनु-जनजातिय मंत्रालय अथवा विभाग बनाने का प्रस्ताव है।"

प्रश्न है कि क्या सरकार एक अलग मंत्रालय खोलने के लिये तैयार है अथवा नहीं। जिसका मैंने उत्तर दिया था 'जी' नहीं'। मंत्रालय बनाने के बारे में मेरा उत्तर था 'नहीं'। यह अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं से सम्बन्धित नहीं था। उन्होंने इसकी पूर्व कल्पना कर ली है इस सम्मानीय सदन में हर कोई जानता है कि अनु-जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्यायें अलग अलग हैं। यदि किसी भी सदस्य को इसका अन्त किया जाता है तो वह भी यह देख सकता है कि ये समस्यायें अलग-अलग हैं, हर कोई जानता है कि आदिवासी लोगों की आवादी किसी एक क्षेत्र विशेष में है, वे लोग एक क्षेत्र विशेष में संकेद्रित है और शेष समाज से अलग-अलग बड़े है। अनु-जाति के लोग ग्रामों के अन्य जातियों के साथ रहते हैं जवकि अनु-जनजातियाँ एक विशिष्ट क्षेत्र के हैं। अतः उनकी समस्यायें भी स्वाभाविक रूप से अलग अलग दी होती हैं। भारी प्रश्न यह होता तो मैंने यही कह दिया होता। लेकिन उनका प्रश्न दो भागों में है जैसा कि उन्होंने ही बताया है प्रश्न इस प्रकार है :—

(ग) क्या यह सच है कि कई राज्यों के अनु-जनजाति अनुसंधान केन्द्रों ने कोई महत्वपूर्ण अनुसंधान कार्य नहीं किया है।"

अब, श्रीमान, प्रश्न है उन संस्थानों द्वारा किये गये अनुसंधान कार्य का जिसके वारे में मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूँ। परन्तु जब वह आधे घण्टे की चर्चा कर ही रहे हैं, और उन्होंने पूरक प्रश्न भी पूछे है तो मैं उनका उत्तर भी दूँगा। माननीय सदस्य अनुसंधान संस्थानों द्वारा किये गये अनुसंधान कार्यों के बारे में जानना चाहते है। मैं उन्हें बता सकता हूँ कि अनुसंधान संस्थानों का कार्य केवल अनुसंधान की न होकर कुछ और भी है। इस समय अनुसंधान संस्थान तीन प्रकार के अनुसंधान कार्य कर रहे हैं—(क) आदिवासियों की समस्याओं के बारे में अनुसंधान; (ख) आदिवासी लोगों के लिये योजनायें बनाना और (ग) आदिवासी लोगों में कार्य करने के लिए श्रमिकों का प्रशिक्षण। आदिवासी अनुसंधान संस्थान के ये तीन कार्य हैं।

महोदय, माननीय सदस्य ने अपनी आधे घण्टे की चर्चा में तीन मुद्दों पर स्पष्टीकरण माँगा है। —एक है : क्या अनु० जांतियों और अनु० जन जातियों की समस्यायें बिल्कुल अलग-अलग हैं इसका मेने काफी विस्तार से उत्तर दें दिया है। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि अनु० जातियों और अनु० जन जातियों की समस्यायें बिल्कुल अलग-अलग हैं। आदिवासी

संस्कृति बिल्कुल अलग है; उनका स्थायित्व भी अलग है। वे एक अलग जातिय समूह है। इसलिये इन सभी दृष्टिकोणों से आदिवासियों की समस्यायें अनु० जातियों की समस्याओं से बिल्कुल भिन्न हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। माननीय सदस्यने यह भी स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या अनुसुचित जनजातियों की समस्याओं का कोई स्वतंत्र रूप से भी मूल्याँकन किया गया है। जी हाँ, श्रीमान जैसा कि मैंने अभी-अभी बताया है कि मूल्याँकन का कोई प्रश्न ही नही है। वह केवल मूल्याँकन की उपयोगिता के बारे मेंही पूछना चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य को यह भी स्पष्ट कर सकता हूँ कि अनु० जनजातियों की समस्याओ का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन विभिन्न समितियों और आयोगों द्वारा किया जा चुका है; इसमें प्रमुख है; 1959 की रेणुका राय समिति, 1961 का ढेबर आयोग और 1969 की शीलू आयोग समिति तथा अनु० जाति और अनु० जन जाति आयुक्त को अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके अतिरिक्त एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति है जिसके अध्यक्ष डा० सईह मौहम्मद हैं। वह अब नहीं हैं। उनके स्थान पर दूसरे व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा। वह इन जातियों की समस्याओं पर विचार करेगा। विभिन्न प्रकार के विशिष्ट निकायों और सहयोगी समितियों आदि द्वारा किये गए मूल्यांकन के अलावा भी वैकुंठ भाई मेहता इंस्टीट्यूट फार कोआपरेशन पुणे जैसे अनेकों व्यवसायिक निकायों द्वारा सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं का मूल्याँकन किया जा रहा है। इस संस्था से लैम्स (एल०ए०एम०पी०एस०) का मूल्यांकन करने के लिये भी कहा गया है। प्रशासन का अध्ययन करने के लिए भारतीय लोक प्रशासन संस्थान है। औद्योगीकरण के प्रभाव की जांच करने का कार्य राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को सौंपने का सुझाव है। आदिवासी क्षेत्रों में इसे अभी हाल ही में शुरु किया गया है। इस प्रकार सम मार्क जनजातीय विकास परियोजनाओं का विभिन्न पहलुओं से मूल्यांकन अध्ययन पूरा करने का कार्य जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सौंप दिया गया है। माननीय सदस्य के प्रश्न का तीसरा भाग अनुसंधान से संबंधित है।

वे कहते हैं कि मेरा विशिष्ट कार्य अनुसंधान कार्य से सम्बन्धित है न कि विकास कार्य से मैंने जनजातीय अनुसन्धान संस्थान के कार्य के बारे में विस्तार से बताया। बहरहाल, कुछ क्षेत्रों में ये जनजातीय सनुसन्धान संस्थान प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में इनका कार्य धीमा है। इस बारे में हम पड़ताल कर रहे हैं।

महोदय, देश में कुल मिलाकर 11 जनजातीय अनुसन्धान संस्थान हैं। आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों प्रत्येक में एक-एक संस्थान है। जनजातीय अनुसन्धान संस्थान, अनुसन्धान अध्ययन कार्य करने, जनजाती विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने और आ०टी०डी०पी० तथा आदिम जनजाति समूहों की परियोजना रिपोर्टें तैयार करने में व्यस्त हैं। इन संस्थानों का बहुमूल्य योगदान रहा है।

माननीय सदस्य महोदय राजस्थान से हैं और यह प्रश्न पूछते समय उनके दिमाग में सम्भवतः राजस्थान का जनजातीय अनुसन्धान संस्थान रहा होगा। मैं माउटआबू स्थित जन-जातीय अनुसन्धान संस्थान तथा जनजातीय अनुसन्धान और प्रशिक्षण संस्था, उदयपुर, राजस्थान द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख करना चाहूँगा। 1976-77 और 6977-78 के दौरान शुरू किए गए अध्ययन कार्य ये थे :—

1. जवरन-बंधुआ-मजदूरों के पुनंस्थापन की व्यवस्था;

2. छोटे और सीमान्त और मुक्त हुए बंधुआ जनजातीय किसानों को ऋण देना तथा उनकी ऋण संबंधी आवश्यकता का पता लगाना।

3. जनजातीय क्षेत्रों में गांवों में उपलब्ध सामाजिक सुख-सुविधाओं का विश्लेषण;

4. शहरी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को स्वीकार्य व्यवसायों तथा उनकी ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं पर अध्ययन;

5. झालावाड़ जिले की चमोना तहसील में आत्मसमर्पण करने वाले डाकू परिवारों के पुर्नस्थापन के लिए सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण।

1978-79 के कार्य के लिए कार्यक्रम इस प्रकार है :

1. जनजातियों के किसानों द्वारा कृषि के आधुनिक तरीकों को अपनाना;

2. ग्रामीण विद्युतीकरण के संदर्भ में सिंचाई सुविधाओं का उपयोगीकरण;

3. बैंकों के माध्यम से जनजातियों को दिए गए ऋणों का उपयोग;

4. जनजातीय क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक जीवन पर ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों का प्रभाव;

5. जनजातीय क्षेत्रों में निष्क्रियता एवं भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में सतत सर्वेक्षण;

6. रहारिया और कथोडी की चार उप जातियों पर प्रबन्ध लिखना।

7. सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों में जनजातियों के भाग लेने से पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में समस्यान्मुख अध्ययन;

हरेक राज्य में जहाँ कहीं भी जनजातीय बस्तियां है ऐसी अनुसन्धान संस्थायें विद्यमान हैं और उन्होंने विभिन्न अध्ययन कार्यों को हाथ में लिया है तथा वे प्रशंसनीय कार्य कर रही है।

महोदय, जहां तक मैं समझा हूँ माननीय सदस्य का मुख्य प्रश्न एक पृथक मंत्रालय बनाये जाने के बारे में है। ऐसे मंत्रालय के पास पर्याप्त कार्य नहीं होगा। जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए अलग मंत्रालय का बनाया जाना भी सही नहीं होगा। यहां तक कि ढेबर आयोग रिपोर्ट जिसका कि उन्होंने हवाला दिया है, में भी यह कहा गया है कि पृथक मंत्रालय बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

**श्री भीखाभाई (बांसवाड़ा)** : शैडयूल्ड कास्टस और शेडयूल्ड ट्राइब्स की बहुत बड़ी जनसंख्या है।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : 20 वर्ष पहले उन्होंने स्वयं ही कहा था कि ऐसे पृथक मंत्रालय की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ऐसा उस समय ही कहा था जबकि आज की अपेक्षा अधिक कार्य किया जाता था। अब दिन-प्रतिदिन काम कम होता जा रहा है क्योंकि वे देश की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मैं यह महसूस करता हूँ कि पृथक मंत्रालय बनाना आवश्यक नहीं है। माननीय सदस्य महोदय ने बिल्कुल सही कहा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक विभाग बनाना औचित्यपूर्ण है।

इस बात पर सरकार अवश्य गौर करेगी। परन्तु एक पृथक मंत्रालय बनाना सही नहीं है। इसलिए महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं।

जैसा कि मैंने शुरु में कहा था कि ये आधे घण्टे की चर्चा उन्होंने इसलिए शुरु की क्योंकि उनके मन में कुछ पूरक प्रश्न उठ रहे थे जिन्हें वे सदन के समक्ष पेश करना चाहते थे और उनके उत्तर पूछना चाहते थे जो कि मैं दे चुका हूँ। धन्यवाद।

**श्री रामावतार शास्त्री** : उपाध्यक्ष जी, प्रश्न देखने में तो बहुत ही साधारण मालूम होता है, लेकिन वास्तव में यह बहुत ही गम्भीर प्रश्न है। केवल अनुसूचित जनजातियों के लिए अलग से मंत्रालय बना दिया जाए या अलग से विभाग बना दिया जाए, इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। यद्यपि मैं चाहता हूं कि इसकी व्यवस्था की जाए, लेकिन इतने ही से आदिवासियों की समस्या का समाधान निकलने वाला नहीं है। अगर निकलनेवाला होता तो अब तक बहुत सारी समस्यायें जो उनके सामने उपस्थित हैं, सामाजिक हों, आर्थिक हों, सांस्कृतिक हों, राजनीतिक हों, उनका हल कब का निकल गया होता। आज आप देख रहे हैं कि आदिवासियों या जन-जातीयों के लोग तरह-तरह के आन्दोलन चला रहे हैं, तरह-तरह के लोग उनके आन्दोलनों में घुसकर उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी झाँकी 10 महीने से हम लोग पूर्वांचल में देख रहे रहे हैं। इस लिये यह समस्या बड़ी गहरी समस्या है। अभी तक जो भी सरकारें रहीं हैं, चाहे काँग्रेस की सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार हो, उन्होंने इनकी बुनियादी समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। वे लोग आर्थिक रूप से सक्षम हो सकें, इस तरफ यदि कोई कोशिश की गई तो वह आधे मन से की गई। वे अपने पांव पर खड़े हो सकें, इस बात का पूरा-पूरा प्रयास नहीं हो सका और उन का शोषण बरकरार रहा, उन की जमीन छिनती गई। यह ठीक है कि कहीं-कहीं कानून बनाकर जमीन को बेचने पर पाबन्दी लगाई.....(व्यवधान).....आप मेरी बात को सुनिये, यह समस्या बहुत ही बुनियादी है। उनका असन्तोष तब तक दूर नही होगा जब तक उन्हें विकास के पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किए जायेंगे। अभी तक आप ने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए उनके मन में आप के प्रति अविश्वास है, आपकी सरकारों के प्रति अविश्वास है और यही कारण है कि कही झारखण्ड राज्य बनाने का नारा उठ रहा है, कहीं दूसरी तरह के नारे उठ रहे हैं। हमारे बिहार में भी इस तरह का नारा उठ रहा है। तो हम लोगों ने भी उस पर सोचा। इसलिए मैं यह जानना चाहूगा कि आपने जो 11 ट्राइब्स रिसर्च सैन्टर्स बनाए हैं, ये 11 इंस्टीट्यूट्स क्या काम कर रही है। उनकी तालिका भी आपने पेश की लेकिन क्या इस बात के बारे में उन्होंने कोई अध्ययन किया है या नहीं कि जहाँ आदिवासी इलाके हैं वहाँ के उद्योग धन्धों में उन्हें ज्यादा से ज्यादा जगह मिले तीसरी श्रेणी में और चौथी श्रेणी में ? क्या इसके बारे में इन ट्राइब्स रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने कोई अनुसन्धान किया है। अगर किया है, तो वे लोग किस नतीजे पर पहुंचे हैं और उनकी समझ में उन क्षेत्रों में, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अभी स्थिति क्या है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब यह सवाल भी उठ रहा है कि जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, वहाँ से लगातार यह आवाज उठ रही है कि उनका अपना अलग से एक राज्य हो चाहे उस का नाम झारखण्ड रखिए और चाहे आदिवासी बहुल क्षेत्र रखिये या कोई और नाम रखिये, नाम का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अब यह सवाल उठने लगा है कि जहाँ ऐसे लोगों का बहुमत है, वैसे इलाके को लेकर उनका एक पृथक राज्य बनाया जाए ताकि उनका विकास द्रुत गति से हो सके। इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब इस सवाल को तो आप दरकिनार नहीं रख सकते, अब तक तो इस को दरकिनार रखा है और इसके नतीजे आप भोग रहे हैं। वहाँ के लोग आन्दोलन कर कर रहे हैं। तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो आदिवासी-बहुल क्षेत्र हैं, आदिवासी मैजारिटी

इलाके हैं, उन को मिलाकर कोई अलग राज्य बनाने का कोई औचित्य है या नहीं, क्या इस के बारे में आपके ट्राइब्स रिसर्च सैन्टर्स ने सरकार को कोई मदद पहुंचाई हैं अपने अध्ययन के जरिये जब तक इन बातों पर आपका ध्यान नहीं जाएगा, तब तक जितनी बातें आप ने कहीं हैं, वे सब कर दीजिए, उन से समस्या का समाधान नहीं होगा और आदिवासियों की प्रगति हमारे देश में नहीं होगी और वे लोग यह समझेंगे कि हम लोग सेकेण्ड क्लास सिटीजन्स हैं। उनके दिमाग में यह बात न रहे, इसलिए यह बताइए कि अलग राज्य बनाने के बारे में आपकी नीति क्या है और नौकरियों में ऐसे इलाकों में उन को प्राथमिकता दी जाए, इस के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

**श्री जनार्दन पुजारी (मंगलौर)** : महोदव, अभी मेरे माननीय मित्र श्री रामावतार शास्त्री ने जो कहा, उसे मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना। मैं उन्हें यह बताना चाहूंगा कि हमारी पार्टी और सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा हमारे समाज के दूसरे कमजोर वर्गों समेत हमारे देश की गरीब जनजा के जीवन स्तर में ठोस सुधार करने के लिए वचनवद्ध है। वह वचन स्वतः ही पूर्ण एवं अटल है।.....(व्यवधान).....

हमारी पार्टी और सरकार यह जानतीं है कि हमारी जनता का एक बड़ा वर्ग गरीवी की बदतर हालत में रह रहा है तथा देश में बहुत अधिक आर्थिक असमानता है। इसकी गहराई में न जाते हुए, मैं कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा।

अनुसूचित जनजातियों की कम से कम पचास प्रतिशत जनता को गरीवी रेखा से ऊपर उठाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की जा रहीं हैं ? क्या केन्द्रीय मन्त्रालय ने कार्य दल की रिपोर्ट राज्यों को भेज दी है और यदि भेज दी है, तो जनजातियों की हालत को सुधारने के लिए राज्यों ने कौन-कौन से उपाय किए हैं ? जनजातीय विकास सम्वन्धी कार्य दल द्वारा जिन नीतियों, कार्यक्रमों तथा कार्यान्वयन एजेन्सियों की सिफारिश की गई थी, क्या राज्य उन्हें मानने के लिए सहमत हो गए हैं ? क्या मंत्रालय विस्तारपूर्वक चर्चा करने और निर्णय लेने के लिए राज्यों के जनजाति विकास मंत्रियों की बैठक वुला रहा है ? आदिवासियों के लिए वड़े पैमाने पर मकान बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ? क्या केन्द्रीय मन्त्रालय ने जनजातियों पर हुई ज्यादतियों से संबंधित मामलों पर शीघ्र न्यायिक कार्यवाई करने के लिए विशेष अदालतें कायम करने के बारे में देश के उच्चन्यायालयों से अनुरोध किया है ?

**श्री राम विलास पासवान** : मैं भीखाजी का आभारी हूँ कि उन्होंने इस चर्चा को आधे घण्टे की चर्चा के रूप में हमारे सामने रखा है और इस प्रकार से हमको भी इस पर अपने विचार व्यक्ति करने का मौका दिया है। शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइवज कमिशनर की रिपोर्ट मुताविक 1.1.1978 को आदिवासियों की प्रथम श्रेणी की सरकारी नौकरियाँ में संख्या 0.84 प्रतिशत थी, द्वितीय में 0.87 प्रतिशत थी। यानि इन दोनों में एक प्रतिशत भी नहीं थी। तृतीय में 2.01 प्रतिशत थी जबकि उनकी होनी चाहिये साढ़े सात प्रतिशत। इसी प्रकार से शैड्यूल्ड कास्ट्स की प्रथम श्रेणी में 4.49 प्रतिशत, द्वितीय में 6.93 प्रतिशत और तृतीय में 11 46 प्रतिशत थी। जहां न्याय मिलने की अपेक्षा होती है यानि न्यायपालिका में, जहाँ से न्याय का स्त्रोत निकलता है वहाँ जितने जज हैं पूरे भारत में उच्च न्यायलयों में उनमें शैड्यूल्ड कास्ट्स के कुल चार लोग थे और ट्राइब्ज का एक भी नही था। जहां से न्याय, वहीं अन्याय। यह दर्दनाक सीन है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यह देश राजा रानी का देश है।

बचपन में हम कहानी पढ़ा करते थे, एक था राजा एक थी रानी। महाभारत का युद्ध द्रोपदी को लेकर हुआ। सीता को लेकर राम रावण का युद्ध हुआ। यह राजा रानी का देश है। यहां हजारों लाखों की तादाद में आदिवासी, हरिजन नंगे घूम रहे हैं। उनके साथ दिन रात जुल्म होता है, अत्याचार होते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस देश में क्रान्ति क्यों नहीं होती है। पता नहीं भविष्य में भी कभी क्रान्ति होगी या नहीं होगी।

एक और बात है। मराठवाडा को आप लें डा० अम्बेदकर के नाम पर जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, एक विश्वविद्यालय का नाम रखा जाना था—(इंटरप्शंज)

जिस डा० अम्बेदकर ने संविधान को बनाया—आज** दूसरे लोगों के नाम पर शिक्षण-संस्थान चल रहें हैं,—लेकिन उन डा० अम्बेदकर के नाम पर जब मराठा वाड़ा यूनिवर्सिटी का नाम बदल कर डा० अम्बेदकर यूनिवर्सिटी रखा जाता है, तो आज भी ऐसे-ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जिनके गले के नीचे यह बात नहीं उतरती हैं और वे हरिजन-आदिवासियों का कत्ले-आम करने से नहीं चूकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

इस कथन को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

**श्री राम विलास पासवान** : **

**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक नहीं है। नहीं, नहीं आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। यह किसी सार्वजनिक सभा में दिया जाने वाला भाषण है। श्री पासवान, आप यह भाषण किसी सार्वजनिक सभा में दे सकते है, परन्तु संसद में नहीं।

**श्री राम विलास पासवान** : जो हकीकत है, मैं उसको रख रहा हूँ। क्या कारण है कि जिस व्यक्ति ने संविधान की रचना की, जो व्यक्ति संविधान का निर्माता है, उस व्यक्ति के नाम पर जब एक यूनिवर्सिटी नामाकरण होता है, जिसको महाराष्ट्र एसेम्बली ने 1978 में सर्व-सम्पति से पास किया था, तो वह भी कुछ लोगों के गले के नीचे नहीं उतरता है और इस बात को लेकर वहां पर कत्ले-आम होता है ? इस परिस्थिति में हमें यह सोचना पड़ेगा कि क्या इस देश में हरिजनों और आदिवासियों को कोई अधिकार है या नहीं। जब 1977-78 में हमारी सरकार थी, तो मैंने

अपनी सरकार से कहा था कि यदि वह हरिजन-आदिवासियों की समस्याओं का निदान नहीं कर सकती है, तो हम इस मामले को यू एन ओ में ले जा सकते हैं। यह कोई साधारण या मामूली बात नहीं है।

सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों के ट्राइबल सब-प्लान और स्पेशल काम्पोनेंट प्लान बनाये हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज की जहां जहाँ जितनी जनसंख्या है, क्या यह उसके अनुपात से ट्राइबल सब-प्लान और स्पेशल काम्पोनेंट प्लान बनायेगी। केन्द्र के द्वारा जो राशि दी जाती हैं, क्या वह भी इन लोगों की पापुलेशन के मुताविक दी जायेगी ?

आज न्यायपालिका में घोर अन्याय हो रहा है आज जब किसी को मालूम हो जाता है

*उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

कि अमुक व्यक्ति अनुसूचित जाति या शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का हैं, तो जहाँ से न्याय मिलने की अपेक्षा होती है, वहाँ हमारे आदमी न रहने के कारण न्याय नही मिल पाता है। शिड्यूल्ड कास्ट्स कमिश्नर की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार को संविधान के अनुसार यह अधिकार है कि वह न्यायपालिका में भी आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है।

सेना में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग एकदम नगण्य हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की रिपोर्ट पर बहस के समय मैंने कहा था कि सेना में आज भी कास्ट के नाम पर रेजिमेंट बनी हुई हैं। या तो कास्ट के नाम पर रेजिमेंट को खत्म करें, नही तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए रेजिमेंट स्थापित करें। क्या सरकार सेना में कास्ट के नाम पर रेजिमेंट को खत्म करेगी या शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के नाम पर रेजिमेंट बनायेगी ?

मैं श्री भीखा भाई के इस प्रस्ताव से सहमत हूं कि या तो एक सैपेरेट मिनिस्ट्री बनाई जाये, या होम मिनिस्ट्री में दो डिपार्टमेंट हों, क्योंकि पूरी पावर के बिना काम नहीं हो सकता हैं बिहार में एक अलग वेलफेयर मिनिस्ट्री बनी हुई है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि नीति चाहे जितनी अच्छी हो, जब तक नीयत साफ नहीं होगी, तब तक नीति सफल नहीं हो सकती है। हथियार चाहे कितना बढ़िया हो, जब तक उसको चलाने वाले हाथ में शक्ति नहीं होगी तब तक हथियार नहीं चल सकता है नीतियों का एक्सीक्यूशन सरकारी अधिकारी करते हैं, लेकिन आज एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कितने लोग हैं। दिल्ली में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का एक भी एस एच ओ, डी एस पी या एस पी नहीं है। जब तक नीयत साफ नहीं होगी, जब तक हथियार चलाने वाला हाथ मजबूत नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। क्या सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी कि 25 परसेंट येडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स पर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों को नियुक्त किया जाये, वह पोस्ट चाहे एस पी का हो, डी एम का हो या डी एस पी हो, जो भी की-पोस्ट्स हैं उन में जहां कहीं आपको मौका मिले आप उनको बैठाइए, बड़े बड़े पोस्ट्स पर बैठाइए, मंत्री बनाइए। जहाँ मंत्री नहीं बना सकते हैं या और बड़े बड़े पोस्ट्स पर नहीं बैठा सकते हैं वहाँ कम से कम डिस्ट्रिक्ट एथारिटी तो उनको बना सकते हैं। यह तो कर सकते हैं। तो मेरा यही प्रश्न है कि क्या जो 25 प्रतिशत ऐडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स हैं उन पर आप इनको बैठाएगें ?

**श्री दलबीर सिंह (शहडौल)** : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मंत्रालय के लिए तो स्वीकार नहीं किया है लेकिन में उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे गृह मंत्रालय के अन्तर्गत शेड्यूल्ड कास्ट्स के लिए एक अलग डिवीजन काम कर रहा है और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज केलिए अलग डिवीजन काम कर रहा है। इनकी आबादी आप देखें, 1971 की जनगणना के आधार पर आदिवासियों की आबादी 318 लाख है लेकिन 1976 में एरिया रेस्ट्रिक्शन हट जाने से इनकी आबादी 411 लाख के लगभग हो गई है। इसी तरह से अनुसूचित जातियों की भी आबादी बढ़ गई है। तो मैं माननीय गृह राज्य मंत्री से यह निवेदन करूंगा कि यह जो डिवीजन है इस को आप समाप्त कर के गृह मंत्रालय के अन्तर्गत डिपाट्मेंट कायम करें डिपार्टमेंट कायम हो जायगा तभी आप यह काम ठीक तरह से कर सकते हैं। आप ने 18 राज्यों में सब-प्लान की योजना रखी है और उसके साथ साथ संघ राज्यों में भी आप ने योजना रखी है, तो केवल डिवीजन के द्वारा आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि गृह राज्य मंत्रालय के अन्दर आप इतने सारे

राज्यो के जो सब-प्लान बनाने जा रहे हैं उनका काम सुचारू रूप से कर सकें। यह हम तभी ठीक प्रकार से कर सकते हैं जबकि सेपरेट डिपार्टमेंट आदिवासियों और हरिजनों के लिए बना दिया जाय। तभी हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि आप सम्बन्धित राज्यों से डायरेक्ट रिपोर्ट मंगा कर और वहां के लोगों को बुला कर उनको सीधे सीधे निर्देश दे सकते हैं।

भोपाल में आप ने अभी घोषणा की कि मध्य प्रदेश को 80-81 के लिए आप 80 लाख रुपया द रहें हैं। तो आप देखें, ऐसे तो आप प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर इस समय छठीं योजना बनाने जा रहे हैं। लेकिन इनकी आर्थिक दशा क्या है ? सही बात कहने में कोई डर नहीं है। शेड्यूल्ज कास्ट्स एन्ड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की पर कैपिटा इनकम इस बीच में बढ़ी नहीं है, बल्कि गिरी है। तो मैं मंत्री महोदय से यहीं निवेदन करना चाहता हूँ और इसी सम्बन्ध में गोमान्गो साहब रेजोल्यूशन भी लाए हैं, मैं माननीय गृह राज्य मंत्री से पूछना चाहता हूं, वह जल्द से जल्द यदि आदिवासियों और हरिजनों की भलाई करना चाहते हैं तो जो डिवीजन चल रहे हैं इनको समाप्त करके क्या वह उसके लिए सैपरेट डिपार्टमेंट कायम करेंगे ? जब सैपरेट डिपार्टमेंट कायम होगा और गृह मंत्रालय के अन्तर्गत तथा प्रधान मंत्री के अन्तर्गत जब यह काम सौंपा जायगा तभी ठीक ढंग से चल सकेगा।

आप अभी जो छठी पंचवर्षीय योजना बनाने जा रहे हैं उसमें मैंने पढ़ा आप 500 करोड़ अनुसूचित जातियों को दे रहे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूँ। लेकिन केवल 300 करोड़ ही आदिवासियों के लिए रखा है जबकि इनकी आर्थिक दशा बहुत ही गिरी हुई है। अनुसूचित जातियों के लिए आप उसे बढ़ाकर पाँच सौ से साढ़े सात बढ़ाकर सौ करोड़ करने जा रहे हैं तो मेरा यही आप से निवेदन है कि शेड्यूल्ड एरिया का जो रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ था चूंकि उसे आप ने हटा दिया है, उससे आदिवासियों की संख्या और बढ़ गई है, इस आधार हर आप साढ़े सात सौ करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए भी छठी पंचयर्षीय योजना में रखें ताकि इन दोनों का साथ साथ विकास हो सके। मैंने सारे आँकड़े देखें हैं। प्रथम पंच वर्षीय योजना में आप ने 30.04 करोड़ रखा है। सेकेंड पंचवार्षी योजना में 79.41 करोड़ रखा है। तीसरे प्लान में 100.40 करोड़ रखा है और ऐन्यूअल प्लान्स में 1966 से 69 तक 68, 50 करोड़ रखा है। फोर्थ प्लान में 172.70 करोड़ और फिफ्थ प्लान में 288.88 करोड़ रखा है। स्पेशल सैंट्रल असिस्टेंस फार सब-प्लान्स फार ट्राइबल एरियाज में 120 करोड़ रुपया आप ने रखा है।तो मैं आप के माध्यम से गृह राज्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि यह जो 120 करोड़ रुपया आप ने रखा है इसका तो हम स्वागत करते हैं लेकिन छठी पंच वर्षीय योजना में आप इनकी धनराशि को बढ़ाएँ। हमारा यही विनम्र निवेदन आप से है कि इनकी जो दशा है उसे देखें, आप ने स्वयं महसूस किया है कि आदिवासियों की समस्याएं अलग हैं, वे एक विशेष क्षेत्र में रहते हैं।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सब-प्लान्स जो बनते हैं इसमें जितने भी प्लान्स हैं, केन्द्रीय शासन का राज्य शासन को डायरेक्ट निर्देश था कि मीन्स आफ कम्युनिकेशन का जो कार्य है वह राज्य का काम होगा। यदि आप प्लान्स बनाते हैं ग्रामीण अंचल के लिए तो न वहां पर सड़कें हैं, न रेलवे लाइनें हैं, न बिजली की कोई योजना हैं, न सिंचाई के साधन हैं तो कैसे काम चलेगा ? इसलिए सबसे पहले मीन्स आफ कम्युनिकेशस होने चाहिए तभी आप स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज की बात कर सकते हैं। 1977-78 में जैसा कि पासवान जी नेव तलाया, कसीशन नियुक्त हुआ था जिसमें चार मेम्बर्स है और पार्वमेन्टरी कमेटीज भी बनती हैं उनकी

जो रिपोर्ट आती हैं उनको भी आपको देखना होगा । मेरा निवेदन है कि जो दो डिवीजन्स काम कर रहे हैं वह सक्षम नहीं हैं, इसके लिए जल्द से जल्द गृह मन्त्रालय के अन्तर्गत एक डिपार्टमेंट कायम किया जाए ।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : शुरू में मैंने कहा था कि जनजातीय अनुसन्धान संस्थान के तीन कार्य हैं—(1) जनजातीय समस्याओं पर अनुसंधान करना (2) जनजातीय क्षेत्रों के लिए योजनाएं तैयार करना और (3) जनजातीय क्षेत्रों में काम करने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना ।

माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री ने सेवा संबंधी मामलों के बारे में कुछ विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं । उन्होंने तथा श्री राम विलास पासवान ने अनुसूचित जनजातियों की सेवा के बारे में बहस की ।

यह संस्था सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रम भी चला रह हैं । अनुसूचित जातियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य भी वे कर रहे है । रोजगार के क्षेत्र में अवसरों को और अच्छे बनाने के लिए, जनजातीय उपयोजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियाँ शुरू की गई हैं—(क) शिक्षा स्तर में सुधार (ख) राज्यों तथा केन्द्र में सिविल कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण योजनाएँ (ग) आई० टी० आई० संस्थानों आदि में प्रशिक्षण, और (घ) नौकरियों में स्थान सुरक्षित रखना । ये कुछ उपाय हैं जो सेवा संबंधी मामलों में जनजातियों की सुरक्षा के लिए जो किये जा रहे हैं ।

उन्होंने एक पृथक राज्य बनाए जाने के बारे में एक प्रश्न पूछा था । मैं बार-बार सदन में इस बात को कह चुका हूँ कि यह सरकार कोई जनजायीय राज्य बनाए जाने के पक्ष में नहीं है ।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में जनजातीय राज्य हैं । कुछ विशुद्ध रूप से जनजातीय राज्य हैं तथा कुछ मिले-जुले राज्य हैं । देश में अधिक राज्य बनाए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है । राष्ट्रीय एकता के लिए भी यह ठीक नहीं है । जनजातियों को जीवन की मुख्य धारा में आना है । हम उनकी संस्कृति को संरक्षित रखना चाहते हैं । हम उनके रहन सहन के ढ़ंग को संरक्षित रखना चाहते है । परन्तु इसके साथ हम यह भी नहीं चाहते कि वे देश को मुख्य धारा से अलग रहें ।

श्री जनार्दन पुजारी ने सरकार द्वारा किए गए उपायों का उल्लेख करके यही काम किया । उन्होंने विशेष तौर से पाँच प्रश्न पूछे हैं । मैं एक-एक करके उनका उत्तर दूँगा । माननीय सदस्य का पहला प्रश्न था—गरीबी-रेखा से ऊपर उठाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं तैयार की गई हैं ? इसके लिए जनजातीय उप योजनाएं हैं जनजातीय उप योजनाओं के अन्तर्गत कई योजनाएं हैं जिनके द्वारा हम इस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान जनजातीय लोगों में से कम से कम पचास प्रतिशत लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठना चाहते हैं । इस कार्य के लिए, हमने यह निर्धारित किया है कि प्रत्येक वर्ष इतने प्रतिशत लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठना है इसके लिए, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के स्तर को उठाने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं तैयार करने की खातिर राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष सहायता भी दी जाती है ।

योजना के कार्य की समीक्षा करने के लिए मैंने स्वयं इन सभी राज्यों का दौरा किया ।

अब तक मैं आठ राज्यों का दौरा कर चुका हूँ। मैं इस सम्माननीय सदन के माननीय सदस्यों को यह सूचित करना चाहता हूँ कि मेरी यात्रा के बाद प्रत्येक राज्य ने अपना योजना व्यय बढ़ा दिया है केरल में योजना व्यय में केवल लगभग 5 प्रतिशत वृद्धि की गई थी। वहाँ जनजातियों के लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का 9 प्रतिशत है। राज्य सरकार ने मुझ से योजना व्यय को 8 प्रतिशत करने का वादा किया है! तमिलनाडु में उनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या का 18 प्रतिशत है। वहां योजना व्यय 6 या 7 प्रतिशत से भी कम था। मेरी यात्रा के बाद राज्य सरकार ने इसे 22% कर दिया है जन संख्या से भी ज्यादा। गुजरात ने भी इसे बढ़ाने का वादा किया है। पिछले दिनों मैं मध्य प्रदेश में था। वहाँ योजना व्यय 5 प्रतिशत से भी कम था। वहां ऐसे लोगों की संख्या कुल जनसंख्या का लगभग 13 से 14% है। उन्होंने भी कहा है कि वे व्यय में वृद्धि करेंगे।

केन्द्र ने ये प्रयास किए हैं। राज्यों का दौरा करने से पूर्व मैं अपने अधिकारयों को वहाँ भेजता हूं। मेरे, जनजातीय और अनुसूचित जाति प्रभागों के प्रभागी संयुक्त-सचिव राज्यों का दौरा कर रहे हैं जहाँ वे अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करेंगे। वे उन्हें योजनाएँ बताते हैं। वे योजनाओं के कार्यान्वियन के बारे में विचार करते हैं तथा क्षेत्रीय संगठनों का भी दौरा करते हैं। उसके बाद मैं, राज्यों का दौरा करता हूँ। अपनी यात्रा के दौरान में, मुख्य मन्त्री, वित्त-मन्त्री, योजना मन्त्री तथा जनजातियों और अनुसूचित जातियों के प्रभारी मन्त्री के साथ विचार-विमर्श करता हूँ। उसके बाद मैं भी यह पड़ताल करने के लिए कि सही कार्य कर रही है या नहीं क्षेत्रीय स्थापनाओं का दौरा करता हूँ। इसलिए, मैं स्वयं राज्यों का दौरा कर रहा हूँ और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानी बरत रहा हूँ कि इन योजनाओं का सही ढंग से कार्यान्वयन होता है। मैंने सभी राज्यों को बता दिया है कि हम किए गए कार्य का वर्ष के अंत में मूल्यांकन करेंगे तथा अनुसूचित जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का 50 प्रतिशत प्रयास पर आधारित मानदण्ड के आधार पर ही दी जायेगी। मैंने योजना आयोग के साथ भी विचार-विमर्श किया है उनके साथ थोड़ा मतभेद था। परन्तु अन्त में यह फैसला किया गया कि केन्द्रीय सहायता का 50 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा और शेष 50 प्रतिशत राज्य सरकारों द्वारा किए गए प्रयासों के आधार पर दिया जाएगा। प्रयास लोगों को गरीबी रेखा के नीचे से उठाने के लिए और उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए किए जाएँगे। इसके लिए प्रयास करने हैं। इसके लिए हमने कुछ फार्मूले तैयार किए हैं। इसके अनुसार हम राज्यों से विचार-विमर्श कर रहे हैं तथा उनका मार्गदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद कार्यान्वियन सम्बन्ध कार्य शुरू होता है।

दूसरे, उन्होंने अनुसूचित जनजातियों की हालत सुधारने के बारे में पूछा था। उनकी हालत को सुधार ने के लिए ही ये प्रयास किए जाते हैं। मुझे विश्वास है कि इन प्रयासों से उनकी हालत पहले से बेहतर हो जाएगी। उन्होंने यह भी पूछा है कि क्या राज्य अधिक व्यय करने तथा योजनाओं को बढ़ाने के लिए सहमत हो गए हैं। मैंने कहा है कि मेरी यात्रा के बाद लगभग सभी राज्यों ने अपने योजना व्यय में वृद्धि कर दी है। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि राज्य सरकारों के साथ हमारे सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण हैं तथा वे हमारी योजनाओं से सहमत हैं। वे हमेशा ही योजनागत व्यय में वृद्धि करते हैं।

इसके बाद उन्होंने राज्यों के मंत्रियों की एक बैठक बुलाने के बारे में पूछा था। मैंने

दूसरा रास्ता अपनाया है। सभी राज्यों के मन्त्रियों को यहां बुलाकर एक दिन में इस मामले पर विचार करना सम्भव नहीं है। एक दिन में, मैं जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों की समस्याओं के साथ न्याय नहीं कर पाऊँगा। इसलिए मैंने व्यक्तिगत रूप से विभिन्न राज्यों का दौरा करने का निश्चय किया है।

अभी तक मैंने आठ राज्यों का दौरा किया है और इस बारे में वहाँ के मुख्य मन्त्रियों तथा अन्य मन्त्रियों व अधिकारियों से विचार विमर्श किया है। हमने यह नीति बनाई है। हमारी सरकार अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बचनवद्ध है और विशेष रूप से हमारी प्रधानमन्त्री तो इस कार्य में अत्यधिक रुचि रखती हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी ने सभी मुख्य मन्त्रियों को योजना परिव्यय में वृद्धि करने के बारे में व्यक्तिगत पत्र लिखे हैं। उन्होंने सभी मुख्यमन्त्रियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की उन्नति के लिए मार्गदर्शन किया है। इसलिए चूंकि प्रधानमन्त्री स्वयं इस कार्य के लिए वचनवद्ध हैं अतः इस बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं दिखाई पड़ती।

इसके बाद उन्होंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए बड़े पैमाने पर मकान बनाने के बारे में पूछा था। यह भी अनुसूचित जनजाति की उप-योजना का एक अंग बन गया है। यह एक प्रावस्थाबद्ध कार्यक्रम है और इसे हम चला रहे हैं।

श्री जनार्दन पुजारे ने विशेष अदालतों का प्रश्न उठाया था। मैंने सदन में उत्तर देते समय अनेक बार इस बात को दोहराया है कि हम इस बारे में राज्य सरकारों से अनुरोध कररहे हैं। प्रधानमन्त्री और गृह मन्त्री तथा अंततः गृह सचिव ने इस बारे में पत्र लिखे हैं। जब मैं वहां व्यक्तिगत रूप से गया तो मैंने वहाँ के मुख्य मन्त्री, मन्त्रियों और अधिकारियों से कहा कि वे सम्बन्धित राज्यों के उच्च न्यायालयों के न्यायाधिकारियों से इन मामलो के लिए कुछ न्यायालय निर्धारित करने का अनुरोध करें। अधिकांश राज्यों से अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि वे यह कार्य अवश्य करेंगे।

श्री राम विलास पासवान ने मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का डा० बी० आर० अम्बेडकर के नाम से पुनः नामकरण करने का सही उल्लेख किया है। यह देश में घटित घटनाओं, विशेष कर महाराष्ट्र में, घटित होने वाली घटनाओं में सब से दूर्भाग्यपूर्ण घटना है। इस देश के लोगों का दिमाग अब बदल रहा हैं। लेकिन ऐसे कुछ छिपे हुए दुष्ट लोग हैं जो मराठवाड़ा में समस्याएँ पैदा कर रहे हैं। जैसाकि मैंने कहा है हमारी सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण कार्य के लिए वचनवद्ध है अतः वह ऐसे किसी भी कार्य को बर्दास्त नहीं करेगी जिससे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों को नुकसान पहुँचाता हो।

**श्री रामविलास पासवान :** नाम रहेगा या नहीं रहेगा। आप कमिटेड हैं और मैं जानना चाहता हूँ कि डा० अम्बेडकर के नाम से वह इंस्टीट्यूट रहेगा या नहीं ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** माननीय सदस्य महोदय ने यह प्रश्न बेकार में किया है क्योंकि यह कार्य तो राज्य सरकार का है और चूंकि यह कार्य राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है अतः मैं इस बारे में कैसे कुछ कह सकता हूँ।

**श्री राम बिलास पासवान :** वहाँ शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों की हत्या हो गई और आप कहते हैं कि यह स्टेट गवर्नमेन्ट का मामला है !

**श्री योगेन्द्र मकवाना :** इस विषय में राज्य सरकार को कार्यवाई करनी है मैं तो उन्हें

केवल इतना ही आश्वासन दे सकता हूँ कि जब कभी मैं वहां जाऊँगा मैं राज्य सरकार से अनुरोध करूँगा !

जहां तक योजना प्रतिशत का संबंध है इस बारे में विस्तार से विचार हो गया है। मैं स्वयं राज्यों के दौरे कर रहा हूँ और उनसे अनुरोध कर रहा हूँ कि वे घनी जनसंख्या वाले क्षेत्र (आप्टिमल प्वाइंट) को ध्यान में रखकर योजना बनाएं। हम राज्य के अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाले क्षेत्र को आप्टिमल प्वाइंट मानते हैं।

**श्री राम विलास पासवान** : सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के प्लान के बारे में नहीं बताया।

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : इस बारे में मैंने योजना आयोग से कहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नाम से रजिमेन्ट बनाने से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा बल्कि इसके विपरीत इससे हानि ही होगी। हम देश से जाति पद्धति को समाप्त करना चाहते हैं। जाति प्रणाली को दूर करने के प्रयास में एक विशेष रेजिमेन्ट, एक विशेष क्षेत्र या किसी अन्य वस्तु का एक जाति या जनजाति के नाम रखने से कोई सहायता नहीं मिलेगी। हमें इस देश से जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हमें स्वस्थ वातावरण पैदा करना है, यदि हम वास्तव में जीवनस्तर को उठाना और सामाजिक-आर्थिक स्थितियों में सुधार लाना चाहते हैं तो इस देश से इस जाति प्रथा को सचमुच समाप्त करना होगा और सरकार का यह प्रयास रहेगा कि.....

**श्री राम विलास पासवान** : आर्मी में कास्ट्स के नाम पर रेजिमेन्ट्स हैं ? ..... (व्यवधान)..... इसके अलावा जूडिशियरी के बारे में क्या पालिसी है ?

**श्री योगेन्द्र मकवाना** : आरक्षण होना चाहिए। जिन सदस्यों ने प्रश्न किए हैं उनमें से अधिकांश सदस्यों गृह मन्त्रालय में अनुसूचित जाति विभाग बनाने की मांग की है। कुछ सदस्यों ने अलग मंत्रालय की माँग की है। जैसाकि मैंने शुरू में बताया है ढेबर आयोग तक अलग मंत्रालय बनाए जाने को उचित नहीं बताया है। मंत्री परिषद के एक सदस्य की हैसियत से नहीं अपितु व्यक्तिगत रूप से मेरा भी यही विचार है कि अलग मंत्रालय बनाए जाने से कोई सहायता नहीं मिलेगी। यह हरिजन मंत्रालय बन जाएगा और ऐसे मंत्रालय को कोई पसंद नहीं करेगा। जबकि इसके विपरीत यह विभाग गृह मंत्रालय के पास ही रहेगा जिसका समूचे देश में आदर किया जाता है। जैसाकि मैंने शुरू में कहा था, गृह मंत्रालय में एक विभाग, जिसके लिए श्री दलबीर सिंह ने पुरजोर दलील दी है, के स्थान पर एक विभाग बनाए जाने में कुछ औचित्य दिखाई देता है। मैं गृह मंत्रालय में एक मंत्री के नियंत्रण में एक अलग विभाग बनाने के प्रश्न पर विचार करूंगा। लेकिन ऐसे कार्य के लिए एक प्रक्रिया की जरूरत पडती है जो हम करेंगे। उत्तर देते समय मैंने जो बात कही थी उसे मैं पुनः दोहराता हूं कि हमारी सरकार, विशेष रूप से देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए वचनवद्ध हैं। इसलिए किसी को उसके लिए चिन्तित नहीं होना चाहिए, हम उनका ध्यान रखेंगे।

## सदस्यों की गिरफ्तारी आदि के बारे में सूचना

**उपाध्यक्ष महोदय** : अध्यक्ष महोदय ने मुझे निम्नलिखित घोषणा करने को कहा है :—

"स्वामी अग्निवेश, संसद सदस्य की 5, अगस्त, 1980 को वागपत में हुई गिरफ्तारी के बारे में मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट से मुझे आज वायरलैस सूचना मिली है। जब आज सदन में मैंने इस सूचना को पढ़ा तो कुछ सदस्यों ने प्रश्न उठाया कि सूचना में लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के नियम 229 के अधीन संबंधित प्राधिकारियों द्वारा सदस्य को रोकने या उसकी गिरफ्तारी के स्थान के बारे में दी जाने वाली सूचना नहीं दी गई है।

इस संबंध में सदन को मैं सूचित करना चाहूंगा कि गृह मंत्रालय ने संबंधित प्राधिकारियों निदेश जारी किए हैं कि वे सदस्यों की गिरफ्तारी, नजरबंदी, सदस्यों को छोड़ने से संबंधित पूरी को समय-समय पर जानकारी प्रक्रिया नियमों की तीसरी सूची में दिए गए उपयुक्त फार्म में अध्यक्ष को भेजे जाने वाले तार या अन्य संसूचनाओं में भेजें। हाल ही में इस बारे में गृह मंत्रालय से पुनः कहा गया था तथा जिसने अगस्त, 1980 को नवीन निदेश जारी किए हैं जिनमें उसने अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का विशेष रुप से उल्लेख किया है कि तारों या वायरलैस सूचनाओं में सदस्यों को रखे जाने वाले स्थान की सूचना सहित सभी आवश्यक जानकारी दी जानी चाहिए।

मुझे खेद है कि बार-बार निदेश दिए जाने के बावजूद भी जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ ने स्वामी अग्निवेश को बंद देखने के स्थान सहित उनकी गिरफ्तारी के बारे में पूरी जानकारी नहीं भेजी है। आशा है कि भविष्य में इस गल्ती को नहीं दोहराया जाएगा।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : सदन की बैठक को कल प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

**मध्यान्ह पश्चात 6.38 बजे**

**तत्पश्चात लोक सभा गुरुवार, 7 अगस्त, 1980/16 श्रावण 1902 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

1980 लोक सभा सचिवालय को प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ए० जे० प्रिंटर्स नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।